राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २७ वां दिवस [संख्या २०

सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पशु-पालन, राजस्व, केबिनेट, विकास, शिक्षा, खनिज, कृषि, उद्योग, योजना एवं पंचायत–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ५४४

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(अनुपस्थित)

Next ! Shri Ram Kishan !

मछली पालन, जिला भरतपुर

५४५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या पशु–पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले के अन्तर्गत किस किस स्थान में मछली पालन का कार्य चल रहा है ?

(२) क्या कामा स्थित धार्मिक कुण्डों में भी मछली पालन होता है ?

उप-मंत्री, पशुपालन विभाग (श्रीमती कमला बैनीवाल): १. भरतपुर जिले में निम्नांकित स्थानों पर मछली पालन का कार्य चल रहा है:—

(१) पंचायत समिति कुम्हेर,

(२) पंचायत समिति डीग तथा,

पारवती डैम, नीवी बंध, मीलगांवा टैंक, नवगांव टैंक कालेज डीगी, भरतपुर छेतरया का तालाब।

२. जी नहीं।

श्री रामकिशन : जब वहां पर मछली पालन का कार्य नहीं चल रहा है तो नगर-पालिका ने कामा में किस प्रकार ठेका दिया है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : मेरी जानकारी में यह है कि तालाबों में मछली पालन करने का कार्य चल रहा है।

Page No 2

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग द्वारा या सरकार के विभाग द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया ?

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या कुओं के अन्दर भी मछली पालन की योजना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष: कुओं में तो मेंढक रहते हैं।

प्रश्न संख्या ५४६

श्री कुमारानन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५४७

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री **श्रवणलाल** ।

भूमि अलाटमेन्ट, ग्राम जट नगला, तहसील हिन्डोन

५४८. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील हिन्डौन के जट नगला ग्राम में सन् १९५२ से अब तक कितनी जमीनें किस किस के नाम से अलॉट हुई हैं ?

(२) ग्राम जट नगला में सन् १९५२ से अब तक उन जमीनों की कितनी रजिस्ट्रियां किस किस के नाम से हो चुकी हैं ?

(३) क्या यह सच है कि वहां की जमीन गरीब आदमियों को, जो वास्तव में भूमिहीन हैं, उनको न मिल करके दूसरे आदमियों को दी जाती है, जो अपने नाम से जमीन अलाट करके बेच देते हैं।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) पंचायत जटनगला को १५ बीघा भूमि अलॉट की गई।

(२) अलॉट शुदा भूमि की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई।

(३) यह सही नहीं है।

श्री श्रवणलाल : यह कौनसी तारीख को अलॉट हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ बीघा एक पंचायत समिति को जनरली अलॉट होती है। दो साल हुए।

श्री श्रवणलाल : मैं ने तो सन् ५२ से ६२ तक कितनी जमीनें किस किस के नाम अलॉट की गई यह पूछा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अलावा किसी को कोई भूमि अलॉट नहीं की गई।

श्री श्रवणलाल : मेरा मतलब यह है कि सन् ५२ से ऐसी कितनी जमीन अलॉट हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि न तो भूमि दी गई और न भूमि उपलब्ध ही है जो किसी को अलॉट की जा सके।

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसमें चार भूमिहीन व्यक्ति हैं जो भिक्षा वृत्ति पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४९

श्री हरदत्तसिह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५०

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५१

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५२

श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

नैक्स्ट, श्री मानिकचन्द सुराणा।

पंजाब के जवानों को भूमि का अलाटमेन्ट

५५३. **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर में से दो लाख एकड भूमि पंजाब के जवानों के लिये देने की घोषणा किस तारीख को की गई ?

(२) उक्त घोषणा किस स्थान पर की गई और किस संदर्भ में की गई ?

(३) राज्य सरकार ने क्या उक्त घोषणा के बाद उसके अनुरूप वैधानिक निर्णय लिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) उक्त दो लाख एकड भूमि के लिये क्या कोई अलग अलॉटमेंट रूल्स बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तारीख २ दिसम्बर, १९६२ को।

(२) चीन के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में यह घोषणा अमृतसर में की गई।

(३) जी हां, ३१-१-६३।

(४) रूल्स बनाये जा रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २-१२-६२ को घोषणा की गई है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार के इस संबंध में किसी प्रकार के निर्णय के पूर्व ही यह घोषणा कर दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चीफ मिनिस्टर ने वहां पर घोषणा की उसके संदर्भ में बाद में निर्णय ले लिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा और दो लाख एकड भूमि की घोषणा की गई वह विना कैबिनेट के पूर्व निर्णय के ही कर दी गई इसके लिये उनको क्या अधिकार था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको अधिकार है। यह तो उनके और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के बीच का प्रश्न है।

Page No 4

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे तो एक लाख नहीं, एक करोड की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री बिना कैबिनेट के ध्यान में लाये इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Division can be taken in anticipation of the approval also.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब राजस्थान ने दो लाख एकड भूमि का दान दिया तो इस निर्णय की घोषणा अमृतसर में क्यों की गई, जयपुर में क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां करने में कोई हानि नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी घोषणा करने से पहले कैबिनेट में निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इसकी पहले मंत्री मंडल में चर्चा कर ली गई थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके भाषण के पहले चर्चा कर ली गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या यह सब कैबिनेट रेकार्ड पर है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**: पहले इनफोरमल चर्चा की गई थी और बाद में रेकार्ड कर लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिद्धान्त की आपत्ति है । एक लाख नहीं १० लाख दे दें । लेकिन मंत्रि-मंडल का निर्णय होना चाहिये । माननीय मंत्री तो सभी उन्हीं के हैं, फिर भी निर्णय तो होना चाहिये ।

यह तो मुख्य मन्त्री का पर्सनल डिसीजन है।

श्री अध्यक्ष : पर्सनल डिसीजन थोडे ही हो सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मन्त्रि-मण्डल का तो निर्णय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उसकी आवश्यकता नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, यदि कैबिनेट उनके डिसीजन को टर्न डाउन कर देती तो ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसके इम्प्लीकेशन्स हैं, कैबिनेट टर्न डाउन कर देती है तो इसका मतलब होता है कि मुझ में कान्फीडेन्स नहीं। पर मैंने निवेदन किया न कि इन्फोर्मल चर्चा करली थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका निर्णय कैबिनेट नहीं मानती तो क्रासिस जैसी चीज पैदा हो जाती ?

श्री अध्यक्ष : हो जाती तो हो जाती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सुखाडियाजी की सेवाओं से वंचित हो जाता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इस प्रकार जमीन देने से पहले सदन में इस चीज की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी ?

Page No 5

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूण्डावत।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इस तरह से मनमानी हो जाय....

श्री अध्यक्ष:Order! Order please.?? इस तरह बहस का विषय न बनाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक सप्लीमेन्टरी और है....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

तालाब और एनीकट के लिये ऋण

५५४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पंचायत समितियों में तालाब और एनीकट के द्वारा लघु सिंचाई के लिये जो रकम देती है वह ऋण के रूप में देती है?

(२) सन् ६२-६३ के लिये पंचायत समितियों को तालाब और एनीकट बनाने के लिये ऋण के रूप में देने के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी? इस स्वीकृत धनराशि में से कितनी रकम पंचायत समितियों को दे दी गई और उस रकम में से बिना उपयोग किये पंचायत समितियों ने कितनी रकम वापिस लौटा दी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) १५ लाख रुपये। इसमें से १४ लाख पये की धनराशि पंचायत समितियों के पी. डी. खाते में हस्तान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। चूंकि धनराशि हस्तान्तरित करने के आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं अतः बिना उपयोग किये रकम वापिस लौटाने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५५५

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस की कक्षाएं, जयपुर

५५६. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की कक्षाएं दो विभिन्न दूर दूर स्थानों पर लगती हैं?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि दो विभिन्न स्थानों पर कक्षाएं लगने के कारण व्यवस्था एवं प्रबन्ध में कठिनाई होती है?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कूल के लिये उचित इमारत की व्यवस्था करेगी?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरञ्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) ज्यों ही उपयुक्त भवन मिलेगा उचित व्यवस्था हो जायगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : काफी दिनों से अव्यवस्था चल रही है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भवनों का नगरों में बडा अभाव है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चण्डावत। किराये पर भी नहीं मिलते?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं मिलते ।

श्री अध्यक्ष : आपने मन्जूरी दे दी है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उचित व्यवस्था के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह भारतवर्ष का बहुत पुराना और प्रसिद्ध स्कूल है, इसकी ऐसी स्थिति होना शोभनीय नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : इसकी काफी दयनीय स्थिति हो गई है..

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५५७

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५८

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्रमिकों के लिये स्नानागार पलाना कालेरी

५५९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजकीय खनिज संस्थान (स्टेट अन्डर टेकिंग्स) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पलाना कोलेरी की वर्तमान कोयला पिट पर श्रमिकों के लिए स्नानागार बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उसकी तामीर किस तारीख से किस तारीख तक चली?

(ख) औसतन कितने मजदूर इस काम पर प्रतिदिन लगाये गये और मजदूरों को इस तामीर पेटे (१) वेतन की शक्ल में, (२) बोनस के रूप में, (३) ओवर टाइम के रूप में, (४) सवैतनिक साप्ताहिक छुट्टी पर, (५) प्रोविडेन्ट फण्ड की अदायगी पेटे, (६) सवैतनिक माइन्स एक्ट की छुट्टियां देने पर और (७) दवा दारू के खर्च पर, कितनी रकम अदा की गई?

(ग) आज इस तामीर किये गये स्नानागार की बिल्डिंग की फेस वैल्यू क्या है?

(घ) क्या इस कन्स्ट्रक्शन को तारीख २०-३-६२ को कोई नुकसान पहुंचा? यदि हां, तो कैसे और कितनी रकम का?

उप-मन्त्री-स्टेट अन्डरटेकिंग्स (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) श्रमिकों के लिये स्नानागार का निर्माण माह जनवरी, ५९ में आरम्भ किया गया था। भवन का निर्माण जनवरी, ६२ में पूरा हो चुका है।

(ख) उपस्थिति प्रति दिन की ९ आती है और अक्टूबर, ६० से जनवरी, ६२

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
तक निम्न भुगतान किये गये :—

वेतन की शक्ल में	१०,०४०)
बोनस के रूप में	१,३५७)
ओवर टाइम के रूप में	०
सवैतनिक साप्ताहिक छुट्टी पर	११२)
प्राविडेन्ट फन्ड की अदायगी पेटे	५२३)
सवैतनिक माइन्स एक्ट की छुट्टियां देने पर	५९)
दवा दारू के खर्च पर	०
कुल ..	१२,१९२)

(ग) पी. डब्ल्यू. डी. से उसका वेल्यूएशन नहीं करवाया गया।

(घ) जी हां, दिनांक २०-३-६२ को बहुत तेज आंधी व तूफान आने के कारण स्नानागार की १२ सीमेन्ट की चद्दरें उड गई थीं जिनकी कीमत १६४) रु० आती है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : कितने स्नानागार बन रहे हैं वहां पर?

एक **माननीय सदस्य** : बन चुके।

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : १६। Sixteen.

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : लेबर का खर्चा आपने बताया, उसके अलावा मैंटीरियल वगैरह का कुल कितना रुपया इन स्नानागारों के बनाने में खर्च किया?

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : २७,२५८) रुपया।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : क्या ये स्नानागार बनाने से पहले पी. डब्ल्यू. डी. से तखमीनें की जांच करवाई गई, और एस्टीमेट पी. डब्ल्यू. डी. से बनवाया गया?

श्रीमती कमला बेनीवाल: एस्टीमेट्स तैयार हुए बिना तो कन्स्ट्रक्शन चालू ही नहीं हो सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न है कि पी. डब्ल्यू. डी. से करवाया क्या?

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जवाब अधूरा है। ५९ से ६२ तक ये स्नानागार बने हैं, तीन वर्ष का अर्सा १६ स्नानागारों में लग जाता है, यह कहां तक वाजिब है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ५९ से ६० तक काम बन्द रहा है। सामान नहीं मिला।

श्री मानिकचन्द सुराणा: स्नानागारों के लिये कौनसा ऐसा सामान था जो अवेलेबल नहीं हुआ?

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : सीमेन्ट अवेलेबल नहीं हुआ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा**: जनवरी ५९ से ६० तक बन्द रहा, इसे अगर मान भी लें तो २ साल बनने में लगे, यह जवाब गलत है।

श्री अध्यक्ष: फेज्ड प्रोग्राम था।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सीमेन्ट की कमी नहीं है तो इन स्नानागारों के लिये कैसे कमी आ गई?

उप-मंत्री खनिज (श्री चन्दनमल वैद): मैंने आज के लिये कहा था, यह ६० की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या मन्त्री महोदय यह जानकारी करने का आश्वासन देंगे कि इन १६ स्नानागरों के बनाने में कितनी धनराशि का अपव्यय किया और दो साल का अर्सा लगा तो इन छोटे छोटे १६ स्नानागरों के बनाने में दो साल का अर्सा ले लेना कहां तक वाजिब था। क्या इस जांच का आश्वासन देती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: जो जांच की गई, उसी के आधार पर कह रही हूं। पी. डब्ल्यू.डी. से एस्टीमेट तैयार कराया या नहीं, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, वह जानकारी कर के बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला।

मंत्रि-मंडल के सदस्यों द्वारा यात्रा-व्यय तथा दैनिक भत्ता

५६०. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नये मंत्रि मण्डल के हर सदस्य ने आज दिन तक अलग २ रूप से यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता की रकम कितनी उठाई ? कृपया सूची सदन के समक्ष रखें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): नये मन्त्रि-मण्डल के हर सदस्य ने अलग अलग रूप से यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ते की जितनी २ रकम उठाई उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला: दो उपमंत्रियों के टी. ए. शामिल नहीं किये– श्रीमती प्रभा मिश्रा और श्री नन्दवाना के, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: उन्होंने रेल से सफर नहीं किया होगा।

श्री विजयसिंह झाला: डी.ए. है, टी. ए. नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: रेल से सफर किया होगा।

श्री विजयसिंह झाला: मोटर से सफर करते हैं, उनका पैट्रोल का खर्चा होता है, वह क्या खर्च में शामिल नहीं होता ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: आपने पूछा यह है, "नये मन्त्रि-मण्डल के हर सदस्य ने आज दिन तक अलग अलग रूप से यात्रा-व्यय तथा दैनिक भत्ते की रकम कितनी उठाई" ? तो जो रकम उठाई गई वह बताई गई है।

श्री विजयसिंह झाला: यात्रा व्यय में पैट्रोल का खर्चा नहीं आ जाता, यात्रा व्यय में तो सभी प्रकार का खर्चा आता है। क्या केवल रेल का टिकट ही यात्रा व्यय में आता है ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया: मैंने निवेदन किया कि उन्होंने कितना रुपया उठाया यह आपने पूछा था। तो जो उन्होंने रुपया उठाया वह बता दिया गया। अगर कहीं कार में जाते हैं तो अकाउन्ट गैरेज में एड्जेस्ट हो जाता है।

श्री विजयसिंह झाला: प्रश्न यह था कि नये मन्त्रि-मण्डल के हर सदस्य ने आज

Page No 9

(श्री विजयसिंह झाला)
दिन तक अलग अलग रूप से यात्रा-व्यय तथा दैनिक भत्ते की रकम कितनी उठाई । तो यात्रा व्यय में तो सब खर्चा आ जाता है ।

एक प्रश्न और है मेग्जिमम में कितनी यात्रा व्यय की रकम उठाई जा सकती है, क्योंकि १०,०००) की रकम भी उठाई है और १ हजार कम से कम है; तो मन्त्री अपने किसी प्राइवेट काम से जाते हैं या सरकारी काम के लिये जाते हैं, इसको जानने का कोई तरीका, कोई व्यवस्था है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके लिये सीमा निर्धारित नहीं, मिनिस्टर के डिस्क्रिशन पर है । कहीं किसी काम के लिये जाना हो, ऑफिशियल काम और नोन-ऑफिशियल काम के बीच में उन्हीं को निर्णय लेना है ।

श्री विजयसिंह झाला : १० हजार रुपया जिस मंत्री महोदय ने उठाया है, वह कितने दिन के कितने टूर का है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अभी सामने नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कितने रोज का तो नहीं कह सकता, पर जिनके लिये कहा है १० हजार उठाया है, उसका कारण यह है कि उनकी खुद की कार है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कौन मंत्री हैं वे ?

श्री अध्यक्ष : नाम से क्या····

श्री मोहनलाल सुखाडिया : श्री बरकतुल्ला खां ।

श्री विजयसिंह झाला : इस प्रकार का रजिस्टर नहीं होने से, कोई मंत्री अपने प्राईवेट पर्पज से जायं और क्लेम कर लें तो सरकार के पास क्या आधार है रोक के लिये ?

श्री अध्यक्ष : Good sense of the Minister.

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, Good sense of the Minister. तो है····

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : शिक्षा मंत्री जी ने १ हजार ही लिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने १० हजार लिया है तो क्या यह समझा जाय कि शिक्षा मंत्री जी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते या यह समझा जाय कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने फिजूल खर्च किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जैसा कि अर्ज किया उनकी खुद की कार होने से माइलेज मिलता है । दूसरों के पास कार नहीं होने से एक्स्पेन्डीचर में एड्जेस्ट हो जाता है ।

श्री रामकिशन : शिक्षा मंत्रीजी ने केवल एक हजार रुपया लिया है । दूसरी, जिनके पास कार नहीं है उन्होंने चार, चार, पांच, पांच हजार रुपया लिया है तो शिक्षा मंत्रीजी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मुरलीधर व्यास : ट्रेन से ट्रेवल करें ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सप्लीमेन्टरी और है ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

क्या एमर्जेन्सी को देखते हुए यात्राओं का एलोकेशन करेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेन्ट यात्राएं हैं उनको की जायं और बाकी की नहीं की जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : शायद माननीय सदस्य की यह जानकारी में होगा कि टी. ए. और डी. ए. १००) से अधिक ड्रॉ न करें, यह मंत्रि-मंडल निर्णय ले चुका है और उस सीमा से अधिक नहीं हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : उससे ज्यादा हुआ है ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : वह पहले का है ।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री मुरलीधर व्यास ।

राज्य में प्रति एकड उत्पादन

५६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में गत ३ वर्षों में कुल कितनी नहरी तथा कितनी कूप सिंचित व कितनी बारानी जमीन जोती गई तथा उससे राज्य में कुल कितनी फसल पैदा हुई ?

(२) राज्य की प्रति एकड फसल सन् ५९, ६० व ६१ में कितनी थी तथा सन् ६२ में कितनी हुई ? राज्य में प्रति एकड उत्पादन बढ रहा है या अधिक जमीन के जोतने से उत्पादन बढा है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्रति एकड उत्पादन का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है । राज्य में उत्पादन प्रति एकड उत्पादन वृद्धि तथा अधिक जमीन के जोतने से बढ रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा इसमें जवाब दिया गया है आंकडों के हिसाब से उल्टा पडता है । आंकडे दिये गये हैं । ६१ के अन्दर जो जमीन जोती गई है उसके प्रति एकड उत्पादन के जैसा १९५९-६० में आपने बताया है कि कुल खाद्यान्न ३८६ पौंड प्रति एकड और ६०-६१ में बताया है ३६७, तो इस हिसाब से कम प्रोडक्शन हुआ है । ईरिगेटेड लैंड बतायी है वह ३५७.४९ यह तो ५९-६० की है और ६०-६१ में बताई है ३८९.५६, तो ईरिगेटेड लैंड ज्यादा हुई और बारानी लैंड भी है, प्रोडक्शन कम हुआ है । जमीन तो बढी और प्रोडक्शन कम हुआ, इसका क्या कारण है ? जवाब दिया उसके विपरीत है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में बहस हुई थी पहले क्वेश्चन के सम्बन्ध में । सारी बातें उठा लें ।

श्री रामकिशन (वैर) : आंकडों से ज्यादा आसानी हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : आंकडे तो सामने हैं । उनके और आपके क्या इन्टरप्रीटेशन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न है । उसका जवाब दिया है कि जमीन अधिक बढी है और दूसरे तरीकों से प्रोडक्शन भी बढा है । ५९-६० में आंकडे दिये हैं, जमीन पहले से अधिक है और प्रोडक्शन कम हुआ है । ईरिगेटेड

(श्री मुरलीधर व्याय)
लैंड भी बढी है और बारानी भी बढी है लेकिन आंकडों में कम प्रोडक्शन हुआ है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : असिंचित भी दे रखी हैं ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : दोनों की कह रहा हूं, असिंचित और सिंचित दोनों के लिए भी दे रखी हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : May I request, Sir.........

कृषि मंत्री (श्री नायूराम मिर्धा) : आप जो कह रहे हैं कि ५९-६० में टोटल ३५७ लाख एकड है; ये तो टोटल एरिया के और प्रोडक्शन के आंकडे दे रखे हैं ३८८ पौंड । फिर कम कैसे हुए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सिंचित एरिया बढा है, प्रोडक्शन कम हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिंचित एरिया भी बढा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर से देख लीजिये । ६०-६१ में····

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो ५९-६० का बता रहे थे ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : ५९-६० में प्रोडक्शन देख लीजिये । ईरिगेटेड लैंड भी बतायी, बारानी भी ज्यादा बतायी और प्रोडक्शन कम हुआ ।

श्री **अध्यक्ष** : केवल खाद्यान्नों में कमी हुई है । दूसरों में बढी है । गन्ना, कपास आदि दूसरी भी तो चीजें हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉन्स्टेन्ट एरिया खाद्यान्न में इतना ही थोडे रहता है । एरिया रिड्यूस होता है । क्रोप भी हर साल वेरी होती रहती है । कोन्स्टेन्ट एरिया किसी का रोज बढता जाता है तो खाद्यान्न रोज बढाया जाय, यह जरूरी नहीं है । क्रॉप्स और केश क्रॉप्स की अधिक मात्रा रहती है । आप इस पर दिन भर भी बहस करें, लेकिन आप चाहें तो मैं शाम को आपको ज्यादा बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टोटल खाद्यान्न मिल कर····

श्री अध्यक्ष : Next please!

प्रश्न संख्या ५६२

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६३

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री मोहनलाल सारस्वत ।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह ।

फर्टीलाइजर फैक्ट्री का निर्माण, हनुमानगढ

५६५. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ग्योपतसिंह)

(१) हनुमानगढ में स्थापित होने वाली फर्टीलाइजर फैक्ट्री का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और इतनी देर होने का क्या कारण है ?

(२) सरकार ने अब तक ऐसे कौन कौन से कदम उठाये हैं जिससे यह कारखाना जल्द स्थापित हो सके ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) चूंकि यह फैक्टरी प्राईवेट सेक्टर में लग रही है अतः राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा; यही इतनी देर होने का कारण है।

(२) जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है फैक्टरी के लिये आवश्यक भूमि की व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यक विद्युत् तथा अन्य उचित सुविधायें समय पर उपलब्ध करने का भी पार्टी को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है। सरकार पार्टी से भी निरंतर तकाजा कर रही है कि वह फैक्टरी की स्थापना के लिये शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार ने फैक्टरी का काम स्टार्ट करने के लिए कोई पीरियड मुकर्रर नहीं किया है, अन्दर काम शुरू करना चाहिये ?

श्री चन्दनमल वैद : भारत सरकार ने लाइसेन्स दिया। तीन साल का पीरियड मुकर्रर किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब खत्म होगा ?

श्री चन्दनमल वैद : मार्च, १९६४ में।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

भूमि बेचान की रजिस्ट्रियां, गंग केनाल कालोनी।

५९९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) दिसम्बर, १९५९ से आज तक गंग केनाल कोलोनी में भूमि की बेचान की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनमें से कितनी के इन्तकालों की तस्दीक हो चुकी है और कितनों की नहीं हो सकी ?

(ख) उपरोक्त इन्तकाल किस कारण से रुके हुए हैं और किस किस तहसील में और कितने कितने हैं ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त इन्तकालों के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदारों और पटवारियों को आदेश देगी कि वे उपरोक्त भूमि का इन्तकाल शीघ्र करवायें ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) कुल ७,७०९ रजिस्ट्रियां हुई जिनमें से ८७५ के इन्तकाल तस्दीक हो चुके हैं और ६,८३४ के बाकी हैं।

(ख) इन्तकाल तस्दीक न होने के दो कारण हैं :

(१) यह कि १५ जनवरी, १९६० से जमींदारी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं और समस्त जमींदारी मिल्कियत सरकार में निहित हो गई और उस तारीख के पश्चात कोई भूतपूर्व जमींदार अथवा बिस्वेदार अपना यह अधिकार, जो सरकार में निहित हो गया, मुन्तकिल नहीं कर सकता।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ४२ के परन्तुक के अन्तर्गत गंग केनाल' भाखरा, चम्बल, जवाई आदि प्रोजेक्ट क्षेत्रों में खातेदारी हकूक का भी इन्तकाल नहीं हो सकता । इन्तकाल तहसीलवार निम्न बाकी है :—

करणपुर	१,४५०
पदमपुर	१,३४४
अनूपगढ	९०८
रायसिहनगर	९६२
गंगानगर	२,१७०

(ग) आदेश देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । तहसीलदार एवं ग्राम पंचायतें कानून के तहत ही कार्यवाही करती हैं और करेंगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या यह सही है बहुत से इन्तकालात कुछ महीने हुए दर्ज हुए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इतने इन्तकाल दर्ज होने बाकी हैं और उन दो कारणों से नहीं हो रहे हैं । इन दो कारणों की परिभाषा में जो इन्तकाल नहीं आते हैं वे नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : परिभाषा में आने पर भी इन्तकालात दर्ज हुए हैं तो जांच करायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत से हुए हैं तो कौन से हुए हैं? स्पेसिफिक सूचना दें और यदि मैं पाऊं कि नियम के विरुद्ध है तो कुछ किया जा सकता है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) सरकार के सामने आ गये हैं कि जो ट्रान्स्फर्स हुए हैं वे कानून के विरुद्ध हुए हैं, उनको कैंसिल करने के लिए और इस तरीके की भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कब्जे में लेने का प्रश्न नहीं होता है । बहुत से कानून ऐसे बनाये हैं सीलिंग की वजह से, रिकॉग्नाइज करने का प्रश्न आयेगा जब वे इम्प्लीमेन्ट होते हैं । जब इन प्रावधानों को लागू करेंगे उस समय जो मूल्य होगा कूता जावेगा ।

श्री श्योपत सिंह (हनुमानगढ) : आपके कथनानुसार १५ जनवरी, १९५९ के बाद बयनामें हुए उनके इन्तकाल दर्ज नहीं हुए। १५ जनवरी, १९५९ के बाद केवल उन्हीं लोगों के बयनामें दर्ज नहीं हुए गिरदावर उनके नाम नहीं । आखिर गिरदावरी किसके नाम है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितने बाकी हैं उनकी संख्या मैंने आपको बतायी । कानून के अनुसार ही इन्तकाल दर्ज हो रहे हैं। स्पेसिफिक जानकारी नियमों के उल्लंघन की आप दें तो जानकारी करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उल्लंघन आमतौर पर हो रहा है हर तहसील में ।

२००–३०० इन्तकाल दर्ज हो रहे हैं, इसको आप जनरल जांच कराइये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर पर उल्लंघन न करने की हिदायत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर भी उल्लंघन हो रहा है मैं चेलेन्ज करता हूं कि ५० परसेन्ट में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय, कह चुके हैं कि उनको निश्चित जानकारी दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार के इन्तकाल पचास प्रतिशत दर्ज हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने केवल पोइन्ट्स बताये हैं जिसके अनुसार इन्तकाल दर्ज करते हैं उसके विपरीत मालूम हो तो आप बता दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : राज्य सरकार यह कानून क्यों नहीं बता देती कि जो जमीन जमींदार एबोलिश के बाद राज्य में वैस्ट हो रही है उनकी ट्रान्सफर होती है तो रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कराई जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्ट्रेशन एक्ट सेन्ट्रल एक्ट है उसमें चेन्ज करना न आपके हाथ में है और न मेरे हाथ में। जो कानून विधान सभा द्वारा पारित होता है उस कानून में हम संशोधन कर सकते हैं ऐसे ट्रान्सफर्स को रिकगनाइज न किया जाय। रजिस्ट्री कराने से किसी को रोका नहीं जा सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर सेन्ट्रल एक्ट भी है तो हम यह जमीन जो जमींदारी एबोलीशन के बाद आई है वह सब भूमिहीन किसानों को देंगे तो क्या हम आवश्यक नहीं समझते कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को हम मूव करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Registration alone does not confer any right or title.

श्री मानिकचन्द सुराणा : राइट क्रिएट नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्री करा लेते हैं; पटवारी को २०० रुपये देकर, तहसीलदार को हजार रुपया देकर इन्तकाल दर्ज करा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : कहां इस तरह का होता है, वह तो बताइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी बना दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत इस तरह का भी प्रोवीजन है। रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने से पहले अगर खिलाफ कानून वर्जी पाई जाती है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

गिरदावरी रजिस्टर

५६७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि भविष्य में गिरदावरी रजिस्टर जिल्द में बंधे हुए व नम्बर लगे हुए पटवारियों को दिये जायेंगे ?

(२) यदि हां, तो यह प्रथा कब से लागू की जायेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, सरकार इस संबंध में विचार कर रही है।

(२) इस संबंध में अन्तिम निर्णय होने पर उसका पालन किया जायगा।

Page No 15

श्री तेजाराम गहलोत: गिरदावरी रजिस्टर बन्धे हुए हैं व उन पर नम्बर न होने की वजह से सैंकडों काश्तकारों के खाते लोग चेन्ज करवा लेते हैं। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी करप्शन मिटाने के लिये गिरदावरी पत्रों पर नम्बर छपे हुए होने चाहिये और रजिस्टर बाउन्ड होना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसको हम भी आवश्यक समझते हैं, इसलिये जल्दी से जल्दी इसको लागू करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): लैण्ड रेकॉर्ड रूल्स के अन्दर यह प्रावधान है कि गिरदावरी के रजिस्टर ऐसे होने चाहिये जिन पर नम्बर और तहसीलदार द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिये उसका पालन क्यों नहीं करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस संबंध में और भी मसले सामने आये । इसके लिये एक साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी इसके साथ साथ दूसरे मसले भी थे । सब उन कमेटी को दिये हुए हैं, उस पर हम जल्दी ही अमल प्रारम्भ करेंगे ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): इन रूल्स का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले भी प्रश्न आया था पंचायतों की शक्तियों को इस संबंध में लागू होने नहीं दिया जा रहा है। अधिकारीगण ९९ प्रतिशत इन्तकाल के सर्टिफिकेट तस्दीक नहीं कराते हैं जो इन्तकाल फाइनशी अटेस्टेड नहीं हो उसको खारिज कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष: सरकार सामान्यतया नियमों का पालन नहीं करती तभी तो इस प्रकार के सवाल पैदा होते हैं ।

प्रश्न संख्या ५६८

श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

खेमली ग्राम में स्कूल भवन, तहसील मावली

५६९. श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि खेमली ग्राम तहसील मावली में स्कूल भवन के लिये सरकारी कोटडी देने के कागजात सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) यदि हां, तो कब से तथा कब तक उपरोक्त कार्यवाही पूरी होने की आशा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: क्या खेमली ग्राम के लिये स्कूल भवन के लिये सरकार कोटडी देने के कागजात तहसील में पडे हुए हैं और उस पर पांच सात साल से कार्यवाही चल रही है । और गांव वालों को यह आश्वासन दिया गया था कि कोटडी ट्रान्सफर की जा चुकी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, जहां तक कलेक्टर, उदयपुर का प्रश्न है कोई कागजात वहां नहीं हैं । शायद माननीय सदस्य के दिमाग में खेमली ग्राम पंचायत ने इस संबंध में कोटडी के संबंध में एक हजार रुपये का अनुदान मांगा था शायद उन कागजातों के संबंध में कनफ्यूजन हुआ है ।

Page No 16

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: उदयपुर डिवीजन में बहुत सी कोटडियां खाली हैं शिक्षा मंत्री महोदय अगर वे प्राइमरी स्कूलों के लिये देने का प्रबन्ध कर दें तो काफी स्कूलें खुल सकती हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, अगर इन सब कोटडियों को सरकार लेवें तो अर्थाभाव की हालत में भी काफी स्कूलें इन कोटडियों में चल सकती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह अलग से प्रश्न है। जहां तक कोटडियां का प्रश्न है टूटी-फूटी कोटडियां हैं उन पर भी मरम्मत में काफी खर्चा करें तब काम दे सकती हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: क्या इस बारे में इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की रिपोर्ट ही आपने मंगाई है या बी० डी० ओ० से आपने इस बारे में पूछा है। या केवल तहसील की रिपोर्ट पर ही यह जवाब दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

भूमिहीन किसानों को भूमि अलॉटमेंट भाखरा तथा गंगनहर क्षेत्र

५७०. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भाखरा क्षेत्र और गंग केनाल क्षेत्र में भूमिहीन किसानों की क्या संख्या है व सरकार इन लोगों को भूमि अलॉट कर बसाने पर क्या विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): भाखरा क्षेत्र में जो खेतिहर काश्त अथवा अन्य किसी प्रकार से भूमि पाने के हकदार बन सकते थे उन्हें नियमानुसार जमीन अलॉट की गई है। कुल ३६०४ भूमिहीन किसान ऐसे पाये गये जिनके पास जमीन नहीं थी। इनमें से व्यक्तिगत तौर पर ३,४२७ को भूमि दी गई है व १७७ भूमिहीन किसानों ने सहकारी समिति बना कर भूमि प्राप्त की। बाकी लोगों की दर्ख्वास्तें राजस्थान केनाल क्षेत्र में भेज दी गई हैं।

गंग केनाल में भूमिहीन किसानों की संख्या १८,४२० है। जो प्रार्थना-पत्र २८-२-५९ को प्राप्त हुए थे उनमें से ५,१७९ भूमिहीन को नियमानुसार भूमि अलाट की जा चुकी है व ६,१३० आवेदन-पत्र जेरकार हैं। इनकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्योपतसिंह: भाखरा क्षेत्र में जो संख्या बतायी उस लिहाज से बांट रहे हैं। भूमिहीन किसान की जो डेफीनिशन आपने रखी है क्या उसी किसान को भूमिहीन माना है जिसका प्रावधान १९५६ में रखा था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: 'भूमिहीन' की वही परिभाषा है जो रूल्स में दी हुई है।

श्री श्योपतसिंह: रूल्स में जो दी गई है उसके अनुसार ५६ में भाखरा के लिये जो, जो एप्लीकेशन्स इनवाइट की गई जो माल शायरी और गिरदावरी पेश कर देते उनको दी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: रूल्स के अनुसार एप्लीकेशन्स इनवाइट की गई और उन पर निर्णय होकर रूल्स के मुताबिक जो भूमिहीन थे उनको अलॉट की गई और उनकी संख्या मैंने आपको बता दी।

श्री श्योपतसिंह: उस समय भूमिहीन किसान इस लिहाज से माना गया था कि

(श्री श्योपतसिंह)
भूमि देनी हैं, लेकिन वह ज्यादा लोगों को नहीं दी जाय इसलिये इस तरह का प्रावधान किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: भूमि देनी थी वह दी गई। बाकी के प्रार्थना-पत्र राजस्थान केनाल के लिये भेजे जा चुके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपने भूमिहीन किसानों की संख्या १८,४२० बतायी और उनमें से ५,१७९ भूमिहीनों को नियमानुसार भूमि दी गई और ६ हजार पेन्डिंग हैं तो बाकी कहां गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: खारिज हो गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सात हजार एप्लीकेशन्स खारिज हुई लेकिन आपके रेकार्ड के मुताबिक ३० हजार एप्लीकेशन्स आयी है जिसकी जगह तो आपने १८ हजार बताया और उन तीस हजार में से ६ हजार तय हुई; पांच हजार पेन्डिंग हैं। इस तरह से २४ हजार एप्लीकेशनों का क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने १८,४२० जो संख्या दी है उसी को मैं सही मानता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने कितने लोगों को भूमि अलॉट की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया ५,१७९ भूमिहीनों को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह जो संख्या बतायी है। भूमिहीनों की यह, क्या १९५६ के रूल्स के अनुसार बतायी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह जो रूल्स हैं, १९५९ में अमल में आये उनके अनुसार प्राप्त हुई कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो क्या यह सम्भावना हो सकती है कि ६३ में भूमिहीनों की संख्या और भी अधिक है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): वहां यह संख्या काफी बढ़ सकती है, इसलिये सतर्कता की जरूरत है।

श्री श्योपतसिंह: और इसीलिये आपने बहुत अधिक संख्या में दर्ख्वास्तें खारिज की हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसलिये भी यह सतर्कता आवश्यक है कि गंगानगर जिले के और कितने ही आसपास के भूमिहीनों के नाम से दर्ख्वास्तें देकर भूमि प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): जो लैंडलैस की डेफीनिशन दी गई है आपके नियमों में वे बहुत सख्त हैं और डेफीनिशन भी सख्त है, इसलिये १८ हजार दर्ख्वास्तों में से ५ हजार साबित हुई; तो इसको देख कर क्या सरकार राजस्थान केनाल एरिया में भूमि अलाट करने के नियम सिम्प्लीफाई करने का इरादा नहीं रखती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपने १८ हजार में से ६-७ हजार खारिज कर दी तो इन करीब ३५ प्रतिशत को खारिज करने से यह मालूम होता है कि आपके नियम बहुत सख्त हैं, इस कारण भी क्या आप इनको सिम्प्लीफाई करना जरूरी नहीं मानते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वे दर्ख्वास्तें नियमानुसार ही खारिज की गई है। उनको निगरानी का भी प्रोवीजन है और उन्होंने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
निगरानी भी हाईएंस्ट कोर्ट में रेवेन्यू के, कराई है। पर वहां से भी खारिज हुई वे निगरानियां।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इसमें जो आपने अभी अभी गंग केनाल रूल्स में संशोधन किया है ५३ तक के किसानों को अलॉट करने के बारे में, पर जो ५२ में दर्ख्वास्तें दी गई उनमें पहले जो लोग ५२ तक के काश्तकार अपने को साबित नहीं कर सके पर ५३ में थे उनकी दर्ख्वास्तों पर इस संशोधन की लाइट में पुर्नविचार कर सकेगी सरकार?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस तरह का नियमों में प्रावधान किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं पूछ रहा हूं, उन पर दुबारा विचार हो सकेगा क्या?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सन् ५३ में गजट में यह शाया नहीं हो सका और इसकी बिना पर कलेक्टर ने ५३ काश्तकारों की दर्ख्वास्तें खारिज कर दीं; तो जिनको केबिनेट के डिसीजन से फायदा मिलना चाहिये था पर कलेक्टर ने खारिज कर दिया तो क्या उनको दुबारा मौका दिया जावेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो अध्ययन करने से पता लगेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह अध्ययन का नहीं, वास्तविकता का प्रश्न है। केबिनेट की रियायत से कलेक्टर ने जिनको महरूम कर दिया है उनको दुबारा अलाटमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बकाया धनराशि की वसूली

५७१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की किस किस व्यक्ति अथवा संस्था में कब कब से कितनी बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस बकाया की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री दिनेशराय डांगी): (क) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत योजनानुसार ऋण व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। अतः उनसे वसूली का प्रश्न नहीं उठता। विकास कार्यों हेतु जिन संस्थाओं को ऋण दिया गया है उसकी सूची संलग्न है।

(ख) ड्यू किश्तों की वसूली की कार्यवाही समय समय पर की जाती है। इस कार्य में सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव, विकास अधिकारी आदि की सहायता ली जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह: क्या यह वसूली पी० डी० आर० के मातहत हो सकती है?

श्री दिनेशराय डांगी: इसके लिये लिखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह: लिखा जा रहा है का सवाल नहीं, हो सकती है या नहीं?

श्री दिनेशराय डांगी: यह कानूनी प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह: फिर आप कौनसे कानून से यह वसूली कर सकते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी: कानून तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, उस कानून के अन्तर्गत वसूली की जाती है ।

एक माननीय सदस्य: मन्त्री महोदय कौनसे कौनसे किस्म के प्रश्नों के इस कानून के तहत उत्तर दे सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: यह तो ऋण दिया जाता है यह क्या सरकार की लाएबिलिटी नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी: यह ऋण बोर्ड देता है ।

श्री भैरोंसिंह: यह तो समझ गया, पर इसकी वसूली अगर न हो तो क्या यह लाए-बलिटी सरकार की है ?

श्री दिनेशराय डांगी: इसमें कोई शक नहीं ।

श्री भैरोंसिंह: जब सरकार की है तो पी० डी० आर० में क्यों नहीं वसूल कर सकती ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कानून के इन्टर-प्रिटेशन का सवाल है । कोऑपरेटिव का ऋण पी० डी० आर० के तहत वसूल किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है । जैसी सलाह होगी वे करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह: अब तक क्या कार्यवाही की । ७ लाख की बकाया के लिये जैसा कि आपने बताया कि यह बकाया है ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने अपने प्रश्न २ में बताया इसमें सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार, आदि की सहायता ली जा रही है और जिसकी किश्त ड्यू हो जाती है उनसे पूछते हैं, जांच करते हैं, नियमानुसार लेने की कोशिश करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह: आपको फिर क्या वसूली हुई, आपने क्या कार्यवाही की, मैं वह पूछता हूं ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने निवेदन किया कि नियमानुसार हम कार्यवाही करते हैं ।

श्री अध्यक्ष: क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है जिसमें जिस संस्था में किश्त बकाया हो उसको नया ऋण न दिया जावे ?

श्री दिनेशराय डांगी: जी हां ।

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार यह बता सकती है कि सात लाख की बकाया जिनमें है उनमें से किसी एक संस्था के विरुद्ध वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई ?

श्री दिनेशराय डांगी: यह तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह: सवाल ही मेरा तो यही था ।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही से आपका मतलब है कोई कुड़की करके और पी० डी० आर० के मातहत वसूल करना । इसके लिये तो कहा है कि जो भी कानून में इसके लिये प्रावधान है उसके अनुसार वसूली की कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह: मैंने पूछा है वह क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): उनसे कहा कि रुपया दो।

श्री अध्यक्ष: यह भी कार्यवाही है।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है, पर जिन को चार, चार लाख का ऋण दिया गया है और जिन्होंने आज तक एक पैसा नहीं दिया उनकी वसूली के संबंध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं, और यही मैंने पूछा है। अब उसका उत्तर टाला जा रहा है, सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यह कह चुके हैं मन्त्री महोदय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है न करेगी, ऐसा लगता है। इसमें सरकार का लाखों रुपया चला जावेगा।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय बता चुके हैं और इससे ज्यादा हिंसक कार्यवाही...

एक माननीय सदस्य: हिंसक ?

श्री अध्यक्ष: सरकार कर सकती है या नहीं, इसमें सलाह ली जा रही है।

श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू): अध्यक्ष महोदय, आमेर तहसील में खोरा गांव में एक नेताजी है, नाम मैं उनका नहीं लेता, उनको छः हजार का लोन दिया गया था। पर आज तक वह वसूल नहीं हुआ। इन्सपेक्टर आडिट के मिले थे उनसे मालूम हुआ। अब यह किस कारण से वसूल नहीं हो रहा है ? मकान भी यों ही पडा है। दसों हजार का गबन भी इसमें है। इसका भी ध्यान रखिये और राजनीति को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह: यह ठीक है कि आप प्रश्न का कुछ भी उत्तर दें। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि खादी संघ को अपने ड्यूज देन चाहिये थे, पर जब नहीं दिये गये तो इसके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते ? पी० डी० आर० के मातहत एक्शन लिया जा सकता है।

श्री दिनेशराय डांगी: मैंने इस बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष : Next.

ग्राम स्वयं सेवक दल

५७२. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में ग्राम स्वयं सेवक दल के संगठित करने की योजना कितने और कौन कौन से जिलों में लागू कर दी गई है ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत संगठन कर्त्ताओं के प्रशिक्षण का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

(३) इस योजना को सारे प्रान्त में लागू करने का सरकार कब से इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई है।

(२) सभी जिला मुख्यालयों पर दलपतियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी तक कितने दलपति प्रशिक्षित कर दिये गये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ३००० ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): दलपति ३००० प्रशिक्षित हुए हैं, इसका मतलब यह है कि अभी ४००० के करीब पंचायतें बकाया है?

श्री रामप्रसाद लढढा: जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपका इरादा प्रत्येक पंचायत में एक दलपति शिक्षित करने का है और उसके ऊपर भी एक पंचायत समिति के अन्तर्गत उससे और बड़े ओहदेदार को प्रशिक्षित करने का प्रावधान है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हर एक पंचायत से एक दलपति को प्रशिक्षित करने का इरादा है। हमारे यहां करीब ७,३४२ पंचायतें हैं उनमें से ३००० को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह फेज प्रोग्राम है और बाकी के दलपतियों को अक्टूबर जो इसी साल का है उस समय तक प्रशिक्षण दिया जा चुकेगा और इसके बाद में वे अपनी पंचायत समितियों में इसको आर्गनाइज करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उन दलपतियों ने आगे जाकर काम का प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने कहा कि ३००० दलपतियों का प्रशिक्षण अभी खत्म हुआ ही है और वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य आरम्भ करेंगे और कुछ ने कर भी दिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): दलपतियों के कहने से गांव वाले प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं आते उसके लिए आपने क्या सोचा है?

श्री अध्यक्ष: आप इसमें सहयोग करो। अच्छा काम है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): कुछ जिलों में यह काम प्रमुख को सौंपा गया है और कुछ जिलों में कलेक्टर को सौंपा गया है, तो कलेक्टर को क्योंकि फुरसत नहीं मिलती तो सब जिलों में प्रमुख को ही क्यों नहीं सौंप देते?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसकी व्यवस्था तो नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला: उदयपुर में आपने कलेक्टर को सौंपा और कुछ जिलों में प्रमुख के अन्तर्गत काम सौंपा है........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह प्रशिक्षण का कोर्स कितने महीने का है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: १ महीने का।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): यदि कोई एक्स-सर्विसमेन है तो १५ दिन का है और जो नये हैं उनके लिए तो एक महीने का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या सरकार यह सोचती है कि एक महीने का कोर्स स्वयं सेवक दल के लिए काफी है जबकि उनको तीन तरह की ड्यूटीज हैं। एक तो उत्पादन बढाने की, दूसरी साक्षरता आन्दोलन की। क्या इन दोनों ड्यूटीज को निभाने के लिए एक महीने का प्रशिक्षण उनके लिए काफी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: जिस साल इमर्जेन्सी पर्पज के लिए यह योजना चालू की गयी थी और जितना बडा प्रोग्राम है लोगों को तैयार करने का उसके लिए एक महीने की ट्रेनिंग जो अभी दी जा रही है वह काम चलाऊ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: उत्पादन बढाने का काम एक महीने में क्या सिखाया जा सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री भगराज चौधरी।

सीमेंट एवं लोहे की चद्दरों का वितरण

५७३. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार द्वारा सीमेन्ट एवं लोहे की चद्दरों का वितरण किस आधार पर किया जाता है? सन् १९६०-६१ एवं १९६१-६२ में सरकार ने जो सीमेन्ट व लोहे की चद्दरों का वितरण किया है उसका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : सीमेन्ट व चद्दरों का वितरण जनसंख्या तथा मांग के आधार पर किया जाता है। सन् १९६०-६१ एवं १९६१-६२ में जो सीमेन्ट व लोहे का वितरण किया गया उसका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सूची बडी देर में मिली है इसलिए सप्लीमेन्टरी बाद, में पूछने का अवसर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए, कहां कम मिला है, कहां ज्यादा मिला है। जालोर में कम कोटा मिला है।

श्री भगराज चौधरी : जो आधार आपने बताये उसके अनुसार नहीं दिया गया है ? आपने बताया कि मांग के आधार पर और जन संख्या के आधार पर वितरण किया जाता है तो जालोर में कम प्राप्त हुआ है उसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : १९६०-६१ में २१७ टन दिया गया है और १९६१-६२ में १३० टन दिया गया है और मैं समझता हूं कि जो आधार मैंने बताये उन्हीं के अनुसार दिया गया है और ठीक है।

श्री भगराज चौधरी : मैंने आइरन शीट का पूछा है, आप सीमेन्ट का बता रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मैं आइरन शीट का ही बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जो यह आधार आपने बताये उसके अनुसार डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है तो उसके लिए क्या है ?

Page No 23

श्री चन्दनमल वैद : कोई स्पेसिफ़िकली बतायें तो जांच हो सकती है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जहां इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेन्ट ज्यादा है वहां भी इसको ध्यान में रखा जाता है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह कोटा अलॉट किया है या वास्तव में वितरण किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह क्वेश्चन तो अलॉटमेन्ट का ही है ।

पंचों, उप-सरपंचों एवं सरपंचों का हटाया जाना

५७४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

२ अक्टूबर, १९५९ से आज तक किन किन पंचों, उप-सरपंचों एवं सरपंचों को किन किन कारणों से राज्य सरकार द्वारा हटाया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक १४ पंच, ४ उप-सरपंच और ३० सरपंचों को हटाया गया है । विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मानिकचन्द सुराणा ।

भूतपूर्व जागीरदारों को जमीनें–भाखरा प्रोजेक्ट

५७५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा प्रोजेक्ट के सिंचित क्षेत्र में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को काश्त की जमीनें अपने क्षेत्र की जमीनों की एवज में खुदकाश्त के लिए तबादले में दी गई ?

(२) बीकानेर जिले के कितने भूतपूर्व जागीरदारों को अब तक भाखरा प्रोजेक्ट में खुदकाश्त के लिए जमीनें उक्त तबादले के रूप में दी जा चुकी हैं व कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं और वे किस अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं ?

(३) क्या सरकार कोई अवधि बता सकती है जिसके पूर्व इन दरख्वास्तों का फैसला कर दिया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना पूरी प्राप्त नहीं की जा सकी है इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नेक्स्ट टर्न तक आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में ।

प्रश्न संख्या ५७६

श्री गणपतिलाल वर्मा ।
(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

टीप बदलने के अधिकार ।

५७७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि किसानों की

Page No 24

(श्री रामकिशन)

टीप बदलने का अधिकार केवल एस० डी० ओ० को ही है ?

(२) यदि हां, तो ग्राम चौरारी तहसील रूपवास (भरतपुर) के काश्तकारों को टीपें सन् १९६१-६२ में नायब-तहसीलदार ने किस आदेश के तहत बदल दी हैं ?

(३) गत दो वर्षों में बयाना, रूपवास तया वैर तहसील में कितने पुराने काश्तकारों की टीप बदली गई है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, दुरुस्ती टीप के दावे राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १३६ के तहत फैसले करने के अधिकार केवल एस० डी० ओ० को ही हैं, किन्तु गश्त गिरदावरी के समय तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मुताबिक मौका बाद तस्दीक काश्तकारान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकॉर्ड्स) रूल्स, १९५७ के तहत इन्द्राज दुरुस्ती कर सकते हैं ।

(२) नायब तहसीलदार ने लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकॉर्ड्स) रूल्स, १९५७ के तहत टीपों में परिवर्तन किये ।

(३) निम्नलिखित टीपें बदली गई हैं:--

१. वैर ८७
२. रूपवास ११६०
३. बयाना १२७१

श्री रामकिशन : यह इतनी संख्या में जो टीप बदली गई है खास तौर पर रूपवास, बयाना और वैर में, इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: रूपवास में जो टीप बदली गई है इस संबंध में इतना नम्बर होने पर कुछ ऐसा लगा कि जैसे गलत कार्यवाही की होगी, इस वजह से इसकी इन्क्वायरी की गयी और इन्क्वायरी करके नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया और यह मामला चल रहा है ।

श्री रामकिशन : और बयाना में इतनी बदली गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बयाना में इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, फिर भी हम इसकी जांच करवा रहे हैं ।

श्री रामकिशन: खास तौर पर जो चौरारी ग्राम में टीप बदली गयीं वे किस जाति के लोगों की बदली गयी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जाति की जानकारी तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकिशन : ये जो टीपें बदली गयी हैं वे सब हरिजनों की बदली गयी हैं आम तौर पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने पहले ही कहा है कि इसकी इन्क्वायरी पहले ही इन्स्टीट्यूट कर दी गयी है ?

श्री रामकिशन : किस बात की इन्क्वायरी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कि इतनी बडी संख्या में ये टीपें क्यों बदली गयीं और इसका कारण क्या है, क्या आधार है इस बात का इस संबंध में डिटेल्ड जानकारी दी जाये ।

श्री रामकिशन : इस इन्क्वायरी में थोडा आप यह और जुडा दें कि किस जाति के लोगों की बदली गयी जिससे पिक्चर यह मालूम हो जाये कि छोटी जाति के लोगों को

Page No 25

(श्री रामकिशन)
पहले तो अधिकार ही प्राप्त नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो सवर्ण लोग पाने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

गंग कैनाल कालोनी, जिला गंगानगर में भूमिहीन किशानों को भूमि अलाटमेन्ट

५७८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) गंग कैनाल कॉलोनी, जिला गंगानगर में भूमिहीनों को जो स्थाई भूमि का बंटवारा किया जा रहा है उसके अन्तर्गत आज तक कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि अलॉट की जा चुकी है?

(२) उपरोक्त भूमि का बंटवारा तहसीलवार और सालवार बतलाया जावे।

(३) जो भूमि, भूमिहीनों को एलाट की गई है उसमें से कितने व्यक्तियों ने और कितनी भूमि की किश्तें दाखिल करना शुरू कर दी हैं?

(४) क्या यह सच है कि भूमि की कीमत अधिक होने के कारण अधिकतर भूमिहीन भूमि की किस्त दाखिल नहीं कर रहे हैं?

(५) क्या सरकार भूमि की कीमत कम करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ६३३७ भूमिहीनों को ५०,१५३ एकड भूमि स्थाई रूप से अलॉट की जा चुकी है।

(२) नाम तहसील	सन्	तादाद रकबा आंकडों में
१. गंगानगर	१९५९	१६
	१९६०	३८६
	१९६१	४३१
	१९६२	१५६३
		२,३९६ एकड
२. करणपुर	१९६०-६१	४,४९१
	१९६१-६२	१,३२८
	१९६२-६३	३,११०
		८,९२९ एकड
३. पदमपुर	१९६०	१०,०७९
	१९६१	१,७५३
	१९६२	१,२२१
		१३,०५३ एकड
४. रायसिंहनगर	१९६१-६२	१८,६१२ एकड
५. अनूपगढ	१९५२	१,०५१
	१९५३	७३१
	१९५४	३१
	१९५५	३३
	१९५६	८
	१९६०	१५
	१९६१	४,२९१
	१९६२	१,००७
		७,१६७ एकड

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) तादाद भूमिहीन जिन्होंने किश्तें दाखिल कराना शुरू कर दी हैं।	तादाद रकबा एकड़ों में जिसकी किश्त दाखिल होनी शुरू हो गई है।
४,६९१	२८,१३०

(४) यह सत्य नहीं है।

(५) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बताया कि चार हजार के करीब लोगों ने रकम दाखिल कराना शुरू कर दी है और जैसे छः हजार हैं दूसरे लोग वह रकम दाखिल नहीं करा रहे हैं तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा है जो रकम दाखिल नहीं करा पा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिए नियमों में प्रावधान है और उनके लिए यही सोचा है कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा प्रावधान रखा है तो रकम उस टाइम पर वसूल करते हैं जिस समय कि उनकी खेती का उत्पादन नहीं होता है। उस समय पर वसूल नहीं करते जिस समय कि उनकी खेती होती है, दूसरे टाइम पर वसूल करते हैं। नतीजा यह होता है कि उनको काफी दिक्कत उठानी होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तक पैसा नहीं आ जाये तब तक तो हमें मांगने का अधिकार है उसमें टाइम का क्या सवाल है, कभी भी वसूल कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अगर कोई एक किश्त भी रकम दाखिला नहीं करा सके तो उसको बेदखल कर दिया जाता है धरती से या उसकी परती नीलाम करा दी जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नोटिस देते हैं उसके बाद में भी जमा नहीं कराता है तो हमारे पास तो कानसीलियेशन के या रकम वसूल करने के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके डिस्क्रिशन पर डिपेन्ड करता है।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि किश्त जमा कराने का टाइम क्रोप टाइम के साथ रेगुलेट नहीं किया गया है इसलिये किसान जमा नहीं करा सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है। जो टाइम किश्त का बांधा है वह एग्रीमेंट के अन्दर लिखा हुआ है। जब टाइम पर जमा नहीं कराते हैं और ड्यू हो जाता है तब किसी भी समय वसूल कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप प्रश्न को एवोइड करना चाहते हैं। जो टाइम है बाजार में फसल आने का उसके साथ रेगुलेट नहीं किया गया है इसलिये किसान जमा नहीं करा सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें एक साल या दो साल से अधिक नहीं हो गया हो।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सरकार के ध्यान में है कि काश्तकार लगान नहीं भर पाये उसका कारण यह है कि उनके पास कमाण्ड नहीं है मौके पर उनको पानी नहीं दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह प्रश्न अलग है।

श्री श्योपतसिंह : प्रश्न अलग नहीं है। रकम नहीं दे रहा है उसकी वजह यह है कि कमाण्ड नहीं है और एक्च्युली पानी नहीं लगा ?

Page No 27

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है ऐसे केसेज कुछ हों ।

श्री श्योपतसिंह : क्या उन लोगों को सरकार ने नोटिस दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नहीं कह सकता कि इसमें इस प्रकार के केसेज हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि इस प्रकार के केसेज़ हों । इस संबंध में क्या प्रयत्न हैं, मैं जानकारी करूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार आश्वासन देती है कि जिनको पानी नहीं लगता है उनसे वसूल नहीं करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उनको रियायत देने के बारे में या तो निर्णय लिया गया है या विचार किया जा रहा है, इसकी ठीक तौर से सूचना बाद में दी जा सकेगी । जिनको पानी नहीं लगा है उनसे किश्त नहीं लेने का प्रश्न हमारे सामने आया जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किश्तों का टाइम रेगुलेट करने का विचार है क्या सरकार का ? समय वही रखा जाय जब कि फसल आती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : **इसमें ऐतराज की बात नहीं हो सकती । यदि कहीं** ऐसा नहीं किया जा रहा है तो हिदायत की जा सकती है कि इस प्रकार से रेगुलेट करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां । ६ हजार किसानों ने कर्जा उठा कर किश्तें दी हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस तरह से दी, इसकी जानकारी हमको नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार के एलोटीज़ में से बहुत सों ने अपनी जमीन गिरवे रखी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार के ध्यान में है कि सरकारी अधिकारियों में से बहुतसों ने लेंडलेस टिनेन्ट्स के नाम से जमीन एलोट करा ली है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है । बहुत से सरकारी अधिकारियों ने लेंडलेस टिनेन्ट्स के नाम से जमीन एलोट करा ली है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है लेकिन इतनी अहमियत का है कि अलग से पूछा जाना चाहिये ।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए ।

प्रश्न समय में न पूछे जा सकने वाले प्रश्नों सम्बन्धी व्यवस्था ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा बहुत जरूरी सवाल रह गया ।

श्री अध्यक्ष : कई रह गये ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : जो क्वेश्चन्स रह जाते हैं उनके जवाब लिखे हुए हमें नहीं मिलते ।

श्री अध्यक्ष : वे प्रोसीडिंग्ज में छप जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : हमें मिलने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग्ज़ में छप जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो माननीय सदस्य सवाल करते हैं उनको रिटन रिप्लाईज मिल जाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत रूप से मिले ऐसा प्रावधान नहीं है ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या (एस. एन. क्यू.) ५९ श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

(अनुपस्थित)
(१२.०३ प० प०)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति १९६३-६४ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६३–६४ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति संबंधी जो चुनाव का कार्यक्रम है वह परिपत्र संख्या २१, दिनांक १३ मार्च, १९६३ द्वारा माननीय सदस्यों को वितरित किया जा चुका है । उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस संबन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

मांग संख्या २०, १८, ४१ व १९–– सहकारिता, कृषि, कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत व पशु-पालन ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ओन ए पोइण्ट ओफ ओर्डर, सर, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था……

Page No 29

श्री अध्यक्ष : Order Please ! इस समय बात न उठावें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६६,७८,०००, रु० तक का राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६५ कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्ति होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,५०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशु-पालन के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,३३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४––सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले की सांगानेर, सरूपगंज, पुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, कोटड़ी आदि स्थानों की सेवा सहकारी समितियों के कार्यों पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सेवा सहकारी समितियों को दिए जाने वाले कर्ज पर विचार करने हेतु) ।

३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (खारोलियाखेड़ा सहकारी समिति (बनेड़ा) में बाकी रकम पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समिति द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

५. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय

Page No 30

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

(कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले चद्दरों की रेट ६५ नये पैसे बढ़ा दिये जिस पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों व पंचायतों के हैड क्वार्टरों पर कृषि प्रदर्शिनियों की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपया की कटौती की जाय (अच्छे किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा विस्तृत कृषि विभाग के चद्दरों पर ९५ नये पैसे फी चद्दर ज्यादा वसूल किये जिस पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा पंचायत समितियों को दी जाने वाली सहायता पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को कृषि की उन्नति के लिये जमीन दिलाने पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा अधिक पैदा करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम देने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु।)

१२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (खराब भूमि की जांच करने पर बहस करने हेतु)।

१३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (जमीन व पानी के मेल होने के कारण मिट्टी व पानी की जांच कराने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १९

१४. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (अच्छी नस्ल के सांडों की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

१५. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (चलते फिरते पशु चिकित्सालयों की स्थापना पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) :

मांग संख्या १८

१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि विभाग के कर्मचारियों पर किये गए कटौती फिजूल खर्च पर बहस करने हेतु)।

श्री केसरीसिंह (पाली) :

१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन के संबंध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १९

२. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय

Page No 31

(श्री केसरीसिंह)

(पशु पालन विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३– पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (जिला पाली में पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत पशु पालन पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (गैर कृषि सहकारी समितियों को ऋण देने के प्रति सरकार की दुर्लक्षता पर बहस करने हेतु) ।

Demand No. XX, Major Head 34—Cooperation be reduced by rupee one (to discuss inability of the Government to give finance help to non-agricultural Cooperatives)

३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टरों के सरकारी हस्तक्षेप पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग में अनुचित सरकारी हस्तक्षेप से आन्दोलन की दयनीय स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि उपज बढ़ाने में सरकार द्वारा अपनाई जा रही गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (प्रति एकड़ कृषि उपज में कमी होने की गंभीर स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा अपने कार्य को संभालने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (खेती की पैदावार में बढ़ोतरी करने में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि विभाग के जिला स्तरीय संगठनों की असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४०

१०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६५– कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकार द्वारा ट्यूब वैल लगाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (इस योजना से जनता को अधिक लाभ न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

Page No 32

(श्री गंगासिंह परिहार)

मांग संख्या १८

२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (इस विभाग द्वारा कृषि की प्रगति सुचारु रूप से की जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

मांग संख्या २०

1. Demand No. XX, Major Head 34-Cooperation be reduced by rupee one (to discuss the programme and progress of Cooperative Education and Children Cooperative Movement in Schools and Colleges).

2. Demand No. XX, Major Head 34-Cooperation be reduced by rupee one (to discuss about the slow progress in respect of Industrial Labour Housing through Cooperative Sector).

मांग संख्या १८

3. Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by rupee one (to discuss the slow progress in respect of Agricultural development in Desert area of Rajasthan).

4. Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by rupee one (to discuss the programme and progress to start more mechanical farm in public and Cooperative sector in the State).

5. Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by rupee one (to discuss about the permanent relief protection programmes of farmers and farm Labours in regular famine effected areas in Rajasthan).

मांग संख्या १९

6. Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupee one (to discuss the slow progress of cattle breeding programme in Rajasthan).

7. Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupee one (to discuss the slow progress of Sheep, Goat and Poultry developments through private and cooperative sector).

8. Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupeeone (to discuss the slow progress Dairy industry through public and cooperative sector in Rajasthan).

9. Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupee one (to discuss the slow progress in respect of economical developments of Animal Husbandry through the Cooperative sector).

श्री रामकिशन (वैर) :

मांग संख्या ४१

१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार राज्य में कुओं की व्यवस्था करने में असमर्थ रही है पर बहस करने हेतु)।

Page No 33

(श्री रामकिशन)

२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार राज्य में जल कुओं की व्यवस्था करने में असमर्थ रही है इस पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (कृषि शिल्प-शाला उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं की असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १९

६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशु-पालन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की पशु-पालन प्रगति पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशु-पालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु धन से मिलने वाली संपत्ति का उचित उपयोग नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता में फैले हुए भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा दिये गये तकावी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १९

३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए सहायता अनुदान में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनराज (बाली) :

मांग संख्या २०

Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by rupee 1/- (to discuss certain measures to strengthen the co-operative institutions and proper utilisation of the loan advanced through them).

मांग संख्या १८

Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by rupee one (to discuss certain measures necessary for the spread of technical knowledge in the field of agriculture).

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई) :

मांग संख्या १९

मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३३—पशु-पालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु-पालन विभाग में विभिन्न शाखायें खोल कर फिजूलखर्ची जो अव्यवस्था के कारण है उस पर बहस करने हेतु) ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर जिले में सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को कृषि उन्नति के लिये तकावी मिलने में कठिनाई पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशु पालन में १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर जिले में पशुओं के डाक्टरों की फिजूल-खर्ची पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

मांग संख्या २०

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (नवीन व्यय में काफी फिजूल खर्च है, इसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग में होने वाले व्यय में काफी फिजूल है अतः इसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशु-पालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जितना खर्च होना चाहिए नहीं हो रहा है इस पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग में कई योजनाओं के नाम पर फिजूल खर्च किया जा रहा है उसे रोकने पर बहस करने हेतु) ।

५. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (नवीन व्यय में दिये हुए खर्च की राशि अधिक है, अतः इसमें कमी किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों के बारे में विचार हो रहा है उनमें सहकारिता, कृषि और पशुपालन हैं । इन तीनों के बारे में मेरे अलग अलग कट मोशन्स हैं । मैं सबसे पहले सहकारिता विभाग के बारे में जो मेरे कट मोशन्स हैं उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्षजी, जहां तक इस विभाग के प्रशासन के ऊपर होने वाले खर्चे का सवाल है, मैं बहुत ही अदब के साथ आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि इस विभाग के ऊपर कुल मिलाकर ७१ लाख ७६ हजार रु० खर्च किये जाते हैं, उनमें से सिर्फ एडमिनिस्ट्रशन के ऊपर ३४ लाख ४४ हजार रुपये खर्च होते हैं और इन ३४ लाख ४४ हजार में से ७ लाख ५६ हजार रुपये जो सेन्ट्रल ग्रोफिस यहां जयपुर में है उस पर खर्च किये जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरी जगह ग्रोफिसेज हैं उन पर २६,८७,६००) रु० खर्च किये जाते हैं और उनके द्वारा जो काम होता हैं वह काम यह है कि जो राशि इस विभाग के द्वारा खर्च की जाती हैं उस राशि के ३६, ६६,०००) पंचायत समितियां, सहकारी समितियां और कृषि संस्थाओं में बांटे जाते हैं। तो इस राशि के ३६ लाख रुपये बांटने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन पर ३४ लाख रुपये खर्च करना कोई उचित बात नहीं है। इसके लिये मेरा एक बहुत ही उत्तम सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो इसकी शाखायें हैं उनको स्थापित रखा जा सकता है परन्तु यह ७ लाख ५६ हजार, जो इसका सेण्ट्रल, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जयपुर के अन्दर विभाग है, उस पर खर्चा किया जाता है वह आसानी से इस तरह से कम किया जाता है। इसके जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको दो–तीन–चार क्लर्क चाहिए, उन सबको विकास विभाग के साथ मिला दिया जाय, क्योंकि उनका काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए जो सोसायटियां बनती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ७ लाख ५६ हजार रु० खर्च करके इतना बड़ा स्टाफ यहां रखने की व्यवस्था रखी गई है, यह अनुचित है, इसलिए इसको कम किया जाकर इस विभाग को डवलपमेंट विभाग के साथ मिलाया जा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो इसके आफिसेज हैं वे बाकायदा रन किये जा सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो बड़ा खर्च होता है उसको कम किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर खर्च बढ़ाया गया है जिसके ऊपर मुझे खास तौर से एतराज है, क्योंकि एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमारे प्रान्त की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, और दूसरी तरफ इस तरह का अनावश्यक खर्च बढ़ायें तो यह बात गलत होगी। जैसा मेमोरेण्डम में बताया गया है, इस साल के बजट के अन्दर इसका खर्च बढ गया है, वह अनुचित है। उसके अन्दर एक सहायक रजिस्ट्रार और दो तीन गजेटेड आफिसर्स के पद और बढ़ाये गये हैं। मैं समझता हूं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैंने जो ये महवपूर्ण बातें रखी हैं, मैं समझता हूं कि उनको बहुत ही सही तरीके से सोचा जाकर इतने बड़े व्यर्थ के खर्च को रोका जायगा।

इसके साथ साथ जहां तक इस विभाग और इसकी उपयोगिता का सवाल है मैं बहुत ही अदब के साथ यह मानने के लिए तयार हूं कि सहकारिता ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हम उस मकसद के ऊपर अपने देश और प्रान्त को पहुंचा सकते हैं, जिसके रास्ते पर हम चल रहे हैं और वह है डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म––प्रजातंत्रीय समाजवाद और इस तक पहुंचने के लिये सही मायने में यह रास्ता हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा जो एतराज है वह यह है और यही इस हाउस का एतराज है, जिसे जैसा मैं समझता हूं, वह आपके द्वारा सरकार के सामने रख रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि उसको

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सरकार मान्यता देगी । इस विभाग के अन्दर जिस तरह का भ्रष्टाचार फैल रहा है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है, उससे इस विभाग को बचाया जाना चाहिए । मैं एक बहुत ही अहम बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि इस हाउस को भी विचार करना चाहिए । क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसके द्वारा जो पैसा बांटा जाता है, उस पैसे का किस तरह से राजनैतिक आधार पर उपयोग किया जाता है । मैं भीलवाड़ा की एक सहकारी समिति का आपके सामने उदाहरण रखता हूं, और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस टाइम का है जिस वक्त में चुनाव हो रहे थे । २२ फरवरी के रोज, जब कि २३ फरवरी को भीलवाड़ा में चुनाव होने जा रहे थे, २२ फरवरी की रात को इस विभाग के द्वारा नौ हजार रु० के करीब राशि दी गई और वह वहां पर सरकारी समिति के द्वारा बांटी गई । मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि न तो राजकीय सवारी, जिसके अन्दर वे गये थे, उपयोग में ली गई, बल्कि इस विभाग के कर्मचारी को जबरदस्ती एक जीप के अन्दर, जो जीप उस केण्डीडेट की थी जो चुनाव लड़ रहा था, बैठा कर ले जाया गया और नौ हजार की रकम २२ फरवरी की रात को बांटी गई जब कि २३ फरवरी के रोज वहां इलेक्शन हो रहे थे । इस तरह इस विभाग के द्वारा दी गई रकम का राजनैतिक उपयोग करना कहां तक उचित है, यह आपके सामने प्रश्न है ? अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग, जिसके द्वारा गरीब लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है और समाजवाद लाया जा सकता है, के पैसे का इस तरह राजनैतिक मामलों में उपयोग हमारे यहां हो रहा है, इससे ज्यादा हमारे देश के लिए निन्दनीय बात क्या हो सकती है । इस कारण हम कभी दुनियां में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सहकारिता और पंचायत, जिनको हम समाजवाद का मूलभूत सिद्धान्त मानते हैं, के क्षेत्र में हमें राजनीति को परे रख कर इन्हें पवित्र रखना चाहिए ।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा के अन्दर जितनी भी सहकारी समितियां हैं मैं बहुत अदब के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं यह कहने के लिये और सही तरह से कहने के लिए तयार हूं कि भीलवाड़ा जिले में जितनी सहकारी समितियां हैं उनमें ७० पर्सेन्ट ऐसी हैं जिनका पैसा जिन लोगों को बांटा गया है, उन लोगों के पास यह नहीं पहुचा क्योंकि उनके अन्दर बहुत सारा घोटाला है । मैं कुछ सहकारी समितियों के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । बनेड़ा पंचायत क्षेत्र के अन्दर तीन सहकारी समितियां हैं, जिनके अन्दर करीब ५६ हजार रु० १९५९ से लेकर आज तक ओवर ड्यू है । थोड़ोलिया सहकारी समिति में करीब २७ हजार ओवर ड्यू है, लोडोमुआ सहकारी समिति में करीब ९ हजार ओवर ड्यू है और बनेड़ा सहकारी समिति में करीब २४ हजार का ओवर ड्यू है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक इस पैसे को वसूल न करने का क्या कारण है ? इन सहकारी समितियों में सिर्फ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सहकारी डिपार्टमेंट का ही पैसा नहीं है बल्कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पैसा भी बाकी है, जो उन्होंने खाद ली, जो उन्होंने बीज लिया, उसका पैसा आज तक नहीं चुकाया गया है। इसके अलावा इन समितियों के ऐसे सेक्रेट्री और प्रेसीडेंट हैं, जिन्होंने एक समिति बना कर, उसके मेम्बर बना कर उसको रजिस्टर करा लिया, खुद उसके सेक्रेट्री बने, वहां से लोन ले लिया, वहां से बीज ले लिया और बाद में इस्तीफा देकर दूसरी सहकारी समिति बना ली और वहां जाकर भी लोन और पैसा उठा लिया। इस तरह की बातें हो रही हैं, इसके लिए, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वहां के रजिस्ट्रार साहब ने इस सबकी जांच की और सही रिजल्ट पर जाने लगे, तो उसी दिन वहां से उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह ये सारे घोटाले पैदा होते हैं, सहकारी समितियों में ओवर ड्यू रहते हैं जब उन्हें वसूल करने की कोशिश की जाती है, जो कि इस एमर्जेन्सी के समय में जरूरी है, उसके बारे में जब प्रयत्न किये जाते हैं तो इस आधार पर वहां के लोगों के, आफिसर्स के तबादले करके घोटालों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां हो रहे हैं।

पुर के अन्दर एक सेवा सहकारी समिति है। मैं कहना चाहता हूं कि उस सेवा सहकारी समिति के सेक्रेट्री हैं, वे अधारशिला के बाबाजी हैं। वे गांजा पीते हैं, और अफीम खाते हैं। जब उस सहकारी समिति को २५ हजार का लोन मिला तो वे इतनी अफीम खा गये कि वे बेहोश हो गये और उनका इलाज कराने के लिए इन्हें भीलवाड़ा के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जब वे वहां अस्पताल में थे तो उनके पीछे झोंपड़ी में जाकर सेंध लगा दी गई और इसका नतीजा यह हुआ कि उस सेवा सहकारी समिति का रेकार्ड गायब कर दिया गया। जब सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर ने अस्पताल में जाकर बाबाजी के बयान लिये तो तहसीलदार को उन्होंने बयान दिया कि रेकार्ड गायब हो गया है और किसी को कह दिया कि रेकार्ड का पता नहीं। इस तरह का घोटाला उस सहकारी समिति में हुआ है।

इसके अलावा स्वरूपगंज की बात कहता हूं कि वहां तीन चार सहकारी समितियां बनी हुई हैं। उनके अन्दर एक सहकारी समिति है जो कलेक्टिव फार्मिंग के नाम पर है, एक दूसरी सहकारी समिति है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि वह डेअरी फार्म के नाम पर है और तीसरी सेवा सहकारी समिति है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि तीनों सेवा सहकारी समितियों में एक ही आदमी काम करता है और वह सारा का सारा पैसा ले जाता है, उसका क्या उपयोग हो रहा है—क्या इस विभाग ने इस मामले में जांच की है कि उन सहकारी समितियों में कितना ओवर ड्यू आज तक है? भीलवाड़ा जिले में करीब ५ लाख रु० सहकारी समितियों में बाकी है? वह रुपया कितने अरस से बाकी है इसकी जांच करना अत्यावश्यक है। एक सहकारी समिति जो जनता सेवा सहकारी समिति के नाम से है, उसके बारे में इस हाउस के अन्दर एक साल पहले बजट के समय में एक सवाल रखा था और उसके जवाब में माननीय

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मंत्री महोदय ने बताया था कि उसको लिक्वीडेशन के अन्दर ले लिया है और लिक्वीडेटर को अपोइन्ट कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने पर बता दिया जायगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस सहकारी समिति में जिन लोगों ने लोन लिया और लोन लेकर अपना काम स्टार्ट किया और जो मशीनरी खरीदी गई वह मशीनरी बेच दी गई। पर जो लोन जिस काम के लिए लिया गया वह आज तक वापिस जमा नहीं कराया गया है। उस समिति को लिक्वीडेशन में लिया गया और लिक्वीडेटर को उस पर बैठाया गया। उसकी रिपोर्ट के बारे में मैंने इस हाउस के अन्दर एक प्रश्न किया था और उसमें बताया था कि इस सहकारी समिति के नाम से एक ट्रान्सपोर्ट बस आर. जे. पी. ४७१ चल रही है जिस पर लिखा हुआ है ओनर का नाम—जनता सेवा सहकारी समिति, भीलवाड़ा। लेकिन उक्त सेवा सहकारी समिति ने उस बस का लोन और परमिट लेकर दूसरों को बेच रखा है। मैंने कहा था कि उस बस से कितनी आमदनी हुई है, यह सहकारी समिति के रेकार्ड में जमा नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है जब कि उस मोटर पर जनता सेवा सहकारी समिति का नाम लिखा गया है। इस तरह के घोटाले इस विभाग में होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोटड़ी में सहकारी समिति है। इस समिति को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीन का कोटा दिया गया उसमें जो घोटाला और ब्लेक-मार्केटिंग हुआ उसकी जांच हुई और उसकी रिपोर्ट का अभी तक कोई फैसला नहीं किया और इस प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह से कुछ और बातें कोटड़ी कोपरेटिव बैंक के संबंध में अर्ज करना चाहूंगा इसमें २॥ पर्सेन्ट सहकारी समिति के ब्याज के रुपये जमा रहते हैं। अभी तक उस बैंक ने किसी सहकारी कमेटी को रुपये नहीं चुकाये। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से हजारों रुपये सहकारी समितियों के हैं उनको नहीं चुकाया गया है। इसके अलावा सहकारी नियम और एक्ट के आधार पर कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि वह उसके हिसाब-किताबों को चैक करे और उनके रेकार्ड को जाकर जब्त कर ले। मगर यहां पर कर लिया गया और इसका कारण है कि इस समिति में ७५ हजार का ओवर ड्यू है। जो वसूल करना चाहते थे वह वसूल नहीं कर सके। कलेक्टर ने उसके रेकार्ड को क्यों जब्त किया उसका कारण भी आज तक नहीं बताया गया है? क्या यह विभाग बताने के लिये तैयार होगा कि क्यों इस तरह चलने वाली समितियों को रोका गया? अगर किसी तरह की फोर-जरी की गई तो आपने उसके लिये किसको गिरफ्तार किया? यह आप बताने की कृपा करें कि किसके खिलाफ कार्यवाही की गई?

मैं बताना चाहता हूं कि आसींद में एक सहकारी समिति है जो जोइण्ट फार्मिंग सोसाइटी, जयपुर के नाम से है। इसमें डाइरेक्टर से लगा कर नीचे तक सब एक ही फेमिली के मेम्बर हैं और उसका सेक्रेट्री भी उसी फेमिली का आदमी है जो सरपंच भी है, जिन्होंने जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी अपने ही घर के सदस्यों की कर रखी है।

इसी प्रकार एक बैंक में नौकर की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में मैं बहुत ही अदब

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

के साथ, माननीय अध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है वह व्यक्ति पहले विजयनगर में काम करते थे। वहां पर बैंक में उन्होंने गलत काम किये और उस वजह से उनको वहां से सस्पेन्ड किया गया। उसी आदमी को यहां भीलवाड़ा कोपरेटिव बैंक लि०, मे नौकरी दे दी है। इस आदमी ने अपना नाम बदल कर नौकरी हासिल की है। एक बैंक ने उनको क्यों निकाला और दूसरे बैंक ने उसी आदमी को नौकरी दे दी है। यह एक अच्छी बात नहीं है। वह अभी वहां काम कर रहा है।

इस तरह के कार्य हमारे यहां हुए हैं। जिसका मकसद यह है कि सरकार के द्वारा सहकारिता के आधार पर सहायता देकर प्रॉडक्शन की उन्नति की जावे वह नहीं हो पाती है और पैसे का दुरुपयोग होता है। मैंने जो बातें कही हैं अगर उन सारी बातों की गहराई में जावें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसकी जांच के लिये हाई पावर कमीशन बिठाया जाकर इसकी जांच करावें तो आपको मालूम होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना रुपया सदस्यों में बांटने के लिये दिया है वह उनके पास नहीं पहुंचा और जिस काम के लिये दिया गया वह काम नहीं किया गया और यही कारण है कि जिनको यह पैसा दिया गया उनसे ७।। प्रतिशत ब्याज लिया गया है। उनको २।। पर्सेन्ट प्रति माह चुकाना पड़ा क्योंकि सदस्यों ने अपनी रोकड़ में यह लिख दिया कि इसमें यह खर्चा हुआ। लेकिन जब टोटल एक्सपेन्डीचर देखा तो यह दो प्रतिशत बढ़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो मेम्बरों को सुनना और इसकी जांच करना आवश्यक है। क्या जिस उद्देश्य को लेकर यह विभाग सहकारिता का चलाया गया उससे लोगों को लाभ पहुंचता है और खास कर गरीबों को पैसा दिया जाता है? मगर हम देखते है कि जिस मकसद से यह चालू किया गया वह मकसद पूरा नहीं होता है और इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर ३६ लाख खर्चा होता है और ३४ लाख रुपयों को बांटने के लिये ३६ लाख एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करें तो इसका मतलब यह हुआ कि एक रुपया बांटने के लिये एक रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है। यह बात कहां तक उचित है कि एक रुपया बांटने के लिये एक रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा किया जावे।

इसके साथ साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि वरखेड़ा के अन्दर एक सहकारी समिति है। पंचायत समिति आसींद में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक माननीय सदस्य पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको कोपरेटिव सोसाइटीज़ से १२००) रु० मैनेजर की तनख्वाह के लिये चुकाये गये। माननीय अध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति के सदस्य हैं और पंचायत समिति के अन्तर्गत यह संस्था चलती है तो क्या वह मैनेजर की हैसियत से काम करके रुपया ले सकते हैं? परन्तु यहां पर उन्होंने पंचायत समिति के सदस्य होते हुए भी लिया है।

इसलिये मैंने आपके सामने कुछ बातें अर्ज की। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी पंचायत जैसी पवित्र संस्थाएं हैं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उनको वदनाम करती हैं। पंचायतें हमने बनाई हैं वे किसी उद्देश्य को लेकर बनाई और वे इस मकसद से बनाई हैं कि हम हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम करना चाहते हैं। मैं पहली बात यह कहूंगा कि इन सारे घोटालों की जांच करने के लिए एक हाई पॉवर कमीशन मुकर्रर किया जावे। एक की ही जांच न हो लेकिन जितनी भी हैं, जिनमें गड़बड़ियां हैं, जैसे सांगानेर के बारे में भी हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। भीलवाड़ा में एक नहीं, ऐसी कई समितियां है। भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल से सहकारी समितियों ने कितना रुपया कमाया और इसी तरह से बनेड़ा में चर्म उद्योग था। आज लिक्विडेशन में है। एक व्यक्ति में १,५००) रु० हैं। आपको चाहिए कि उसको बन्द करें ताकि दूसरे आदमी जो इसी तरह का काम करने वाले है नई समिति बना कर अपना काम चालू कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि जो चल रहा है और एक आदमी में १,५००) रु० बाकी है वहीं ठप्प पड़ा रहे और उसको खत्म नहीं किया जावे। इसी प्रकार एक दूसरी सहकारी समिति है जो लिक्विडेशन में ली गई। उसको एक साल से ज्यादा समय हो गया है। इसको भी समाप्त नहीं किया जा रहा है। और इसलिये उनको समाप्त नहीं किया जाता है कि कहीं दूसरे लोग जो इस तरह के काम करने वाले हैं और जो ऐसे कामों में दिलचस्पी रखते हैं वे कहीं इस प्रकार की अपनी समितियां नहीं बना लें। इस प्रकार कई धंधे हैं जैसे वुनकरों के धंधे है, चमड़े के धन्धे हैं, वे अपना काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उत्पादन में भी इससे बड़ी बाधा आती है।

इसलिये यह जरूरी है कि ऐसे पवित्र डिपार्टमेंट को राजनीति से दूर रखा जावे और कोई घोटाले हों तो उनको दूर किया जाना चाहिए।

अब मैं कृषि की कुछ बातों के ऊपर अर्ज करना चाहता हूं। आज हम प्रोडक्शन बढाना चाहते हैं और प्रोडक्शन बढाने के लिये बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिये। प्रोडक्शन को बढाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि पंचायत समितियों को जो रकम इस काम के लिये प्रोत्साहन देने के लिये दी जाती है वह रकम इतनी कम है-- मैं यह नहीं कहना चाहता कि सारे राजस्थान में कम है पर इस हिसाब से वह दी जाती है कि जिस जगह पहाडी क्षेत्र है, या पानी बडा गहरा है वहां कुआ खोदने के लिये ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिये और जहां नहरी इलाका नहीं है वहां कुओं के लिये ज्यादा दिया जाना चाहिये, पर इन चीजों को ध्यान में रखे बिना ही यहां पर सब को इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर जो कुछ कम-ज्यादा दिया जाता है, इसका नतीजा यह होता है कि जहां नहरी इलाका है वहां और ज्यादा कुए हो जाते हैं और जहां नहरी इलाका नहीं है वहां कुए नहीं बन पाते हैं और वहां हालत खराब रहती है। किसानों की हालत इतनी खराब है कि वे बैलों की जोडियां तक नहीं खरीद सकते। जहां एक बैलों की जोडी की कीमत एक एक हजार रुपया है वहां एक पंचायत समिति को कुल ५ हजार रुपया तकाबी का दिया जाता है।

पंचायत समिति के पास इस प्रोग्राम को ज्यादा विस्तृत करने के लिये कोई जमीन इस तरह की नहीं है जहां वे फार्म बना सकें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
और एक्सपेरीमेंट के तौर पर काश्त करके किसानों को बता सकें कि इस प्रकार आधुनिक ढंग से काश्त करने से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बनेडा पंचायत समिति दो साल से लगातार कलेक्टर को १०० बीघा जमीन के लिये दरख्वास्त दे रही है कि वह १०० बीघा जमीन फालतू पडी है, यह हमें दे दी जाय, हम इसमें एक्सपेरीमेंट करके लोगों को बताना चाहते हैं। पर अभी तक जमीन नहीं दी जा रही है। तो मेरा निवेदन करना है कि इस तरह जमीन की व्यवस्था केवल बनेडा में ही नहीं राजस्थान की सारी पंचायत समितियों के लिये की जानी चाहिये ताकि एक्सपेरीमेंटल फार्म खोल कर लोगों को बता सकें कि इस प्रकार प्रोडक्शन को बढाना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो हमारे कृषि कॉलेज चल रहे हैं उनमें बारी-बारी सब जगह के किसानों को एक महीने की कृषि सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये भेजना चाहिये, किसानों का हौसला बढाने के लिये, नये तरीकों से खेती करने के काम में इन्हें प्रशिक्षित करने के लिये इन कॉलेजों में एक महीने का प्रशिक्षण देना चाहिये, ताकि प्रेक्टिकल रूप में खेती के नये औजारों को काम में लेना सीख सकें। तो इस तरह का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है, इससे किसान प्रशिक्षित होंगे और प्रोडक्शन बढाने में समर्थ हो सकेंगे।

अब मैं एग्जीबिशन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां एग्रीकल्चर एग्जीबिशन लगाई जाती है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लगाई जावेगी, इससे मेरे ख्याल से जो एग्जीबीशन लगाने का पर्पज है वह सर्व नहीं होता। शहरों में एग्रीकल्चर एग्जीबिशन लगाने के बजाय यह किया जाय कि गांवों के अन्दर पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर्स पर, पंचायतों के हैड क्वार्टर्स पर, छोटे छोटे टुकडों के रूप में लगाना चाहिये ताकि किसान समझ सकें कि इस तरह का काम करने से ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इस तरह की एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन्स वहां ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की एग्जीबिशन्स वहां लगाई जायं और जितना प्रोडक्शन जिन्स के आधार पर राजस्थान में प्रति एकड जो सबसे ज्यादा पैदा करते हैं उन सारे किसानों को इनाम दिया जाना चाहिये ताकि उनमें उत्साह पैदा हो कि ज्यादा प्रोडक्शन करने से इनको इनाम मिलता है, इस बार हम भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें, हम ज्यादा पैदावार करेंगे तो हमें भी इस प्रकार का इनाम मिलेगा। इससे किसानों में प्रोडक्शन को बढाने की कम्पीटिशन की भावना पैदा होगी, इस तरह की कम्पीटिशन की भावना बढेगी और ज्यादा पैदावार बढेगी। तो पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रान्त के स्तर पर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये।

अब मैं पशुओं के सम्बन्ध में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्थान में मवेशियों में अक्सर बीमारी आती ही रहती है, कभी घोडों में, कभी बैलों में, कभी भेडों में, कभी और मवेशियों में कोई न कोई बीमारी आती है। इस बीमारी को रोकने के लिये गांवों में चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिये।

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

कुछ जगह जानवरों के लिये चिकित्सालय खोल रखे हैं, पर एक बीमार मवेशी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बडा मुश्किल होता है, इसलिये गांवों के लिये चलचिकित्सालयों का प्रवन्ध करना चाहिये ताकि वहां जाकर इलाज कर सकें। हर जिले में कम से कम दो चलते-फिरते औषधालयों का जानवरों के लिये प्रवन्ध करना चाहिये ताकि राजस्थान में जो बीमारियों से वहुत ज्यादा तादाद में पशु मरते हैं उनको बचाया जा सके।

तो, माननीय अध्यक्ष, मैंने अपने विचार इसलिये प्रकट किये हैं कि इनका होना बहुत जरूरी है। सहकारिता के सम्बन्ध में मैंने कहा कि सहकारिता हमारे देश के लिये बहुत जरूरी है, पंचायती राज और इस डिपार्टमेंट का बहुत सम्बन्ध है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में जोर दिया कि इस पर जोर देना चाहिये। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उनके हाथ में यह डिपार्टमेंट है और उनके रहते हुए यह जरूरी है कि जहां इस तरह की गडबडियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनको खत्म करने की कोशिश करें, वहां किसी राजनैतिक बात को ख्याल में नहीं रखना चाहिये। करोडों रुपया सहकारी समितियों में बाकी है, उसकी वसूली में पार्टीबाजी का ख्याल रखा जाता है, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनसे सख्ती के साथ वसूली की जाती है और जो पार्टी विशेष के हैं उनसे वसूली नहीं की जाती, तो इस प्रकार की चीज इसमें नहीं होनी चाहिये। बिना किसी पार्टीबाजी का ख्याल रखे एक्ट पी० डी० आर० द्वारा वसूल किया जाना चाहिये। जिस किसी तरह वसूल किया जा सकता है वसूल किया जाना चाहिये। पंचायत समितियां मान लीजिये ५ हैं उनमें से ३ पंचायत समितियों में ओवर ड्यू रह जाता है तो बाकी पंचायत समितियों को भी बैंक पैसे नहीं देता है। इसी तरह जिन लोगों में बकाया है उनसे वसूली के लिये यदि कानून में परिवर्तन भी करना पडे तो करना चाहिये। मैं बडे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक कॉपरेटिव और सहकारी समिति से सम्बन्ध है इनमें किसी को खडे नहीं होने देना चाहिये जिनमें कि ओवर ड्यू हैं। इससे यह होगा कि जो वहां बैठ कर अपनी सेफ-गार्ड के लिये ओवर ड्यू को बढाना चाहते हैं, वे नहीं बढा सकेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद !

श्री लक्ष्मणप्रसाद (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव कृषि के बारे में है। मैं विशेष तौर से कृषि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एग्रीकल्चर तकाबियों का पैसा पंप और ट्रेक्टर वगैरह के लिये दिया जाता है वह सरपंच प्रधान, बी.डी.ओ., मिल कर देते हैं, वह पैसा सीधा बौहरों के पास जाता है, किसानों को नहीं मिलता है, बौहरों की जरूर बनती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पैसे वालों को ज्यादा नहीं पनपाना चाहिये पर सरकार खुद चला कर पैसे वालों को पनपाती है। बीज खरीदा जाता है पंचायत समिति से उसमें बडा घोटाला होता है, खराब बीज लेकर देते हैं। मेरी निगाह में आया है कि वहां का बीज वहीं से खरीद कर कहते हैं कि गंगानगर से मंगवा दिया है। मैं इस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बीज के बारे में अच्छी व्यवस्था करें।

Page No 43

(श्री लक्ष्मण प्रसाद)

जमीन होगी, बैल होंगे तो बीज अच्छे से अच्छा पैदा कर सकते हैं, बीज की जो व्यवस्था करते हैं इसमें बहुत घोटाले होते हैं। खेती के बारे में जमीन की व्यवस्था है बुल-डोजर चलते हैं, किसानों ने इन बुल-डोजरों को कभी प्रयोग में नहीं लिया। आपने चीजें ही ऐसी चलाई हैं कि जिनको बड़े आदमी भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को सहायता देकर बुल-डोजरों से उनकी जमीनों को काश्त के काबिल कराया जाय।

विशेष करके खेती के बारे में मेरा कट मोशन है, यही प्रस्तुत करता हूं।

श्री केसरीसिंह (पाली): अध्यक्ष महोदय, एक कट मोशन सहकारिता सम्बन्धी सरकार की जो नीति है उस पर बहस करने के लिए मैंने रखा है। इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि सहकारिता जो चीज है वह राजी खुशी का काम है। यानी इसमें किसी तरह का कम्पल्शन नहीं होना चाहिये, यह बिलकुल ही वालन्टरी संस्था होनी चाहिये वालन्टरी संस्था में वह आवश्यक है कि जो जो कॉपरेटर्स हों, जो शामिल होकर कॉपरेटिव सोसाइटी बनायें, उनमें आपस में एक दूसरे में विश्वास होना चाहिये और वे पूरी तरह से हिलमिल कर काम कर सकें, सहयोग से काम कर सकें, यह बडा आवश्यक है।

अब हमें यह देखना है कि जिस तरह की सहकारी समितियां सरकार की ओर से बनायी जाती हैं, बढायी जाती हैं, वे वालन्टरी हैं या नहीं? मैं यह कहूंगा कि सरकार की जो यह नीति है कि एक पंचायत समिति के क्षेत्र में एक कॉपरेटिव सोसाइटी हो यह वालन्टरी रूप नहीं रहने देती। आप यह देखिये कि कुल लोग मिल कर एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं वे हिल मिल कर अपना काम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कई ऐसे आदमी हों जिनको वे लोग अनडिजायरेबल समझें, वे लोग समिति में आयें, उनके समिति में साथ आने से जो सोसाइटी ठीक ढंग से चल रही हैं उनमें भी तरह तरह की गडबडियां पैदा हो जावेंगी ऐसा यदि वे सोचते भी हैं, तो सरकार की वर्तमान नीति है उसके अनुसार कोई इस प्रकार के आदमी भी शामिल होना चाहें तो उनको रोक नहीं सकते हैं।

एक कॉपरेटिव सोसाइटी एक पंचायत क्षेत्र में चल रही है और उन में जो मेम्बर्स हैं उनके साथ शामिल होकर जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो ऐसा महसूस करते हैं कि हिल मिल कर काम नहीं कर सकेंगे वे कोई दूसरी कॉपरेटिव सोसाइटी बना कर मेलजोल के आदमी मिल कर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी अलग खोलें, तो नहीं खोल सकते हैं, उनको तो उसी कॉप-रेटिव सोसाइटी के साथ जाना पडता है। यदि नहीं जाते हैं तो वे उन बेनिफिट्स से महरूम रहते हैं जो आज सरकार कॉपरेटिव सोसाइटीज में शामिल होने पर ही लोगों को देती हैं। इस विषय में उदाहरण दे कर तो मैं समय नहीं लेना चाहता लेकिन अनेक इसके लिए उदाहरण मिलेंगे कि अन-डिजाय-रेवल एलीमेंट्स सोसाइटी में गये और जो सहकारिता सच्चे माने में हो सकती थी उसको खत्म कर दिया। जो लोग हिलमिल कर सोसाइटी बनाने की सोचते हैं वे भी नहीं बना सकते। पंचायत क्षेत्र में कोई सोसाइटी

(श्री केसरीसिंह)

कायम है उसमें आकर शामिल हो सकते हैं और सहूलियतें जो सरकार देती है वह प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मन चाही सोसाइटी वे फोर्म नहीं कर सकते। आर्गूमेन्ट यह दिया जाता है कि इस प्रकार की सोसाइटीज वायेबल नहीं होगी, ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगी। इस विषय में मेरा यह अर्ज करने का है कि या तो मिनिमम मेम्बरशिप कायम कर दीजिये या मिनिमम शेयर केपिटल प्रेस्काइब कर दीजिये जिससे वायेबल सिद्ध हो सके। अगर नहीं होगी तो आगे चल भी नहीं सकेगी और बन्द हो जायगी। एक पंचायत क्षेत्र में एक कॉपरेटिव सोसाइटी रहेगी यह नियम लगा कर तो उसका जो वॉलन्टरी करेक्टर है उसको ही समाप्त करते हैं।

इसके जो दूसरे परिणाम सामने आते हैं कि जो ग्रुप्स आपस में हिलमिल कर काम नहीं कर सकते उनको जबरदस्ती शामिल रहना पडता है और उसका नतीजा यह होता है कि इस सारे मूवमेंट में पॉलिटिकल कन्सीडरेशन्स घुस जाते हैं और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो उस समय और जब सेन्ट्रल बैंक से लोन सेन्क्शन होता है तब उसके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं जिसके सैंकडों नमूने आपको मिल सकेंगे। ऐसा भी कई जगह देखने में आया है कि एक सोसाइटी है उसके मेम्बर ठीक ढंग से काम करते हैं, उसमें दस बीस और घुस गये, पहले जो लोग हिल मिल कर काम करते थे, क्या समय पर ऋण अदा करते थे, ऐसे अनडिजायरेबल एलीमेन्ट्स आ जाने से यथा समय ऋण अदा नहीं करते उन लोगों की वजह से नया ऋण प्राप्त करने से महरूम रहना पडता है। ऐसे कई नमूने सामने आते हैं। अगर इसको वालन्टियरी रखना है तो सच्चे माने में रखना चाहिये और तब ही सच्चे माने में कॉपरेटिव्ज होंगी। उसके लिए मिनिमम मेम्बरशिप और शेयर केपिटल प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन वैसा करेंगे तो वह जो टार्गेट्स फिक्स कर लेते हैं इतनी कॉपरेटिव सोसाइटीज बना लेंगे और इतनी फैमिलीज को कवर-अप कर लेंगे, इस प्रकार के वे जो टार्गेट्स मुकर्रर किये जाते हैं इतनी रूरल फेमिलीज को कॉपरेटिव में कवर-अप कर लेंगे, थर्ड फाइव इयर प्लान में इतनी बढा लेना चाहते हैं और इससे इतने टार्गेट्स बढा लेते हैं, यह उचित नहीं है। कॉपरेशन तो वे ऑफ लाइफ है। अगर इस प्रकार करते रहे तो क्वान्टिटी के मुकाबले क्वालिटी सफर करेगी। उनकी क्वालिटी को यदि आप ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे तो बडी सोचनीय दशा उनकी मिलेगी। मैंने जो सुझाव रखे हैं उससे यह भी फायदा होगा कि एक पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक कॉपरेटिव सोसाइटी काम करेगी और लोग यह देख सकते हैं कि कौनसी सोसाइटी ठीक ढंग से काम करती है। मैनेजिंग कमेटी ज्यादा ईमानदार हो, ठीक ढंग से काम करने वाले हों, नये मेम्बर के सामने चोइस हो सकती है कि इसमें जोइन करें। वॉलन्टरी करेक्टर को बनाये रखने की बात होती है। यदि यह चोइस न हो तो वालण्टरी करेक्टर में खामी आती है।

यदि आपकी यही नीति तय है कि एक पंचायत क्षेत्र में एक कॉपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप कम्पलसरी सी बात कर दें। हर पंचायत के साथ एक इकोनोमिक विंग होगी जो विलेजेज

(श्री केसरीसिंह)
की इकोनामिक नीड्स को केटर करे, चाहे अच्छी चीज सप्लाई करने की बात हो, मार्केटिंग की बात हो या फर्टीलाइजर्स की बात हो, सारे को लेकर केटर करे और यह पूरे क्षेत्र के लिए इकोनामिक विंग होगी, ओफीशियल विंग होगी और चुनाव के लिए सब मतदान में भाग ले सकते हैं। यह नहीं कि यह मेम्बर हैं और यह नहीं। यह चीज लानी है तो इसको लेकर स्पष्ट रूप से आलमोस्ट कम्पलसरी कर दिया जावे बनिस्पत अभी जो उसका रूप है, नाम की वालन्टरी है वास्तव में वालन्टरी नहीं है। यदि आपकी नीति इक्वीवोकल सी रही, वालन्टरी भी नहीं है, कम्पलसरी भी नहीं है तो उसका नतीजा यह होगा कि इस मूवमेंट में पोलिटिक्स पनपेगी और उसके दुष्परिणाम जितने होंगे वे सब हमें भुगतने पडेंगे।

दूसरी बात, मैं यह अर्ज करूंगा कि कोपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये जो क्रेडिट कल्टीवेटर्स को उपलब्ध किया जाता है वे ऊंची रेट पर मिलती हैं। जैसे अपेक्स बैंक की जो रेट होती है उससे लेकर के सेन्ट्रल बैंक को दी जाती है और सेन्ट्रल बैंक ज्यादा रेट लेकर के कोपरेटिव सोसाइटीज़ के पास पहुंचती है और कोपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा रेट लेकर फार्मर्स के पास पहुंचती है। इस तरह से फार्मर्स को ऊंची रेट देनी पड़ती है। बीच में अपेक्स बैंक, सेन्ट्रल बैंक और कोपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजमेंट के अमले को मेन्टेन करने के लिये यह जो मिडिल मेनी है इसके कारण काश्तकारों को ऊंचा इन्टरेस्ट देना पड़ता है।

अब मैं थोड़ा सा कॉपरेटिव फार्मिंग के विषय में अर्ज करूंगा। कॉपरेटिव फार्मिंग का यह भाव है कि सच्चे मायने में फार्मिंग कोपरेटिव हो। कोई मिल करके खेती करे इसमें किसी को ऐतराज नहीं। गांवों में मावली सिस्टम है वह भी इसी तरह का है। अगर कोपरेटिव फार्मिंग वालन्टियरी करेक्टर से मिलता है तो ठीक है परन्तु यदि नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। वालन्टियरी कहा जाय यह कहने को तो होता है लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि कई तरह के लैन्डरिफोर्म्स सीलिंग आदि जो अभी अभी लग रहे हैं ये इस तरह की बातें हैं जिनसे काश्तकारों को सिवाय कोपरेटिव फार्मिंग के और दूसरा रास्ता खुला नहीं रहेगा। जिनके पास ज्यादा जमीन है वह ले ली जायगी और इस तरह से जिनके पास जमीन सीलिंग के अनुसार रहेगी वह इतनी कम रहेगी कि वे ठीक से खेती नहीं कर पायेंगे और लेन्डलैस टीनेन्ट्स को इतनी कम भूमि दे पायेंगे जिससे उनका अपना पेट पालना भी मुश्किल हो जायगा तो अन्ततोगत्वा नतीजा यह होगा कि आम तौर पर काश्तकारों के लिये सिवाय कॉपरेटिव सिस्टम आफ फार्मिंग के और कोई रास्ता खुला नहीं रहेगा। इस तरह से कोपरेटिव फार्मिंग देश में आयेगा तो उसमें काश्तकारों की हैसियत हाली से ज्यादा नहीं होगी। जमीन की मिल्कियत जैसी कोई बात नहीं रहेगी। जिस तरह से एक काश्तकार अपनी जमीन समझकर तवज्जुह देता है वैसी सिरोली खेती में जिसमें मिल्कियत किसी की नहीं होती केवल हाली के रूप में काम करने जैसी स्थिति रहती है वह तवज्जुह नहीं आ सकती जो एक काश्तकार अपनी खुद की खेती पर दे सकता है। इससे ओवर ऑल प्रोडक्शन गिरेगा जितना मैं समझता

(श्री केसरीसिंह)

हूं खेती के विषय में मेरी यह राय है ।

मैं निवेदन करूंगा पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि पर एकड़ पैदावार गिर रही है । रेवेन्यू लॉज के संबंध में हमने एक कमीशन मुकर्रर किया था जो भूमि संबंधी जितने भी कानून हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ है और किस तरीके से हुआ है इस बारे में रिपोर्ट देने के लिये । इन सबको पूरी तरह से स्टडी करके गवर्नमेंट को वह सजेशन देगा, रिकमन्डेशन रखेगा कि भूमि संबंधी कानूनों में क्या घटत-बढ़त की जाय । इस तरह का आश्वासन देकर रेवेन्यू लॉज कमीशन मुकर्रर किया गया था जिसमें हाई कोर्ट के जज को चेयरमैन बनाया गया । लेकिन एमर्जेन्सी के नाम पर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया । वह चीज इसलिये थी कि पैदावार क्यों गिर रही है, इस बारे में वह अपनी रिपोर्ट दे । उन्होंने क्वेश्चनेअर भी प्रिपेयर किया था और कृपा करके सब पंचायतों के पास भी भेजा था । वहां से जो राय आती है उस पर कन्सीर किया जाना चाहिये । अगर उन सब बातों पर विचार करके कोई कदम लिया जाय तो वह बहुत सुन्दर कदम होगा । बीच में ही उस कमीशन को सस्पेन्ड करना कहां तक उचित था यह तो मंत्री महोदय उत्तर देते समय फरमायेंगे । मैं तो यह अर्ज करता हूं कि थोड़े दिन पहले श्री पंजाबराव देशमुख जो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने लैन्ड रिफोर्म्स के कानूनों के संबंध में राय दी है । उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा है इन रिफोर्म्स से नुकसान ही हुआ है । केपीटल शार्ट हुआ है प्रोडक्शन गिरा है ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था केरल में । जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो कुछ भी वे कहते हैं सोच समझ कर ही कहते हैं । वे जानते हैं क्योंकि भारत सरकार के वे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, इतने बड़े व्यक्ति की यह राय है इन लैन्ड रिफोर्म्स के बारे में । उन सुधारों की ओर कदम बढ़ाते हुए अहतियात का बरता जाना वाजिब होगा । मेरी राय में रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही इस विषय में कदम बढ़ाया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

एनीमल हस्बेन्ड्री के संबंध में अधिक समय न लेकर के दो बातें अर्ज करूंगा । एक तो इस बारे में जो खर्च किया जाता है उसमें बहुत सी फिजूलखर्ची है जिनको मेरे मित्र पेश करेंगे । मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पाली में जो पेकेज प्रोग्राम चालू कर रखा है उस ओर जो तवज्जोह दे रहे हैं उसके साथ साथ पशुपालन की ओर भी तवज्जह देने की पूरी गुंजाइश है । रोहट और पाली पंचायत समिति इत्यादि में अगर बरसात की कमी न हो तो बांध इत्यादि बहुत हैं । उनके भरने पर काफी अच्छी काश्त हो सकती है । वहां एनीमल हस्बेन्ड्री के लिये भी भारी स्कोप है । उसके लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । खास तौर से पाश्चर डवलपमेंट के लिये इन्टेन्सिव तरीके से नस्ल सुधारने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

(१२.५९ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

तो कोपरेटिव के संबंध में वालन्टियर करेक्टर सुरक्षित रखने की आवश्यकता

(श्री केसरीसिंह)

की ओर आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये लैण्ड रिफार्म्स को अमल में लाने के पहले राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन की राय मालूम कर ली जाय उसके बाद अगर इस विषय में कोई कदम उठाया जाय तो इसका असर प्रोडक्शन पर ठीक होगा। इन लॉज के द्वारा प्रोडक्शन को कहां तक इफेक्ट किया गया है इस संबंध में उनकी राय देख लेनी चाहिये, यह भी मैंने निवेदन किया और एनीमल हस्वेन्ड्री के संबंध में यह अर्ज करता हुआ कि पाली में पैकेज प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जावे, मैं अपने तीन कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

(१.०० म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, सहकारी विभाग की मांग के संबंध में मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष हैं।

सभापति महोदय, सहकारी आन्दोलन वास्तव में हमारे प्रान्त के लिये एक समाजवादी समाज व्यवस्था अगर कोई सरकार वास्तव में लाना चाहती है या लाने की नीयत होती तो इसे एक आधारभूत अंग बना कर इस व्यवस्था में बुनियादी तबदीली लाने का बखूबी कार्य कर सकती है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार हमारी सरकार इस विभाग को चलाने में अपनी नीति अपनाती आ रही है वह इस सरकार की अपनी और नीतियों के अनुसार बजाय उसके इसमें शोषण को समाप्त किया जाता, इस कोपरेटिव मूवमेंट के जरिये शोषण के नये तरीके राइज़ किये जा रहे हैं। बजाय इसके कि इस डिपार्टमेंट के जरिये इस प्रकार की व्यवस्था काम में लाई जाती, जिससे लोगों को कोपरेटिव मूवमेंट में शामिल होकर यह विश्वास पैदा होता कि इसके जरिये सामान्य आदमी जो बहुत साधन जुटा नहीं सकता, जिनके पास बहुत पैसा नहीं वे लोग भी अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर सकते हैं, आज इस प्रकार से इस डिपार्टमेंट को चलाया जा रहा है और इस प्रकार की नीति चल रही है इस डिपार्टमेंट में कि इस मूवमेंट को एक्सप्लोइटर तबके के हाथ में सौंपा जा रहा है। सरकार इस प्रकार के कॉपरेटिव मूवमेंट, जो कि एक्चुअली मजदूरों और किसानों के लिये हैं, उनको कुचलने की कोशिश करती है। इस प्रकार से जो सहकारी समितियां एक्स्प्लोइटर्स के हाथ में हैं वे सहकारी सिद्धान्त के बिलकुल खिलाफ है। ऐसे लोगों को शामिल करके ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दी गई जो समाजवादी समाज रचना के दुश्मन हैं।

जो इस देश में किसी प्रकार की भी समाज व्यवस्था में तबदीली नहीं चाहते उन लोगों को पनपाया जा रहा है।

सभापति महोदय, जहां कोपरेटिव मूवमेंट का यह लक्ष्य होना चाहिए था कि लोगों में प्रजातांत्रिक ढंग से अपने आप अपने कामों को संभालने की क्षमता पैदा की जाती, अपने आप अपने सवालों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो, इसके बजाय जिस तरीके से इस सहकारी आन्दोलन को इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसमें लोगों के गले घोंटने की कोशिश की जा रही है। इसमें प्रजातन्त्र को दफन करने की कोशिश की जाती है, इसमें यह बात बतलाने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की कोशिश की जाती है कि जो लोग सरकार के हैं, किसी मिनिस्टर के कृपापात्र हैं, वह चाहे जितना भी ऐब करें उनके ऐबों को ढका जावेगा, और जो उनकी बात को नहीं मानते, उनका जिस तरह से चाहें उस तरह से कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को वे दबाते हैं, उनका दमन करने की कोशिश की जाती है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती यदि यह सरकार जो इसका उद्देश्य है समाजवादी समाज रचना का और उसके अनुसार सहकारी आधार पर समाज की व्यवस्था को चलाने का, उसके अनुसार काम करती। पर जो तरीके उसके हैं, जो रवैया उसका है, जो पालिसियां उसकी इस विभाग में चल रही हैं, वे सभापति महोदय, बिल्कुल उसके उद्देश्य से विपरीत हैं। वह कॉपरेटिव मूवमेंट को बदनाम करने का रास्ता है। यह सरकार वही काम कर रही है जो देश में और लोग भी सिद्धान्ततया इसके खिलाफ हैं कापरेटिव मूवमेंट के उसूल के खिलाफ हैं वे करते हैं। चाहे इस विभाग को पहले एक मंत्री ने सम्भाला, चाहे अब किसी दूसरे मंत्री ने सम्भाल लिया हो, पर बुनियादी तौर से कोई अन्तर उसके कारनामों में नहीं आया है।

मैं, ज्यादा समय चूंकि नहीं है, इस संबंध में एक-दो मिसालें देकर इन बातों को साबित करने की कोशिश करूंगा।

गंगानगर जिले म कुछ कोपरेटिव सोसाइटियां, फार्मिंग कॉपरेटिव सोसा-इटियां बनाई जा रही हैं, इसलिये नहीं कि छोटे छोटे भूमिहीन जो साधन नहीं जुटा सकते, वे सरकार की मदद लेकर अच्छा फार्मिंग कर सकें, बैटर तरीकों से अपने साधन जुटा सकें, वहां पर जो इम्पन्डिग एक्ट है, सीलिंग का कानून है उसको डिफीट करने के लिये बड़े बड़े मुरब्बेदार, जागीरदार बोगस कॉपरेटिव सोसाइटियां बनाकर अपनी जमीनों को, बड़ी बड़ी जमीनों को बचाने की कोशिश मात्र कर रहे हैं और उन पर सरकार की छत्र छाया है वे इस सफेद छाते के नीचे इसकी तहत खुले आम घूमते हैं। उनको पूरी तरह से कर्जे में भी मदद दी जाती है। मेरे पास सभापति महोदय, इस तरह के सुबूत हैं कि वहां अधिकतर इसी तरह की सोसाइटियां हैं, मैं ज्यादा मिसालें न देकर एक मिसाल जो बड़ी टिपीकल है देता हूं।

वहां पर एक गांव है सी. एफ. एफ. बी. उसमें सिन्धु कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी श्री गुरुबचनसिंह सिन्धु ने बनाई है। ये सरदार बहादुर ६० मुरब्बे के अकेले मालिक हैं। इस सोसाइटी के सारे मेम्बर इन सरदार बहादुर के घर के लोग हैं। बीबी है, बच्चा है, लड़के हैं, लड़कियां हैं और रिश्तेदार हैं जो इस कॉप-रेटिव सोसाइटी के मेम्बर बनाये गये हैं, जो कानूनन रजिस्टर नहीं हो सकती। पर जब उनके सिर पर सफेद छत्री है सरकार की, जो कि इस तरह का संरक्षण देने को कटिबद्ध हैं उनको तो उसके रजिस्टर होने में दिक्कत नहीं। यही नहीं, उस सोसाइटी को पंचायत समिति से दस हजार का कर्जा भी मंजूर हो गया। जिसके पास ६० मुरब्बा जमीन है, उसको दस हजार रुपया कर्जा देने की भी मंजूरी हो गई। एक किश्त उसकी ले भी गये, जब दूसरी किश्त देने की बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आई तो ऐतराज किया गया । तो नेताओं की धौंस धप्पस के जरिये उस किश्त को भी वे ले आये । ऑडिट की रिपोर्ट कहती है कि यह बोगस सोसाइटी है, पर हमारी यह सरकार इस तरह की सोसाइटी को पूरा संरक्षण देती है ।

इसी प्रकार हमारी ये कॉपरेटिव सोसाइटियां, क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटियां हैं । रूरल क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटियां हैं और यदि में यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि रूरल क्रडिट सर्वे सोसाइटी की यह रिपोर्ट है कि ७० प्रतिशत इस प्रकार की कॉआपरेटिव सोसाइटियां हैं जो मनी लेंडरों के हाथ में हैं जिनके आधार पर यह सरकार कायम है जिनके आधार पर यह सरकार चल रही है । उन कॉपरेटिव सोसाइटियों के खजान्ची इस प्रकार के मनी लेंडर हैं जो दो-दो तीन-तीन रुपया सैकड़ा माहवार के हिसाब से अपना कर्जा देते हैं और जो उनके कर्जदार हैं उनको इन कॉपरेटिव सोसाइटियों के मेम्बर बनाये हुए हैं ये । कॉपरेटिव सोसाइटियों से ये कर्जा ले आते हैं और वह कर्जा उनके घरों में चला जाता है--मनी लेंडरों के सीधा । सिर्फ रोकड़ खातों में इन्द्राज हो जाता है । बेंक से रुपया निकाल कर ले गये और एक्स. वाई. जेड. के नाम लिख दिया । तो जो यह सरकार है, उन मनी लेंडरों के गारन्टर के रूप में इन बैंकों से काम करवा रही है । उन मनी लेंडरों के ३) रु० सैकड़ा का व्याज वसूल हो जावे इसकी गारन्टी के रूप में ये क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटियां हैं जो ७० प्रतिशत इसी तरीके से काम कर रही हैं ।

सभापति महोदय, जब हमने यह कहा कि इन मनी लैण्डरों पर टैक्स लगाओ; पर सरकार का हौसला नहीं पड़ता इन पर जरा भी हाथ उठाने का क्योंकि ये सरकार के आधार बने हुए हैं एक एक गांव में ।

सभापति महोदय, इसके बाद में यह निवेदन करूंगा कि रायसिंहनगर में एक मार्केटिंग सोसाइटी है । उसके खिलाफ ४ लाख के गबन के आरोप हैं । यह ऑडिट रिपोर्ट है उसकी । ५८-५९ में उसकी तरफ करीब ३ हजार मन अनाज भी बाकी था जिसका वे कोई अकाउन्ट नहीं दे सकते । फिर भी १९६० में इस मार्केटिंग सोसाइटी को वहां की पंचायत समिति ने १० हजार मन अनाज और दे दिया । उस अनाज का भी आना तो मालूम है, पर किसको वह वितरित किया उसका कोई अकाउन्ट उसमें नहीं मिलता । इसने कुछ अनाज कुछ लोगों को पहले दिया । उन किसानों से पैसे वसूल कर लिये पर उसका इन्द्राज किताबों में नहीं किया । परिणामस्वरूप गरीब किसानों से दुबारा कुर्कियां निकलवा कर वसूल कर लिया । ऐसी करीब २०० रसीदें किसानों के पास हैं जो पेमेन्ट कर चुके हैं । पक्की रसीदें मौजूद हैं । एक रसीद तो मेरे हाथ में है जो कि एक किसान से जिसने कि अनाज खरीदा था और पेमेन्ट कर दिया ८४) रु० की प्राप्त हुई है । बावजूद इस रसीद के भी उससे दुबारा रुपया वसूल किया गया और जब इस कॉपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ४०९ का मुकद्दमा दर्ज कराया गया थाने में तो हमारी यह सरकार जो उसका प्रोटेक्शन करती है उनके खिलाफ ४०९ का केस चलाने की हिम्मत नहीं करती । बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं । उसके सेक्रेटरी एक रामजसराय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

धानुका है। जो एक बड़े आढ़ती हैं जो इसके मेम्बर भी नहीं होने चाहिएँ, जिनका काम केवल एक्सप्लोइटेशन करने का है। जब इन सोसाइटियों की किस्मतें इनको सौंप देते हैं तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इनसे कि वे सही तरीके से कापरेटिव मूवमेंट को चलायेंगे और आज भी बावजूद ४ लाख के गबन के, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से पीलीबंगा में एक मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी है उसकी तरफ १।। लाख रु० का गबन है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके लिए भी सुनते हैं कि उसके जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स वगैरह हैं वे भी बड़े इनफ्लुएन्शियल लोग हैं और फिर गंगानगर और बीकानेर में तो बहुत ही भयंकर लोग हैं, जिस तरीके से आज और कल के अखबार में हमें पढ़ने को मिला था। उसकी तरफ एक्शन लेने की हिम्मत कम ही पड़ती है। सभापति महोदय, इसके मुकाबिले में साधारण किसानों की कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है और जो सही तरीके से चलने की कोशिश कर रही हो, ऐसी ही झूंझनू जिले में एक अलसेसर की कॉपरेटिव सोसाइटी है। वहां पर पंचायत समिति ने बाजरे का बीज २५० मन मंगाया और उसका हिसाब ले लिया। बीज उस पंचायत समिति ने संभाल लिए। बीज की जिम्मेदारी उस अलसेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति को सौंपी। उस सहकारी समिति ने जिस तरीके से पंचायत समिति ने लिखवाया था बीज को बांट दिया और वसूली की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बाद में फिर एग्रीमेंट हुआ पंचायत समिति से। उन्होंने वसूली भी की, करीब १६५ मन अनाज वसूल कर लिया और वसूल करके वह पंचायत समिति को सुपुर्द कर दिया। पंचायत समिति ने ताला लगा दिया उस गोडाउन के ऊपर और अब क्योंकि वह किसानों की कॉपरेटिव सोसाइटी है वह कमीशन देने को तैयार नहीं है, वह एक्सप्लोइटेशन करने के तरीकों को इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। वहां के प्रधान ने दो वर्ष तक उस बाजरे को उस गोडाउन में पड़ा रख कर सड़ा दिया और कहा कि इसको सड़ा दो, हम कॉपरेटिव सोसाइटी से इसका पैसा वसूल करेंगे। उस कॉपरेटिव सोसाइटी के जिम्मे सिर्फ बीज बांटने का काम था और वसूली का नहीं था। फिर भी उसने जो वसूल किया १६५ मन वह पंचायत समिति को संभला दिया, रसीद उनके पास है उसके बावजूद उस पंचायत समिति ने कलेक्टर को लिख दिया कि इनसे ७,०००) रु० वसूल किया जावे और कलेक्टर साहब ने पी. डी. आर. एक्ट के तहत तहसीलदार के जरिये उस सोसाइटी की कुर्की करा ली। जब कि अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करेंगे कि पी. डी. आर. एक्ट कॉपरेटिव सोसाइटीज पर लागू भी हो सकता है या नहीं। वह एक्सप्लोइटर्स की सोसाइटी थी उसके लिए ला डिपार्टमेन्ट से आप कन्सल्ट करेंगे लेकिन अलसेसर की ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसने बीज भी बांट दिया पैसा वसूल करने का सवाल नहीं था, उस बीज को गोडाउन में वहां के प्रधान ने सड़ा दिया। ताली उनके पास आज तक मौजूद है, बीज सड़ा दिया, उस सोसाइटी की आपने कुर्की कर ली है ७,०००) रु० की, यह आपका

Page No 51

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कॉन्स्ट्रक्टिव तरीका है । जो ट्रीटमेन्ट आप कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को देना चाह रहे हैं उससे, सभापति महोदय, इसी प्रकार से इन कॉपरेटिव सोसाइटीज़ का जो थोड़ा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, अपने पैरों पर यह खड़ी हो सकती है उसमें हमारी सरकार का रुख है उसका जिक्र तो मैंने पहले किया था लेकिन उसकी एक-दो मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा ।

अभी हमारे यहां अलवर में अलवर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर्स के चुनाव हुए । हमारे एक नेता जो पार्लियामेन्ट के चुनावों में हार गए उन्होंने कहा कि भागते चोर की लंगोटी ही सही । इस बैंक की डाइरेक्टरी खाली पड़ी है इसमें ही पहुंचो । तो वैसे तो कॉपरेटिव मूवमेन्ट में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसलिए कॉपरेटिव बैंक के मेम्बर नहीं बन सकते थे तो उन्होंने किसी लॉयर की सलाह से या उच्च नेताओं की सलाह से तरीका निकाला कि इंडीविजुअल मेम्बर बन कर इसके इंडीविजुअल डाइरेक्टर बनें और उस तरीके से दरख्वास्त दे दी, ५०० रुपये जमा करा डाले, सीधे सादे मेम्बर बनें, डाइरेक्टर बनें और डाइरेक्टर बन कर चेयरमैन, जिला परिषद के मेम्बर और फिर जिला परिषद् के प्रधान । इन सीढ़ी-दर-सीढ़ी बनने का प्रोग्राम बनाया गया। बहुत बड़े और आला दिमाग की सूझ-बूझ होगी, बाकायदा प्लानिंग किया होगा तो इसी तरह से किया । लेकिन जो उनके कारनामे थे उनका पता लग गया कि इन्डीविजुअल मेम्बर बनेंगे और वक्त के ऊपर तारीख रखी कि फलां तारीख को २६-१२-६२ को २।। बजे तक चलो, पैसे जमा करा देंगे । वे लोग इंडीविजुअल मेम्बर बन जायेंगे, उसके बाद जो करायेंगे वे मेम्बर नहीं बनेंगे । उस रोज बोर्ड की मीटिंग ५।। बजे तक होती रही । जितने लोग आये वे लोग मेम्बर बन गये ।

शाम को ५।। बजे गिनती होती है । वहां पर लिस्ट टाइप होकर जहां कि इतने मेम्बर्स बने वे इतने हैं और जो नहीं बने वे दूसरे हैं । उनको पता लगा कि ४० के करीब दूसरे लोग ज्यादा हैं जिनके वोट आने की उम्मीद नहीं है तो दूसरे रोज सब २७ तारीखको कलेक्टर के यहां गये और उनसे दरख्वास्त दिलाई गई उन ४३ आदमियों से कि हम बैंक में गये, १०।। बजे रुपये जमा कराने की कोशिश की लेकिन बैंक के मैनेजर ने रुपया लेने से इन्कार कर दिया । दूसरे दिन कलेक्टर साहब को यह दरख्वास्त दी गयी और वही कलेक्टर साहब जो कि उसी बैंक के दफ्तर में १ बजे से ५।। बजे तक बैठे रहे। सारे डाइरेक्टर्स उसमें मौजूद थे । उनके सामने किसी ने शिकायत नहीं की उन ४३ आदमियों में से कि हमारा रुपया जमा नहीं हो रहा है हम भी मेम्बर बनना चाहते हैं । उन्हीं कलेक्टर साहब ने दूसरे दिन उस दरख्वास्त पर कहा कि यह तो बड़ी गम्भीर बात है । क्योंकि नेता जी जो डाइरेक्टर बनाना चाहते थे उनका टेलीफोन आ चुका था और जब वहां पर इस तरह से बैंक के मैनेजर ने कहा कि यह बात गलत है, मैं खुद मौजूद था । मेरे पास बैंक के मैनेजर ने जो कलेक्टर को जवाब दिया है उसकी एक कॉपी मौजूद है । उसने कहा है कि उन ४३ दरख्वास्त देने वाले लोगों में से एक आदमी तो ऐसा है कि जो आज प्रधान है पंचायत समिति रामगढ़ का, वह यह कहता है कि बैंक के मैनेजर से यह कह दिया गया कि रुपया जमा नहीं करे । जहां सैकड़ों लोग रुपया जमा करवा रहे हों ४३ आदमी कान

Page No 52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दबा कर चले आये हों ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस यहीं खत्म नहीं हुआ। वे लोग बस में भर कर जयपुर आते हैं और जयपुर मुख्य मंत्री महोदय के घर पर बंगले पर आते हैं और वहां फरियाद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा जुल्म होता है। बैंक का मैनेजर नालायक है, हमें, मेम्बर नहीं बनाता और हमारे मुख्य मंत्रीजी पहले तो उस बैंक के चुनावों को स्थगित कराने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, जो १२ जनवरी मुकरर हो गयी है। इस १२ जनवरी को यह चुनाव किसी तरीके से न हों लेकिन क्योंकि उसमें प्रावधान नहीं है बैंक के बाईलॉज़ जो तैयार नहीं हुए तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखवाई कि इन ४३ आदमियों को मेम्बर बनाया जाये और जो यह तारीख मुकर्रर हुई है चुनाव की, इस तारीख से पहले पहले इन लोगों को मेम्बर बनाया जाय और किन लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है हमारे मुख्य मंत्री महोदय का, अगर आप लिस्ट देखें तो इस तरीके के लोग इन्डीविजुअल मेम्बर्स बनाये गये और हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने सिफारिश की, उनके लिए लड़े, इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर, जो लोग एक्सप्लोइटर्स हैं, जिनका कॉपरेटिव मूवमेन्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने कॉपरेटिव मूवमेन्ट के हमेशा पेट में छुरा भोंका है वे बड़े बड़े आढतिये, बड़े बड़े ब्लेक मार्केटियर्स, अलवर के केडलगंज के बड़े बड़े व्यापारी जिनका कभी किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रहा, उन लोगों को इसमें इन्डि-विज्युअल मेम्बर्स बनाने की हमारे मुख्य मंत्रीजी की तरफ से सिफारिश की गई, कानूनी तरीके से सिफारिश की गई। जो कॉपरेटिव एक्ट वह राइट नहीं देता कि मुख्य मंत्रीजी वहां इस प्रकार से हस्तक्षेप करें, चुनाव में किसी को मेम्बर बनाने के लिये करें, कॉपरेटिव के बुनियादी पॉलिसी के खिलाफ जिसके अन्दर यहां तक किया हुआ है कि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज की सर्वे रिपोर्ट है उसमें यह सिफारिश है कि बैंक्स में इन्डिविजुअल को मेम्बर नहीं बनाया जाय, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय। इसके बावजूद भी हमारे अलवर की बैंक में २५० के करीब इन्डिविजुअल कॉपरेटिव के मेम्बर्स बनाये गये हैं। हमारी बैंक के १२ डाइरेक्टर्स में से ३ इन्डिविजुअल मेम्बर्स डाइरेक्टर्स हैं जब कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के सिर्फ ६ हैं। वहां की बैंक की जनरल बोडी ने यह तय किया कि डाइरेक्टर एक ही रहे तीन में से, उसको मंजूर नहीं किया गया। इसके खिलाफ एक तो ऐसे डाइरेक्टर रहे जो जन्म से मरण तक वही डाइरेक्टर रहे, २० वर्ष तक रहे। जब से बने तो तब से अन्त हुआ तब तक २० वर्ष लगे इसमें और २० वर्षों तक कानून के खिलाफ वही डाइरेक्टर रहे। एक अब भी हैं गणेश-नारायणजी। वे १० वर्ष से हैं, कानून के खिलाफ हैं। लेकिन क्योंकि हमारे नेताजी को वोट लेने हैं, चेयरमैन बनना है और सुखाड़ियाजी को अलवर जिले में यदि अपने पांव जमाने हैं तो उन नेताजी को नाराज़ नहीं कर सकते, वे चाहे किसी भी प्रकार की धांधली करें, गडबडी करें, सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप करके एक मेम्बर के चुनाव में, कॉपरेटिव के चुनाव में यह स्थिति पैदा कर रहे हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि कॉपरेटिव मूवमेन्ट को सफल बना सकेंगे . . . . . .

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a points of orders, Sir इसमें इल्लीगेल्टी क्या है ? आप जो मोटिव इम्यूट कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से इन्टरफियेरेन्स किया जा रहा है। इस बात को नोटिस में लाने के बावजूद भी हमारे कांग्रेस दल के मंत्री को इस प्रकार की बात करने की आदत है

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : आपको आदत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चुप रहें, आपको कोई इन्फोर्मेशन नहीं है······

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : आप चुप रहें, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से कहने का········

श्री रामानन्द अग्रवाल : Sit down.

(कोलाहल)

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा: You sit down.

श्री सभापति :

मैं निवेदन करूंगा कि इतने प्रवोकेशन की आवश्यकता नहीं है। उनकी किसी क्वेरी का जवाब देना आवश्यक है तो दे दीजिये, वरना आगे चलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसी तरह से सीकर और झुंझुनू कापरेटिव बैंक का हाल है। झुंझुनू कापरेटिव बैंक की भी एक दर्दनाक कहानी है। वहां इसी तरह एक शख्स मालीराम को चेयरमैन बनाने के लिये जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, बुनियादी मीटिंग को एडजोर्न किया गया, उसको चुना हुआ घोषित किया गया, रजिस्ट्रार ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया, उसके कागजात बीच में दबा लिये फिर भी वह काम करता रहा, उसको हटा दिया तो नोमिनेट कर दिया। एक शख्स जिसकी कापरेटिव सोसाइटी डिफंक्ट हो गई फिर भी उसको डाइरेक्टर बनाये रखा। यहां तक कि बोर्ड आफ रेवेन्यू तक को बीच में घसीटने की कोशिश की गई। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे कापरेटिव मूवमेन्ट को चलाने की कोशिश की है, उसकी, सभापति महोदय, ये एक दो ही मिसालें नहीं हैं, बल्कि कई हैं। एक तेलघानी की मिसाल आई थी। एक दूसरी और मिसाल आई थी। ये जितनी मिसालें हैं उनका मतलब यह नहीं कि कापरेटिव मूवमेन्ट का तरीका ही गलत हो और लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है जो जिनाइन कापरेटिव्ज हैं, जो लोग जिनाइन तरीके से चलाना चाहते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है और इन तमाम कापरेटिव्ज को एक्सप्लोइटर्स के हाथ में सौंपा जा रहा है, मनी लेंडर्स के हाथ में सौंपा जा रहा है, कांट्रेक्टर्स या निकम्मे लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है जो दूसरों की कमाई खाने वाले हैं और सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इन तमाम इल्लीगेलिटीज को, इन तमाम इर्रेगुलेरिटीज को और इन तमाम एम्बेजलमेन्ट्स को कायम रखना चाहती है और भी सुरक्षित करने के लिये कानून की आड ली जाती है। यदि हमारी सरकार इस कापरेटिव मूवमेंट को चलाती है तो यह एक ऐसे आदमी के हाथ में अच्छा हथियार है जो चलाना नहीं जानता, जो बजाय मदद करने के जितना काम कर रहा है वह सेबोटेज करने का काम कर रहा है और पूंजीपतियों के हित की रक्षा कर रहा है। उनके हित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
की रक्षा करने के बजाय आम जनता के हितों की रक्षा करना आवश्यक है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये एक साथ खड़े हुए)

श्री सभापति : Sombody from Congress side.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : Your name is not these. Shri Ganga Singh, Congress.

(विराम)

श्री गंगासिंह परिहार (हिण्डोली) : **सभापति महोदय, मैं सहकारिता के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।**

सभापति महोदय, सहकारिता विभाग एक नया विभाग नहीं है और मैं समझता हूं कि देश में सहकार की भावना जो है सालों से चली आ रही है । यह बडा ही अच्छा विभाग है । इसके द्वारा हमारे देश में सहकारिता की भावना बहुत ही अच्छी तरह से पनपाई जा सकती है । मैं इस संबंध में जो निवेदन कर रहा था वह यह है कि जिस तरह से हमारे देश में सहकारिता की भावना से पहले जो देहात में काम होते थे वे आप सबके ध्यान में अवश्य होंगे । जैसा कि सब मिल कर अच्छा काम कोई भी सार्वजनिक हित का होता उसको करते । गांव वाले सब मिल कर या व्यक्तिगत तौर पर किसी को हेल्प देने का काम होता था वह मिल जुल कर गांव के आदमी कर देते । जैसे एक मिसाल आप की निगाह में लाऊं । यदि किसी आदमी की मृत्यु ऐसे समय हो जाती है जो फसल बोने का टाइम हो तो गांव वाले सब मिल कर मदद करते थे, सारे गांव के हल ले जाकर हांकना और बीज डालने का काम करते थे । यह हमारे सहकारिता की भावना ही थी । इसी तरह से किसी आदमी के घर में चाहे जीमण होता था या मौसर होता था या शादी होती थी, मोडा देना पडता था तो हम सब गांव वाले मिल कर वहां सहकारिता की भावना के जरिये अनाज पीसने का काम करते थे, चक्कियों के जरिये नहीं बल्कि घर घर में दस सेर या बीस सेर बांट कर घर में तैयार करके पीस करके देते थे और सब मिल कर रसोई बनाते थे । जंगल से रसोई के लिये लकडी लाने का काम पडता था तो सब मिल कर लाते थे और उसके लिये कोई चार्ज नहीं किया जाता था । यह हमारी शुरू से, परम्परा से चली हुई भावना है और इसको हमारी गवर्नमेंट ने आज नये रूप से लागू की है और इसको अधिक पनपाने के लिये एक नया योगदान दिया है । यह हमारे लिये बहुत ही अच्छी चीज है । मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ कमियां हैं लेकिन यह भावना बड़ी अच्छी है । मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें कमियां क्या हैं ? एक तरह से ऊपर से लिखा आता है कि सहकारी समिति किसान और गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिये है । लेकिन, सभापति महोदय, इसमें कानूनी ढंग लगा दिया जाता है अगर, मगर, किन्तु, परन्तु, लेकिन । इन 'अगर, मगर, लेकिन, परन्तु' को सीधे-सादे किसान मजदूर जो अनपढ होते हैं नहीं समझ सकते । कानूनी ढंग ऐसा लगा दिया जाता है कि जिसके द्वारा सहकारी भावना पूरी तरह से नहीं चल सकती ।

(श्री गंगासिंह परिहार)

तो मेरा निवेदन करना यह है, इसको वास्तव में गांवों में पनपाना जरूरी है। इसमें जो सहकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनका भी इस ओर ध्यान दिलाना जरूरी है क्योंकि वहां अनपढ देहाती किसान और गरीब आदमी हैं, वे उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं और कानूनी अड़चनों की वजह से वर्षों तक बीज के लिए, खाद के लिए या कर्ज के लिए जगह जगह टक्कर खाते फिरते हैं। वे सहकारी समितियों में जाकर कागज लिये फिरते हैं, बैंकों में वह जाकर छः छः महीने तक फिरते रहते हैं, फिर जो सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती है, वक्त पर उनको बीज नहीं मिल पाता है और वक्त पर उनको खाद नहीं मिल पाती है और वक्त पर पैसा नहीं मिल पाता है। ऐसी कई सहकारी समितियों के बेचारे कार्यकर्ता हैं जो अध्यक्ष बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन अक्सर वे देहाती अनपढ होते हैं और इंस्पेक्टर साहबान के पीछे पीछे काफी अर्से तक, महीनों तक फिरते रहते हैं। इस संबंध में मैं थोडा निवेदन करूं कि मेरे एरिया में उमर में सहकारी समिति है। करीब तीन साल पहिले जो उसने एक दफा कर्ज लिया था वह वापिस जमा करा दिया। वापिस जमा कराये तीन साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उसके कागज नहीं बन पाये हैं और अब तक उनको कर्ज नहीं मिला है। मेरी अर्ज करना यह है कि वे बेचारे निराश होकर कहते हैं कि हमने जो पैसा शेअर के लिए दिया था वह हमें वापिस दे दिया जाय ताकि हम किसी दूसरे तरीके से अपना धंधा चलायें। वे लोग कर्जे की ख्वाहिश में इधर उधर से पैसा लाते हैं, बल्कि यहां तक होता है कि वक्त पर दूसरों से कर्ज लेकर, ब्याज पर कर्ज लेकर कराते हैं, लेकिन उनको साल भर तक, दो साल, तीन साल तक सहकारी विभाग से कुछ पैसा नहीं मिलता है। जिस कारण उनको दुगुना, तिगुना और चौगुना ब्याज बोहरे को चुकाना पडता है। यह समस्या उनके सामने आती है इसलिए मेरा निवेदन करना इस संबंध में इतना ही है कि आप सहकारी विभाग के द्वारा अधिकारीगण को खास तौर पर इसके लिए पाबन्द करें, उनको हिदायत दें। एक एक पंचायत में दो दो अधिकारीगण होते हुए भी उन सहकारी समितियों का काम पूरा नहीं होता है वर्षों तक, इसका क्या कारण है? इसको मिटाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर जरा तेजी के साथ कार्यवाही की जाय।

अब मेरा जो दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, वह कृषि विभाग के संबधं में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं......

श्री सभापति : माननीय श्री गंगासिहजी, आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसमें लगभग ग्यारह माननीय सदस्यों के नाम हैं, उसके अनुपात में आपके हिस्से में पांच मिनट का समय आता है।

श्री गंगासिह परिहार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह पहला ही मौका है विधान सभा में आने के बाद बोलने का। इसलिए मुझे बोलने के लिए टाइम दिया जाय जिससे मैं अपनी भावनाओं को रख सकूं।

सभापति महोदय, अब मैं कृषि विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री गंगासिंह परिहार)
एक तरफ तो बताया जाता है कि किसानों को रियायत पहुंचाई जाय, अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए इनको आगाह किया जाय और दूसरी तरफ जो फेसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए वे नहीं मिलती हैं। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए तैयार किया जाता है, वे वास्तव में अधिक अन्न पैदा करते हैं और अधिक जमीन भी वे तैयार करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से आज देश की रक्षा के लिए, नेफा और लद्दाख की सीमा की रक्षा के लिए हमें फौज की जरूरत है, जवानों की जरूरत है जो कि देश की रक्षा कर सकें, इसी तरह, सभापति महोदय, हमें किसानों को जरूरत है कि हम अपने खेतों की रक्षा कर सकें, अपने धान की रक्षा कर सकें जिससे कि हमारे देश को फायदा मिल सके। उसके लिए हम किसानों को जरूरत है उस खेत की बाड करने की। बाड कहते हैं खेत की बाड करने को। जिस तरह देश की सीमाओं की बाड कर रहे हैं नेफा और लद्दाख में फौजें, उसी तरह काश्तकार को जरूरत है अपने खेत की रक्षा करने वाली बाड की। उसके लिए मेरा अर्ज करना यह है कि वन विभाग की मांग पर मेरे कट मोशन थे, लेकिन उस वक्त मुझे समय नहीं मिला—इसलिए अब मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम किसानों को खेत की बाड करने के लिए धुंआले नहीं मिलते हैं। अगर धुंआले की मांग करते हैं तो पच्चीस तीस मील दूर बताया जाता है कि वहां से ला सकते हो। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे एरिया के हजारों आदमी नेफा-लद्दाख में मौजूद हैं और उनके बूढ़े मां-बाप, और बीबी-बच्चे यहां मौजूद हैं। उनको बैलों को चराने के लिए रिजका बोने की बहुत जरूरत हो जाती है। किसी तरह वे रिजका बोते हैं। उनके बाल-बच्चे और औरतें वहां मौजूद हैं, उनको तीस चालीस मील से धुंआले बाड करने के लिए लाना पडता है और घर पर रोटी सेंकने के लिए बलीते के लिए उनको तीस चालीस मील से लकडी लानी पडती है। तो यह किस तरह से काम चलेगा, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि फौज के आदमियों के परिवारों के लिए सरकार काफी सुभीता देगी। जरूरी बात है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम चलाती है, और स्कीम बना कर गांवों में भेजती है लेकिन स्कीमें कागजों में ही रह जाती हैं। हमारे जो अधिकारीगण हैं, स्थानीय अधिकारीगण हैं, वे इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि हमारे देश के लिए अपने प्राण देने के लिए जो आदमी नेफा और लद्दाख में मौजूद हैं, क्या उनके बच्चों को सही तरह से इलाज मिलता है, क्या सही तरीके से उनकी पढाई का इन्तजाम होता है? वे यह नही देखते कि उनके बीबी-बच्चों का इलाज सही तरीके से होता है या नही? आप देखिये कि जो लोग नेफा-लद्दाख में हैं, उनके बच्चे बिना इलाज के मर जाते हैं क्योंकि वक्त पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। मैं आपसे यहां तक अर्ज करूं कि डाक्टर साहब के पास खबर पहुंच जाती है कि फलां सूबेदार, फलां जमादार, सिपाही का बच्चा सख्त बीमार है, और वह घर पर मौजूद नहीं है इसलिए आप जाकर सम्भाल लें लेकिन लापरवाही कर जाते हैं और समय

Page No 57

(श्री गंगासिंह परिहार)
पर नहीं पहुंचते इस कारण वे मौत के घाट उतर जाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे जो जरूरी अर्ज करना है, थोडा सा अर्ज कर लूं, कह लूं। मेरा बोलने का यह पहला मौका है, इसलिए महरबानी करके दस मिनट और बढा दें । मेरा अर्ज करना यह है कि मेरी प्रार्थना को मेरे साथी भी मानेंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था, सभापति महोदय, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं आपसे निवेदन करूं कि कम से कम जो स्थानीय जंगल जहां हैं, जैसा मैंने अर्ज किया, जैसा खेती के लिए अर्ज कर दिया कि हमें अधिक अन्न उपजाना है, अधिक पैदावार करनी है, लेकिन उसके लिए हमें सहायता की जरूरत है, इसलिए जहां जंगल मौजूद हैं, जहां पर चारों तरफ जंगल मौजूद हैं, वहां उन लोगों, जिनके परिवार के लोग नेफा और लद्दाख में गये हैं, उस एरिया में से, जहां कि जंगल हैं, जलाने की लकडी और खेत की बाड़ के लिए धुंआले लाने देने चाहिए। जैसे मैं आपको अर्ज करूं कि पगार, उमर, देवली-टोंक-भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट की सरहदी जगह है, वहां जंगल मौजूद हैं—वहां के लोगों को वह जमीन बताई जाती है जो पच्चीस तीस मील दूर है वे वहां जाकर लायें तो उनके सामने बहुत मुसीबत और कठिनाई आती है । इसलिए मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह हमें बताया जाता है कि "अधिक अन्न उपजाओ", तो उसके लिए हमें यह सुविधा गवर्नमेंट को देनी चाहिए । यह जरूरी बात है ।

अभी इन दिनों में मैं गांव में गया, मैंने देखा कि इस बजट की खबर सब जगह पहुंच गई है और बजट में करों को देख कर वे हैरान हैं । मैं महसूस करता हूं कि किसान इस चीज को महसूस करते हैं कि हमें अधिक अन्न उपजाना है, अधिक पैदावार करनी है, लेकिन दूसरी तरफ करों की भरमार होती जा रही है । इसलिए मैं आपके द्वारा विशेष अर्ज न करके यह कहना चाहता हूं कि किसान और गरीबों के ऊपर अधिक करों की भरमार न करते हुए जिस तरह हम अपने देश को आगे बढाना चाहते हैं और हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं, और राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं तो यह जरूरी बात है कि उन करों के ऊपर अवश्य विचार किया जाय । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो करों की भरमार की है, उस पर गरीब लोगों के दुःख दर्द को मद्देनजर रखते हुए विचार करेंगे । मैं इतना ही अर्ज करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सैद्धान्तिक मुद्दे उठाये । यह बात सही है कि सहकारिता के आधार पर हम इकानामी को ही सेण्ट्रेलाइज कर सकते हैं । इन्डस्ट्रीज को डिसेन्ट्रेलाइज कर सकते हैं सरकार से किसानों को, मजदूरों को और छोटे मोटे धंधे करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से सहायता मिले इस सहायता को भी सहकारिता के आधार पर नियमबद्ध कर सकते हैं। यह सही भी है कि सरकार ने इस संबंध में कानून बनाये । सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह)

इन कानूनों को लागू भी किया । सहकारी समितियों का निर्माण किया और उनको काफी कर्जा भी दिया । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने यह सब कुछ करने के बाद इस बात की जानकारी करने का कष्ट नहीं किया कि हमने जो इस संबंध में प्राप्ति की है उसका आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ा है । यदि इस संबंध की जानकारी करते और जांच करते तो ऐसा मालूम पड़ता कि जिस मिशन को लेकर हमने सहकारिता का आन्दोलन शुरू किया उस मिशन से कहीं दूर जाने की हम चेष्टा कर रहे हैं । यदि संक्षेप में यह कहा जावे कि आज की सहकारिता का आन्दोलन सरकार के हिसाब से एक आंकडों का आन्दोलन है तो अनुचित नहीं होगा । यह कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतनी सहकारी समितियां हमने खोली हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इतनी खोली हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इतनी सहकारी समितियां हमें खोलनी हैं । यह हमारा फेस प्रोग्राम है । इसकी सफलता या असफलता का उल्लेख मैं नहीं करूंगा । सरकार शायद यह कहेगी कि जो संख्या हमने निर्धारित की थी उससे कहीं अधिक समितियों का निर्माण कराया है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि केवल समितियों के बनाने का ही आधार सहकारिता की सफलता का सूचक नहीं है ।

दूसरी बात सफलता की सूचक यह है कि जिस मिशन को लेकर हमने उनको खोली है उसका क्या प्रभाव जनता पर पड़ा है? एग्रीकल्चर पर, इन्डस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और दूसरी इंडस्ट्रीज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? बाहर गांवों में हम जाकर देखे, कई समितियां बनी हैं । छोटे मोटे धंधों के नाम से चालू हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन देखें तो उनमें एक बोर्ड हमको मिलता है । जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है । उसके द्वारा क्या क्या उत्पादन हुआ, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल हुआ, इसका पता नहीं लगता । उत्पादन हुआ भी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं कर पाते । हम चीजों के लिए, खेती के लिये, एग्रीकल्चरल इंम्पलीमेंट्स के लिये, कूओं के लिये जितनी सहायता देते हैं, आज मैं यह कह सकता हूं और यह समझता हूं कि सहकारी विभाग इस स्थिति में नहीं है कि हमने इतने कुए खुदवाये, इतना अन्य काम कराया था । चीजों के लिये इतना धन दिया और उस कारण से अच्छा बीज आया और उसके कारण प्रति एकड़ हमारे यहां इतनी पैदावार बढी । एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिये इतना ऋण दिया और इतने इंम्पलीमेंट खरीदे गये । आज आप बाहर जाकर सुनें तो आपको लोग यही कहते हुए मिलेंगे कि सहकारी समितियां बना दी जावें । इनका रजिस्ट्रेशन करा लिया जावे और फिर जितना धन प्राप्त करना हो कर लिया जावे । तो सहकारिता का अर्थ, लोगों को रुपया कर्ज में मिले, यही है । तो मैं समझता हूं कि सरकार ने लाखों रुपये देकर बहुत काम किया है लेकिन उसके साथ साथ हमने कन्डीशन्स लेड डाउन की हैं । हम जिस कन्डीशन पर रुपया दे रहे हैं उसका उपयोग होता है या नहीं, यह देखने की बात है । पंचायत समितियों की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और कॉपरेटिव विभाग की तरफ से भी कर्जा मिलता है लेकिन हम देखते हैं कि कुओं के नम्बर नहीं बढ़े हैं । नये कुओं

Page No 59

(श्री भैरोंसिंह)

का निर्माण नहीं होता। कितना ही औजारों के लिये एग्रीकल्चर विभाग से धन दिया गया है मगर आज हम देखते हैं कि उतने इंम्पलीमेंट हमको खेतों में देखने को नहीं मिलते जितने हमको मिलने चाहिए। इसका असर यह हुआ है कि इतना खर्चा करने पर भी हम अपने यहां प्रति-एकड़ पैदावार नहीं बढा पाये हैं।

प्रश्न यह है कि यह रुपया कहां जाता है? लोग कहते हैं कि इसमें करप्शन है कॉपरेटिव विभाग में करप्शन बढा है और उसकी सीमा यहां तक बढ गई है कि अब तो उसमें करप्शन के साथ राजनीति भी घुस गई है। इसलिये कॉपरेटिव का मूवमेंट तो अपने आपसे समाप्त हो गया। राजस्थान में जो फिगर्स दिये गये हैं उनमें से कई कॉपरेटिव सोसायटियां जो १९४८-४९ में बनी थी वे लिक्विडेशन में आ रही हैं। उनमें हजारों रुपयों के एसेट्स समितियों के जिम्मेदार व्यक्ति हजम कर गये। सरकार जिस समय इसके लिये उत्तर देगी तो यह कहेगी कि माधोपुर और कोटली आदि को भी लिक्विडेशन में ले ली गई है और जो रुपया वसूल होगा उसको शेअर होल्डर्स में बांट दिया जावेगा। लेकिन आज शेयर होल्डर्स के नाम पर एक पैसा नहीं मिलेगा। एक नहीं बहुत सी सहकारी समितियां हैं जिनके नाम मेरे पास लिखे हैं। उनका लिक्विडेशन इसलिए नहीं हुआ कि उस सोसायटी के सदस्यों ने उसमें दिलचस्पी नहीं रखी या उन्होंने कानून के खिलाफ कोई कार्य किया हो। लिक्विडेशन ज्यादातर इस पर हुए हैं कि मैनेजिंग एजेंट ने उन्होंने रुपयों को हजम किया है और जब बाकी के लोगों ने मांग की तो उन्होंने उसको बन्द करने के लिये लिक्विडेशन की कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकते। जब कोई कहते हैं तो सरकार कहती है कि लिक्विडेशन का काम है। जैसा वह चाहेगा अन्तिम निर्णय देगा। मैं यह कहूंगा, सभापति महोदय, कि कॉपरेटिव के दो वर्ग बन जायं। एक तो जो शेयर होल्डर्स हैं जो ईमानदारी से व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं और एक वे जो मैनेज करने वाले हैं। मैनेजर और एक्च्युल शेयर होल्डर्स में जमीन आसमान का अन्तर होता है। कुछ लोग जो चालाक होते हैं और होशियार होते हैं वे मैनेजमेंट में घुस जाते हैं और लोन प्राप्त करते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किसानों को वितरण आदि करने में काफी दिक्कत आती है। इसलिये वे इंटेलिजेंट लोग वर्कर्स की सोसाइटी में घुसते हैं और वहां पर वह उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि १०, १५ गिनती की इस प्रकार की वे सोसायटीज बतावें जिनको हम आधुनिक और आदर्श सोसायटीज कह कर उनका अनुकरण कर सकते हों। लेकिन इस प्रकार की समितियां नहीं मिलेंगी। नहीं मिलने का कारण यह है कि हमने इन पर कन्ट्रोल नहीं रखा। कहा जा सकता है कि ये इन्फेन्सी में थीं, बचपन में उन पर ज्यादा कन्ट्रोल रखते हैं तो वे पनप नहीं सकतीं। लेकिन मेरी मान्यता इसके विपरीत है, बचपन में ही यदि बच्चे को सुधारा जाय तो वह नहीं बिगडेगा, उस पर कन्ट्रोल रखा जाय तो वह नहीं बिगडेगा, कन्ट्रोल नहीं रखा गया तो वह बिगड जायगा। लेकिन सरकार ने इन समितियों को इन्फेन्ट स्टेज

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्दर ही बिगाड दिया । अब इनको सुधारने के लिये जब तक सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया जाता तब तक इनको सुधारा नहीं जा सकता । सख्त कदम उठाने के बजाय देखा यह जाता है कि इस तरह की गडबडियां करते हैं उन पर महरबानियां की जाती हैं, सरकार की तरफ से महरबानी के पात्र बनने का उनको अवसर मिलता है । इस तरह का उदाहरण मैं आपके सामने रखूं ।

गंगानगर सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव हुए । चुनाव के नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि डायरेक्टर में से कोई व्यक्ति ६ साल से ज्यादा डायरेक्टर बनने की चेष्टा करता है तो राजस्थान सरकार की अनुमति लेनी पडती है । १८ तारीख को चनाव होने वाले थे, १७ तारीख तक हमारी सरकार ने अनुमति नहीं दी । एक महानुभाव जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वे ६ साल से इसके डायरेक्टर रहते आये हैं, उन्होंने परमिशन मांगी, १७ तारीख तक परमिशन नहीं दी, इस कारण नहीं दी कि इस बैंक का ऑडिट हुआ तो १७,००० रु० का गबन पाया गया, इन्होंने फर्जी अकाउण्ट्स मेन्टेन किये, गल्ले का क्रय-विक्रय किया, जिनसे खरीदा उनके नाम झूठे, जिनको बेचा, उनके नाम झूठे, जिनको लोन दिया गया, जिनको बेचा गया सबके नाम झूठे । इस तरह उसमें १,२२,०००) रु० के घोटाले का ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख है । सरकार ने पहले तो कहा कि चुनाव लडने की इजाजत नहीं देंगे । उसके बाद चुनाव से एक दिन पहले, अदीतवार के दिन, मुख्य मंत्रीजी बांसवाडा चले गये थे । वहां से उन्होंने डायरेक्टर को तार देकर इजाजत देने के लिये कहा और इस प्रकार चुनाव लडने की उनको इजाजत दी गई । मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप करप्शन को कम करना चाहते हैं, या इस तरह करप्शन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । अगर प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो यह कानून बना दें कि करप्शन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकेगा । फिर आप इसलिये एक आदमी को पर्मिशन दे दें कि पार्टी का सदस्य है तो कह दीजिये कि पार्टी के सदस्य किसी प्रकार का करप्शन करते हैं तो उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा ।

वहां चुनाव होने लगे तो लोगों ने वाक आउट कर दिया । वाक आउट इसलिये किया कि ऐसे करप्ट आदमी के सामने लडने में अपनी इंन्सल्ट समझते थे, कोई आदमी मुकावला ही करे तो वडे आदमी का करे, तो आनन्द आता है पर जिसके खिलाफ ऐसे एलिगेशन्स हो जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता, उसके मुकाबले में लडना नहीं चाहते थे, वे वाक आउट कर गये और चुनाव नहीं हुआ ।

ऐसी ही एक और नजीर रखूं कि सरकार किस प्रकार दस्तन्दाजी कर रही है । भीलवाडा की चर्म उत्पादक-सहकारी समिति है । चमडा खरीदने, रंगने के लिये चमारों की सोसायटी बनाई गई । लोन लिया गया, काम करने वाले हैड लोन लेकर चले गये । जिन चमारों के नाम से पैसा दिया था, उनके नाम डिमाण्ड स्लिप्स इश्यू हुई तो उनको पता चला कि हमारे नाम डिमाण्ड स्लिप्स आ गई हैं तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी एक पैसा भी नहीं लिया । उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

कोई सुनवाई नहीं, केवल इनकी सुनवाई ही नहीं हुई हो, यही बात नहीं; उधर जो शख्स ५,०००) रु० लेकर भाग गया जो १० महीनों से गायब है, उसके खिलाफ हमारी सरकार मुकदमा रजिस्टर नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि वे मुख्य मंत्रीजी के जो राजनैतिक गुरु हैं उनके दामाद हैं। इस तरह से यदि, जो नेता और नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी नजीर जनता सामने रख कर कहेगी कि इन्होंने किया और इनका कुछ नहीं बिगडा तो हम भी क्यों नहीं करें।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को लेकर, इन्फेन्ट स्टेज में मैं कर्व करने के लिये नहीं कहता पर इन्फेन्सी में सुधार लाने की कोशिश करें। इस बारे में नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छा कमीशन बैठा कर कोऑपरेटिव का किस पर क्या इफेक्ट पडा है, इसकी जांच करें। कितनी शिकायतें हुई, क्या कार्यवाही हुई, इस सबकी जानकारी दें तो सदन को मालूम रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं?

एमर्जेन्सी के बाद बकाया वसूली के बारे में हमारी सरकार ने व्यवस्था की, सारे अधिकारियों को आदेश दिये कि बकाया वसूल की जाय। मैं यह नहीं कहता कि बकाया वसूल नहीं की जाय या बकाया वसूल करने में ढिलाई बरतनी चाहिए पर किसानों की हालत देखें तो पता चलेगा कि उनकी क्या हालत है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस बकाया वसूली के साथ साथ मनी लैंडिंग करने वाले मनी लेंडर्स ने अपना मूवमेंट चालू कर दिया हैं। किसान के पास पैसा नहीं है वह कोऑपरेटिव सोसायटीज का बकाया पैसा मनी-लैंडर्स से कर्ज लेकर जमा कराता है और उसके एवज में मनी लैंडर्स को वापिस जमा कराता है सोसायटीज से लोन लेकर। जिसको खर्च करने की जरूरत नहीं है, इन्सान की आदत है कि मेरी जेब में ५ रुपये हैं तो ५ खर्च करूंगा और ५०० रु० किसी ने मेरी जेब में रख दिये तो मैं ५०० खर्च करूंगा। किसान मितव्ययी हो रहा था पर उसको रुपया दे दिया, मैं यह नहीं कहता कि उसका अपव्यय हुआ, या जिस काम में उसे लगाना चाहिये था उसमें नहीं लगाया गया, अधिकांश जिन मदों में खर्च करना चाहिए, उसमें खर्च नहीं किया, पर जिस समय वसूली होती है और किसान अपने बैल बेचता है, अपनी खडी फसल बेचता है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान के पास पैसा नहीं है, या उसकी जरूरत को आंकने में दोष है, या वसूली में सख्ती का दोष है इन तीनों चीजों को इन्वेस्टिगेट करके निर्णय की ओर बढेंगे कि किसान को पैसा देते हैं तो वह फिजूल खर्ची से बचे, मनी लैंडर्स से बचे और इसका उत्पादन पर अच्छा असर पडे। मैं कोऑपरेटिव सोसायटीज के लिये यही कहना चाहूंगा।

जहां तक एग्रीकलचर डिपार्टमेंट का सवाल है ७० प्रतिशत लोग हमारे यहां राजस्थान में काश्तकार हैं, ३ फी सदी लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर की डेफिनेशन में आते हैं, और इस तरह ७३ फी सदी राजस्थान में ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करते हैं। तो राजस्थान जैसा कृषि प्रधान प्रदेश, जिसकी सारी इकोनोमी कृषि पर बेस करती हैं, उस राजस्थान के

(श्री भैरोंसिंह)

खर्च को देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिये २३६ करोड रु० रखा गया और कोर ग्रॉफ दी प्लान में २०८ करोड रु० रखा गया। इसमें कहां कहां कटौती हुई, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। एग्रीकल्चर पर १०.६५ लेक्स ओरीजिनल प्रोवीजन था, कोर ग्रॉफ प्लान में कट कर के ७.४४ कर दिये और इस तरह कट करके ३ करोड की कमी कर दी। यदि सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान के पूरे आंकडे को देखें कि १.४७ लैक्स दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च किया उससे कम तीसरी योजना में खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा राजस्थान जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसकी कृषि पर आप पूरी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का एग्रीकल्चर के बारे में उदासीन रवैया है। एग्रीकल्चर ईल्ड के बारे में सरकार कहती है कि नई जमीन जोती गई; कहीं फैलो लैंड्स थी, जिनमें बंजर जमीन थी, उनमें अच्छा उत्पादन नहीं हो सका, पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां पहले सिंचाई होती थी, उस समय जितना उत्पादन होता था उसी जगह आपके फर्टीलाइजर देने के बाद, तकावी देने के बाद, नये नये एग्रीकल्चरल इम्पली-मेंट्स देने के बाद पर एकड ईल्ड घटी है, क्या आपने इसकी जांच करवाई है कि पहले से पर एकड एवरेज कितना गिरा है? आप तो एवरेज लेते हैं कि इतनी जमीन काश्त हुई, इतनी पैदावार हुई, उसका भाग लगा दिया और पर एकड ईल्ड निकाल ली, यह गलत मेथड है, पर एकड ईल्ड निकालने का गलत तरीका है। पहले जिन जमीनों में खेती करते थे, उनमें उन्नति होने पर भी पर एकड ईल्ड गिरा है तो क्या कारण हैं? राजस्थान की इस गिरावट के सम्बंध में जांच करना चाहेंगे तो पता चलेगा कि पहले जितनी ईल्ड होती थी उतनी आज नहीं होती।

(२य.प.)

और इसका सबसे मोटा कारण यह है कि हमारी सरकार किसानों के दिमाग में इस प्रकार की अनिश्चितताएं पैदा करना चाहती है। सरकार के मंत्री और सरकार की नीतियां समाजवाद की हैं। वे समाजवाद की व्याख्या करते हैं और समाजवाद की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग किया जाय। उसका प्रचार बहुत किया जाता है। यह बात सही है कि किसानों ने इसको स्वीकार नहीं किया और वह इस बात का प्रमाण है कि जहां बाकी की कोआॅप-रेटिव सोसाइटीज का नम्बर बढा है वहां एग्रीकल्चर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज का नम्बर नहीं बढा है। सरकार इनीशियेटिव लेकर प्रोडक्शन बढाना चाहती है, सरकार दूसरी ओर कोआॅपरेटिव फार्मिंग के नाम पर नारा लगा कर अनिश्चितता किसान के दिमाग में पैदा करती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा और सरकारी पक्ष के सदस्य हैं उनमें अधिकांश सदस्य किसान हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई बोल कर यह कह दे कि सहकारी खेती है और मैं उसका हिस्सेदार हूं। कोई नहीं कह सकता। इसका प्रमाण है कि राजस्थान की जनता कोआॅपरेटिव फार्मिंग में विश्वास नहीं करती, सहकारी खेती में विश्वास नहीं करती और राजस्थान सरकार दूसरी ओर उसके लिए पैसा खर्च करती है। यदि सरकार ने किसी के दिमाग में जो सहकारी खेती को एक अनिश्चितता पैदा करती है उसको दूर किया तो किसान

Page No 63

(श्री भैरोंसिंह)

को मालूम हो जावेगा कि जिस खेत में खेती खेती करता है वह उसका हक जिस खेत म वह इम्प्रूवमेंट करता है उसके रिटर्न का व पूरी तरह से मालिक है, तो वह अपना खुद का इनिशियेटिव लेकर खर्चा करेगा, उससे उत्पादन किस प्रकार बढ सकता है उसको बढाने की चेष्टा करेगा। बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहां यह मानते हुए भी समाजवाद का नारा लगा दिया। सहकारी खेती का प्रचार करें और किसान के दिमाग में अनिश्चितता के भाव पैदा करें यह दो प्रक्रिया लेकर चल रहे हैं उससे निश्चित उत्पादन कर फर्क पडता है।

अन्त में मैं एक पोइन्ट पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह है पशुपालना सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी रूरल पापूलेशन का एक मुख्य धन्धा है। इस धन्धे में सरकार ने कुछ काम किये हैं, कुछ दवाइयों का आविष्कार किया है, कुछ बीमारियों की रोकथाम की चेष्टा की है। वे कुछ काम किये हैं। यदि जानवरों की संख्या के अनुपात से हिसाब लगाया जाय तो जिस प्रकार से जानवरों की संख्या पिछले वर्षों में बढती आयी है उस प्रकार जानवरों की संख्या नहीं बढ रही है। उनकी प्रोडक्शन संख्या में कमी आयी है। आप यह कहेंगे कि बिमारियों की रोकथाम के कारण उनकी जिन्दगी का समय था उसको बढाया। यदि आप सारे वर्षों के आंकडे लें, जिस पर्सन्टेज से जानवरों की संख्या बढनी चाहिये थी उस पर्सन्टेज से जानवरों की संख्या नहीं बढ रही है। यदि आप यह कहें कि यह सही नहीं तो इसका कारण यह हो सकता है निकासी जरूरत से ज्यादा हो गई हो या उनकी पैदावार कम हुई हो। इसके अलावा तो हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि दोनों चीजें हुई हैं। जानवरों की पैदावार न बढने का कारण एक यह भी है कि आपने जानवरों कि चराई के लिए व्यवस्था नहीं की है, जानवर भूखे रहते हैं, चराई पूरी न होने के कारण उनमें बीमारियां पैदा होती हैं और इस कारण उनकी प्रजनन शक्ति धीरे-धीरे समाप्त होती है वर्षा तक दूध देने की स्थिति में नहीं आते हैं और बच्चे देने की स्थिति में नहीं आते हैं। ये धीरे २ मरते हैं। मालिक का भी उनसे मोह छूट जाता है और वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, परेशानी पैदा हो जाती है। मैं सरकार से कहूंगा कि पशु-पालन का कोई बडा काम करना है तो जानवरों की चराई की व्यवस्था करनी चाहिये। यह नहीं किया तो कितनी ही दवाइयां लगायें, हॉस्पिटल लगायें, भूखे जानवरों पर दवाई भी असर नहीं कर सकती है, उससे लाभ कमाना चाहें तो लाभ नहीं मिल सकता है। आपके दो डाइरेक्टर हैं दोनों विभाग के एक एनिमल हस्बेन्डरी और दूसरा एग्रीकल्चर। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये दोनों टेम्पोरेरी हैं। सरकार इस बात का निर्णय करे कि या तो उनको मुस्तकिल करना है तो उनको मुस्तकिल कर दे, टेम्पोरेरी रखना है तो कितने दिन के लिए, बाहर से बुला कर किसी को लाना है तो बुला कर ले आवे। लेकिन सरकार ओफिशयेटिंग बेसिस पर रखती है उससे निश्चय ही ओफिसर्स में एक प्रकार असंतोष होता है उस कारण जो आउट पुट होना चाहिये वह नहीं हो पाता। सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पोस्ट पर मुस्तकिल करना चाहें, करें। जिसको, वर्षों तक अनिश्चित बना कर चलेंगे तो उनके विभाग में अनिश्चितता पैदा होगी और जो आउट पुट होना चाहिये वह नहीं होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

एनीमिल हस्बेन्डरी का मैंने बजट देखा। १५ लाख रुपयों की आमदनी होनी चाहिये थी वह इसलिए नहीं हुई कि सांचोर और करोली में मेले नहीं भरवा सके। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो मेले वर्षो से भरते आये हैं उनको न भरवाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्यों नहीं ये मेले भरवाये जा सके और आगे जाकर लिखते हैं कि मेले में गधे का प्रवेश रोक दिया। क्या कारण था और ऐसी कौनसी साइन्टिफिक बात थी कि जिस कारण से मेले में गधे नहीं जाने दिये गये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : गधे आ सकते थे। रोक नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : वह मुझे नहीं मालूम, आप जाकर आये हों तो। किताब में लिखा है। "Non admission of donkeys"

('गलत है' इस प्रकार की आवाज)

सरकार के आदमी हैं। सरकार गलत बताये तो आप जाने।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बीमारी के कारण से रोका था।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): डरते तो हैं बोलने वालों से।

श्री भैरोंसिंह : सरकार एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेन्डरी के जितने आइटम्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेले भरवाने की आवयकता हो तो मेले भरवायें, मेलों में किन्हीं मवेशियों से ज्यादा आमदनी हो सकती है तो उनको छूट दें। मैं ऐसा समझता हूं कि छूट नहीं दी गई।

एक खास पोइण्ट मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे गांवों में नस्ल सुधारें। आपने काफी नस्ल सुधार के लिए योजनाएं रखी हैं काफी पैसा भी खर्च करते हैं। नौहर के और बस्सी फार्म के बुल्स लाकर भी करते हैं। यदि गांवों में भ्रमण करें तो उनको मालूम होगा कि पशु सुधार में सबसे बडी बाधा अच्छे बुल्स न मिलने की है। सरकार एक साथ रुपया खर्च करके इसकी व्यवस्था करे जिससे गांवों में अच्छे से अच्छे बुल्स पहुंच जायं। डिमोस्ट्रेटिव सेन्टर खोलना चाहें उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी में इतना अमाउण्ट है एक साल में जयपुर डिस्ट्रिक्ट ले लें, दूसरे साल में नागोर डिस्ट्रिक्ट ले लें, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लें। एक डिस्ट्रिक्ट में बुल्स दे दिये जायं जिनसे नस्ल सुधार हो। एक पायलेट प्रोग्राम बने तो उम्मीद हो सकती है कि नस्ल सुधार में हमारी सरकार कुछ न कुछ करना चाहती है।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि एनीमल हस्बेन्डरी के लिए अधिक होस्पिटल नहीं खोल सकते तो सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डिस्पेन्सरी रखें, जिस गांव में बीमारी की सूचना मिले वहां वह चली जायं, उपचार करे जिससे वह बीमारी दूर हो सके। इसके बाद सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सीड के लिए सीड मल्टीप्लीकेशन फोर्म बहुत कम खोल रखे हैं। सीड अच्छा नहीं मिलता है यह मानी हुई बात है। होना

(श्री भैरोंसिह)

तो यह चाहिये कि एक पंचायत में एक सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म खुले, उनका साइन्टिफिक ग्रन्वेषण करें और क्षेत्र के लोगों को आगाह करें। अमुक प्रकार का बीज हम दे सकते हैं, अमुक प्रकार की भूमि दे सकते हैं लेकिन सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। जहां तक मैं समझता हूं होता यह है कि बीज आज समय पर इकट्ठा नहीं होता है, फसल खडी हुई है, एग्रीकल्चर अधिकारी जाकर उसको चुन लें यह कार्यवाही नहीं करते हैं लेकिन कह देते हैं कोई कि मेरा बीज अच्छा है उसको पोलिटिकल बेसिस पर खरीद लेते हैं चाहे उससे उत्पादन गिरता भी हो। पहले फार्मस की व्यवस्था करे। नहीं तो फसल खडी है बीज का सिलेक्शन किया जाय, उसकी खरीद की जाय और उस बीज को प्रिजर्व करके बांटा जाय। यदि आज की तरह हैंथ हैजर्डवे में बाटेंगे तो बीज की कमी की समस्या पूरी हो सकती है लेकिन अच्छा बीज मिले उसकी पूर्ति नहीं हो सकती यही बात मैं कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कृषि समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये धन का प्रोडक्शन होना जरूरी है और उसी से समाजवादी समाज की रचना हो सकती है। धन का प्रोडक्शन होता है, तीन तरीके से होता है– सहकारिता के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर और पब्लिक सेक्टर के आधार पर। मैं अगर यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थिति के जहां तक सुधारने का सवाल है वे हैं पशुपालन, कृषि, फोरेस्ट्री, माइनिंग और इन्डस्ट्रीज। इन्डस्ट्रीज द्वारा जो कुछ कच्चा माल मिलता है उसको पक्का बनाते हैं इसके अन्दर केपीटल लेबर इन्वेस्ट करके धन पैदा करते हैं। खेती, पशुपालन, जंगलात और माइनिंग ये चार ऐसी चीजे हैं इनके अन्दर भी आप निश्चित रूप से पशुपालन और खेती का जहां तक सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं। राजस्थान के अन्दर जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा ७० प्रतिशत काश्तकार हैं जो अपना जीवन खेती पर चलाते हैं। लेकिन मेरे पास जो आंकडे हैं उससे मैं यह प्रमाणित करूंगा कि ९० प्रतिशत व्यक्ति कृषि और पशुपालन पर अपनी आजीविका चलाते हैं आप सरकारी आंकडों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का ध्यान इन्डस्ट्रीज की तरफ नहीं है, खेती पर ज्यादा है। मैं आपका ध्यान उन आंकडों की तरफ दिलाऊंगा। पिछले साल जनता का आर्थिक दृष्टिकोण जमीन और एग्रीकल्चर पर हुआ है वे आंकडे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् १९५१ से ६१ तक इन दस सालों में जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार जो कुल आदमी खेती पर निर्भर करते थे १९५१ में उनकी संख्या थी ५१,७०,००० और दस साल के बाद उसी रिपोर्ट के अनुसार जो खेती पर निर्भर करने वाले आदमी हैं उनकी संख्या ७०,५५,००० है। टोटल पोपुलेशन राजस्थान की है २ करोड। उसमें से नोन एग्रीकल्चर पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या १.५ है और खेती पर निर्भर करने वाली और वर्किंग क्लॉस है उनकी संख्या ९५ लाख है। नोन वर्किंग क्लास की जो संख्या है, उसमें बच्चे महिलायें आदि सब सम्मिलित हैं। ९५ लाख आदमी ऐसे

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हैं जो निर्भर करते हैं खेती पर या प्रोडक्शन करते हैं। इन ९५ लाख में से ७०.५५ आदमी खेती पर निर्भर करते हैं। मेरे दोस्त भी इस बात को मन्जूर करेंगे एग्रीकल्चर लेबर था १९५१ में ५,९६,००० और सन् १९६१ में एग्रीकल्चरल लेबर की संख्या थी ३,९४,००० जब कि प्रांत की पोपूलेशन बढ रही है, एग्रीकल्चरल लेबर कम होता जा रहा है। माईनिंग, क्वेरीज, लाइवस्टोक ओर्चार्डिस आदि में जो लोग थे उनकी संख्या १,९७,००० और १९६१ में १,९१,००० हो गई। इसमें कमी हुई है।

मेन्युफैक्चरिंग	६.४०	
	१.७६	इसमें भी कमती हुआ है।
ट्रेड एन्ड कामर्स	३.५५	
	२.८०	इसमें भी कमती हुआ है।
अण्डर सर्विसेज	७.७५	
	६.७९	

इस रिपोर्ट के आधार पर एग्रीकल्चर के अलावा जिस क्षेत्र में काम करते थे उनकी संख्या २५ लाख ७२ हजार थी। एग्रीकल्चर छोड कर जो अन्य काम के लिये गये उसमे कन्स्ट्रक्शन वर्क १,६२,००० और १९६२ में १,९०,००० ।

ट्रांसपोर्ट	०.६३
	१.१८
हाउस होल्ड	५.९८

इस तरह से इन आंकडों को हम देखते है तो उससे स्पष्ट है कि राजस्थान के अन्दर लोग इकोनोमिकली किधर जा रहे हैं? यहां भूमि जो कृषि योग्य है वह कम है, उसके आधार पर तो इनको इन्डस्ट्रीज की तरफ जाना चाहिये जो नहीं गये हैं; एग्रीकल्चर लैंड पर ज्यादा भार पडा है। इस दृष्टिकोण से जब हम दूसरे राज्यों को देखते हैं तो इंडस्ट्रीज के अन्दर लोग आगे बढे हैं वहां इन्डस्ट्रीज में ज्यादा लोगों को अकामोडेट किया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो हम स्थिति देखते हैं मेरे ख्याल से एक दृष्टिकोण से सरकार का विषय है। किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, किसी देश की गति आगे बढाना चाहते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति की ओर हमें ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर के लिये कितनी लैंड देनी है। ७० प्रतिशत काश्तकार थे जहां इन दस सालों में १२.१५ और २० पर्सेण्ट इंडस्ट्रीज और ट्रेड कामर्स की तरफ लोग गये। लेकिन पिछले दस साल की जो रिपोर्ट है उल्टा लोग इन्डस्ट्रीज की तरफ जाने के बजाय खेती की तरफ आये हैं। २५ प्रतिशत लोग खेती की तरफ पहले से ज्यादा आये हैं, लेकिन उसको देखते हुए हमे यह भी देखना चाहिये कि प्रोडेक्शन आखिर कितना बढा है? प्रोडक्शन के आंकडे देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन के आंकडे नीचे जायेंगे। ह्यूमन लेबर के दृष्टिकोण से इतना पर्सन्टेज बढा है, जहां हमने विकास में काफी पैसा लगाया है कम्युनिटी डेवलपमेन्ट द्वारा विकास हुआ है इसमें जितना एक्सपेन्डीचर बढा है उस हिसाब से रिटर्न कम मिला है, और बहुत कम मिला है ऐसा महसूस होता है।

मैं उन आंकडों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खेती के दृष्टिकोण से विकास किया है उसके

(श्री मोतीलाल चौधरी)

बावजूद भी और ज्यादा विकास की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों में जहां लोग इन्डस्ट्रीज की तरफ ज्यादा बढे हैं वहां हमारे राजस्थान में खेती की तरफ बढे हैं। बहां पर बिहार, बंगाल, यू. पी., केरल आदि में पर्सेन्टेज आफ लैंड पर निर्वाह करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। वहां इंडस्ट्रीज की ओर लोग बढे हैं। लेकिन हम राजस्थान एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जो डायरी दी हुई है उसके आंकडे देखे तो पता चलता है कि राजस्थान की जनता लैंड के पीछे बढी है। हमें फिर भी एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बहुत कदम उठाना है। आज इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हम जितना खर्च कर रहे हैं कृषि की तरफ उस हिसाब से पर केपिटा रिटर्न कितना मिला है? आल इंडिया बेसिस पर जहां एग्रीकल्चर एक्सपेन्डीचर १.८ था वह आज २.८ तक पहुंचा है, डे बाई डे (Day by day) बढता जा रहा है। लेकिन सोर्सेज आफ एग्रीकल्चर नहीं बढ रहे हैं। ऐसी हालत के अन्दर हमें टेक्सेशन लगाने पडते हैं, एम्पलोइज को ज्यादा रखना पडता है, रिटर्न जो मिल पाता है उसमें बेलेन्स नहीं कर पाते। मैं इस संबंध में इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टोटल लेन्ड एरिया है जो आपके एग्रीकल्चर विभाग द्वारा दी हुई पुस्तिका में है उसके अनुसार स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर विभाग दोनों के आंकडे आपस में मेल नहीं खाते। आपके फीगर्स टोटल एरिया के आधार पर दिये हुए हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ८४५.६७ लाख एकड है। राजस्थान सरकार के आंकडे जो हमको मिलते हुवे ८६० के हैं। तो ये २०० लाख के आंकडे कहां गये? ये आंकडे कम क्यों हो रहे हैं? तो सरकार के इन आकडों के मूल भूलैया में हम पड जाते हैं।

सरकार इतना खर्च करती है, पटवारी रखती है, विलेज मैप्स बनाने के लिये स्टाफ रखती है, पंचायत की सर्वे रिपोर्ट के लिये स्टाफ पर पैसा खर्च करती है, ए. ई. ओ. बिठा रखा है तब भी आंकडे अगर नहीं ठीक रहते हैं तो फिर सरकार का इतना खर्चा करना फिजूल है फिर कितने लैंड में सरकार एग्रीकल्चर कर सकेगी, इसी के आंकडे सही नहीं होंगे सरकार के पास तो प्लानिंग क्या करेगी?

इरिगेटेड लैंड ५९ में आपने बताया ३॥ लाख एकड बताया। इसमें ३३६ एकड रहा, सिर्फ १४—१५ एकड बढा है। जब कि इरिगेटेड लैंड के दृष्टिकोण से सरकार ने पिछले वर्षों में लाखों करोडों नहीं अरबों भी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी, रुपया व्यय किया है और तब भी टोटल एरिया इसका दो लाख एकड है जिसमें दो काश्त होती है पेरीनियल वाटर वाली जमीन भाखरा में, चम्बल में, राजस्थान नहर आदि में ६० तक २.७६ लाख एकड हुआ, टोटल जिसमें डबल क्राप हुई है। तो कुल मिलाकर देखते हैं तो ३२६ लाख एकड में २ लाख एकड कर पाये हैं। आगे नहीं बढा पाये हैं खर्चे के पर्सन्टेज के मुकाबले में। खर्चे के मुकाबले में प्रोडक्टिव कुछ नहीं है।

गंगानगर आपका प्रोडक्टिव प्लान है। बाकी भाखरा, राजस्थान कैनाल और जवाई आपके प्रोडक्टिव प्लान्स है ही नहीं। ६० साल तक भी नहीं हो सकते।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जवाई में प्लान के अनुसार पांच एकड में ३६० रु. का खर्चा आता है, जब कि कुए की कोस्ट पडती है १२८ रु.। तो कुए के लिये देते हैं वह ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। यही हाल मस्सी का उदयपुर में है। उसको भी देख लें।

मैं यह कह दूं के माइनर इरिगेशन के अन्दर जितना सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न एक पर्सेन्ट एवरेज आता नहीं, और आवेगा भी नहीं नेक्स्ट दस साल तक। तो खर्चे के मुकाबले में ये प्रोडक्टिव नहीं हैं, केवल आप फूड प्रोडक्शन की दृष्टि से इनको प्रोडक्टिव कह सकते हैं। फिर भी मैं इसको बुरा नहीं मानता, अच्छा मानता हूं। हम.री स्टेट एग्रीकल्चर में बैकवर्ड है। बैकवर्ड थी। तो इस तरह की प्रोडक्टिव प्लान भी बनाकर चलें तो अच्छा है।

जो रेगिस्तान में रहते हैं जो तीन सालों में एक बार छोडना पडता है अकाल के कारण, अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण, टिड्डी के कारण। उनके लिये कहना चाहता हूं। आप जवाई और मस्सी के नाम से कुछ भी करें। मीडियम आपके पास प्रोडक्टिव प्लान नहीं हैं। नागौर, बाडमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं के लिये, जहां के लिये आल इंडिया पैटर्न में बहुत अच्छे किसान कहे जा सकते हैं, जो पंजाब और गुजरात के किसानों से कहीं अधिक अच्छे किसान कहे जा सकते हैं उनके लिये आप के पास कोई प्लान नहीं है।

एक शब्द और कहूंगा। आपके एग्रीकल्चर के साथ में फोरेस्ट्री की व्यवस्था है। आंकडे उसके आप मिला लें, गल्ती न हो। मेरे हिसाब से ठीक हैं। आपका फोरेस्ट का एरिया कम हुआ है। ५८-५९ में २८ लाख एकड एरिया था, पर ६० में वह १९ लाख एकड रह गया। एक तरह से १० लाख एकड कम हो गया, जब कि आपने इसको बढाने के लिये लाखों रुपया खर्च किया है।

इसके साथ मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा तो इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिये कोआपरेटिव सेक्टर की क्या आवश्यकता है? मैं यह बता देना जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग पर जनता का विश्वास नहीं है। माननीय सभापतिजी मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह ईत्तला करना चाहता हूं कि मैं एक किसान हूं और उसका बहुत पक्षपाती हूं। नीति के दृष्टिकोण से ही नहीं, सभी दृष्टिकोणों से उसके लाभ के दृष्टिकोण से पैदावार के दृष्टिकोण से, किसान की तरक्की के दृष्टिकोण से, मैं कोआपरेटिव सोसाइटी का सदस्य हूं। मैंने अपनी जमीन उसको सौंपी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बाकी की जमीन कितनी है, जिसके आप सदस्य नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : चूंकि मैं उसकी नीति का पालन करने वाला हूं और उसकी यह नीति है कि अपनी इनकम का ८० पर्सेन्ट उसमें होना चाहिये। इसलिये मैंने निश्चय किया है कि कोई इनकम का सोर्स मेरा होगा, व्यक्तिगत, हाउस से मिलता है इसके अलावा, मैं उसमें दूंगा, कम से कम अपने पास लूंगा नहीं। तो मैंने जो पैदा किया है वह कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दिया है।

श्री भंरोंसिह : आपने कोटा की जमीन दी है, बाकी की नहीं दी ।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपको वहम है, कोटा में मेरे पास कोई जमीन नहीं है ।

श्री भंरोंसिह : पूरा तो मुझे पता नहीं पर आपके पास काफी है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई मेरे को लखपति कहे, करोडपति कहे, पर न तो मैंने कोटा में कोई लैंड ली, न थी, न है और इस तरह न देने का, न लेने का सवाल पैदा होता है । मेरे नाम नहीं जमीन है तो जयपुर में थी । पाकिस्तान में थी । जब वहां से आया तो वह पाकिस्तान में रह गई । पाकिस्तान से आने के बाद भी मैंने अपने आपको रिफ्यूजी डिक्लेयर नहीं कराया ।

श्री भंरोंसिह : हालत तो आपकी रिफ्यूजी से अच्छी है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं व्यक्तिगत प्रश्नों में पडना नहीं चाहता । मैं फिर कहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग ही एक रास्ता है जिसके द्वारा हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर को डवलेप कर पावेंगे, इसके अलावा नहीं । और इसके साथ केवल फार्मिंग ही नहीं मिक्स्ड फार्मिंग को हमें लेना होगा ।

farming with the heep of the co-operatives.

बहुत बार आप अमेरिकन फार्मिंग की बात कहा करते हैं । मैं बताऊं वहां के किसान ने भी यही कोआपरेटिव का रास्ता अपनाया है । वहां के किसान ने भी प्रगति की है with the heep of Co-cperative कोआपरेटिव को अमेरिका ने माना है कि इसके बिना किसी भी हालत में वे आगे नहीं बढ सकते थे । मैं आपकी परमिशन से सभापति महोदय, अभी एक किताब निकली है जो अमेरिकन कोआपरेटिव सोसाइटी की रिसर्च सिनेट की तरफ से निकली है, उसमें से कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । उनका कहना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग अगर नहीं होता तो वहां का ऐसा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंन्ट नहीं होता ।

उसमें लिखा है :

"American agriculture has to complete with lower prices cn the foreign markets. The farmers try to lower the cost of prcduction, and they were successful by Societies."

इसके आगे हम जावें तो आगे और कहा है :

"American Co-operative farms have proved really economc"

तो इसलिये क्लियर है चाहे हम अमेरिका को केपिटेलिस्ट कन्ट्री कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने यह एकसैप्ट किया है और सबसे पहले उन्होंने यह किया है कि किस तरह से कोआपरेटिव को लेकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, मार्केटिंग की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रोडक्शन की दृष्टि से काम कर सकते हैं । जहां तक जोइन्ट फार्मिंग का सवाल है उसको किसी पार्टी पालीटिक्स में डाल कर हमें उस पर विचार करना चाहिये । हमने देखा है कि हमारे हिन्दुस्तान के किसानों के पास साधन नहीं पहुंचे हैं । साधन देने के लिये मैकेनिकल सिस्टम लें, साइन्टिफिक चीज लें, ये सारे साधन हमारे यहां के किसान को मिलने चाहिए ....

श्री भैरोंसिह: मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले प्रोफेसर गेलब्रेथ ने कहा था कि अण्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज के अन्दर डेवलप्ड कन्ट्रीज के से मैथड्स लागू किये तो प्रोडेक्शन के ऊपर निश्चित रूप से असर पडेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे पास उनकी स्पीच है जिसको पढ सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: आप कह रहे हैं वह भी ठीक है और जो मैंने कहा वह भी ठीक है। जो उनके कहने का मतलब होगा उसके समझने में गडबडी होगी। उनका कहना है कि चांवल की खेती अमेरिका में, पूरी की पूरी हवाई जहाज से करते हैं, उस मैथड को लेने से मना किया है। जो हार्वेस्टिंग मथड है उसको लेने से मना किया है। लेकिन जो दूसरे मैथड्स हैं सीड के दृष्टिकोण से, मेन्योरिंग के दृष्टिकोण से, फर्टिलाइजर के दृष्टिकोण से, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से we must accept them; उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिये मैं कह रहा था कि जो आपने कोट (qoute) किया उसको इस दृष्टिकोण से देखें कि आज से ५ साल पहले की हालत क्या थी, उन्होंने मार्केटिंग डेवलप किया during the second warप्रोडक्शन किया है, इन चीजों के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अदा किया है वह कोआपरेटिव ने किया है।

श्री भैरोंसिह: आप तो दुनियां में घूमे हुए हैं। आप जरा यह बता दें कि कौन से देश में कोआपरेटिव फार्मिग सक्सेसफुल हुई है सिवाय इजराइल के।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने तो कोटवाला भी नहीं देखा। मैं फौरेन कन्ट्रीज इतने देख आये हैं, इनकी बात तो सुनते नहीं हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: प्राइवेट फार्मिग नहीं है कलेक्टिव फार्मिंग है। इजराइल डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो प्रोडक्शन हम बढाना चाहते हैं उसके लिए साधनों की जरूरत है।

मैं इस पर बोल रहा था कि साधनों के लिए पैसा चाहिए। बीज के लिए, हल के लिए, खाद के लिए पैसा चाहिए और जमीन को ठीक करने के लिये पैसा चाहिए और यह बिना कोआपरेटिव के नहीं हो सकता, सिम्पली कोआपरेटिव बना कर लोन देने से ही नहीं बल्कि उसके बाद में पर्सुएशन होना चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि जो पैसा मिला है उससे हम कितना काम कर पाये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे एनीमल हस्बेण्डरी मिनिस्टर भी हैं। मैं आपको कहूं तो सभापति महोदय, कोई अत्योक्ति नहीं होगी कि एनीमल हस्बेन्डरी में तो दो पर्सेन्ट काम भी कोआपरेटिव सेक्टर में नहीं हुआ, जब कि गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान में अग्रणी रहा है और राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान की बैस्ट क्वालिटी की ब्रीड है-रैड सिंध, मेवाड़, कांकरा और इसके अलावा भी अगर सबसे मैग्जिमम गाय दूध देती है तो वह राजस्थान की गाय देती है।

सभापति महोदय, डेरी के लिये अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हमारे राजस्थान में एक भी डेरी फार्म नहीं बन सका, एक प्रोडक्शन प्लान नहीं बन सका। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ६६ पर्सेन्ट जनता आमिष है मांस नहीं खाती, दूध पर रहती है, मक्खन पर रहती है लेकिन उनके आमिष होते हुए भी मैं कहूं तो अत्योक्ति नहीं होगी कि हमारे यहां डेरी बनने वाली थी ५–६ साल से और कोआपरेटिव सेक्टर के नाम से पैसा लिया जाता है कि उसमें बनायेंगे लेकिन आज तक नहीं बनी। इसके अलावा हमारा पड़ौसी राज्य है गुजरात, उसके अन्दर एक कैरा डिस्ट्रिक्ट है वह पूरा का पूरा डेरी में आगया। इसके अलावा अहमदाबाद भी पूरा का पूरा डेरी में आ गया। आनन्द भी इसी प्रकार है। इस प्लान में भी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने बड़ी बड़ी डेरीज़ के लिए पैसा दिया है। गुजरात की ब्रीड कमजोर है, लेकिन राजस्थान की काफी अच्छी ब्रीड के होते हुए भी यहां न तो एक भी दूध के दृष्टिकोण से कोऑपरेटिव बन सकी और न और दृष्टिकोण से ही बन सकी। हमारे यहां सबसे बढ़िया किस्म की भेड़ है और सबसे बढ़िया ऊन है जिसकी मार्केटिंग के लिए आज तक कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि आपके पास टेक्नीशियन्स हैं या नहीं। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान के अच्छे अच्छे कोऑपरेटर्स मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गुंजाइश कोआपरेटिव सेक्टर के लिए है तो वह राजस्थान में है। मिस्टर गाडगिल ने कहा है, मालवीया ने कहा है कि राजस्थान के अन्दर कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यह सब ने कहा है। यहां की इकोनोमी कैपिटेलिस्ट्स के हाथ में नहीं है क्योंकि जो कैपिटेलिस्ट्स हैं वे तो बाहर चले गये, इसलिये यहां की इकोनोमी कैपिटेलिस्ट के हाथ में नहीं है गवर्नमेन्ट के हाथ में है। यहां कैपिटेलिस्ट्स को इनवाइट नहीं करके कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे यहां पोल्ट्री में कोई डेवलपमेण्ट नहीं हुआ। सिम्पली फार्म बनाने के अलावा आज भी राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास में टैक्नीशियन्स नहीं हैं जो कि यह कह सकें कि १५ दिन का मुर्गी का बच्चा मेल है या फीमेल। अब अगर कोई किसान आता है अपने यहां पोल्ट्री फार्म खोलने के लिये तो वह पूछेगा कि मुझे कितने बच्चे लेने चाहिए तो कहेंगे कि हजार ले लो। लेकिन उसको पता नहीं कि इसमें से कितने मादा निकलेंगे और कितने नर। इसका पता उसे क्या हमारे यहां के डिपार्टमेन्ट के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। किसान जो अनपढ़ आदमी है उसको कैसे बतायें कि किस को लें।

माननीय चेयरमैन महोदय, आल इन्डिया लेवल के अन्दर एमर्जेन्सी के बाद गवर्नमेन्ट की एक कमेटी ने पोल्ट्री फार्म कोआपरेटिव बेसिस पर करने के लिए रुपया देना तय किया है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेन्ट उसको लेने के लिये तैयार नहीं होगी। आसाम के अन्दर जहां गाय का दूध आधा सेर होता है, बंगाल के अन्दर एक सेर होता है वहां कोआपरेटिव सेक्टर के अन्दर ७ डेरीज खुल रही हैं; जब कि बंगाल का आदमी मछली खाता है, मांस खाता है। इन दृष्टिकोणों से देखते हुए मैं देखता हूं कि हमें एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट में बहुत कुछ करना है। फिर भी कोआपरेटिव पर एक्सपेण्डीचर जितना हुआ है और तृतीय प्लान में एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेण्डरी पर, कोआपरेटिव पर जितने रुपये रखे हैं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

वे बहुत काफी हैं। धन-राशि बहुत है, धन-राशि की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस धन-राशि के कम्पेरिजन में रिटर्न कितना ग्राता है ग्रौर वह भी किसके मातहत ? पब्लिक सेक्टर में नहीं करेंगे तो समाजवाद नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि जब तक पंचायतों में काम करने वालों को पढायेंगे नहीं, सिखायेंगे नहीं तब तक काम पूरा नहीं चलेगा। मुझे खुशी है कि हमारे पंचों, सरपंचों को पढाने के लिये कुछ धन-राशि रखी है यह बहुत ग्रच्छा हुग्रा है। दूसरी स्टेट्स में ऐसा नहीं हुग्रा है। एग्रीकल्चर को बिजली देने के बारे में भी फैसला किया है कि बिजली कृषि को जिस प्रकार इण्डस्ट्रियलिस्टों को कन्सेशन रेट पर देते हैं उसी प्रकार एग्रीकल्चर को भी देंगे, यह बहुत ग्रच्छी बात है। ग्रब में एक बात ग्रौर कह कर २ मिनिट में समाप्त करता हूं।

पब्लिक सेक्टर ग्रौर कोग्रापरेटिव सेक्टर दोनों सेक्टर्स में काम करके मुकाबला करना चाहिये। पब्लिक सेक्टर में ग्रापने सूरतगढ में फार्म बनाया है। मुझे समाचार मिले हैं, बहुत ही ऊंचे ग्रादमी से मिले हैं कि ग्राप प्राइवेट सेक्टर में भी एक फार्म खोलने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बडा फार्म ५००-६०० एकड का खोलने जा रहे हैं ग्रौर पब्लिक सेक्टर में सूरतगढ फार्म है ही तो एक ग्रौर कोग्रापरेटिव सेक्टर में भी एग्रीकल्चर फार्म खोल कर देख लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि यह एक बिल्कुल नई बात होगी। प्राइवेट सेक्टर में जो फार्म खुलने वाला है उसको फोरिन कोलोबोरेशन करने के लिये इजाजत देने जा रहे हैं तो ग्राप कोग्रापरेटिव बेसिस पर फार्म खोलने ग्रौर फोरिन कोलोबोरेशन के साथ खोलने की इजाजत दीजिये। जब प्राइवेट ग्रादमी को इस प्रकार की छूट दी गई तो कोग्रापरेटिव बेसिस पर भी फोरिन कोलोबोरेशन करने की छूट क्यों नहीं देते ? सूरतगढ का पब्लिक सेक्टर का फार्म भी फोरिन कोलोबोरेशन से चल रहा है तो कोआपरेटिव का भी इसी तरह से चलने दीजिये। फिर इन सब का मुकाबिला करके देखिये कि कौन ज्यादा डेवलप होता है, प्राइवेट या कोग्रापरेटिव। ग्रापको इससे ग्रन्दाज लग जायगा कि कोग्रापरेटिव बेसिस पर किया जाने वाला काम कितना ग्राधिक सक्सेसफुल हो सकता है।

दूसरी बात में यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोग्रापरेटिव की मान्यता है। हम कोग्रापरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं तो जो लोग कोग्रापरेटिव्ज में काम करते हैं उनके बच्चों को भी कोग्रापरेटिव की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हमें करनी चाहिये। ग्रगर उन बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे तो ग्रागे ग्राने वाले समाजवादी समाज का वे ग्रच्छी तरह से फायदा कर सकते हैं। उनको इसकी जानकारी मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है ग्रौर वे इसके ग्रनुसार काम कर सकते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिये इकोनोमिक साइड में इस तरह की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिये। खास कर मुझे बहुत ही खुशी है कि वे इस ग्रोर ध्यान देंगे। राजस्थान में जो बच्चे प्राइमरी से लगाकर हाई स्कूल तक पढ़ते हैं उनकी संख्या १४ लाख के करीब है। एक बच्चा ग्रोन एन एवरेज पुस्तकें, पट्टी, पेन्सिल, कापियां ग्रादि पर कम से कम २०) रु० खर्च करता है तो १३,९९,७३९ बच्चे पढ़ते हैं, ये ग्रांकडे सन् ६० तक के हैं। यदि २०) रुपये प्रति बच्चा किताब, पेन्सिल ग्रादि पर खर्च होते हैं तो कुल मिलाकर २७ करोड़

(श्री मोतीलाल चौधरी)
६६ लाख या २८ करोड़ रुपयों का साल भर में ट्रान्जेक्शन होता है· · · · · ·

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मान्डल) : २८ करोड़ या २ करोड़ ८० लाख ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : एक बिन्दु और बढ़ा दी है।

श्री मोतीलाल चौधरी : I am sorry. २ करोड़ ८० लाख होते हैं। इसको मिनिमम मानकर नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स का हिसाव लगाते हैं तो करीब १ करोड़ की किताबें होती हैं जिनका प्रिन्टिंग प्राइवेट सेक्टर में होता है और वे लोग १५ पर्सेन्ट का मार्जिन लेते हैं और सेल करने वाले भी १५ पर्सेन्ट का मार्जिन और लेते हैं। तो गवर्नमेन्ट की किताबें, गवर्नमेन्ट के पढ़ने वाले, गवर्नमेन्ट के बच्चे, देश के बच्चे—फिर भी ३० पर्सेन्ट का एक्सपेन्डिचर तो इस तरह से हो जाता है। १ करोड़ पर यह एक्सपेन्डिचर ३० लाख रु० होता है। हाई स्कूल से ऊपर वालों के लिये अलग है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये कोइ सबसिडी देने की भी जरूरत नहीं है। केवल वर्किंग केपिटल की दृष्टि से जितना केपिटल आप स्कूलों पर खर्च करते हैं, नेशनलाइज्ड बुक्स पर खर्च करते हैं उतना ही दे दीजिये। स्कूलों के मास्टर और स्कूलों के बच्चों की कोआपरेटिव्ज बनाइये और इस तरह से काम करिये तो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी बच्चों को मिल जायगी। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि यह कैसे प्रेक्टिकेबल होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी मैंने भीलवाडा में ऐसे ५ कोआपरेटिव स्टोर्स खोले हैं, ३० जालोर में खोले हैं। राजस्थान में कुल १२६ खोले हैं। भीलवाडा की कोआपरेटिव सोसाइटीज विदाउट गवर्नमेन्ट लोन व विदाउट गवर्नमेन्ट सबसिडी चल रही है; और पांचों अच्छी तरह से काम कर रही हैं। नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स बेचने का अधिकार उनको पूरे जिले का मिलेगा। अब तक सबसिडी नहीं मांगी है। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बेंक और दूसरी छोटी छोटी बेंक सहयोग करें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चे भी समाज के ही हैं। जितना आदमी गरीब है उतना ही उसको कोआपरेटिव का ज्यादा एक्सपीरियेन्स होता है। जिसके घर में ७ बच्चे हैं तो उसको सात के लिये लेकर जाना पड़ेगा। मेरे एक है तो मुझे एक के लिये लेकर जाना पड़ेगा। आप एज्युकेशन को कम्पलसरी करने जा रहे हैं तो उस हालत में सबको पढ़ना पड़ेगा; तो उतना ही गुणा एक्सपर्ट होंगे उतने ही गुणा फायदा होगा। इतना ही नहीं एक और फायदा होगा· · · · · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज एक्सटेन्शन वर्क के लिये गांवों में वी. एल. डब्ल्यू. लगाये हैं। गांवों या शहरों के बच्चे जो स्कूलों में कोआपरेटिव के मेम्बर होंगे वे बच्चे घर में जाकर कहेंगे कि हम तो हमारी स्कूल की कोआपरेटिव से किताबें लाये हैं; आप भी कोआपरेटिव से बीज लायेंगे क्या ? तो गांवों में इन विद्यार्थियों का एक्सपीरियेन्स काम करेगा और आपकी जितनी समस्याएं और प्रोब्लम्स हैं वे सोल्व होंगी। स्कूल के मास्टर और ये विद्यार्थी दोनों मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायेंगे इसलिये बिना तनख्वाह के आपको गांवों में एडवाइजर्स मिल जायेंगे और गांव की कोआपरेटिव्ज को सहयोग देंगे। इन एक्सपीरियेन्स वाले मास्टरों को किस तरह से युटिलाइज करना

(श्री मोतीलाल चौधरी)

चाहिये तो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उनको मिसएप्रोप्रियेशन की शंका भी वह गांवों में मिलेगी नहीं। इसलिये गांवों के लोगों को कोआपरेटिव की ट्रेनिंग देंगे और एक्सपीरियेन्स करायेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिये बहुत फायदेमंद चीज होगी। इसलिये माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से और एग्रीकल्चर व एनिमल हस्बेन्डरी के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्कूलों में कोआपरेटिव सोसाइटीज खुल रही हैं, कालेजेज में भी खोल कर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। जितनी ट्रेनिंग दे सकते हैं उतना ही अच्छा है और यह समाजवाद लायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): Sir, unless I meet him, I am not in a position to understand what he expressed.

श्री रामकिशन (बैर): सभापति महोदय, मेरे कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर कई कटौती प्रस्ताव हैं। कृषि के सम्बन्ध में जैसा कि विवरण से प्रकट होता है हमारा प्रदेश और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान स्टेट का आर्थिक ढांचा ही खेती पर पड़ा हुआ है। किन्तु राजस्थान सरकार की उपेक्षा नीति और राज्य निवासियों के आलस के कारण देश में अनाज का जितना उत्पादन हम दे सकते हैं वह नहीं दे पाये। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया है और तीसरी के दो साल बीत गये हैं। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आठ लाख टन अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था। उसमें सरकार कुछ आगे बढ़ी दो लाख टन से, यानि दस लाख टन अधिक उत्पादन हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसी को आधार मान कर हमने निश्चय किया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२ प्रतिशत उत्पादन बढायेंगे। अब इन सारे आंकडों को देखने से मालूम होता है, उससे हम समझते हैं कि सरकार की अधिक उत्पादन करने की नीति है वह संतोष के लायक है। लेकिन किस मायने में यह संतोष है? संतोष के, प्रगति के हमेशा दो अर्थ हुआ करते हैं--एक तो अपनी पुरानी स्थिति में सुधार करना और दूसरे, दूसरों के मुकाबले में सुधार करना। जहां तक पुरानी स्थिति में सुधार का सवाल है, निस्सन्देह राजस्थान में सुधार हुआ है, राजस्थान में खेती बढी है और उत्पादन बढा है लेकिन दूसरे देशों और प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान में काफी खाली जमीन पडी है, राजस्थान में बडी नदी घाटी योजनायें चालू हैं, राजस्थान में सिंचाई के लिए भी काफी पैसा दिया गया है---इन सारी रकमों को मिला कर देखें और इनका नतीजा निकाल कर देखें तो हमें मानना पडेगा कि राजस्थान में खेती के मामले में उपेक्षा की नीति अपनाई है राजस्थान सरकार ने। जितने उत्साह के साथ खेती का उत्पादन बढना चाहिए था उतना नहीं बढा है। मैं पिछली योजनाओं के परिणाम और उनके आंकडों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब सरकार ने जो अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, वह खाद्यान्न का १६ लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष, चालू साल में जो लक्ष्य रखा है उससे पहले १९६१-६२ में इसके लिए लक्ष्य रखा था सरकार ने वह १ लाख १७ हजार टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा था।

(श्री रामकिशन)

अभी कृषि मंत्री जी बहस कर रहे थे, और अजीब जवाब दे रहे थे--कभी कह रहे थे--कि ज्यादा जमीन तोड ली है, कभी कह रहे थे कि समय पर पानी नहीं पहुंचता है, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। लेकिन अगर आकडों को देखेंगे तो उनसे मालूम होगा कि ३ लाख ३७ हजार टन में से हम केवल ३ लाख २० हजार टन अनाज का उत्पादन कर पाये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि १७ लाख टन का उत्पादन घट गया है। यह क्यों घटा ? कृषि मंत्रीजी इसका जवाब देंगे कि हमारे यहां तिलहन का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन बढ गया है। अगर इन आंकडों को देखेंगे तो मालूम होगा कि गेहूं का उत्पादन १७ हजार टन कम हो गया है। न तो गेहूं का उत्पादन बढा और न अनाज का बढा। अगर तिलहन का उत्पादन बढा है तो उसका कारण सरकारी योजना नहीं है बल्कि यह उत्पादन इसलिए बढा है कि विश्व में तिलहन के मूल्य ऊंचे गये हैं और अनाज के मूल्य नीचे गये हैं। इसलिए अनाज का उत्पादन गिरा है, इस सत्य को अगर सरकार स्वीकर कर लेगी तो सारे रोगों का इलाज हो जायगा। हम देखते हैं कि पिछले पांच सालों में किसान के पैदावार की चीजों के भाव नीचे गिरे हैं, जहां गेहूं पहिले २६ रुपये मन था, वह अब १२ रुपये मन पर आगया है, जब १२ रुपये मन १३ रु. मन का भाव हो जायगा तो किसान को अधिक उत्पादन के लिए कैसे उत्साहित कर सकते हैं। तो हमारे कृषि मंत्री हैं, वे या तो भारत सरकार पर दबाव डालें या राजस्थान सरकार पर दबाव डालें कि औद्योगिक पैदावार के मुकाबले में खेती की पैदावार के भाव नीचे गिरे हैं, जब तक उनको ऊंचा नहीं उठाया जायगा, तब तक उत्पादन बढ नहीं सकता है। आज जो जमीन गरीब काश्तकार काश्त कर रहे हैं, उनकी पैदावार कम होती जा रही है। अधिक पैदावार तभी कर सकते हैं जबकि अच्छे तरीके अपनाये जायें और कीमतों को ऊंचा रखा जायगा। हमारे यहां जो उत्पादन गिरा है उसके ये कारण हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान ही वह प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा खाली जमीन है। हमारे प्रदेश की जो आबादी है, उसके हिसाब से एक वर्ग मील में १५० आदमी रहते हैं, जब कि दूसरे प्रदेशों में सवा तीन सौ और केरल मे नौ सौ आदमी एक वर्ग मील में रहते हैं इसलिए वहां उत्पादन बढने की सम्भावना नहीं है। राजस्थान में उत्पादन बढने की सम्भावना है। आज हिन्दुस्तान की सरकार विदेशों से पिछले पंद्रह साल में बीस अरब के करीब का अनाज मंगा चुकी है। अगर पिछले सालों को छोड भी दें और इस योजना के सालों को ही लें तो हमें मालूम होगा कि हिन्दुस्तान की सरकार ने तेरह अरब का अनाज मंगाया है। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री भारत सरकार पर दबाव डालेंगे, उनको एक आकर्षक योजना राजस्थान की खाली जमीन में खेती करने के बारे में देदें, तो हम समझते हैं कि हमें न तो विदेशों से अनाज मंगवाना पडता और न ही राजस्थान में जो हमारी जमीन खाली पडी है, वह खाली पडी रहती। आज भी मौका है, आज राजस्थान में करोडों एकड़ जमीन पडी है जो खेती के लायक है, जिस पर खेती हो सकती है।

(श्री रामकिशन)

मैंने पिछली बार सुझाव दिया था बजट पर वाद-विवाद के समय, उस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पचास करोड का प्रावधान करे और एक अन्न-सेना संगठित करे, जो इस अधिक अन्न उत्पादन के कार्यक्रम को चलाये, तो राजस्थान में एक साल की योजना के लिए लगभग दस करोड का खर्च आयेगा और पांच साल के लिए पचास करोड का खर्च आये। हम यह भारत सरकार को समझा दें कि वह पचास करोड रुपया पांच वर्ष में खर्च कर दे, और अन्न-सेना संगठित करे तो राजस्थान में ५० करोड की लागत में २३ लाख टन अधिक उत्पादन करके देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह होगा कि विदेशों से जो अन्न मंगाने की जरूरत है, उसका आधा या तीन चौथाई अनाज राजस्थान से हम दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान की सरकार के सामने यह योजना नहीं रखी और राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया है।

सभापति महोदय, खेती के लिए मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार ने जैसे अन्य विभागों को ले रखा है, उसी तरह खेती के विभाग को भी सामान्य विभाग ही समझा है। यह ठीक है कि सरकार थोडा बहुत ध्यान देती है लेकिन जितनी गम्भीरता से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था उतनी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि सरकार खेती के मामले में उपेक्षा का रुख अपना रही है। साथ ही सारे हिन्दुस्तान के सिंचाई के आंकडे देखें जायं और राजस्थान के भी --तो राजस्थान में विशेष तौर से जो सिंचाई से खेती हो रही है, यहां पर ४२ लाख एकड जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध है और इसमें ज्यादा कूओं से सिंचाई का प्रबन्ध है। मेरा निवेदन है कि छोटी सिंचाई की जो योजनायें हैं, वे जल्दी फल दे सकती हैं जब कि बडी योजनायें उत्पादन में फल जल्दी नहीं दे सकती हैं। कुओं, तालाबों और रहटों से जो जमीन सींची जाती है, जो जमीन सारे हिन्दुस्तान में है, इसमें जमीन का औसत निकालें तो एक बटा छः जमीन ऐसी निकलती है जो कि कुल रकबे सिंचित भाग है जबकि राजस्थान में यह औसत एक बटा नौ है। राजस्थान में जमीन का नवमां हिस्सा ही सिंचाई कर पाये हैं। मैं छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर दे रहा था, वैसे बडी सिंचाई योजनायें भी चलनी चाहिए, लेकिन छोटी सिंचाई योजना का जल्दी परिणाम निकलता है। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अमरीका के बारे में प्रकाश डाला है, वे दोनों ही माननीय सदस्य गलत समझ रहे थे। उनका मतलब नई टेकनोलोजी से नहीं था। उनका मतलब था, हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति के पास पूंजी कम है, इसलिए उत्पादन के साधन, जो अमरीका के लोग अपनाते हैं, वे हम नहीं अपना सकते। इसलिए छोटी सिंचाई के साधन अपना कर जल्दी अधिक उत्पादन करना चाहिए, कम पूंजी लगा कर नये यंत्र, ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका के लोगों के लिए यह मामूली बात है, वे लोग आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन राजस्थान के लोग नहीं खरीद सकते हैं। सारे राजस्थान में ७६ लाख किसानों के परिवार या जोते हैं उनके पास सिर्फ हजार बारह सौ टैक्टर है। यह असफलता

(श्री रामकिशन)

का द्योतक है। इसके बजाय हम यह कर सकते हैं कि जापान में जो क्रूड ऑइल से चलने वाले ट्रेक्टर हैं, हजार, डेढ हजार रुपये के जो ६० बीघा जमीन जोत सकते हैं, हम हिन्दुस्तान की सरकार से कहें कि इस तरह के यंत्रों का निर्माण करें तो हिन्दुस्तान में खेती का स्वरूप बदल सकता है और हिन्दुस्तान और राजस्थान की आमदनी कई गुना बढ सकती है। खेती के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

दूसरा निवेदन मैं सरकार से यह करना चाहता हूं कि सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिए कुछ रकम रखी है। हिन्दुस्तान दूध और फल के मामले में दुनियां में सबसे गरीब देश है, अस्सीवां देश है। यहां फल मिलता नहीं, दूध मिलने का सवाल उठता नहीं। राजस्थान में इस क्षेत्र में बहुत बडी सम्भावनायें हैं।

(२.५५ म. प.)

(राव श्री नारायण सिंह मसूदा, उपाध्यक्ष पदासीन)

तीसरी पंचवर्षीय योजना में फल-उत्पादन फल-वृद्धि के लिए पच्चीस लाख रुपया रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल के लिए पांच लाख रुपया। मैं नहीं मानता कि राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान गया है और सारी बातों को छोड भी दें तो राजस्थान में पुराने राजा थे, वे तीन बातें छोड कर गये हैं—महल, जेल और बाग। महल और जेल को अब छोड दें, लेकिन बाग राजस्थान में इतने हैं, उनकी तरफ ठीक तरह से ध्यान दें तो जो पच्चीस लाख रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा है, उससे दुगुनी आमदनी आसानी से ले सकते हैं। मैं सारे राजस्थान का हिसाब बताऊं तो कुछ देर हो जायगी, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं भरतपुर जिले की बाबत ही कुछ बताता हूं। भरतपुर क्षेत्र के अन्दर वैर है, जहां फूलबाडी तथा नौखला बाग हैं। स्टेट के टाइम में इनसे आमदनी होती थी, वह करीब बीस हजार रुपये की थी। मुझे जानकारी है कि अब जो माली और कमेरे रखे जाते हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं निकल पाती है क्योंकि सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती। अब राजस्थान सरकार बागवानी पर ध्यान दे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में फल की पैदावार बढ सकती है, इसका कारण यह है कि राजस्थान में जमीन अच्छी है। बांसवाडा और डूंगरपुर में ऐसी जमीन है, जहां प्राकृतिक फल पैदा होते हैं आम और जामुन। इनकी पैदावार से अच्छी फैक्ट्री चल सकती है, अचार और मुरब्बे की। और इसके द्वारा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना में फल उत्पादन के लिए पच्चीस लाख रुपये रखे हैं, ये रकम बहुत कम है क्योंकि इससे हमारा राजस्व भी बढ सकता है और अपने प्रदेश के लिए अच्छे फल भी दे सकते हैं। आप अमेरिका में देखिये, एक व्यक्ति को आसानी से एक ग्लास फल का रस और एक पौंड दूध मिलता है, जबकि हिन्दुस्तान में पांच औंस दूध, और फल का औसत नहीं निकाला गया है। राजस्थान इस मायने में सौभाग्यशाली है, राजस्थान सौभाग्यशाली है दूध के मामले में। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार बागवानी पर ध्यान दे तो नींबू, पपीता वगैरह की बहुत अच्छी उपज हो सकती है, इससे राजस्व में वृद्धि के साथ साथ हम हमारे प्रदेश के लोगों को फल दे सकते

(श्री रामकिशन)

और राजस्थान प्रदेश दूसरे प्रदेशों को भी फल दे सकता है।

मैंने एक कटौती प्रस्ताव पशु-पालन के सम्बन्ध में रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशु-पालन की दयनीय स्थिति है। राजस्थान में १६५ लाख पशु हैं। सारे हिन्दुस्तान में जो पशु हैं उनकी १५ प्रतिशत संख्या राजस्थान में है और हमें आमदनी होती है तो राजस्थान में कुल आमदनी का १० प्रतिशत के बाद खेती पशुओं से ही हमें सबसे ज्यादा आमदनी होती है, ७६ करोड की होती है सालाना इसका मतलब यह हुआ कि एक पशु ११ रुपये साल का उत्पादन दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इस साल केवल पशु विकास के लिये एक डेढ करोड का प्रावधान रखा है, इस पशुधन का हम विकास नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भेड ऊन का भी विषय जो है, इन सबमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टि-कोण रखा है। मैं थोडी बात निवेदन करना चाहता हूं कि दूध के मामले में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा औसत है तो वह राजस्थान का है । हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति को पांच औंस दूध मिल रहा है, लेकिन राजस्थान के जो नये आंकडे आये हैं, उनसे मालूम होता कि राजस्थान में एक व्यक्ति को ९ औंस दूध मिल रहा है । लेकिन हम एक दृष्टि से देखें, कि १९५५-५६ में ११ औंस दूध मिलता था एक व्यक्ति को।

(१.०० म.प.)

अब जितना पहले मिलता था उससे उल्टा कम हो गया है। अब ९ औंस की ही औसत रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दूध का उत्पादन गिर रहा है मगर फिर भी हमारे यहां ४,००० मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। यह हिन्दुस्तान में सबसे बडा उत्पादन है। इससे हम मक्खन की डेयरी का उद्योग शुरू कर सकते हैं डेनमार्क की सारी अर्थ नीति दूध पर है। हमारी सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमारी सरकार ने तो मुर्गा-मुर्गी पालन और अन्डे और मछलियों के पालन पर ध्यान दिया है और इनको पालना शुरू कर दिया है। सरकार ने मुर्गे-मुर्गियों के पालन का अलग विभाग खोल दिया है और मछलियों का अलग । परन्तु हमारी सरकार ने जो कृषि की रिपोर्ट दी है उसमें यह नहीं बताया है कि मछलियां पालन और मुर्गे-मुर्गी पालन के लिये कितना रुपया रखा गया है। सरकार ने यही बताया है कि ऐसा अन्दाज है कि इससे २२ लाख अन्डे पैदा होंगे और उनसे इतने रुपयों की आय होगी और मछलियों से इतनी । दो हजार टन मछलियें पैदा होती हैं । इसके लिये राजस्थान में अलग विभाग की क्या जरूरत है, इसको एक में मिला दिया जाए तो खर्चा कम हो सकता है।

इसके अलावा राजस्थान में बहुत झीलें और कई तालाब हैं जहां मछलियां पाली जा सकती हैं। राजस्थान में अभी दो हजार टन मछलियां उत्पन्न हो सकती हैं मगर मैं यह कहूंगा कि सभी तालावों और झीलों को ले लें जिसमें मछलियें हो सकती हैं तो मैं कहूंगा कि बंगाल में जहां पानी ज्यादा है ज्यादा मछलियें होती हैं, मगर उसके मुकाबले में राजस्थान में भी जितनी मछलियें हम पालते हैं उससे कई गुना ज्यादा पाल सकते हैं। राजस्थान सरकार ने यह

Page No 79

(श्री रामकिशन)
घोषणा की है कि ३२५ तालाबों में मछलियें पालन का काम हो रहा है और इसके लिये एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): For your information, Sir. Fisheries Department has been transferred to Industries. It is no more in Animal Husbandry.
वे इसमें हैं ए० एच० ओ० । अभी ट्रान्सफर नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशन: पहले भी हमारे यहां यह उद्योग था और हम यह देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने अब इसको नया खोल कर कोई नया काम किया हो, वह नहीं है । सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में अभी बताया था कि ३२५ तालाबों में से १७९ तालाबों को इसके लिये लाइसेन्स दिये गये हैं । मछली विभाग यहां पर चलता है । मैं यह कहूंगा कि पूर्वी हिस्से में पानी ज्यादा है इसलिये उस तरफ यह काम अच्छा हो सकता है । इसके अलावा हमारे यहां भी मैं यह कहूंगा कि मछली विभाग को चाहिये कि कामां तहसील में जहां २५ गांव ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं । अगर सरकार वहां पर भी मछली पालन का काम करे तो देश के लिये बहुत लाभ हो सकता है । मगर हम देखते हैं कि सरकार सिर्फ कर्त्तव्य पालन के लिये ही यह काम करती है । इससे सरकार को कितनी आमदनी हो सकती है और कहां कहां यह उद्योग खोले जायें, इसका कोई साइन्टिफिक बेसिस आधार नहीं है । मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में जितने भी विभाग नये खोले जाते हैं वे किसी न किसी को सहारा देने के लिए ही खोले जाते हैं ।

कुछ दिन पहले सरकार ने कृषि विभाग में कृषि सलाहकार की नियुक्ति की थी और यह मालूम नहीं कि उन्होंने किस किस स्थान पर कृषकों को क्या क्या सलाह दी और क्या कार्य किया ? फिर भी यह जरूरी है कि उन पर ८ हजार का खर्चा होता है । जिस समय उनकी योग्यता के सम्बन्ध में पूछा जाता है तो कृषि मंत्री बताते हैं कि उनके खुद का फार्म है, वे खेती कर सकते हैं और काम करते करते उनके हाथों में छाले पड गये हैं आदि आदि । वे जल्दी जल्दी में न जाने क्या क्या कह गये, मैं उनको समझ नहीं पाया ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): ऐसा मैंने नहीं कहा कि....

श्री रामकिशन: मैंने आपसे यह निवेदन किया कि आपने क्या कहा, वह मेरी समझ में नहीं आया । आप सब जल्दी जल्दी में कह गये । मैं उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाया । आपने कोई कृषि की परीक्षा पास की है तो उसका कोई उत्तर नहीं । मैं कृषि मंत्री से कहूंगा कि उनकी नियुक्ति में अवश्य ही आपने पक्षपात किया है । आपने यह ५०-६० हजार रुपये जो किसी कॉक साहब को दिये हैं, वे कॉक साहब को नहीं दिये हैं न कृषि के सुधार के लिये दिये हैं बल्कि मैं यह कहूंगा कि आपने ये रुपये प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिये दिये हैं क्योंकि कॉक कास्मीरी ब्राह्मण है । मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैं भी जन्म-जात ब्राह्मण हूं । मुझे उनसे कोई मनमुटाव नहीं है । लेकिन इनको बाब और

(श्री रामकिशन)
से कृषि सलाहकार रखने से प्राइम मिनिस्टर का मुंह बंद हो जाता और वह चुप हो जाते हैं, इसलिये आपने उनको नियुक्ति की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): Point of Order, Sir. यह प्राइम मिनिस्टर को खुश करने की बात कैसे हो सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): On a Point of Order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो अभी बात बताई है कि प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिये यह नियुक्ति की गई है यह कॉन्ट्रेरी टू रूल्स है और प्राइम मिनिस्टर और एक कम्युनिटी पर रिफ्लेक्शन है।

I request the Chair that this may be expunged.

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान रखेंगे।

श्री रामकिशन: मैं इस सम्बन्ध में आगे नहीं कहूंगा। मैं इस पोइन्ट को यहीं बन्द करता हूं मगर यह सोचना है कि यह ८ हजार का खर्चा हो रहा है और टेलीफोन आदि का खर्चा जो उन पर किया जा रहा है वह उचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या हुक्म फरमाया ?

श्री रामकिशन: उसका इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री नाथूराम मिर्धा: इसका सम्बन्ध है। आपने जो बातें कही हैं और कह रहे हैं उसके लिये कोई बात तय नहीं हुई। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने उस पर क्या हुक्म फरमाया है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये इस प्रकार के शब्द नहीं हैं जिनको एक्सपन्ज कराने की आवश्यकता हो। इसलिये एक्सपन्ज कराने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऐसे अभद्र भाषण नहीं हैं।

श्री रामकिशन: तो सरकार इस पैसे को किसी दूसरे काम में लगा सकती थी। मेरा मतलब यह था कि अगर आपको रखना ही है तो आप सीधा ही कह देते कि कोई योग्यता आदि नहीं होते हुए भी हमने उनकी नियुक्ति की है। अगर आप पहले ही यह कह देते कि पक्षपात किया है तो हमें कोई एतराज नहीं था। और जब सरकार गलती करती है तो सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिये। आप एक तो गलती करते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते और उल्टी उस गलती को छुपाने का प्रयत्न करते हैं यह परम्परा ठीक नहीं है।

सरकार ने उत्पादन के आंकडे दिये हैं उन आंकडों की तुलना करने से पता लगता है कि उत्पादन बढा है, मगर जब हम देखते हैं कि कितना बढा है तो मालूम होता है कि यह उत्पादन प्रति एकड नहीं बढा है अन्न का उत्पादन नहीं बढा है। भरतपुर और अलवर में मूंगफली की पैदावार बढी है। सरसों और मूंगफली वहां बहुत हुई है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में देश की मदद कर सकती है। इस साल सरसों इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिये मगर मूंगफली बहुत हुई है। कृषि के मामलों में हमारे यहां के सलाहकार सलाह देते ही होंगे. लेकिन ऐसा मालूम होता

(श्री रामकिशन)
है कि कोई सलाह कृषकों को नहीं मिलती है। क्योंकि जहां वर्षा कम हुई वहां चना भी हुआ है। इसलिये वास्तव में भू-सलाहकार ने सलाह दी है या नहीं मगर कागजों में तो सलाह देते ही हैं और वह व्यवहार में होती नहीं है।

फिर ज्यादा वर्षा होने से भरतपुर जिले में चावल भी पैदा हो सकता है; इसके बारे में भी कोई सलाह नहीं मिली। मछली के बारे में भी नही मिली। मुंगफली के बारे में किसी ने कोई सलाह नहीं दी तो फिर किस मामले में उन्होंने कृषकों को सलाह दी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि कृषि अधिकारियों को चाहिये कि कृषकों को सलाह देने के लिये कैंप शुरू कर दे और उनको सलाह दें कि किस तरह से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। आज हम देखते हैं कि जितनी चीजें पैदा हो रही हैं वे सब बिना तरतीब व बिना कृषि एडवाइज के हो रही है।

मैं यह कहूंगा कि अगर अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के टूटे हुए बांधों को ठीक नहीं कराया गया और बाढ को आने से नही रोका गया तो तिलहन को बहुत नुकसान होगा। जहां ३ लाख टन तिलहन की पैदावार थी वहां एक लाख हो जावेगी। क्योंकि पानी ज्यादा आने से वह इलाका पानी से डूबा रहता है। जो क्षेत्र बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं उनका उत्पादन गिरता जा रहा है।

पशुपालन, कृषि और बागवानी के सम्बन्ध में अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सहकारिता के बारे में मेरा यह विश्वास है कि अब मुख्य मंत्रीजी ने सहकारी विभाग को संभाला है और सहकारिता में सुधार होगा। इसीलिये जब से चीफ मिनिस्टर सहकारी मंत्री हो गये हैं तब से कटौती के प्रस्ताव भी बढ रहे हैं। उनको इनकी देखभाल के लिये समय नहीं है फिर भी मैं कहता हूं कि वे सारे विभागों को अपने हाथों में रख रहे हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है और उससे यह साफ जाहिर होता है है कि हम ३० पर्सेन्ट लोगों को लोन दे पाते हैं। यह लेन-देन का चक्कर है और मैं इसमें नही पडना चाहता हूं। इस संबन्ध में जो गडबडी है उसके बारे में सारे सदन के माननीय सदस्यों ने बताया है। मेरा भी इसमें यही निवेदन है कि केवल उन्हीं लोगों को सहकारी समितियों द्वारा कर्जा दिया जाय जिनको कर्जे की जरूरत हो और मदद की जरूरत हो, न कि उन लोगों को जिनको कोई जरूरत नहीं है। इससे जरूरत-मन्द लोगों को पैसा नहीं मिलता है। क्या राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की भावना लोगों में पैदा की है? आम तौर पर यह होता है कि पंच या सरपंच जबरदस्ती लोगों के नामों से कर्जा ले लेते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं होता। भरतपुर जिले में बडे बडे इस प्रकार की गडबडी के केसेज होते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि वास्तव में क्या बात है। जो सरकारी पक्ष के लोग हैं उनके मामलों को जरूर दबा कर देखा जा रहा है। दूसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है

एक माननीय सदस्य : आपका पक्ष है।

श्री रामकिशन : मेरा पक्ष तो कोई वहां पर है नहीं। लेकिन वहां पर कांग्रेस के दो दल है। वहां से गलत तरीके से मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी आया हुआ है। इसलिये वहां की सहकारी समितियों के संबन्ध में मुझे मालूम है। उनमें बडी गडबडी है। सरपंच काफी रुपयों को खा गये। मैंने बहुत दिनों पहले इन्हीं गावों के संबन्ध में मामला उठाया था कि हतीजर गांव है, वहां कांग्रेस के सरपंच ने २० हजार रुपये का गबन किया है, तीन चार महीनों से वह

(श्री रामकिशन)
मामला अटका पडा है, सरकार ने कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की है।

सहकारिता के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार बढ रहा है उसे रोका जाय अन्यथा यह सहकारिता के लिये कुठाराघात होगा। मुख्य मंत्री इस ओर ध्यान दे, यह ऐसा क्षेत्र है जो हमारे प्रदेश के आर्थिक जीवन में उन्नति लाने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। हमारे प्रदेश में विकास की सबसे अधिक संभावना है, सरकार में भी मंत्री हैं, नये हैं, नौजवान हैं, उनको मौका दें, उत्साह पैदा करें तो हमारे प्रदेश की पैदावार व आमदनी बढ सकती है। वरना आज जो हम देखते हैं, आसाम के सिवाय हमारा राजस्थान सारे देश में सबसे पिछडा हुआ है, वह गिर रहा है, इसी तरह गिरा रहेगा।

राजस्थान में खेती पर आबादी बढती जा रही है, किस रेशियो से बढी है इस तरफ सरकार का ध्यान आना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): रेशियो ?

श्री रामकिशन: अनुपात! मुझे खुशी है कि मेरी बात का मुख्य मंत्रीजी पर असर पडा है, इसके लिये मैं आभारी हूं।

यूरोप में १,८८० में ९० प्रतिशत लोग खेती पर रह रहे थे, अब १० प्रतिशत खेती पर रह गये हैं। राजस्थान में यह हो रहा है कि लोग उद्योग धंधों की तरफ नहीं बढ रहे हैं। पढ जायं और मुख्य मंत्रीजी की यदि कृपा हो जाय तो क्लर्क हो जायें, नहीं तो खेती करें, यही दो चीजें आज हमारे यहां के नवयुवकों के सामने रह गई हैं।

तो मुख्य मंत्रीजी से कहूं कि क्लर्की वाली बात पर कम ध्यान दें। खेती पर आबादी किस अनुपात से बढ रही है, इसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, इनके भाषण में जितने अंग्रेजी के शब्द आये हैं, उनको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री रामकिशन: मैं बडा आभारी होऊंगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल सारस्वत।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ): माननीय उपाध्यक्षजी, म्हारो एक कटौती प्रस्ताव सहकारिता के संबंध में है, एक पशु पालन के संबंध में और एक कृषि के संबंध में, तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहली सहकारिता के संबंध में थोडी सी बातां राखूं। सहकारिता पर अब तक सारा बहुत सा माननीय सदस्य प्रकाश डालियो। सहकारिता की बहुत बडी रकम मैं समझूं रामजी का राज में हो, सहूलियतां हो ओर है राज में भी मुख्य मंत्रीजी की देखरेख में चाले है।

एक माननीय सदस्य: मुख्य मंत्रीजी चल्या गया।

श्री मोहनलाल सारस्वत: कोई बात नहीं मुख्य मंत्रीजी के बडे लागियोडो है के

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

सूणबा को। तो ई सहकारिता के ढांचे पर राजस्थान में जको योजना वाली है बी योजना के द्वारा ही पिछडियोडा प्रांत को हर तरह सूं भलो हो सके है और आ बात अच्छी तरह सूं समझी जा सके है के ई सहकारिता सूं मजदूर, किसान है, वांने लोन मिल कर बडा सूं बडो फायदो मिले। पण सहकारिता को रूप राजस्थान में अजीब ढंग को है के बीने आप देखोगा तो पतो चालेगो के सहकारिता की योजना जो मारे राजस्थान में लागू हुई बीं योजना को आज तक गरीब किसानां ने फायदो नहीं होयो। जका लोग के राज में संबंध राखे है, सफेदपोश है वे हीज फायदो उठायो। जगा जगा कोओपरेटिव सोसायटियां बणी, अठा तक के गरीब किसानां ने सदस्य तक नहीं होण दिया। राजस्थान में लाखां रुपयां रो भ्रष्टाचार आं सहकारिता में है। सहकारिता में भ्रष्टाचार के संबंध में मैं तो सैंकडों पत्र लिख चुको हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी खने ओ विभाग है, बाने भी कियो पण इणरे तो जडां में ही घुण लाग गयो। मैं जाणूं हूं मुख्य मंत्रीजी महोदय सुधारणों की चेष्टा करे है पण जका पहली सू नींव पडियोडी है वीं में सुधार होने री संभावना नहीं है। ई विभाग में कायदा, कानून, नियम आज तांई लागू होया नहीं, जका जठे मन करियो बठे ही बैठा दियो गयो, कोई पब्लिक सर्विस कमिशन में कोई आदमियों को चुणाव हो यो नहीं, चाहे कोई सात क्लास, १० क्लास पढियोडो हो कोई डिप्टी रजिस्ट्रार बणने बैठ गयों, कोई इंस्पेक्टर बणने बैठ गयो। बीके द्वारा राजस्थान में काम होयो। राजस्थान की जनता द्वारा सरकार ने शिकायतां करणे पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, पक्षपात होतो रयो। वीं को परिणाम है के एक एक गांव में राजस्थान सरकार को प्रोग्राम है के कोओपरेटिव बणांई जावे पण मारे अठे कोओपरेटिव बणाण वाला आवे और केवे के उठे ५ कोओपरेटिव सोसायटियां बणांणी है पण गरीब मजदूर किसान वां की बात सुणे तक नहीं, वे केवे के जका लोग राज काज में लागियोडा है वांको जो टोनिक मात्र है। मारी व्यक्तिगत आक्षेप करणे की मंशा नहीं मुख्य मंत्री जी ने अरज करूं के थोडा दिनां सूं थां खने ओ डिपार्टमेंट आयो है, परिवर्तन भी थोडो कर रया हो पण जको आदमी नाम पा गया है, बांको थोडो खयाल राखो। श्रीमान् निरन्जनसिंह जी बरगा रया और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, जका फर्माई रिया है, नाम सूं नी फरमाणो चाइजे। नाम सूं इस्या अवसर पर नीं फरमायो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): निरन्जननाथ केलिये नहीं फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ई बात को ध्यान राखो।

श्री मोहनलाल सारस्वत: या तो आप लोग ही कुछ कह लो या शान्ति सूं सुणो।

तो अर्ज करनो यो है के गंगानगर में लाखों रुपयों को भ्रष्टाचार, रायसिंहनगर में लाखों रुपयों को भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्य जगह जगह को बतायो।

मूं आपने स्पेशल उदाहरण बताऊं। मारे अठे राजगढ़ में मार्केटिंग कोओपरेटिव

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
सोसाइटी बणयोडी है। बीं में न कोई सदस्य है और हिस्सा सदस्यां का है व सारा का सारा अध्यक्ष के पेट में पड्योडा है। २९०० रु० लेणा उलझोड़िया है वीं का पतो नहीं।

आखिर में डूंगरगढ़ वालां डिप्टी मिनिस्टर की कास्टीट्एन्सी में। अठा की कोआपरेटिव सोसाइटी लोन लियो और लोन वितरण हो गयो पाछा वसूल होकर जमा नहीं होया और न जमा होवा के कारण- लोगां ने नयो कर्जा मिल्यो नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट तो दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनिट हो चुके।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तारानगर की यां की या स्थिति है न मेम्बर को पतो पांच दस जणां बणाय राख्या है। लोन ले जाये।

रतनगढ़ में मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी है और वीं में २० हजार रुपयो को गबन आडिट के रूप में है। और एक एक फिगर आडिट रिपोर्ट में दिखायो गयो है। कोई भी चीज, कोई कन्साइनमेन्ट, जो को-ओपरेटिव सोसाइटी में आया, सैंकडां की लूट बतायी। अठा सु आया और गबन के रूप में बताया गया। इतना आडिट होता हुआ भी और मारे जेड़ा सचेत एम. एल. ए. होता हुआ भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक लूज सोसाइटी है। ६ हजार रुपया आडिट के अनुसार गबन हुआ है कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये छोटी-मोटी हुई।

मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाऊं। राजस्थान में क्रय-विक्रय संघ बणायोडो है, लाखों आदमी बात कही होगी के बड़ो घोटालो है वीं में अन्न सु लेकर जकी चीजां ऊपर सु ऊपर कोटा अडप लिया गया। मुख्य मंत्री जी सु महारी अपील है के क्रय विक्रय संघ की स्पेशल तौर पर जांच करे और जनता में थोडो दिखाये कि सहकारिता का मामलां में गड़बड़ी ही, घोटाला हा, मुख्य मंत्री के पास जाता ही सुव्यवस्था हो गई। एक क्रय विक्रय संघ की बात कही।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

चूरू जिला में ऊन की वस्तु सोसाइटी बनायी। मेम्बर वगैरह नहीं। आपस में है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कटौती प्रस्ताव मेरा और है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी समय ले चुके हो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कृषि के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव और है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please आप काफी समय ले चुके हैं।

(विराम)

श्री मोहनराज।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कांग्रेस पार्टी का टाइम समाप्त हो चुका है। आप चैक कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय बाकी है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ३५ मिनिट यो के यों हैं हमारे।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कांग्रेस पार्टी वालां ने बहुत टाइम दियो।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया पांच मिनिट में समाप्त करें।

श्री मोहनराज : यह कृषि का धंधा ऐसा धन्धा है उसमें जो उत्पादन करता है उस को उत्पादन की हुई चीज का सही मूल्य आंकने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अगर कृषि की उपज की जो कीमत है उसकी ओर सरकार ध्यान देकर उसकी सही कीमत काश्तकार को मिलती रहे ताकि उसको उत्पादन की वृद्धि करने में पूरा उत्साह प्राप्त हो तो यह जरूरी कदम होगा। जितने भी दूसरे उद्योगों में लगे हुए उद्योगपति हैं वे स्वयं ही अपनी चीजों की कीमतें निर्धारित करते हैं, बाजार में बेचते हैं लेकिन किसान की स्थिति ऐसी है कि स्वयं उत्पादन करता है लेकिन उसकी वस्तुओं का मूल्य बाजार में व्यापारी लोग आंका करते हैं और उनके अनुसार ही उसके भाव नियन्त्रित होते हैं। इसलिये सहकारिता की बहुत बड़ी आवश्यकता नजर आती है। अलग, अलग किसान अपनी चीजों के भाव बाजार में नियन्त्रित नहीं कर सकते, सहकारिता यहां आकर उनकी मदद कर सकती है, काम करने में अग्रसर हो सकती है इससे किसान का बहुत बड़ा हित हो सकता है।

चूंकि प्रत्येक पंचायत में नयी योजना के साथ ग्राम सेवक काम करने लगेंगे इसलिये यह निहायत जरूरी है कि हर एक गांव की उत्पादन योजना बनायी जाय और कृषि के अन्दर तरक्की की जाय। चूंकि हर पंचायत में ग्राम सेवक रहेंगे। उनके पास वक्त भी होगा और इस प्रकार की योजना कार्यान्वित करने में सुभीता भी होगा।

एक और सुझाव अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि मुख्य मंत्री के पास कुछ समय पहले यह सुझाव आया कि गांवों के अन्दर श्रम बेंक खोले जायं। लोग श्रम जमा करायें और गावों की प्रगति में उसका उपयोग किया जावे। मैं यह सुझाव दूं कि गांव के अन्दर कम्पोस्ट बेंक जरूर खोलें। गांव के अन्दर ऐसा कूडा, कचरा और खाद जिसकी कोई हिफाजत नहीं होती है, जिसकी एक पका हुआ मेन्योर तैयार करने की योजना नहीं है, इस तरह का कूडा कचरा और कम्पोस्ट जो इधर उधर कचरे में चला जाता है, जिसकी हिफाजत नही होती है उसकी सुव्यवस्था की जाय और इसलिये विलेज कम्पोस्ट बेंक नाम की गांव में संस्था खोली जाकर वहां कूड़ा, कचरा जमा कराया जाना चाहिये, घर का मेन्योर हो और जो जमा कराना चाहे उसको करावे, उस बेंक के अन्दर जो गांव का मेन्योर है उसकी हिफाजत करायी जाय और उसको पकाया जाय और जरूरतमन्द लोगों को दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि यह जो बिगड़ता हुआ धन है उसकी हिफाजत होगी, उसकी रक्षा होगी और गांव के अन्दर बहुत बड़े धन का उत्पादन कर पायेंगे। यह एक ऐसी योजना है जिस पर विभाग विचार करेगा। इस पर मेरे स्वयं के कई तरह के विचार हैं और डिटेल्स हैं दिमाग में, लेकिन समय इतना कम है कि मैं उनका इस समय विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा।

तीसरी चीज सहकारिता के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो शिकायतें भ्रष्टाचार की सुनने में आती हैं ....

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : On a point of order, Sir, जिस समय सदन में भाषण होते हों सदस्य लोग ग्राफिशियल गैलेरी वालों से बात न करें। यह बहुत एतराज की बात है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले भी कई मर्तबा प्रश्न उठे हैं, उसको अनुचित नहीं माना है ।

एक माननीय सदस्य : पहले व्यवस्था दी गई कि ऐसा नहीं होना चाहिये फिर भी ऐसा हो रहा है । व्यवस्था के विपरीत हो रहा है ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अनुचित बात है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please। इसमें व्यवस्थायें हो चुकी हैं ग्रौर साधारणतया ध्यान रखा जावेगा, फिर भी जिनको पूछना हो तो वे जाते ही हैं ।

श्री मानसिंह महार : वे बाहर की तरफ पूछ लें । यहां भाषण देने में डिस्टर्ब होता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहां डिस्टरबेंस हुग्रा है ?

श्री मोहनराज : सहकारी समितियों के ग्रन्दर जो ग्रनियमितताएं ग्रौर विश्वास की जो कमी नजर ग्राती है वह हिसाब किताब रखने की ग्रव्यवस्था के कारण नजर ग्राती है । इस ग्रोर कई माननीय सदस्यों ने इशारा भी किया था । इस विषय में मेरा सुझाव है, बेंकों, सेविंग बेंक्स में या पोस्ट ग्राफिस में जब कोई खाता खोलता है तो उसे पास-बुक मिलती है । मेरा सुझाव यह है कि हर सहकारी समिति के सदस्य को उसका ग्रकाउन्ट बताते हुए पास बुक रखी जावे । जब कभी वह किसी प्रकार का कर्जा लेवे उस पास-बुक के ग्रन्दर निश्चित राशि ग्रंकित कर दी जाय ग्रौर उसके साथ-साथ किस, किस तारीख को किश्तें ड्यू हैं यह भी ग्रंकित कर दी जाय । जब किश्तें जमा कराई जायं वे भी पास-बुक में ग्रंकित कर दी जायं । इस तरीके से उसके पास क्या है, उसकी किश्त कब बकाया है—सब बातें पास बुक में मिल जाती हैं तो उससे वह स्वयं भी धोखा नहीं खायेगा ग्रौर दूसरे भी उसको धोखा नहीं दे पायेंगे । इस से सारा का सारा हिसाब ग्रधिक साफ रहेगा । जब कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक रखेंगे तो यह काम उसके सुपुर्द किया जा सकता है ।

इस तरह से मैंने कम्पोस्ट के संबंध में बेंक खोलने का सुझाव दिया है—ग्राम की उत्पादन योजना इस प्रकार की बनायी जावे जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो । इस पर हम ध्यान देंगे तो कृषि उपज ग्रच्छी हो सकती है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस मांग के संबंध में एनीमल हस्बेन्ड्री के संबंध में है । इसके ग्रलावा सहकारिता पर भी माननीय सदस्यों ने ग्रपने ग्रपने विचार रखे हैं । यह विभाग जैसा कि हमारी सरकार की ग्रोर से बजट दिया गया उसके ग्रनुसार इस विभाग पर १ करोड २७ लाख रुपया व्यय होता है ग्रौर इस विभाग की जो ग्रवस्था है वह मैं ग्रापके सामने रखूंगा ।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसमें फन्ड्स का मिस-यूज है उसकी ओर भी में आपका ध्यान दिलाऊंगा। इस विभाग का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग में नये नये विभाग खोल कर नये नये आफिसेज नये नये नाम से चलाने की अजीब प्रथा है। इस विभाग की २७ शाखायें हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न अधिकारी विभिन्न एस्टेब्लिशमेन्ट आदि का खर्चा इस विभाग द्वारा हो रहा है। इसी तरह से एनीमल हस्बेन्डरी विभाग को लें लीजिये। हर विभाग के लिये जितना खर्च किया जाता है उसके लिये यह आवश्यक होता है कि यह बताया जाय कि उस खर्चे से उत्पादन क्या बढा ? आज अगर देखा जाय तो पशु-धन में वढोतरी नही हुई। आज देखा जाय तो इस विभाग के होत हुए शहरों में, कस्बों में कहीं भी दूध का विकास नहीं हुआ। दूध अच्छा नहीं मिलता। डेयरी फार्म का अलग विभाग है, उसके लिये डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है और एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा मौजूद है। आप देखेंगे, जयपुर के अन्दर डेयरी फार्म खोलने के लिये २५ लाख रुपया मिला था उससे डेयरी कोआपरेटिव फार्मिग खोला गया। उसकी बिल्डिग में ३.४ लाख रुपया खर्च कर दिया गया। उसके अन्दर जीप है, ड्राईवर है, एस्टेब्लिशमेन्ट है, नौकर है, क्लर्क्स हैं, लेकिन वह डेयरी अभी तक नहीं खुली। आज तक दूध का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बिल्डिंग तैयार है, एस्टेब्लिशमेन्ट चालू है, इतना खर्च हो रहा है; फिर भी जयपुर जैसे शहर के लिये डेयरी का होना आवश्यक था वह नहीं हो रहा है। आप इसे देहली की जैसी या अन्य स्थानों की जैसी डेयरी का प्रबन्ध करे ताकि यहां पीने के लिये शुद्ध दूध मिल सके। आपका लंबा खर्चा जरूर चल रहा है उसमें किसी प्रकार की मितव्ययता नहीं कर रहे हैं। यह कोई नहीं देखता कि स्टाफ क्या करता है, क्लर्क क्या करते हैं, चपरासी क्या करते हैं और बिल्डिंग का उपयोग क्या हो रहा है।

पालट्री फार्म का ८३ हजार का बजट है। ४३ हजार रुपया तो सिर्फ मुर्गे मुर्गियों के दाने के लिये रखा हुआ है। इनके आंकडों को देखते हुए ४३ हजार रुपया तो सिर्फ मुर्गे मुर्गियों के दाने के लिये खर्च कर रहे हैं। इसको देखकर आश्चर्य होता है। इस खर्चे का नतीजा क्या निकलता है? अगर सब खर्चे का अनुमान लगाकर यदि अंडे की कीमत लगाई जाय तो एक अंडे के आठ रुपये से कम नहीं पड़ेंगे। एक अंडे की कीमत कई रुपयों में जाकर पडती है।

इसी तरह से बताऊंगा इस विभाग द्वारा गौ-सदनों पर, गौशालाओं पर काफी खर्चा किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न गौशालाओं को रुपया दिया जाता है और किन्हीं को नहीं दिया जाता है। गौशालाओं के अन्दर जहां हम रुपया देते हैं उनके अन्दर भी दूध का उत्पादन कितना हुआ यह भी कोई नहीं देखते हैं। कई गौशालाओं में बीमार गायों की तादाद बतायी जाती है और उसके अनुसार उसका खर्चा दिया जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य गौशालाओं को मदद देने का यह है कि वहां गायों की नस्ल अच्छी हो, उसके साथ साथ दूध का उत्पादन बढे लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इसी तरह से शिक्षा के लिये वेटरनरी आदि का लम्बा खर्चा हम वजट के अन्दर देखते हैं। हर पंचायत समिति में वेटरनरी इन्स्पैक्टर मौजूद है। हर जगह डिस्पैन्सरी और हास्पीटल खोल रक्खे हैं। इनकी ट्रेनिंग

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

के लिये बीकानेर में लम्बा खर्चा किया जाता है लम्बा बजट है। इसका रिजल्ट क्या है गांवों के अन्दर कितने पशुधन की रक्षा कर सके हैं इसको कोई नहीं देखता। आप गांवों के अन्दर या कस्बों के अन्दर देखेंगे वेटरनरी इलाज कोई नहीं कराता क्योंकि आदमी नहीं मिलते। इन्स्पेक्टर वगैरह तो अपनी डायरी भर लेते हैं। गांव वाले तो पुराने पशुओं के इलाज करने वाले हैं उन्हीं से गायों और बैलों का इलाज करवाते हैं, यह हमारी वेटरनरी की प्रोग्रेस है।

इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा, पशु-पालन में भी लम्बा खर्चा हो रहा है। इसमें भी एक चीज है कि जो आप खर्च करते हैं उसका रिटंन क्या है, उसका यूज क्या है? उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी से यह एक आलोचना का विषय बन जाता है। आप इस ओर ध्यान दें।

नोमेडिक के नाम पर खर्चा है, जीपें हैं। नोमेडिक वाले घूमते हैं। साल भर के अन्दर कुल २९ बुल्स को डिस्ट्रिब्यूट कर पाये हैं। जिनके पास ३८ जीपें हैं, आखिर इन ३८ जीपों का क्या उपयोग है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि आप इस ओर अवश्य ध्यान दीजिये। इन विभागों के अच्छे-अच्छे नाम हैं, अच्छी २ बिल्डिंग बना रखी हैं, फर्नीचर से खूब सजे हुए हैं लेकिन इनके उत्पादन को देखा जाय तो कुछ भी नहीं है। जितना फंड हम इनके लिये प्रोवाइड करते हैं उसका शतांश भी हमें वापिस नहीं मिलता। इसी से यह विभाग आलोचना का विषय बन जाता है और इसी लिये मिस-यूज की परिभाषा इसको दी जाती है।

अब मैं कृषि की उपज की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आजकल हम देखते हैं, कृषि का उत्पादन नहीं बढता है। वास्तविकता इसमें यह है कि आज नई प्रवत्ति काश्तकारों में देखने को मिलती है। अधिकांश काश्तकारों में सरसों पैदा करते हैं, मूंगफली पैदा करते हैं। पहले वाले काश्तकार गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि पैदा नहीं करते। वे सरसों और मूंगफली पैदा करते हैं क्योंकि उसमें आमदनी अधिक है और मेहनत भी उतनी नहीं होती। आजकल काश्तकारों की प्रवृति इस ओर जाने का कारण है इनके भाव चूंकि अच्छे हैं और इनके पैदा करने में कठिनाई और मेहनत भी कम पडती है इसलिये करते हैं। इस पर सरकार को नियन्त्रण करना चाहिए, वरना आज भी खाद्यान्न की समस्या है और आगे भी बनी रहेगी।

बस्सी में आपके फार्म हैं, और जगह हैं। बस्सी में बहुत बडा है। लाखों खर्च होते हैं उस पर। नई-नई बिल्डिंगें बन गई हैं। उपादन भी कुछ होता है। पर बराबर वाले खेतों के मालिकों पर उनका असर नहीं पडा, न पड़ सकता है। बस्सी तहसील भर के काश्तकार उनसे सबक लेकर काश्त नहीं करते। कभी आपने यह भी सोचा कि इसका क्या कारण है? किसान क्यों नहीं आकर्षित होता? क्या कारण है? क्या उसको अधिक कमाई करना अच्छा नहीं लगता? बात दूसरी है, कारण और है। किसान आज चतुर है, जहां अधिक कमाई की चीज देखी वहां वही क्रोप वह अधिक बोता है, इसमें तो उसने बहुत नकल की है, जिस को रोकने के लिये सरकार को कोशिश करनी होगी, जैसा मैंने

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

ऊपर कहा है। फिर क्या कारण है कि वह बस्सी वालों की सीख नहीं लेता। आप अपने कागजों में कुछ भी पैदा कर लो और बता दो। पर अगर आपके एग्रीकल्चर फार्म से आस-पास के काश्तकारों में यह प्रचार नहीं हुआ, कि आज के नये तरीकों के साथ काश्त करनी चाहिये, अगर वे विश्वास पैदा नहीं कर सके तो आपका यह व्यय इन फार्मों पर करना व्यर्थ है।

यही हाल है आपके बडे बडे एग्रीकल्चरल फार्मों का। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में काफी कहा है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

इसी तरह सीड के बारे में बताऊं। हर पंचायत समिति में सीड दी जाती है। पर वस्तुस्थिति इसकी मैं आपको बताऊं, क्या है। वहीं से अपने मिलने वाले काश्तकारों से बनियों से बड़ी मात्रा में अनाज खरीद लिया जाता है और वही बांट दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि इसमें आपके ये लोग क्या करते हैं, यह तो काश्तकार वहां से खुद ले सकता है। यह कौनसा अच्छा बीज कहलावेगा? कौनसा इसको टेस्ट उन लोगों ने, बी० डी० ओ. ने या एग्रीकल्चर एक्टेशन आफिसरों ने किया है? यह अच्छा बुरा तो किसान खुद देख लेता है। इससे क्या उत्साह मिलेगा? इसमें भी कहीं से टेन्डर लेने की जरूरत नहीं और वहीं, तीन-चार बनियों से मिलने वालों से ले लिया और बांट दिया। यह आप समझते हैं कि आपके रुपयों का कोई सदुपयोग हो रहा है? यह दुरुपयोग है, इससे फायदा नहीं होने का किसी को।

इसके साथ साथ में यह भी कहूंगा कि रिफार्म्स के तहत बहुत से रेवेन्यू कमीशन बनाये, उनको भी ठप्प कर दिया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जिससे किसानों को कन्सोलिडेटेड राय मिलती उसको तो बन्द कर दिया, पर जो व्यर्थ के हैं उनको नहीं कया।

एक समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक प्रवृति चली थी काश्तकारों में अपने खेतों में कच्चे पक्के मकान बनाने की। जब उनके पास रुपया आया तो उसको इस तरफ लगाने की उन्होंने कोशिश की। पर आज उनको हैरान किया जा रहा है। एक एक गांव में ६५—६५ केस उन पर चलाये जा रहे हैं। जब कि आपके एक्ट में इसका प्रावधान है, टीनेन्सी एक्ट में कि वह बना सकता है। पर आप कहते हैं कि कृषि भूमि को बगैर हमसे टर्न करवाये क्यों बनवा लिये। बांदीकुई में लिंगोटा, अलीपुर में ६५ नोटिस दिये हैं आपने। आप इस तरह से किसान का उत्साह बढा रहे हैं। काश्तकारों की राहत के लिये और कृषि की उपज बढाने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी रियायत दी जावे और जिन्होंने ऐसे केस बनाये हैं, उन पर जुल्म ढाये हैं उन पर एक्शन लें।

सहकारी आन्दोलन के बारे में मैं सिर्फ इतना सा अर्ज करूंगा कि यह वह विभाग है कि जिसके उपयोग की ओर, आवश्यकता की जरूरत मैं मानता हूं। यद्यपि इसके उद्देश्य और प्रिन्सिपल्स अच्छे लगते हैं, पर कार्य रूप में किस तरह से यह परिणत किया जा रहा है, यह नजरअन्दाज किया जा रहा है। यह सरकार नहीं देखती। इससे तो उनके सारे उद्देश्य और प्रिन्सिपल ही खतरे में

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

पड़ गये हैं। एक तरह से नेताओं को पंचायत समिति में बनाने के लिये या प्रमुख बनने के लिये एक एक सीट सहकारी समिति की है, उसके लिये इस सहकारिता की आवाज दी जाती है। उसकी हामी भरी जाती है। उसमें चुनाव के लिये यह सारी दिलचस्पी ली जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपने मिलने-जुलने वाले आदमियों को सदस्य बना कर रुपये ऐंठने का एक अच्छा तरीका यह बन गया है।

इस तरह से मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Point of information, Sir. कांग्रेस पार्टी के आदमियों को टाइम बहुत कम मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका समय तो करीब करीब पूरा हो चुका है।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पशु-पालन और कृषि पर कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं उनको पेश करता हूं।

मैं कृषि विभाग की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज किसान के लिये इतने कर लाद दिये हैं कि वह आगे बढने में असमर्थ हैं। आज इनको आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं हैं। रेवेन्यू-कर में इनको अधिक से अधिक मारा जा रहा है। आज किसान जमीन, बैल बकरी, भैंसे और गाय बेच रहे हैं।

मैं कांग्रेस के उन सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं कि जिनसे गरीब वर्ग को ऊंचा उठाने की बात कही जाती है। लेकिन आज कांग्रेस के उन सिद्धान्तों और नियमों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। दिनों दिन किसान पिछडता जा रहा है। आज उसके लिये बीज का ठिकाना नहीं, बैलों का ठिकाना नहीं। बैलों की तकाबी दी जाती है जब वसूली होती है उस समय बैल वापिस बिकते हैं, यह स्थिति है आज उसकी। किसान का घर गिरवी रख दिया गया है। हमने किसान को बनियों के चंगुल से छुड़ाना चाहा, पर आज सरकार के कामों के तरीकों का जो अनुभव किसान को हुआ है वह यह है कि वह फिर सोचने लग गया है कि इससे तो बनिया ठीक था उससे जो ऋण लेते थे वह अच्छा था और शान्तिमय तरीके से वसूल करते थे। लेकिन आज जो सरकार ने सहकारिता का नारा लगा कर, सोसायटियां बना कर हमको अधिक से अधिक ब्याज पर रकम दी जाती है जब उसकी वसूली का सवाल आता है उस समय सख्ती के साथ वसूल किया जाता है। आज एमर्जेन्सी के समय पर इन लोगों की इतनी तबाही है कि दिनों दिन किसान महसूस करता जा रहा है कि यह जो सहकारिता की पालिसी है, यह जो नीति है यह बिल्कुल विपरीत है। आज हमको बनियों के घरों में वापिस गिरवी रखा जाता है। मैं समझता था कि यह नीति आदिवासियों को अधिक से अधिक आगे बढायेगी.......

एक माननीय सदस्य : यह कितने टाइम पर जमा कराते रहे हैं ?

श्री विजयपाल कटारा : मैं सब बता दूंगा। तो इस बात को लेकर गांवों के लोग चौराहे पर, घरों में या बाहर बैठे हुए यह महसूस करते हैं कि यह सरकार क्या करने जा रही है। हमको क्या कहा था और अब क्या करने जा रही है? एक तरफ तो गरीब लोग जो कि जंगलों में रहते हैं उनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारी हलवाणी सोने की होगी, सोने की इंडूणी से पानी भरवायेंगे, हम घी की नदी बहायेंगे; पर यहां तो डालडा बहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हमारा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। मनुष्य का स्वास्थ्य मजबूत नहीं होता तो वह देश के लिए क्या करेगा? आज देश के अन्दर लडने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। आज गांव के जो भील लोग हैं, वह सबसे लडाकू कौम है और जो सुविधायें उनको देने के लिए कहा था वह उनको नहीं दी जा रही है। अगर उनको फौज में भरती क्या जायेगा तो वे सबसे ज्यादा आगे रहेंगे। लडते आये हैं और लडेंगे।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसानों को अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिए। डूंगरपुर के अन्दर सबसे ज्यादा गरीब किसान हैं उनको मुफ्त में दवाइयों देनी चाहिए, बीज देने चाहिए। डूंगरपुर के अन्दर सायलवाडा पंचायत में इल्लियां ने फसल बिलकुल नष्ट कर दी। बनियों के घरों में से किसान अनाज ले जा कर खा रहे हैं। वहां पर भी सरकार ने लगान वसूल करने में कोई कसर नहीं रखी है। लोग बिल्कुल परेशान होकर बैठे हैं कि हम किधर जायें। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस जिस इलाके के अन्दर फसल नष्ट हो गयी है वहां रिलीफ का कार्य जरूर खोला जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिन जिन गांवों में इल्लियां आने से फसल नष्ट हो गयी थी वहां तो अकाल घोषित नहीं किया और जहां अनाज पका था वहां घोषित किया। तो यह पक्षपात की नीति कब तक चलती रहेगी? अगर इसी तरह से सरकार चलेगी तो जल्दी से जल्दी उसके पैर उखडने की गुंजाइश रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और भी बोलना चाहूंगा। सीमलवाडा पंचायत समिति के विकास अधिकारी के बारे में एक बात सदन के सामने व एक कापी मेज पर रखना चाहूंगा। एक तरफ तो देश के ऊपर आपत्ति है और दूसरी तरफ मोटर के टूटने का खर्चा, आवागमन के टी.ए., डी. ए. का खर्चा, एक महीने में कितनी बार मोटर वहां टूटती है उसके हिसाब इसकी एक कापी माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी भेजी गयी है, स्थानीय एम. एल. एज. को भी भेजी गई है लेकिन आज तक इस पंचायत समिति के विकास अधिकारी के खिलाफ जांच करने का कोई पता नहीं है। वहां जो गलत भत्ता उठाया गया। जो अकाउण्टेण्ट था उसने झूठा बिल बनाने के लिए इन्कार किया लेकिन उसके ऊपर गलत आरोप लगा कर, एक औरत का आक्षेप लगा कर हथकडी लगा कर उसको डूंगरपुर में लाया गया। गलत भत्ता बनाने के लिए इन्कार करता है तो उल्टा उसी के ऊपर आरोप लगा कर तंग किया गया।

(श्री विजयपाल कटारा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसके एक दो शब्द पढ कर भी सुनाऊंगा....

श्री उपाध्यक्ष : पढने की आवश्यकता नहीं हैं। आपने जो कहा वह काफी है।

श्री विजयपाल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां जीप के पीछे अधिक खर्चा होता है। और बचत की जाये तो हजारों रुपये पंचायत समिति सिलमवाडा में हो सकती हैं। १२-१२-६१ को विकास अधिकारी की फैमीली को बांसवाडा ले जाया गया। यह कापी मैं सदन की मेज पर रखूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अभिलेख विस्तृत होने के कारण टेबल आफिस में रखा गया)

मुझे कम से कम और समय मिलना चाहिए था। आज गरीबों का गला काटा जा रहा है, लोगों को मुसीबतें हैं और मुसीबतों को भी कहने का यहां समय नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पंचायत समिति की जांच कराइयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री श्रवण लाल (हिण्डोन-सु०) : इनकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पार्टी का समय तो काफी है और आपकी जिन्दगी निकल जायेगी उसके बाद भी रहेगा।

श्री श्रवणलाल : समय आने पर मालूम पड जायेगा।

श्री गोकल प्रसद शर्मा : आपकी जिन्दगी में खत्म होने वाला नही है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके दिये हुवे निर्णय के विरुद्ध बात कर रहे हैं।

श्री गोकुल साद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के ऊपर मैंने कुछ कटमोशन्स दिये थे और सहकारिता हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन नारा है। जो इस देश में संस्कृति को मानता है उसे सहकारिता के रास्ते पर चलना पडेगा और देश की संस्कृति के नाम पर सहकारिता का विरोध करने वाले या तो सहकारिता को जानते ही नहीं हैं या जान बूझकर अपने आपको धोखा देते हैं। हमारे यहां पहले लोग व्यक्तिगत संपत्ति के लिए लडा करते थे पुराने जमाने में। उस समय यहां देवता और दानव दोनों ही बृह्मा के पास विरंची के पास पहुंचे कि हम संसार में क्यों लडते हैं और यह लडना कैसे मिट सकता है। इस पर विरंची ने उपदेश दिया कि "ब्रह्म अहं मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति" मैं ब्र हूं यह समझ लें और ब्रह्म के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। सारा विश्व हमारा देश है तुम विश्व में हो और विश्व तुम्हारे में है। सब एक के लिए हैं और एक सबके लिए है। जो इसके खिलाफ जाता है वह संस्कृति के विरुद्ध है। इस नारे के साथ साथ एक चीज और आ जाती है। नारा बहुत सुन्दर है पातंजलि ने कहा था। उन्होंने यह नहीं घोषणा की थी कि आज हम अगर वास्तव में सहकारिता के ऊपर चलना चाहते हैं एक दूसरे के दुख-दर्द के साथी हैं तो हमको यह कहना पडेगा कि

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

"सहकार प्रतिष्ठायां उत्थानम्"। बराबर का उत्थान तब हो सकता है जबकि सहकार की प्रतिष्ठा हम मिशन में करें । सहकारिता का हमने डिपार्टमेंट बनाया वह उसका काम करे–इस प्रकार बैठ नहीं सकता । यह सहकार धर्म है और कर्तव्य है संसार की उन्नति करने का और इसके लिए मिशन की तरह आदमी को काम करना पड़ेगा । उन्हें उसी तरह से रहना चाहिए जो कि सहकारिता के सिद्धान्त हैं । अब एक डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट के जो डाइरेक्टर हैं वह सहकारिता में कितना विश्वास रखते हैं, दूसरे सेक्रेट्री उसके आधार पर कितना चलते हैं, अधिकारी कितना चलते हैं–यह देखना पड़ेगा । अब अधिकारियों को सहकारिता की शिक्षा दी वह लेकर आये तो उन्होंने अपने घरों में सहकारिता का क्या काम किया ?

(४ म० प०)

या अपने क्षेत्र में सहकारिता के बारे में क्या समझाते हैं लोगों को और गवर्नमेंट ने उनसे क्या काम लिया, यह देखना पडेगा । घोषणा मात्र से सहकारिता द्वारा देश की उन्नति नहीं होगी । इसमें तो काम करना पड़ेगा । वह तब होगा जब सब लोग इसके साथ लग जायेंगे, हमें सहकारिता में ही चलना पडेगा । जो लोग शिक्षा प्राप्त करके आये, पूना वगैरह से, हमारे विभाग ने आज तक उनको कन्फर्म नहीं किया । जो शिक्षा प्राप्त करके नहीं आये थे उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बनी उसमें सबसे पहले ले लिया । जो लोग शिक्षा प्राप्त करके आये वे सोचने लगे कि हम क्या करें ? वे आ बैठे, यह समझने लगे कि हमको न तो तरक्की मिलेगी न कोई पूछेगा तो एक तरह का उनके हृदय में विद्रोह होता है, उनको काम करने का इतना उत्साह नहीं रहता । आपने बाहर से, पंजाब से अपने यहां सहकारिता की ट्रेनिंग दी । क्या आपने कभी उनकी कान्फ्रेन्स बुलाई है और उनसे सलाह ली है कि यह आन्दोलन कैसे चलावें ? कभी नहीं । सहकारिता आन्दोलन और उसको आगे बढाने के लिये कोई कान्फ्रेन्स नहीं हुई । पंजाब में सहकारिता आन्दोलन चलेगा वहां शिकायत नहीं है । हमारे यहां क्रेडिट कोऑपरेटिव हैं लेकिन हमारे यहां न तो माईनिंग के लिये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हो सकता है थोडी बहुत कुछ लोगों ने की हों । न ट्रांसपोर्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं न उद्योग में । उद्योग में किसी कारखाने में कोई सहकारी समिति नहीं है । कृषि में भी नहीं है, कुछ कृषि में अभी बनी हैं । यह बात और कह दूं कि वे कैसे बनी हैं कि जिनके घर के खेत की जमीन तो अलग है, गांव के पास कोई चकपडा है और उसको लेना है, सरकार से मुफ्त लेना है, १०-२० आदमी खडे हो गये और कहने लगे कि हमको सहकारी खेती करनी है । भैया अगर आपको सहकारी खेती करनी है तो खुद की जमीन भी तो इसमें मिलाओ । तुमको सहकारिता से प्रेम नहीं है अगर होता तो घर की भी इसके साथ मिलाते । ऐसे लोग कृषि सहकारी समितियां बनाते हैं । व्यक्तिगत लाभ मिल गया है उसके लिये हम आदर्शवादी हैं और अपना खेत अलग बचा रहे हैं इसलिये यह देखना चाहिये कि वे लोग किसी जमीन को लेने के लिये तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं । यदि ऐसा करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए ।

अब रही क्रेडिट सोसाइटीज की बात । यह कर्जा ले जाती है । यह निश्चित है कि

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

इनमें से हरएक में एक दो सूदखोर लगे रहते हैं। सरकार के कानून में यह गलती अवश्य है। वह ध्यान दे रजिस्ट्रेशन के समय कि कोई सूदखोर उसका मेम्बर न हो। वास्तव में गरीब किसान जो रुपया उधार लेता है उससे वह सूदखोर अपना पुराना रुपया वसूल कर लेता है। सरकार से रुपये लेने जाते हैं उससे पहले वह खुद उनको देता है और बैंक से जब किसानों को मिलने को होता है तो स्वयं के दिए हुए पैसे वापिस ले लेता है तो गांवों में सूदखोर लोग लोन देने के लिए एजेन्सी का काम करने लगे। इसको हमें रोकना पड़ेगा। यह कानून से ही रोक सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं रोक सकते हैं। जो लोग ब्याज कमाने का काम करते हैं उनको मेम्बर नहीं बनाना चाहिए। जो पैसा ले जाते हैं वह उसी में खर्च किया या नहीं—इसकी जांच करनी चाहिए।

आपके यहां १७,००० कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं और १,७०० नौकर हैं। ८०-८५ ज्यादा कर दिये होंगे तो १० सोसायटीज पर एक आदमी है चाहे वह चपरासी हो या दूसरी श्रेणी का हो। इतना स्टाफ होने पर भी ध्यान नहीं दे सकते क्या? हरेएक के लिये तो एक ऑफिसर नहीं हो सकता फिर भी १७,००० के लिए १,७०० आदमी सर्विस पर लगा रखे हैं उसके बाद भी काम पूरा नहीं होता। आप अगर इसको करना चाहें तो और ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हैं वे काफी हैं। उनके जरिये पता लग जायेगा कि जिस काम के लिये रुपया लिया गया है उन्होंने उसे उसी काम के लिये खर्च किया है या नहीं। बीच में खा गये हों तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आयन्दा के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि बीच वाले लाभ नहीं उठा सकें और हमारे नारे का फायदा दूसरे लोगों को न मिले।

इसी प्रकार कोऑपरेटिवज के बारे में लोन की बात बताई। रिजर्व बैंक से ढाई परसेंट पर लोन मिलता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को ७॥ परसेंट पर मिलता है, दो तीन परसेंट बैंकें खा जाती हैं। मध्य-प्रदेश में पैसे वसूल करने का काम बैंक स्वयं करती हैं लेकिन यहां पर सरकार ने इसके लिये भी डिपार्टमेंट खोल रखा है। ५ परसेंट छोटी बैंकें यों ले जाती हैं। ७ करोड रुपये हमने दिये तो ३५-४० लाख रुपयों की तो यों ही अपने आप कमाई चली जाती है। न तो सूद वसूल करने का खर्चा लगता है न और किसी में लगता है। रिजर्व बैंक से पैसे लिये पोस्ट आफिस की तरह लिफाफे इधर से उधर भेज दिये। वसूल करने के लिये सरकार का और स्टाफ रहता है। वे बडी से बडी इमारतें बना देते हैं, वसूली का खर्चा आपको करना पडता है उनको कुछ नहीं करना पडता। जैसा दूसरे प्रान्तों में करना पडता है वैसे यहां नहीं करते।

मैंने मध्य प्रदेश के व्यक्ति से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वसूली का खर्चा सरकार नहीं करती है बैंकें करती हैं। इसी तरह से यहां की बैंकों को भी करना चाहिए। १० लाख में से ५ लाख वसूल नहीं हुए तो भी उनको चिन्ता नहीं है क्योंकि डूब गये तो सरकार अपनी ओर से दे देगी। बट्टा खाता गया तो सरकार का नया बजट तैयार हो जायगा। तो इस पर हमारी सरकार क्यों खर्च करती है? ७ करोड रुपये करीब बैंक ने दिये, किसानों

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

से ७॥ पर्सेंट ले लिया ओवर हैंड कोस्ट के २ पर्सेंट और ले लिये, तो यह ९॥ पर्सेण्ट हो गया। सरकार १ करोड खर्च करती है। ७५.८० लाख वेयरहाउस कोरपोरेशन को दे दिये। तो ७ करोड का कर्जा, १ करोड का सरकार का बजट, ४०,५० लाख रुपये बैंक ले ले। अब दोनों मिला कर ७ करोड़ का कितना हुआ ? यह हो जाता है १॥ करोड़ एक दूसरे और मद में मैंने देखा है सोशियल वेलफेयर में भी सहकारिता का खर्चा है तो २४ परसेंट। कोई ऋण लेता है तो २४ परसेंट खर्च हो जाते हैं। सहकारिता के नाम पर और आन्दोलन कैसे होता है ? हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें कोऑपरेटिव विभाग से एक किताब मिली है। उससे मालूम होता है कि उसमें वे ही लोग मेम्बर हैं जो सहकारी समितियों के मेम्बर हैं। जो समितियां बनी हैं उनमें पब्लिक का पैसा अभी नहीं आया है। पब्लिक से सिर्फ ७३,००० हैं। बडी बैंकों और सरकार की पूंजी करीब ६॥ करोड रुपयों की है। पब्लिक का कोई अमाउण्ट नहीं है। खर्चा सरकार का ज्यादा होता है। बैंक की इतनी बडी बिल्डिंग है उसको फायदा कैसे होता है। मैं बताऊं कि उनको फायदा कैसे होता है। बैंक में ६॥ करोड रुपयों की सरकारी पूंजी है। उसके मैनेजर उस मकान में रहें और नीचे उनका घर लगे, दूकान करें और दूकान के अन्दर कोऑपरेटिव बैंक के चपरासी काम करें, स्टेशन से सामान लाना हो या और सब तरह का काम वे करते हैं। बैंक का मैनेजमेंट किसके हाथ में है ? आपने इसमें अर्थ दिया है तो उसके मैनेजमेंट में आपका हाथ होना जरूरी है। जितने लोग काम करने वाले हैं वे इसको मिशन मान कर करने वाले होने चाहिए। एक ही मकान में उनकी दुकान अलग और मैनेजमेंट अलग यह नहीं चल पायेगा। मैं समझता हूं मंत्रीजी से लेकर नीचे तक सबको सहकारिता में विश्वास हो तो मिशन की तरह काम करे, इसका नारा लगाना होगा। सहकारिता आन्दोलन बहुत आवश्यक है इसको सारी इण्डस्ट्रीज में चलाना पडेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, साढे चार बजे तक अमूमन डिस्कशन होता है, इसलिए पन्द्रह–बीस मिनट का टाइम बढाया जाय तो यह वाजिब रहेगा क्योंकि साढे चार बजे तक अमूमन डिस्कशन होता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आज दो-दो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अमूमन यह नियम नहीं है और करीब करीब सभी पार्टियों का समय पूरा हो चुका है।

श्री श्योपतसिंह : (हनुमानगढ) : नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : हो चुका है। It has been correctly calculated

श्री मानिकचन्द सुराणा : नियम का प्रश्न नहीं........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपके कटौती प्रस्तावों को पढ़ लेंगे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : हमारी पार्टी के लोग बोले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके एक माननीय सदस्य काफी बोल लिये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज सहकारिता और पशु-पालन वगैरह पर जो कट मोशन आये और उन पर वाद-विवाद हुआ, उसके साथ साथ कुछ और मुद्दों पर भी, जिनमें खास तौर से राजस्व विभाग से संबंधित दो-तीन बातों को भी इस सदन के अन्दर उठाया गया था । सबसे पहले मैं उस बारे में स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं । अभी कहा गया कि जो रेवेन्यू कमीशन सरकार ने कायम किया था, उसको एमर्जेन्सी की वजह से बीच में स्थगित कर दिया था और उसकी आवश्यकता राजस्थान में कृषि के अन्दर भूमि सुधार के परिणामों के बारे में जानकारी करने के लिए बहुत ज्यादा है । मैं आपके द्वारा यह जानकारी कराना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है कि रेवेन्यू कमीशन फिर से अपना काम शुरू कर देगा और जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को पूरा करेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक यह प्रश्न उठाया था इस सदन में कि कुछ जगह काश्तकारों ने मकान बनाए हैं और उनके खिलाफ काफी मुकदमें दायर कर दिये गये हैं । इस वजह से किसानों को तकलीफ हो रही है । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं इस संबंध में कि राजस्व विभाग की तरफ से जो किसानों के अधिकार हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है, वह न किया जाय—ऐसे आदेश जारी किये गये हैं । लेकिन उसके सिवाय भी राजस्थान में सैंकड़ों हजारों ऐसे मुकदमों के बारे में सूचना हमारे पास प्राप्त होती है कि कई स्थानों पर जिन लोगों को टीनेन्सी एक्ट के अनुसार मकान बनाने के लिए जमीन प्राप्त हो सकती थी, एक निश्चित सीमा तक उनकी समय पर दरख्वास्त नहीं पहुंची, या उनको इजाजत नहीं मिली, और उन्होंने मकान बना लिये हैं । तो उन सबके लिए, सिवाय प्रोजेक्ट एरिया और कुछ प्रोजेक्ट एरिया के आस पास के एरिया, जिसके लिए नियम हैं और जिनकी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को हो सकती है, सबके लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं कि एक निश्चित एरिया में एक हद तक जो अनओथोराइज्ड तरीके से मकान बना लिये हैं, उनको पांच रुपये देने पर पट्टा दे दिया जायगा और जिन लोगों ने इससे ज्यादा एरिया ले लिया है, उनसे निश्चित एरिया के बाद की और जमीन लेकर पट्टा दे दिया जायगा——इससे मुकदमे की परेशानी और हार्डशिप समाप्त हो जायगी ।

यह कहा गया कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा एरियर्स इकट्ठे हो जाने और एक साथ वसूली की वजह से तकलीफ होती है । उसके संबंध में जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमने आदेश जारी किये हैं, एक साथ किसी से भी दो साल से ज्यादा की वसूली नहीं की जायगी, जिससे उन लोगों को हार्डशिप ज्यादा न हो । मैंने जानकारी दी, बहस के दौरान में कुछ प्रश्न यहां पर खड़े हुए हैं, उनके संबंध में मैंने माननीय सदस्यों को······

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ये आदेश शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए हैं या जनरल······?

(श्री महेन्द्र सिंह)
यह जो दो साल के लगान के बारे में कहा, यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है या जनरल है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके जवाब में मैंने कहा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सहकारिता के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कट-मोशन पर बहस के दौरान अपने विचार रखे और बहुत से कट-मोशन, जो भेजे गये थे, पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाये । मैं प्रयत्न करूंगा संक्षेप में कि जितना उनके बारे में प्रकाश डाल सकूंगा डालने की कोशिश करूंगा ।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में सहकारिता का विकास जितनी तेजी के साथ पिछले कुछ वर्षों में हुआ, उससे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सब भली प्रकार से परिचित हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान के अन्दर केवल १ पर्सेंट यहां की जन-संख्या इस सहकारिता के अन्दर आ पाई थी और उसके बाद जो कुछ प्रगति हुई, वह आज राजस्थान की जनता के सामने है । मैं साथ साथ यह भी निवेदन करूं तो उपयुक्त होगा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कट मोशन की तादाद सदन के अन्दर काफी बढती जा रही है । मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों की सहकारिता के प्रति इतनी अधिक रुचि होने का संकेत मिलता है । दिन दिन इतनी रुचि बढती हुई चली जाती है और सहकारिता का महत्व मनोवैज्ञानिक असर सारे राजस्थान के अन्दर हुआ है । इतनी सफलता कम से कम हम कह सकते हैं, जिससे इतनी दिलचस्पी माननीय सदस्यों की भी इसमें दिखने लगी और आज कृषि, पशुपालन, सहकारिता––तीनों की मांग होते हुए भी सहकारिता पर लोगों ने प्रमुख रूप से विचार किया । मैं समझता हूं कि सफलता के लिए इससे बढ कर दूसरा सबूत नहीं हो सकता·····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ज्यादा कट मोशन आये तो ज्यादा सफलता और कम कट मोशन आये तो कम सफलता–– अच्छा मापदंड है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय सदस्यों ने सहकारिता के संबंध में कट मोशन दिये और कट मोशन के अन्दर कुछ जगहों के बारे में खास तौर से बताया गया कि वहां पर गडबड घोटाले हुए हैं, गबन हुए हैं, भ्रष्टाचार की बात है, और भी बहुत सी चीजें सहकारिता के संबंध में कही गई । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र के संबंध में एक तरफ कई कट मोशन भी आये हैं और माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और नियम, उप-नियम के अनुसार इसको स्वतंत्रतापूर्वक चलने देना चाहिए; दूसरी तरफ अगर यह कहें कि किसी मामूली से मामूली सहकारिता समिति में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और मिनिस्टर पर है––इस बात को भी उसके साथ में कह कर चलना चाहते हैं । मैं यह समझता हूं कि इन दोनों का मध्यम मार्ग इन सबके संबंध में चुनना होता है । आज भी स्थिति यह है कि जहां जहां को जो बातें हमारे समक्ष आती हैं, उनकी जा-

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
कारी करके जो कुछ उसमें जांच पडताल की जा सकती है, वह जांच पडताल करके कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जाता है।

रायसिंहनगर के संबंध में यह बताया गया कि लाखों रुपयों का उसमें गबन हुआ है और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें गबन होने की सूचना सरकार के पास आई। उसके बाद उसकी कार्यवाही भी की गई। उसके अन्दर जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ से वसूली के आदेश हुए, तो रामजसलाल, क्या नाम है? जिसका नाम भी लिया गया, उसके बारे में रेवेन्यू बोर्ड से रुकावट आई। उसके बाद फिर जांच-पडताल करके आडिट के द्वारा मालूम हुआ है कि चार लाख से ऊपर गबन और गलत लेन-देन हुआ है। इस तरह की बात सामने आई। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वहां का मामला हो, चाहे किसी और जगह का मामला हो, कहीं भी गबन या धन का दुरुपयोग करने के मामले हमारे सामने आयेंगे, तो उसमें कोई कार्यवाही कानून के अन्तर्गत की जा सकती है, उसको करने में हम लोग नहीं झिझकेंगे।

इसी संबंध में जयपुर.....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज रजिस्टर्ड हुए, उनमें वसूलियां रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थीं और जिन लोगों के पास रसीदें थीं, उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज कराई--तो उसके पूर्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई और पुलिस ने उन्हें क्यों छोडा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने जैसा निवेदन किया कि डिटेल्स का जहां तक प्रश्न है, एफ. आई. आर. किस स्टेज पर दर्ज हुआ, पुलिस ने क्या किया, क्या नहीं किया--इन सबकी जानकारी देने में असमर्थ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस संबंध में गबन और गलत लेन-देन की बातें ऑडिट द्वारा मालूम हों, जब ऑडिट रिपोर्ट आए, उसके बारे में पूरी तौर से कार्यवाही की जा सकती है। यह कह कर मैं चल सकता हूं।

गंगानगर के बारे में यह कहा गया कि बांसवाडा से मैंने यह आदेश दिया कि चुनाव लडने के लिये मोतीरामजी को इजाजत दी जावे। माननीय उपाध्यक्ष, यह सही है कि जब मैं बांसवाडा में था मेरे पास टेलिफोन आया और यह पूछा गया कि उनको ६ वर्ष हो चुके हैं और विधिवत् नियमों के अनुसार गवर्नमेन्ट चाहे तो उनको इजाजत दे, और नहीं चाहे तो नहीं। इस संबंध में किस मत को अख्तियार किया जाए। मैंने एक ही बात कही कि अगर संस्था में कोई इस प्रकार की बात हो जिससे कोई बाधा होती हो तो रोक सकते हैं अन्यथा किसी को चुनाव लडने से रोकना नहीं चाहता और किसी को चुनाव लडने से रोकना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं इस नीति को सामने रख कर चलना चाहता हूं कि स्वतन्त्रतापूर्वक जो भी चुनावों में आ सकते हैं, आवें। जहां तक हो सकता है किसी को चुनाव लडने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करें जब तक कि उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की बात न हो। मैं यह भी, माननीय उपाध्यक्ष, बताना चाहता हूं कि जहां तक गंगानगर कोऑपरेटिव बेंक का सवाल है, उसमें से रुपये लेने की बात

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
मेरे सामने नहीं आई है और न कोई लिये हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव के संबंध में जांच-पडताल की जा रही है और उसके बाद जो कुछ भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह करनी है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : किसान मार्केटिंग कोऑपरेटिव ......

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह मैंने कहा कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक से निकाले, वह बात है। दूसरी बात आपने बताई उसके लिये जानकारी कर रहे हैं। उसके बाद जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार के एम्बेजलमेंट के चार्जेज हैं तो ऐसे आदमी को कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लडने के लिये क्यों इजाजत दी गई ? आपने बताया कि आप जांच करेंगे। मगर जब चार्जेज उसके खिलाफ थे तो चुनावों में खडे होने की इजाजत क्यों दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : चार्ज मात्र होने से उसको चुनावों में खडा होने से नहीं रोक सकते। यदि हम किसी को महज चार्ज होने से चुनावों में खडा होने से रोक देते हैं तो कल आप ही कहते कि एलिगेशन प्रूव होने चाहियें थे। एलिगेशन तो किसी के खिलाफ हो सकते हैं, आपने कैसे रोक दिया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दलील नहीं ठहरती। मैंने कहा कि फेक्ट सामने आये हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : आपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या एक्शन लिया? उसमें साफ लिखा है और उससे साफ प्राइमाफेसी केस बनता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सेन्ट्रल बैंक के बारे में शिकायत होती तो रोक देते।

श्री भैरोंसिह : यह तो बैंक और मार्केटिंग सोसायटी के बीच में बात है। बैंक से कर्जा मिला मार्केटिंग सोसायटी को, और रास्ते में ही सारी चीज गडबड हो गई।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने जो आपसे निवेदन किया उसमें उनको इजाजत दी, उसका कारण बता दिया। आपने फेक्ट्स सामने रखे हैं, जांच करके जो कुछ उचित कार्यवाही है वह की जावेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो जिसने गडबडी की हो, उसके बारे में उचित कार्यवाही होगी और हम उचित कार्यवाई करने में नहीं झिझकेंगे। बशर्ते कोई शिकायत हमारे पास आए उसको जहां तक हो सकता है टालने की बात हो सकती है क्योंकि बहुत सी शिकायतें आपसी वैमनस्य से आ जाएं।

एक माननीय सदस्य : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि पाइन्ट आफ आर्डर तभी उठाना चाहिये जब कोई बात हो और पाइन्ट आफ आर्डर स्पष्ट होना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यहां पर भीलवाडा, भरतपुर, गंगानगर, चूरू, पीलीबंगा और कुछ और जगहों के बारे में कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में उदाहरण दिये गये कि कुछ जगह अनियमितताएं और गबन की शिकायतें हमारे सामने आई हैं। मैं यह कहूंगा कि

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

बनेडा के पास में ३२ हजार के करीब लोन का झगडा है उसके बारे में मैंने जो कुछ जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार लिक्वीडेशन की कार्यवाही की जा रही है और आगे जो होगा, होगा।

सीकर का जिक्र किया कि वहां राजनैतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है रेवेन्यू बोर्ड को बीच में डाला जाता है। मैं यह कहूंगा कि यह प्रश्न पैदा नहीं होता। हमारे पास यह शिकायत आई कि एक खोर (भीलवाडा के पास) की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और उस समिति के द्वारा यह काम चलता है। सहकारी समिति नहीं है और प्रतिवेदन के रूप में एक व्यक्ति आगे जा कर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बैंक में अधिकारी बनता है तो मालूम हुआ कि इसके बारे में सरकार ने आदेश दिये। मैं समझता हूं कि ऐसे आदेश दिये जावें उसको यह समझा जावे कि किसानों के हितकारी समिति थी उसको चलने नहीं देना और दूसरों के बारे में यह कहें कि चुनने के लिये आजादी होनी चाहिये तो जो लोग मनी-लेंडर्स के समर्थन की बात करना चाहते हैं यह गलत है। मैं यह कहूंगा कि मनी-लैन्डर्स कुछ जगह लाभ उठाना चाहते हैं और इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। मगर यह कहना कि मनी-लैन्डर्स की समिति के अन्दर हाथ है, यह गलत हैं। आम लोगों में जहां जागृति होगी वहां तो लोग मनी-लैन्डर्स को कोई घुसने नहीं देंगे और जहां पर जागृति नहीं है वहां पर वे लोग घुस जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा यह होगा कि जनता में जागृति की आवश्यकता है। इसके लिये प्रयत्न करने होंगे।

खर्चे के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि खर्चा ज्यादा है उसमें कमी की जानी चाहिये। बहुत सा वेस्टेज है, मैं कहूंगा कि आम तौर पर एक सरकारी विभाग के खर्च का एक पेटर्न है। पैटर्न पर किया जाता है। जितना स्टॉफ होना चाहिये उससे कम है। इसलिये वेस्टेज का प्रश्न जो उठाया गया है, यह सही नहीं है।

भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कट मोशन और भाषणों के जरिये जो इस बात पर वजन डाला है और डालने की कोशिश की उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग में १३६८ व्यक्ति हैं उनमें से कुल ४७ आदमियों के बारे में कांक्रीट शिकायत आई हैं और इस पर जांच की और ८ को डिसमिस किया, ६ के इन्क्रीमेन्ट रोके और २६ की इन्क्वायरी चल रही हैं और ६ के खिलाफ साबित नहीं हुआ। जहां कहीं शिकायत आई है कार्यवाही की गई है लेकिन जहां सारा का सारा संगठन ही इस प्रकार का हो, इस प्रकार की शिकायत सामने आवे कि उस पर तत्परता से कार्यवाही की जावे, उसके संबंध में भी कार्यवाही की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में यह केवल क्रेडिट देने की एजेन्सी के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि हमने बिल्डिंग कन्सट्रक्शन्स और दूसरे कन्सट्रक्शन्स के बारे में लेबर कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन दिया है। और सरकार ने यह नीति अपनाई है कि २० हजार से कम का ठेका हो तो बिना टेन्डर काल किये उनको दे दिया जा सकता है और उससे ऊपर का

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हो तो उसमें दूसरे लोगों से ५ प्रतिशत कम भी लेकर उनको ठेका दिया जा सकता है ।

इसी प्रकार वन-श्रम सहकारी समितियों को अलग अलग जगहों पर प्रोत्साहन दिया है जिससे आदिवासी और दूसरे लोग हैं वे एक्सप्लोइटेशन से बच सकें दूसरों के, और इनके द्वारा आगे बढ़ सकें ।

एक सिन्धु कोऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटी बताई गई और कहा गया कि सीलिंग से बचने के लिये परिवार वालों ने कोऑपरेटिव फार्मिग सोसाईटी बनाई। यह ठीक है, विभाग को पता चलने के बाद लिक्विडेशन की कार्यवाही तुरन्त चालू कर दी गई है, १० हजार का लोन दिया था उसकी भी वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे इलाकों में इस प्रकार की कितनी सोसाइटीज हैं, इसकी जांच करके उनको लिक्विडेट करने का आश्वासन देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हमारे सामने जहां भी ऐसी बात आयेगी हम इस तरह की कार्यवाही करेंगे । आज सदन में आने के बाद आदेश दिये गये हों ऐसी बात नहीं है, पहले ही आदेश जारी हो चुके है । और भी इस प्रकार सहकारिता के जरिये सीलिंग से बचने के कोई प्रयत्न हो रहे होंगे सरकार की निगाह में आयेंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता के नाम पर एक परिवार के लोग सीलिंग से बचने की कार्यवाही करें, यह न सहकारिता की नीति से मेल खाता है न यह सहकारिता की नीति के अनुकूल ही है और न इससे कोई लाभ ही इस दिशा में हो सकता है, इनको लिक्विडेट करने की कार्यवाही की जायगी ।

फार्मिग कोआॅपरेटिव सोसाईटीज के बारे में एग्रीकल्चर बोर्ड की मीटिंग बुला कर बात-चीत की थी । कृषि सहकारी समितियों को पहले गाइडेन्स की आवश्यकता होगी । बहुत सी कृषि सहकारी समितियां नई बनी हैं, नई जमीनें हैं, बहुत से भूमिहीन हैं जिनके पास कोई साधन नहीं हैं उनको साधन मिल सकें, बैंकों के जरिये सहायता मिल सके, पाइलेट सहकारी समिति है, नॉन-पाइलेट सहकारी समिति है, इनको मदद मिल सके, इनको सहायता मिल सके इसके लिये यह किया गया है कि एक एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार एक एक एग्रीकल्चर कोआॅपरेटिव फार्मिग सोसायटी को एक प्रकार से ओन करके ठीक तरह से खडी कर देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । जिसमें हम कृषि सहकारिता के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि कृषि सहकारिता सफल नहीं हो सकती, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि सहकारिता के संबंध में सिद्धान्त या आदर्श से बातें करने का सवाल नहीं है, व्यवहारिक सवाल है । इस माने में व्यवहारिक हो जाता है कि छोटे, छोटे होल्डिंग्ज हैं, उन पर जो साधन इन्डिविजुअल को, व्यक्ति को लगाने पड़ते हैं वह व्यवहारिक रूप से वेस्टेज है । गरीब मुल्क में मिल-जुल कर सहकारिता के आधार पर खेती करते हैं तो इससे उत्पादन में निश्चित रूप से बढोतरी होगी । एक इन्डिविजुअल फार्म साधन सम्पन्न व्यक्ति का है उससे सहकारी कृषि फार्मिग का कम्पेरिजन करें जिसमें साधन हीन लोग हैं तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा । पर साधनहीन, किसान पहले जो छोटे, छोटे होल्डिंग्स पर प्रोडक्शन कर पा

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

रहे थे उसमें और अब जो सहकारी कृषि फार्मिंग से कर रहे हैं उसमें कितना अन्तर है, यह देखने की बात है। वालंटरी कैरेक्टर का सवाल है वह तो है ही।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अच्छा हो एक एक गांव में एक एक सहकारी संस्था के बजाय और संस्था बनाते हैं तो इजाजत दें। पर माननीय सदस्यों ने बजट से देखा होगा कि सभी सहकारी समितियों का निर्माण हो रहा है, उनके मेनेजेरियल खर्चे के लिये बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की सहकारी समितियां बनें, उनकी क्षति-पूर्ति के लिये, उनको आगे बढाने के लिये, हम कितना खर्चा कर रहे हैं। एक ही गांव में यदि तीन चार अलग अलग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं तो आपस में कम्पीटिशन चलता रहेगा, विरोधाभास चलता रहेगा और एक ही कोआपरेटिव सोसाइटी होने से सारे गांव की एक इकाई सरकार के सहयोग से बन सकती है उसमें विघ्न पडेगा। इसको प्लानिंग कमिशन ने स्वीकार किया है कि गांव की सहकारी समिति को एक बना कर चलें।

कुछ कट मोशन्स रखे गये कि सहकारी समितियों का काम कर्ज देना ही नहीं है। मैं सहमत हूं पूरी तरह से, सहकारी समिति का काम कर्ज देना नहीं हो सकता, कर्ज दिया जाय तो प्रोडक्शन के लिये होना चाहिये। पर इसका आधार कर्जा देने के लिये कर्ज देने का न हो कर जो किसानों की आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखना कर्ज दिये जाने का आधार होना चाहिये। खाद और बीज देकर इसके उत्पादन में वृद्धि कर सकें, कुछ जगह सहकारी समितियों द्वारा, कुछ जगह पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा दिया जाता था उसके बजाय हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे राजस्थान में ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि शोर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन देने की एजेंसी एक ही होनी चाहिये, कोआपरेटिव, जिसके द्वारा लोन दे सकें और वसूल भी कर सकें।

वसूली के संबंध में कई कट मोशन्स आये हैं और कहा गया है कि वसूली में राजस्थान सरकार की शिथिलता रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोन दिये जाते हैं उनकी वसूली का काम कोआपरेटिव सोसाइटीज का खुद का है। वे वसूल नहीं कर पाये तो रजिस्ट्रार के पास सवाल आये और जब आखिरी स्टेज हो कि वसूल नहीं होता है तो आखिर में लेंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल करने के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अधिकार देते हैं। तो वसूल करने का अधिकार केवल सरकार का है, कर्ज देने का काम बैंक्स का है यह नहीं है।

एक आध कटमोशन्स में यह बात कही गई कि जो डिपार्टमेंट कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का था उसको पंचायत समितियों को सौंपने से वसूली में रुकावट आती है। पर मैं समझता हूं अलग अलग जिलों के परिणाम हैं उनको देखने से पता चलेगा कि सब जगह समान रूप से परिणाम नहीं आये हैं। हमने को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टाफ को आदेश दिये हैं कि वे भी वसूली में सहायता करें, अपने आपको अलग समझ कर न चलें।

कुछ कटमोशन्स में यह बात कही गई कि जिस समय किसानों को लोन की आवश्यकता होती है उस समय ठीक वक्त पर उनको लोन नहीं मिल पाते और इससे किसानों को दिक्कत होती है। गवर्नमेन्ट की तरफ से, रिजर्व बेंक की तरफ से सेंट्रल

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
कोग्रॉपरेटिव बेंक को देर से रुपया मिलता है ग्रौर इस तरह प्राइमरी सोसाइटीज को भी देर से मिलता है । सारे कोग्रापरेटिव बेंक्स के मैनेजर्स की मीटिंग की थी ग्रौर उन्हें कहा गया कि उनको जो धनराशि चाहिये वह सब एक साथ तैयार हो कर गवर्नमेंट के पास ग्रा जाय । समय भी इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि जून से पहले सहकारी कोऑपरेटिव सोसायटियों तक पहुंच जाय ग्रौर लोगों को मिल जाय । इस प्रयत्न से सुविधा होनी चाहिये ग्रौर हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं ।

लेंड मोर्टगेज के जरिये ट्रेक्टर ग्रौर दूसरी चीजों के लिये कर्ज दिया जाता है इसमें भी यह किया जा रहा है कि कई कोग्रापरेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं, उनकी तरफ से मांग ग्रायें तो प्राथमिकता उन्हें दी जाय जिससे कि ट्रेक्टर मिलने से फार्मिंग सोसाइटी जल्दी सफलता प्राप्त कर सके । तो यह पहली बात होगी जिससे उसको सफलता में ग्रासानी होगी ।

बहस के दौरान में यह भी कहा गया कि बहुत सी जगह कर्जा दिया जाता है, इसमें कुछ रुपया जिनको ग्रावश्यकता नहीं है, उनको ज्यादा मिल जाता है, जिनको ग्रावश्यकता है उनको कम मिलता है। कोग्रापरेटिव सोसाइटीज के नियम हैं कि १० टाइम्स तक कर्जा मिल सकता है, इसका प्रावधान रखा हुग्रा है । नोमिनेशन्स के बारे में भी कट-मोशन्स ग्राये हैं कि सरकार नोमिनेशन्स न करे । कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी जिक्र किया कि इन्डिविजुअल मेम्बर का जो एक प्रावधान है वह इसके अन्दर नहीं रहना चाहिये । मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को पसन्द करूंगा कि व्यक्तिगत तौर से रिप्रेजेन्टेशन चले आ रहे हैं उसको बन्द करें । इन्डिविजुअल रिप्रेजेन्टेशन नहीं आने चाहिये । जो आज प्रावधान हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट न होते हुए भी सर्टन मेम्बरशिप को पूरा करके जा सकते हैं । यह नियम पहले से बना हुआ है, नया नियम नहीं लागू किया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अगर प्रावधान है तो प्रोत्साहन तो नहीं देते ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: बार-बार अलवर से आने वाले माननीय सदस्य उस प्रश्न को खडा करते हैं । इन्डिविजुअल मेम्बरशिप को प्रोत्साहन देने की नहीं कहते वह तो अगेन्स्ट कहते थे । आपने कहा शोभा रामजी को खडा करना चाहते थे ४० आदमी उनके कम थे, मैंने मेम्बर्स बढवा दिये । शोभारामजी वहां चले जाते तो इन्डिविजुअल मेम्बर चुने जाते । साफ इन्डिविजुअल मेम्बर के लिए था । फन्डामेन्टल प्रश्न आप खडा करें वह हल नहीं होता । प्रश्न यह होता है कि वे यहां आयें जो ४३ मेम्बर थे, वहां के मेम्बर थे, किसी ने 'हां' कहा या 'ना' कहा, उनको भी चुनावों में मौका दिया जाय असली उसका झगडा यह था । इन्डिविजुअल का झगडा नहीं था । सेन्ट्रल बेंक में होना चाहिये या नहीं, एक्स हो या वाई हो, सिद्धान्ततः मैं उस बात को मानता हूं । इस चुनाव का जहां तक सवाल है, इन्डिविजुअल में कौन आयें और कौन नहीं, उसको स्वीकार किया जाय या नहीं, इसका झगडा था । जो मेरे पास आये आकर कहा कि ४३ मेम्बरों को नहीं लिया गया, दूसरों

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

को शाम तक लिया उनको भी स्वीकार किया जाना चाहिये । मैंने जरूर कहा कि जो मेम्बर शरीक होना चाहें, चुनाव करवा लीजिये आ जाय सो आ जाय । उपाध्यक्षजी, यह भी कहा कि ४० मेम्बर्स की कमी थी उसके लिए ४३ जोड रहे थे । अलवर में इन्डिविजुअल चुनाव हुए, उसमें शोभारामजी के, आपके कहने के मुताबिक ४० मेम्बर कम थे, उनमें ४३ और जोड दिये तो फिर उनको दो तीन वोट से ही जीतना चाहिये था लेकिन वे ४४ से जीते हैं । यह भी लागू नहीं होता ।

(विराम)

जैसा मैंने निवेदन किया कि कोई यह कहे कि किसी को मेम्बरशिप में शरीक नहीं होने दिया गया, आखिर में यह भी कहा उनको भी मौका दिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: लिस्ट के बाहर लोगों को ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: जो फेक्ट्स मेरे सामने आये उन पर निवेदन किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कौनसा अधिकार आपको ?

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मोहनलाल सुखाडिया: Let me have my say. I did not disturb you.

मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया जब आप बोल रहे थे । आप मुझे बोल लेने दीजिये ।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप यह तो बताइये............

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल: किस कानून के तहत आपको अधिकार था ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please

श्री मोहनलाल सुखाडिया: अगर किसी आदमी को हक नहीं मिलता है, हक मिलता है, कानून के खिलाफ कार्यवाही की है, हमने कहा कि जो मीटिंग की होगी वह मीटिंग कैंसिल करें । ४३ को मौका देना है या नहीं, नहीं देना चाहें तो......

(व्यवधान)

श्री हरिराम शर्मा (तिजारा): बाकी के लोगों को क्यों नहीं लिया............

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल: कानून के खिलाफ किया है........

श्री मोहनलाल सुखाडिया: कानून के खिलाफ किया है तो अदालत है .....

श्री रामानन्द अग्रवाल: जागीर की हुकूमत..........

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): वाऊ एन लाई की हुकूमत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री मोहनलाल सुखाडिया: यह सारा झगडा न इन्डिविजुअल मेम्बरशिप का है और न किसी सिद्धान्त का झगडा है। असल में कहा यह जाता है कि पोलिटिक्स लाना चाहते हैं इसलिए अलवर में यह किया गया। माननीय सदस्य अलवर से आते हैं, उनकी पोलिटिक्स प्रवेश नहीं कर पायी होगी......

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह राजनीति सामने आ रही है आपको डिक्टेटर बनाने के लिए ....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: तीन बार आप यह सवाल उठा चुके हैं, एक बार तो मुझे भी इसका जवाब देने दें।

श्री रामकिशन (बैर) :- कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा टूट गया है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी एक जवाब दे दें। मेम्बर्स ५५५ थे, हाथ उठाये गये ५७१। आप कहते हैं ४४ उठे थे। हाथ उठाये गये, मेम्बरों की ....

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो वहां मौजूद थे उनकी जानकारी ज्यादा है या आपकी जानकारी ज्यादा है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अगर . . .

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please!

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बगैर रिपोर्ट मंगाये ही कैसे ग्रोर्डर कर दिये ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बगैर रिपोर्ट मंगाये कैसे ग्रोर्डर कर दिये यह तो ब्लेटेन्ट इन्जस्टिस करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) : On point of explanation Sir ..

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जयकृष्ण शर्मा : On a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है। कई जगह ये शिकायतें आती हैं कि मीटिंग नहीं हुई और कुछ आदमियों को वोट नहीं देने दिया गया और चुनाव हो गये। यह सवाल एक अमुक का समझ कर नहीं लिया गया, जहां कोई बात हो तो उसको शरीक कर लेना चाहिये, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करें, हम यह कहें कि मेम्बर काट दें . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके सामने पहली संख्या है········

श्री मोहनलाल सुखाडिया: एक दो सदस्यों की कमी हो गई तो······

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४३ को लेकर और लोगों को आपने मौका क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सदन की परम्परा के अनुसार पहले चेयर को एड्रेस करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : 'मुख्य मंत्री ने तोडी परम्परा, कहा गया······

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मोहनलाल सुखाडिया: एक माननीय सदस्य ने कट मोशन मूव किया·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ब्लेटेन्ट इन्जस्टिस है ·········

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: माननीय सदस्य··

(शोरगुल एवं अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मोहनलाल सुखाडिया : चद्दरों वगैरह का उनसे वितरण करना चाहिए। माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि करीब २० कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए न सिर्फ चद्दरों के लिये बल्कि और चीजों के लिये सिफारिश की है, आइरन और स्टील और दूसरी चीजों का उनके द्वारा वितरण किया जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक सहकारिता के द्वारा बुनकरों का सवाल है काफी धन उनको वितरित किया जाता है और आगे के लिये इस वर्ष भी चार लाख रुपया स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बैंक के द्वारा अपने फंड में से और मिला कर जो सहकारी संस्थायें बनें उनको विकसित कर सके उनको रुपया दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे स्माल स्केल इन्डस्ट्री के क्षेत्र में सहकारिता को प्रोत्साहन मिल सके उसमें एक कदम आगे बढेंगे। जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्री का सवाल है यह काफी पेचीदा सवाल है। मैं ऐसा समझता हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिये बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं उनका समय के साथ ही निराकरण किया जा सके जहां तक सम्भव हो और दूसरी उनको मदद प्राप्त होती जाय जिससे वे बढती चली जावें। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिये मार्केट की सुविधायें ज्यादा खुल जाने के बाद ज्यों ज्यों फैलाया जा सके त्यों २ उनका फैलाव हो और वे आगे बढती जायं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर यह भी कहा गया कि जो मनी लैंडर्स बिल है वह इसलिये नहीं लाया जा रहा है कि मनी-लैंडर्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं इसलिये उनको लाइसेंस नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे यहां पर अलग अलग जगहों के उनके प्रतिनिधि बन कर बैठे हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बिल को पहले भी सदन में लाये थे, लेकिन वह लैप्स हो गया। हमारी कतई यह मंशा नहीं है कि मनी लैंडर्स बिल को न लाया जाय, इस पर कण्ट्रोल नहीं किया जाय, यह सदन के इस तरफ बैठने वाले

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
सदस्यों की कतई मन्शा नहीं रही है । पिछली बार भी मैं इस बारे में कह चुका था····

श्री रामानन्द अग्रवाल : लैप्स भी आप लोगों की वजह से ही हुआ था ? क्योंकि चुनाव आ रहे थे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस बारे में मैं पिछली बार भी कह चुका हूं इस सत्र के अन्दर हो सके तो हम मनी लैण्डर्स बिल लाने वाले हैं । मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कोई यह समझता हो कि मनी-लैंडर्स बिल लाने की ही बात कह कर कोई अपने आपको प्रगतिशील मानता हो और दूसरों के लिये यह कहे कि वे केपिटलिस्टों से बन्धे हुए हैं या हमने कोई आवाज नहीं उठाई । मैं आपसे निवेदन करूं सागडी प्रथा जिसके जरिये सबसे पीड़ित और शोषित आदि वासी थे उसको बन्द किया गया उसके लिये राजस्थान पहली स्टेट है जिसने इस प्रथा को समाप्त किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सौ वादों में से एक दो को पूरा कर लिया तो क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं उम्मीद करता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी जो जो खास खास बातें थीं और जो कोऑपरिटिव के बारे में कट मोशन आये उनका जवाब देने की मैंने कोशिश की । इसके अलावा अनियमितताओं के बारे मे गवन के बारे में जो बातें आई उन सारी चीजों की जानकारी करके इस बारे में पुख्ता कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Point of information, Sir. मैंने दो प्रश्न डिबेट के दौरान में उठाये थे, एक तो यह कि जो ऋण दिया जाता है उसका प्रोपरली युटिलाइजेशन होता अथवा नहीं, इसके लिये आपके पास क्या मशीनरी है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि जो लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर परपज के लिये उसका उत्पादन पर कितना असर पड़ा यानी उत्पादन कितना इफेक्टिव हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट होता है वह एग्रीकल्चर फीगर्स से जाना जा सकता है ।

लोन के प्रोपरली युटिलाइजेशन के लिये फील्ड स्टाफ इंक्वायरी करता है कि कहीं मिस यूज तो नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : मशीनरी कौनसी है इंक्वायरी करने की ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से अब कोई पोइण्ट बाकी नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं पूछना चाहता हूं पहले तो आप कह रहे थे कि भाषण के बीच इंटरप्ट न किया जाय बाद में पूछ लिया जाय और जब समय मांगते हैं तो वह नहीं दिया जाता ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कट मोशन रखा था उसमें एक विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पंचायत समिति के लिये एडवाइजरी कौंसिल्स का निर्णय था उसने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार द्वारा उचित तरीके से बटवारा किया जाय सारा स्टाफ पंचायत समिति को चला गया है, कौन्सिल का निर्णय है कि स्टाफ के बारे में पुर्नविचार किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राज्य सरकार के यह मामला विचाराधीन है । अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ, यह विचाराधीन है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! one at a time.

श्री विजयसिंह झाला : मेरा पोइण्ट ऑफ आर्डर है । यह परम्परा सदन में है कि कोई बोले उस समय इंटरप्ट न किया जाय इसलिये पोइण्ट ऑफ इनफोरमेशन वगैर से कोई बात नहीं पूछ सकते । इस बारे में मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, ज्योंही मिनिस्टर महोदय का उत्तर समाप्त हो जाय उसके बाद १५ मिनिट का समय सदस्यों की शंका के निवारण के लिये रखा जाय । इससे बीच में डिस्टर्बेन्स भी नहीं होगा और सभी सदस्यों को अपनी शंकाओं के निवारण के लिये मौका मिल जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें पोइण्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन का अवसर दिया जाय । यों तो जायज तौर पर दिया ही जाता है, अगर यही तरीका बना लिया जाय और किसी को बोलने नहीं दिया जाय तो इसको मैं उचित नहीं मानता। अगर किन्हीं माननीय सदस्य को पोइण्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन के बाद भी सन्तुष्टि न हो तो उनके लिये रूल्स में कई प्रकार की विधियां हैं जिससे सन्तुष्टि और प्रकार से प्राप्त हो सकती है । अन्यथा इस प्रकार पोइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन रेज करते रहे तो सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है । व्यवस्था के लिये निवेदन करता हुआ माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे बहुत आवश्यक समझते हों किसी बात को पूछना तो वे पूछ लें लेकिन पांच पांच और दस दस माननीय सदस्य एक साथ खडे हो जाय और बातों को पूछना शुरू करें तो सारा तारतम्य भाषण का नष्ट हो जाता है । इस प्रकार की परम्परा न पहले थी और न अब रहनी चाहिये । इसमें केवल आपके सहयोग की प्रार्थना है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Point of Order, Sir: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि १०-१५ मिनिट का समय रखा जाय , उसके लिये आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! This is not a point of order. He has just expressed himself to clarify the thing. There is no point of order in this.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय; मेरा कटौती का प्रस्ताव ७३ वां था , मुझे उस पर बोलने का मौका नहीं मिला । मैंने उसमें स्पेसिफिक मैटर रेज किया था लेकिन मंत्री महोदय ने उसका जबाब नहीं दिया मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उस बारे में थोडा सा प्रकाश डालें । मुझे तो ऐसा मालूम देता है मुख्य मंत्री महोदय ने उसे देखा तक नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्पेसिफिक मैटर होगा तो लिखकर उत्तर भिजवा दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of Order Sir !

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Point of order should not be a point of disorder.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर तो सुन लीजिये ।

(श्री विजयसिंह झाला)
जब मंत्री महोदय, किसी कट मोशन का जवाब देते हैं तो हरेक सदस्य को उसका रिप्लाई करने का अवसर मिलना चाहिये । इसके लिये आप समय फिक्स कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सदन का वातावरण भी नहीं बिगडेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल्कुल ठीक एतराज है कि इस प्रकार से समय मिलना चाहिये । लेकिन इसमें यह भी है कि उसमें भी माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिये । जहां तक माननीय सदस्यों को रिप्लाई का अवसर मिलना चाहिये, उस बारे में हम चेयर को पूरा अधिकार देते हैं और उसी अधिकार के अन्तर्गत समय का नियन्त्रण किया जाता है । इसमें भी अध्यक्ष महोदय ने सभी पार्टीज लीडर्स से पूछ लिया था और उसी के मुताबिक समय का निर्धारण हुआ संसदीय परम्पराओं को कोट करते हुए निर्धारण किया ।

इसके अलावा विभिन्न पार्टीज से जो कट मोशनस आये उन पर कतिपय माननीय सदस्यों ने जैसी कि व्हिप्स द्वारा लिस्ट दी गई उनको भाषण का अवसर दिया । इस दौरान में जितने भी कटौती के प्रस्ताव आ सकते थे आये और उन सब का आंशिक रूप से जवाब भी आ चुका । उस पर भी थोडी बहुत बातें रह जाय तो आप पूछ सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of Order, Sir. सदन का समय समाप्त हो चुका, इसलिये सदन का समय बढाने की इजाजत ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है । जब तक मांग स्वीकृत नहीं हो जाती, प्रश्न यह है कि सदन का समय बढाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढाया गया ।

(५ म. प.)

श्री भैरोंसिंह : एक शर्त पर इच्छा हो सकती है कि मिनिस्टर का इवेजिव रिप्लाई न आवे ।

(शोरगुल और आवाजें)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : एक एक बात का जवाब दूंगा मैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर इस बात का ध्यान रखेंगे ।

क्या यह सदन की मंशा है कि सदन का समय जब तक यह मांग पास न हो जावे तब तक के लिये बढाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगों के पारित होने तक बढाया जाता है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने 'हां' 'ना' तो पूछा ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें केवल हाउस की सेंस ली जाती है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सेंस भी हमारी नहीं है । हम तो इनको सुनना नहीं चाहते ।

We are fed up with this.

वे बहुत इवेजिव रिप्लाई देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अनुभव आपको नहीं होगा ।

श्री मानसिंह महार : वरना हम एक एक कट मोशन पर इंटरप्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की भावना ठीक नहीं है। मैं इस तरह के इंटरप्शन अलाऊ नहीं करूंगा। यदि आप एक्सप्लेनेशन के आशय से पूछेंगे तो ही अलाऊ करूंगा।

श्री मानसिंह महार : मैं पहले ही कह हूं। बाद में तो पूछने का मौका देंगे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मजबूरन बीच में पूछना पडेगा। या तो यह व्यवस्था आप दे दीजिये कि इसके बाद में जिनका जवाब वे नहीं दे पावेंगे उनके बारे में हम पूछ लें, वरना हमको मजबूरन बीच में पूछना पडेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको मौका दे दीजिये बाद में पूछने का। मैं बराबर जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में जरूर आप पूछ सकते हैं, बीच में इंटरप्ट न करने की शर्त पर। बीच में आप फिर न बोलें, यह मेरा निवेदन है। आपको भाषण के बाद में दस मिनिट पूछने के लिये दिये जावेंगे। पर इस शर्त पर कि आप बीच में न बोलें, इस व्यवस्था को भंग किया तो फिर नहीं दिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : बाते अगर अति आवश्यक हुई और वे जान बूझकर छोड गये तो इंटरप्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अत्यन्त आवश्यक हो तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मैं कोई ऐसा अवसर नहीं दूंगा इस सदन में माननीय सदस्यों को।

इस सदन में इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने के पहले जो यह सेशन शुरू हुआ जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण हुआ, उसके बाद बजट पर जनरल डिस्कशन हुआ, और आज हम तीसरे फैज में मांगों पर कटौती के प्रस्तावों की मार्फत कुछ बहस करने जा रहे हैं।

इसमें खास तौर से आज की जो मांग इस सदन में प्रस्तुत हुई कृषि के बारे में, पशु-पालन के बारे में, अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड के बारे में और सहकारिता के बारे में, उन पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कई कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये और कई माननीय सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर बहस में हिस्सा भी लिया।

मैं जो कुछ मुद्दे इन तीनों अवसरों पर जो उठाये गये उन पर, जिन पर मैं पहले सदन के समक्ष अपने विचार नहीं रख सका था और करीब करीब कुछ मुद्दे के पोइंट्स जो इस सदन में उन विषयों से संबंधित उठाये गये उनके बारे में कुछ बातें अब माननीय सदन के सदस्यों के सामने आपकी मार्फत रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सदन के सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं और जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उसमें खास तौर से राजस्थान का सूबा एक कृषि प्रधान सूबा है। जिसमें यहां की जनता का जो खास तौर से गांवों में रहने वाली जनता है, उसके जीवन-निर्वाह का साधन कृषि और पशु-पालन है और इस प्रांत के गांवों में रहने वाली ७५ पर्सेण्ट और उससे भी ज्यादा जनता इन दोनो साधनो से अपना भरण-पोषण करते हैं और वे य

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काम पीढियों से करते आये हैं और आगे भी जैसा कि एक सदन के माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में इन पिछली दो योजनाओं के पेश होने के बाद भी कृषि के ऊपर ज्यादा लोगों का नम्बर है वह बढा है और वह दिशा है जिस तरह दूसरी देशों में ज्यादा प्रगति हो रही है उसके विपरीत दिशा है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि आज की जो अर्थ व्यवस्था दुनिया के अन्दर दूसरे देशों में फैलती हुई जा रही है उसमें ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर की तरफ से वहां की सरकार वहां की जनता को हटाकर इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाने की कोशिश करती हैं। हमारे देश हिन्दुस्तान में भी हम इस बात का प्रयत्न करना चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा इंडिन्स्ट्रीयलाइजेशन हो, और जो कृषि के ऊपर खास तौर से ज्यादा कई देश के प्रांतों में ज्यादा लोगों का जो बोझा है उसको कम किया जाकर लोगों को इंडस्ट्रीज की तरफ लगाया जावे।

राजस्थान में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस प्रांत की डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन पर स्क्वेयर माइल को अगर हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों से कम्पेयर करें तो जहां बंगाल की डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन पर स्क्वेयर माइल ११ सौ के बीच है, वहां राजस्थान की डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन पर स्क्वेयर माइल १४५।१४६ के लगभग है। इसी तरह से डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन हिन्दुस्तान के और सूबों, बिहार, उडीसा, यू. पी., मद्रास, और मैसूर की डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन पर स्क्वेयर माइल से कम्पेअर करें तो राजस्थान की डैन्सिटी ऑफ पोपुलेशन पर स्क्वेयर माइल सबसे ज्यादा करीब लोवेस्ट आती है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफी बडा है जिसमें अब भी जो हम नये इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं खास तौर से उन हिस्सों में जहां पर आज तक एग्रीकल्चर की पोटेन्शियलिटी नहीं थी, सिर्फ पशु-पालन का ही काम होता था, वहां पर आज कृषि की पोटेन्शियेलिटी बढती जा रही है। इस कारण से राजस्थान की जनता के पास कृषि के विस्तार की और इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। हम काफी बडी तादाद में आगे आने वाली पापूलेशन की जरूरतों का भी मुकाबला कर सकते हैं जब तक कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज का विकास न हो जावे और इस तरह से जनता की आर्थिक स्थिति को कम से कम गिरने से आसानी से बचा सकते हैं।

इस दृष्टिकोण से राजस्थान में जैसा आप महसूस करेंगे पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारा कृषि उत्पादन का विस्तार हुआ है वह अधिकतर जमीन के विस्तार से ही बढा है। अधिक जमीन कृषि के नीचे आई है और इसी से उत्पादन बढा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वजह से वह ट्रेंड जिसे कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये ओन दी होल राजस्थान को भी होना चाहिये। पापुलेशन का झुकाव एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रीज की तरफ जाना चाहिये, पर जब तक वह दिन नहीं ला सकें, तब तक तो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर रहना होगा। इसमें इंडस्ट्रीयलाईजेशन में समय लगेगा क्योंकि इस दिशा में जो देश की सारी की सारी प्रगति हुई है वह पिछले दस, ग्यारह या बारह साल में हुआ है। देश की इण्डस्ट्रीयलाइजेशन का इतिहास पिछले दस साल, ग्यारह साल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

या बारह साल का कहिये, है । इससे पहले न इस प्रकार की विकास योजनायें थीं, न विकास के बारे में सोचा ही जा रहा था, क्योंकि हम उन दिनों अंग्रेजों की गुलामी में थे । इस तरफ उस सरकार का ध्यान नहीं था ।

आज हम जिस योजनाबद्ध तरीके से सोच रहे हैं आजादी के बाद से और आगे बढने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी बातें १२, १५, साल पहले नहीं थीं । तब हम गुलाम थे और हमारे प्रांत की हालत तो उस से भी बुरी थी, जिसे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है । अलग अलग यहां रियासतें थीं, अलग अलग हालात थे । इस कारण से वे खेती बाडी के विस्तार के दृष्टिकोण से, न उद्योगों के विस्तार के दृष्टिकोण से और न पशु-पालन आदि के विस्तार के दृष्टिकोण से सोचा गया न सोचा ही जा सकता था ।

तो यह सारा काम नया है । दस साल का समय इसके लिये अधिक नहीं है । इस वजह से इस प्रांत में आज हम जो खेती की और तरक्की करने के लिये आगे कदम बढा रहे हैं या उद्योगों का विस्तार करने के लिये आगे बढ रहे हैं तो वे बहुत बडे कदम नहीं हो सकते और सारे देश में जो रिजल्ट रहा है उसके मुकाबले का रिजल्ट यहां देखना चाहें तो इतनी जल्दी यह रिजल्ट यहां देखने को नहीं मिल सकता ।

हमने खेतीबाडी के सिलसिले में इन पिछली दो योजनाओं में जो सिंचाई के बडे-बडे काम किये, मीडियम इरिगेशन के काम किये या छोटी सिंचाई की योजनाओं के काम किए कृषि की भूमि में भूमि सुधार करके रेवेन्यू लॉज में परिवर्तन करके किसानों को फिक्सिडिटी ऑफ टेन्योर, फिक्सिडिटी ऑफ रेंट इस प्रकार के जो कुछ कानून के रूप में हक दिए उन्हीं का परिणाम हुआ कि किसानों को महसूस हुआ कि यह जमीन उनकी है, खेत उनके हैं और जो ज्यादा जमीन बेकार पडी थी उसको किस प्रकार से लेकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उसके ऊपर करें और हमारे देश की जो सबसे बडी नीड है उत्पादन की उसको पूरा करें । जैसा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब राजस्थान एक बना उस समय राजस्थान के अन्दर जितनी जनसंख्या थी उस समय उनका जो फूड और सीरीयल्स का कन्जम्पशन था वह २८-२९ लाख टन के करीब था और उस समय का राजस्थान का उत्पादन था वह इससे भी कम था । अब जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी जो कि बहुत बडी पंचवर्षीय योजना नहीं थी राजस्थान के लिए क्योंकि कुछ इस प्रकार के भूमि सुधार के कामों की शुरुआत उस समय में होने लगी, कुछ इस प्रकार की भावना आने लगी कि हमें हमारा प्रोडक्शन बढाना चाहिए तो उस हिसाब से परिणाम निकला और पहली पंचवर्षीय योजना तक हमारा जो राजस्थान का उत्पादन बढा वह लगभग करीब ३७-३८ लाख टन सीरीयल्स का उत्पादन पहली पंचवर्षीय योजना के खतम होने तक हम पहुंच पाये और इस तरह से हम लगभग ३-४ लाख टन सीरीयल्स में डेफिसिट थे उस समय जिस समय कि राजस्थान बना था वह पंचवर्षीय योजना जो पहली थी उसके अन्त तक करीब करीब उस डेफिसिट को पूरा करके राजस्थान की पोपूलेशन जितनी बढी उस दृष्टिकोण से हम सेल्फ सफिशियेंट फूड प्रोडक्शन के मामले में हो गये और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजना में हमने फूड प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा रुपयों के हिसाब में और एक्च्युल प्रोडक्शन के हिसाब में जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के फूड प्रोडक्शन के आंकडों का कम्पेरीजन करते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के फूड प्रोडक्शन के आंकडों से उसके बारे में थोडा सा जिक्र माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान के लिए बनी उस समय हमारी शुरू में फूड प्रोडक्शन की स्कीम थी उसके लिए ४।। करोड रुपये की धनराशि का आंकडा हमने रखा था और उस ४।। करोड रुपये की धनराशि को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी होती है यह कहते हुए कि हमने ४।। करोड के बजाय ५।। करोड दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक फूड प्रोडक्शन की स्कीम में खर्चा किया और उसका जो परिणाम निकला जैसा सदस्यों ने स्वयं ने भी स्वीकार कर लिया है कि फूड प्रोडक्शन बढा है और काफी ठीक बढा है ८ के बजाय १० बढा है इसके बारे में आज से दो साल पहले रोज चर्चा होती थी और आसानी से इस बात को भी नहीं मानते थे . . .

श्री रामकिशन (वैर) : वह हमने मान लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : I am not afraid of interruptions, but I am giving you facts and figures. All the Members are now convinced that food production has increased.

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यों निवेदन कर रहा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जैसा मैंने फाइनेंशियल टार्गेट्स में कहा कि राजस्थान की दिलचस्पी थी कि फूड प्रोडक्शन बढे, ज्यादा से ज्यादा जो सहायता पहुंचाई जा सकती है वह पहुंचाई जानी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से ४।। के बजाय ५।। करोड जो प्लान की मद में फिगर है उसकी भी डिटेल्स को देखेंगे तो आपको आंकडे प्राप्त हो जायेंगे तो इरिगेशन के छोटे साधन जैसे कुए हैं जो जल्दी बन सकते हैं उनको बढाने के लिए सैकिन्ड योजना में भी काफी प्रयत्न किए और १ करोड की अधिक धनराशि लक्ष्य के रूप में मंजूर की गयी और उसका परिणाम यह हुआ कि ८ लाख टन के बजाय १० लाख टन एडीशनल सीरीयल्स का फूड प्रोडक्शन हमने राजस्थान में किया। इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा जो फूड प्रोडक्शन का बेस जो पोटेन्शियलिटी हमने राजस्थान में क्रियेट कर ली वह ५० लाख टन के लगभग जिसको मैं बेस मान कर चलता हूं और जिस तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना में आगे बढना चाहते हैं उसको लेकर आगे बढ रहे हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हमने फूड प्रोडक्शन के बारे में १०।। करोड रुपये का लक्ष्य रखा था फाइनेन्शियल पोइण्ट ऑफ व्यू से उसको अब हमने कोर ऑफ दी प्लान में घटा कर ७।। करोड के लगभग कर दिया है। यह ठीक है जो कोर ऑफ दी प्लान राजस्थान में बनाया है वह कोर ऑफ दी प्लान २३६ करोड का जो ओरीजिनल प्लान था और जिसको २०८ करोड का कोर मान कर चलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि २०८ के बजाय

Page No 114

(श्री नाथूराम मिर्धा)

२३६ का पूरा करें लेकिन जैसा मुझे लगता है राजस्थान के आर्थिक साधन हैं वह हम इतने नहीं जुटा पायेंगे क्योंकि ओरीजिनल प्लान के अन्दर जो हमारे राजस्थान के अन्दर फाइनेन्सियल रिसोर्सेज माने थे वह ८० करोड के लगभग माने थे और उनका भी ब्रेक-अप यदि सदन के माननीय सदस्यों में जैसे भाषण को सुना उन्होंने काफी अध्ययन किया है उसमें भी ३२ करोड के लगभग तो टैक्सेशन के प्रपोजल्स थे और २० करोड का पब्लिक लान का प्रावीजन था, २० करोड के दूसरे रिसोर्सेस जो कि नोन-टैक्स रेवेन्यू के रूप में जो लेण्ड के बैटरमेंट से दूसरी कई चीजों से वसूल करना चाहते हैं उनका प्रपोजल था, कुछ अल्प बचत के १० करोड मान कर चलते थे। इस तरह से जितने रिसोर्सेज ८० करोड के बढने के लिए सोचा था उनको वापिस रिव्यू किया असलियत में जो स्कीमों की प्रोग्रेस हु और इम्पलीमेंट होकर जब रिटर्न आयेगा तो मेनफाल जो नजर आता है वह नान टैक्स रेवेन्यू के सिलसिले में जो आंकडे लिये थे, जो हमने सोचा था २० करोड का उसमें ४-५ या ज्यादा से ज्यादा ६ करोड तक पहुंच सकते हैं। टैक्सेशन का जो प्रोग्रेस हुआ वह भी बहुत मामूली था···

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : टैक्सेशन में तो टार्गेट्स से आगे पहुंच जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं नहीं पहुंचेंगे और अगर पहुंच जायेंगे तो सदन के माननीय सदस्यों की बहुत मेहरबानी होगी। कोर में भी डर लग रहा है। सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा तो अच्छी बात है। योजनाओं को और तेजी से पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का सहयोग रहेगा तो पूरा हो सकता है। ३ साल और बाकी पड़े हैं इस योजना में। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसमें रिसोर्सेज में काफी कमी मालूम होती है और लगभग ५० करोड तक के ही रिसोर्सेज जुटा पायेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल जाते हैं, २५-२६ करोड तक पहुंचा सकेंगे। वैसे सदन के सदस्यों का सहयोग रहा तो और भी ज्यादा हो जायेंगे·······

श्री रामानन्द अग्रवाल : सहयोग तो इधर का ही नहीं उधर का भी टूटता जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सहयोग आयेगा, एफीशियेन्सी आती है सहयोग भी सब आयेगा·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब तक जबरदस्ती गले से उतारोगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गले में उतारने की तो बात ही है। जनता के नुमाइन्दों के कहते कहते उतरेगा। इसमें क्या बात है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बहुत ज्यादा विसफुल थिंकिंग पर मत चलिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों की नाड पर हाथ रखे हुए हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि ५० करोड रुपये के रिसोर्सेज करके २०८ करोड का कोर मान कर चलना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir. आपने ५० करोड के रिसोर्सेज बताये हैं। वित्त मंत्रीजी ने ७४ करोड के रिसोर्सेज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
बता दिये हैं। आप उनको चैंक अप करलें प्रोसीडिंग्स और रिकार्ड स को देख कर।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): प्लान को फाइनेंन्स करने के लिये आज के एस्टीमेट्स के मुताबिक ४५ टू ५० करोड की फॅसिलिटीज है। थर्ड प्लान में टोटल इन्कम क्या होगी, यह अलग बात है; प्लान को फाइनैन्स करने के लिये हम कितने रिसोर्सेज देंगे यह अलग बात है। . . . . . .

श्री नाथूराम मिर्धा: दो चार करोड इधर उधर की बात नहीं है, यह तो अंदाज है . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह बहुत महत्व पूर्ण है। इसमें आप २० करोड का फर्क बता रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपको बता दिया न कि ५० करोड के लगभग है . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा: वित्त मंत्रीजी के कथन में और आपके कथन में काफी फर्क है।

श्री नाथूराम मिर्धा: वित्त मंत्रीजी भी यहीं बैठे हुए हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: वित्त मंत्रीजी इस बात को समझ गये हैं, अफसोस इस बात का है कि सरकार नहीं समझी।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे ख्याल से यह विवाद का विषय नहीं है। . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह बहुत बडे विवाद का विषय है। ७४ करोड ले रहे हैं या ५० करोड ले रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आप तो अपने डिपार्टमेन्ट तक ही महदूद करें, इस झगडे में क्यों पडते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे तो डिपार्टमेन्ट का भी रखना पडेगा और सारे राजस्थान का ध्यान रखना पडेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो फिर सही जानकारी दीजिये न?

श्री नाथूराम मिर्धा: सही जानकारी ही दूंगा, गलत नहीं दूंगा।

मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि इस तरह से २०८ करोड का कोर माना है। इसमें कृषि के लिये १० या १०।। करोड वैसा का वैसा रखना संभव नहीं था इसलिये ७।। करोड का कोर मान कर चलते हैं। पर मैं सदन के माननीय सदस्यों को एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोर भी रहा उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रोग्राम जितना १०।। करोड का सोचा है उसको खर्च कर पायेंगे क्योंकि हर साल यह मानकर चलते है कि जितना रखते हैं उसके अलावा ओवर एंड अबाऊ प्लान सीलिंग गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया के पास हम अपने सोयल ईरिगेशन और माइनर ईरिगेशन प्रोग्राम के लिये, जिसके लिये गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया हमेशा कहती रहती है, हमारे पास फंड्स हैं और यदि आपकी स्कीम टाइम पर आयेगी और मनी खत्म हो जायगी तो भी और देने को तैयार हैं।, इस स्कीम के तहत हमने थर्ड फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट इयर में करीब ३५ लाख रुपये ओवर एंड एबव-प्लान सीलिंग के इस मांग में खर्च किये है। दूसरी साल में ७० लाख रूपये इस हैड में और मिले हैं उसको खर्च करेंगे। इस तरह

(श्री नाथूराम मिर्धा)
करीब करीब १ करोड रुपये का प्लान में प्रोवीजन था दो साल में उससे ज्यादा पैसा मिला है और उसको खर्च किया है। इसलिये जो लक्ष्य ७।।। करोड का रखा है सीरयिल्स का प्रोडक्शन १०।। का था एडीशनल १६ का था उसको घटा कर रखा है अब १४।। लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन का रखा है। उसको भी ओवर एंड एबव सीलिंग लेकर-पैसा खर्च कर रहे हैं, इसमें खर्च करेंगे तो मुझे आशा है कि ओरिजनल १६ लाख टन प्रोडक्शन करने का जो लक्ष्य था उससे ज्यादा ही पूरा कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे देश हिन्दुस्तान में फूड प्रोडक्शन को बहुत प्रोयोरिटी थी और प्रथम योजना शुरू हुई थी उस समय मानते थे कि फूड प्रोडक्शन ५० मिलियन टन सीरयिल्स का था· · · · · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : साढे सात करोड था।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५० मिलियन टन का था। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमने हिन्दुस्तान में चालू किया था, मुझे इस बात का गर्व होता है कि हिन्दुस्तान के किसानों ने हिन्दुस्तान की दो योजनाओं का लाभ उठाते हुए हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर एक्सपर्टस की मदद से और चुने हुए नुमायन्दों की मदद से ५० मिलियन टन से ८०.८२ मिलियन टन्स तक पहुंचाया और जो लक्ष्य हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा है उसके अनुसार हम हमारे फूड प्रोडक्शन को १०० मिलियन टन तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे उम्मेद है कि हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा और हिन्दुस्तान के किसान, जनता और सब लोग मिलकर फूड प्रोडक्शन लक्ष्य को पूरा करेंगे और जो मार्जिनल इम्पोर्ट आफ फूड प्रोडक्ट्स हमको करना पड़ता है आसानी से तीसरी योजना के अन्त तक उस सारे चक्कर से या बाधा से निकल सकेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और सदन माननीय सदस्यों को भी विश्वास होना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : पापुलेशन कंट्रोल करिये पहले।

श्री नाथूराम मिर्धा : पापुलेशन बढ़ रही है उससे खाने का १८ आउन्स का हिसाब लगाया है उससे १०५ मिलियन टन या १०२ मिलियन टन कर लेंगे। कंट्रोल करें तो अच्छा है लेकिन उनको खाने को कम नहीं मिलेगा बेलेन्स्ड डाइट और इन्ग्रीडियेन्टस है उनके लिये करें तो अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): फिर विदेशों से क्यों मंगा रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: कहां मांग रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, पहले जानकारी करलें। मार्जिनल इम्पोर्ट १ मिलियन टन का है।

श्री रामकिशन (वैर) : अब तक १६ अरब का अनाज बाहर से मंगा चुके ह।

श्री नाथूराम मिर्धा : भविष्य उज्जवल है, चिन्ता मत करिये।

मैं निवेदन कर रहा था प्रोडक्शन के बारे में फूड के बारे में मैंने कहा। दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जैसे आइल सीड है, कोटन है, शुगर केन है उनके बारे में भी राजस्थान के सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)
लक्ष्य रखे थे उनमें से काटन में कमी रही, शुगर केन में लक्ष्य पूरा कर लिया, काटन और आयल सीड में लक्ष्य पूरा नहीं किया·····

श्री रामकिशन: गुड़ में भी कमी रही।

श्री नाथूराम मिर्धा: गुड़ का ९० हजार टन था और १० हजार टन आगे करना है। मैं आपसे कह रहा था कि काटन के बारे में जो कमी रही है उसके कई फैक्टर्स इसमें हमारे आज तक अच्छे बीजों के सिलेक्शन की वेराइटीज रहती है इसमें हमेशा मिश्रण हो जाता है और काटन के बीज के मामले में ठीक ढंग से अलग अलग एरियाज में अलग अलग वेराइटीज ठीक ढंग से नहीं कर पाये।

आयल सीड में कमी हो जाती है आन दि होल इसमें मोस्टली डिपेन्ड करता है वेदर कंडीशन्स पर। आयल सीड प्रोडक्शन में तिल जो है वह सबसे इम्पोरटेन्ट है और तिल कंपलीटली बरसाती क्रोप है और उसमें ५० परसेन्ट प्रोडक्शन एक बरसात भी यदि मौके पर फेल हो जाती है तो तिल का प्रोडक्शन एक एकड़ पर अच्छी बरसात में जहां ५ मन तक होता है वहां एक बरसात फेल हो जाने से २ मन भी नहीं मिलती।·····

श्री हरवर्तसिंह (नौहर) : On a point of information, कपास के सिलसिले में आप बता रहे थे उसको बीच में ही ड्रोप कर दिया। आपने बताया कि बीज के मिश्रण से गड़बड़ी हुई, उसको रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बीज में मिश्रण को रोकने के लिये खास तौर से जीनिंग पर कंट्रोल किया जाय, अच्छे बीज जो लोग पैदा करते हैं उनसे सिलेकटेड बीज खरीदे जायें। अच्छे बीज न्योजल्स में मल्टीप्लाई किये जांय पंचायत समितियों द्वारा मल्टीप्लाई करायें जावे, फिर ग्रोवर्स को दिये जांय, प्रोपरली जिनिंग करके बेचे जावें·····

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : यह सब किसान ही करे या आप भी करोला?

श्री नाथूराम मिर्धा: आपको एग्रीकल्चर और सहकारिता की कम जानकारी है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि कह रहे है कपास में कमी इसलिये हुई।··

श्री उपाध्यक्ष :Order! Order please!

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ओयल सीड्स में कमी रही, यह बहुत ज्यादा बरसात पर निर्भर करते हैं। ५० परसेन्ट ओयल सीडा मे तिल का प्रोडक्शन करते हैं और बाकी ५० परसेन्ट में सरसों है, मूंगफली है तारा-मीरा आदि जितने भी हैं वे सब ५० परसेन्ट में आते हैं सब अलग हैं। कुछ इरिगेटेड लैंड पर आ जाते हैं। तिल पर होता है तो दूसरे सीजन में दूसरों पर असर पड़ता है।

तो इसमें ज्यादातर फेक्टर बरसात के ऊपर डिपेन्ड करना है क्योंकि जो इरिगेटेट एरिया है, उसमें ओइल सीड क्रोप पैदा नहीं होती है। इसमें बरसात के ऊपर एन्टायरली डिपेन्डेंट होने से ज्यादातर प्रोडक्शन का फेक्टर है यह ईश्वर और नेचर के हाथ में है। इसमें किसान या गवर्नमेंट के वश की बात नहीं है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काटन बेल्स के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया, हम उचित व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना इन तीन वर्षों में करना चाहते हैं। कोटन बेल्स के प्रोडक्शन की हमारी संख्या सेकंड प्लान में करना सोचा था वह करीब ढाई लाख गांठें करने का सोचा था, उसमें उत्पादन हमारा करीब डेढ़ लाख गांठों का हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ग्रोइल सीड के लिए कहा जो फिगर दिये वह सही नहीं हैं। तिल की पैदावार पच्चीस परसेन्ट से कम है। सबसे ज्यादा पैदावार सरसों की होती है और दूसरे नम्बर पर मूंगफली और

श्री नाथूराम मिर्धा : सब बरसात से लिंक्ड हैं मान लीजिये आपने जो पच्चीस परसेन्ट कहा, I am subject to correction. I am giving you my calculations. I don't insist upon 50%, but all the seeds are linked with rains.

यह मेरा फिगर है यह इरिगेशन से लिंक्ड है। इसमें फेक्टर्स बहुत ज्यादा देरी करते हैं।

मैं जैसा निवेदन कर रहा था, कोटन के बारे में जैसा मैंने कहा, बीज की व्यवस्था उचित रूप से करना···

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोईन्ट ऑफ ऑर्डर है। माननीय मंत्री ने सदन के सदस्यों के प्रति बड़े बुरे उद्गार प्रगट किये हैं, मोहन लाल, जो रतनगढ़ से आये हैं जब खड़े हुए तो····

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे खयाल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह कोई पांइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: आपने बहुत बुरे उद्गार प्रगट किये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कोई बुरे उद्गार प्रगट नहीं किये।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं बहुत बुरा समझता हूं यदि एक माननीय सदस्य को इस तरह कहा जाय·····

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, यह सदन के समय का वेस्टेज है, मेरे ख्याल में इन बातों····

श्री मुरलीधर व्यास: मैं कहता हूं कि कहां है। किसी सदस्य के बारे में कहें··

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा खेती-बाड़ी के बारे में जानकारी कम है। इसमें क्या बुरा कहा?

श्री मुरलीधर व्यास: यह नहीं कह सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप कह सकते हैं और मैं नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री मोहनलाल सारस्वत: आपको खेती का क्या ज्ञान है?

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मोहनलाल सारस्वत : इसका निराकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य order please!

Page No 119

श्री मोहन लाल सारस्वत : यह क्या बातचीत हुई ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अवसर देंगे मुझे कहने का। The Chairs on its legs. You should be careful of it

माननीय सदस्य, परस्पर आक्षेप करने की कोई सीमा होती है····

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय ने कहा

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा, आप इधर से कहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्होंने कहा है सदन के सदस्यों के बारे में मैं खड़ा हुआ तो मुझसे कह दिया और अभी मोहनलाल जी को कह दिया। इसकी पाबन्दी होनी चाहिए। आपने कहा कि शांत रहे और सब बात सुनें। पर इस तरह की बात कही जाती है तो हम नहीं सुन सकते आपसे अर्ज है कि किसी सदस्या का अपमान होता है तो इनको पाबन्द करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Will you explain what is it.

श्री मुरलीधर व्यास: मंत्री महोदय ने कहा·

(एक माननीय सदस्य खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास: मैं खड़ा हुआ, तब मुझसे कहा और अभी मोहन लालजी से यह बात कही·····

श्री उपाध्यक्ष: क्या बात कही ?

श्री मुरलीधर व्यास: मोहन लाल सारस्वत ने कुछ कहा तो आपने कहा

श्री उपाध्यक्ष: वह क्या बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने कहा, आप कुछ समझते नहीं हैं, आप बैठ जाइये। मेरे से कहा कि खेती के बारे में समझते नहीं हैं

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे आप ही कृषक बन कर आये हैं और दूसरा खेती के बारे में समझता ही नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने समझने की बात नहीं कही। मैंने कहा पशुपालन और खेती के बारे में जानकारी कम है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों कहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कहा इसलिए कि है कम।

श्री मुरलीधर व्यास: आज आपने कहा, कल मैं कहता हूं तो

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी राय है।

श्री मुरलीधर व्यास: हम सब कहेंगे कि आपको जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मानें या न मानें यह आपकी मर्जी है।

और इस तरह की बातें रोज कहते हैं हम बराबर सुनते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नहीं कहना चाहिए। यह कहेंगे तो अच्छी परम्परा नहीं होगी। इस तरह हर एक आदमी कह सकता है कि आप कुछ नहीं समझते।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह····

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !! You would not allow the Chair to say anything.

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, यद्यपि कोई ऐसी भाषा नहीं है, फिर भी जहां तक हो सके, दूसरे सदस्यों को कहने का अवसर न दें।

श्री नाथूराम मिर्घा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष: I hope that point will be left.

श्री मुरलीधर व्यास : वे शब्द हट जाने चाहिए। आपने जो शब्द कहे हैं, उनके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं · ·

श्री मुरलीधर व्यास: हम आपकी व्यवस्था चाहेंगे, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की सूचनाके लिए निवेदन कर दूं, यदि कोई अभद्र वाक्य है, परम्परा के विपरीत है, उसको तो एक्सपंज किया जाना चाहिए, और विथड्रा कराया जा सकता है और भी उसके कई तरीके हैं, लेकिन कोई ऐसी इन्नोसेन्ट बात इधर उधर एक्सचेंज हो जाती है, तो यह डिबेट की साधारण परम्परा है, उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए···

श्री मुरलीधर व्यास : ये शब्द हैं ये एक्सपन्ज होने चाहिए।

श्री मोहनलाल सारस्वत : काश्तकार के रिप्रजेंटेटिव होना कोई आसान बात है?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार वाक्य एक्सपंज करने लगेंगे तो आपको बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्घा : मैंने तो बहुत माइल्ड, माइल्ड शब्दों में अपनी बात को कह दिया है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप ये शब्द वापिस ले लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक्सपन्ज करने के लिये आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्घा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे चलना चाहूंगा । · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य · ·

श्री नाथूराम मिर्घा : हमने लक्ष्य रखा था पंचवर्षीय योजना में · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे पुनः अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात है, उसके बारे में आपकी व्यवस्था हम चाहेंगे। हम अर्ज करना चाहते हैं कि किसी सदस्य के बारे में · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम मिर्घा : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी व्यवस्था हो चुकी है और वह माननीय सदस्यों को माननी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं, यदि अभद्र-अनपार्लियामेन्टरी वाक्य होगा, तो उस वाक्य के लिये जरूर एतराज होगा, उसको रूल आउट किया जायगा । यदि किसी को डिसरेस्पेक्ट के अन्दर डाइरेक्ट किसी का रिमार्क होगा, तो वह गलत होगा । लेकिन साधारण बोल-चाल में अगर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं जिनसे किसी की डिसरेस्पेक्ट किसी

Page No 121

(श्री उपाध्यक्ष)
प्रकार व्यक्त नहीं होती तो मैं समझता हूं, उसके ऊपर सीमा लगाना यहां की परम्परा में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : हम यह चाहते हैं ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी सदस्य के बारे में ..

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस तरीके से अगर किया गया, then, you cannot speak. This is no way.

श्री मुरलीधर व्यास : यहां किसी सदस्य के बारे में कहा गया है तो लास्ट टाइम भी एक्सपन्ज कराया गया है। आज माननीय कृषि मंत्रीजी ने जो दो बार कहा, वह प्रोसीडिंग्स में ठीक नहीं जचता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विनम्र निवेदन करता हूं .....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of Order. already.

माननीय सदस्यों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि पालियामैन्टरी परम्परा को को उठा कर देखेंगे तो अनपालियामैन्टरी वाक्य एक्सपन्ज स्पेशल सकंमस्टेंन्सेज में होते हैं और साधारण वाक्यों को एक्सपन्ज करने की इजाजत नहीं दी जासकती है, यह परम्परा का तकाजा है।

आप आरंभ रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह साधारण नियम है, जब चेयर अपने पैरों पर खड़ी हो जाय तो बिल्कुल साइलैन्स हो जाना चाहिए, यह इंडीकेशन होता है चेयर की तरफ से। उसके बाद भी बहुत से माननीय सदस्य बोलते रहते हैं तो इसका नियमन करना चाहिए। यह पहली चीज होनी चाहिए और सम्मानित सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिये कि जब Chair is on its legs.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले खुद अपने को सिखाइये फिर कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं, माननीय सदस्यगण पूरा ध्यान रखते हैं। और और भी रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके बारे में क्या व्यवस्था है ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं, आपको पसन्द न आये, यह दूसरी बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : अनपालियामैन्टरी वर्डस् के बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : अनपालियामैन्टरी वर्ड्स के बारे में व्यवस्था यह है कि हर एक वर्ड को एक्सपंज नहीं करवा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप फर्मा रहे थे; उसके संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब किसी सदस्य के बारे में कोई कुछ ...

श्री उपाध्यक्ष : कुछ भी कहना परम्परा की बात नहीं है, बल्कि अभद्र वाक्य हो या गलत वाक्य हो तो उसको एक्सपंज कराया जा सकता है

(श्री उपाध्यक्ष)

आप आरंभ करिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : गलत वाक्य था, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार अगर सारी प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो कुछ इधर से होते हैं और कुछ उधर से होते हैं। इस प्रकार परस्पर आदर हमें रखना चाहिये। मैं विनम्र निवेदन करूंगा। Now I shall ask the hon. Minister to please continue his reply

श्री नाथूराम मिर्धा : कपास के अन्दर हमारा जो लक्ष्य है, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करीब साढे तीन लाख गांठें ज्यादा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है उसके बजाय हमने जो रिवाइज्ड प्रोग्राम रखा है उसमें साढे तीन लाख से बढा कर चार लाख गांठों तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी रूई का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा है। रूई की ज्यादा जरूरत है। इसलिये हम २२-२३ अलग अलग यूनिट्स राजस्थान में लगाना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि राजस्थान में जितनी की जरूरत हो उसको पूरा करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारे आंकडे स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेन्ट ने दिये हैं १।। लाख गांठों का था।

मार्केटिंग इनटेलिजेन्स रिपोर्ट भी हमारे पास आती है उसको भी लें तो राजस्थान के उत्पादन के फिगर्स २.२० या २.३० तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें कौनसा फीगर ठीक है उसके बारे में फाइनल रिजल्ट के बारे में विचार कर रहे हैं कि सेकिन्ड प्लान के आधार पर कितना कोटन, मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स की रिपोर्ट है उसमें दिखाते हैं और एक्चुअल कम्पाइलेशन कितना है उसके मतभेद को किस प्रकार से दूर किया जावे। फिर भी हम मान लें कि २ लाख गांठों का उत्पादन हो तो ४ लाख गांठों का उत्पादन करना होगा। हम मेजर ईरिगेशन, मीडियम ईरिगेशन स्कीम द्वारा खेतों में कोटन पर कोन्सेन्ट्रेड करना चाहते हैं। सवाई माधोपुर में पाइलोट प्रोजेक्ट के रूप में हम स्पेशल कोटन पाइलोट प्रोजेक्ट पारचर चलाना चाहते हैं? जहां हम फर्टीलाइजर के साथ में एक ही एरिया में अच्छे बीजों को बो कर कान्सेन्ट्रेशन करके जो साइन्टिफिक तरीके हैं उनको अपना कर ज्यादा से ज्यादा कोटन भीलवाडा आदि दूसरे स्थानों पर पैदा करें और जो हमारा लक्ष्य है उसको तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूरा करने की कोशिश करें।

इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर आगे बढते हैं। एक विवाद माननीय सदस्यों ने उठाया है, वह यह है कि राजस्थान की पर एकड प्रोडक्शन घट रही है और वहां एक डिस्क्रीपेन्सी खडी की कि एक एग्रीकल्चरल डायरी जो हमने सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंचाई उसमें एग्रीकल्चरल इन्फोर्मेशन हमारे यहां की और दूसरी स्टेटों की और इन्डिया की ....

श्री **रामकिशन** (वैर) : वह आपने इंग्लिश में दी है।

श्री **नाथूराम** मिर्धा : जी हां, अंग्रेजी में दी है।

उसके बाद जो एक दूसरी त्रैसिक स्टेटिसटिक बुक, आंकडों की निकलती है उसमें आंकडे दिये हुए थे कम्पेअर करके

(श्री नाथूराम मिर्धा)
समाजवादी दल के माननीय सदस्य ने यह पोइन्ट आउट किया कि प्रोडक्शन के आंकडे जो दोनों किताबों में दिये गये हैं अमुक ड्रेन की प्रोडक्शन में पर पौन्ड टेली नहीं होते। मैं यह कहूंगा कि दोनों में दो पौन्ड पर एकड प्रोडक्शन में दोनों में अन्तर पडता है। यह कोई मेजर पोइन्ट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That is not the major point यह मेजर पोइन्ट नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने मान लिया है कि यह मेजर पोइन्ट नहीं है। अब मैं इस बात पर आरहा हूं कि पर एकड प्रोडक्शन घट रहा है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर एकड प्रोडक्शन के फीगर्स जिस प्रकार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा किस तरह से केल्कुलेशन होता है यह सही तरीका नहीं है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि पर एकड प्रोडक्शन जिस तरह से निकाल कर परिणाम पर पहुंचना चाहिये नहीं पहुंचे। इसलिये नहीं पहुंचे कि जितनी क्रोप एक साल में एक खेत के नीचे होती है उसको रेन्डम सर्वे करके पर एकड प्रोडक्शन निकाला जाता है और जो टोटल प्रोडक्शन के आंकडे लगाये जाते हैं और उसमें भाग दे दिया जाता है और एवरेज निकाली जाती है यह सही तरीका नहीं है और इसमें अगर किसी कारणवश उतनी प्रोडक्शन नहीं होती है को सारी प्रोडक्शन गिर जाती है। इससे यह नहीं कह सकते कि सारी की सारी प्रोडक्शन गिर रही है। माननीय सदस्य इस पर सोचेंगे तो न वे इस बात को स्वीकार करेंगे और न मैं इसको मानूंगा। पर एकड प्रोडक्शन में क्या आता है, मान लें वीट ले लें। राजस्थान में वीट (wheat) मान लें हाइपोथेटिक्स एक्स (X) एकड एरिया था और उसकी इस साल में पर एकड प्रोडक्शन मान लें ८०० पौण्ड आया और दूसरे साल में एरिया वाई (Y) था और प्रोडक्शन ८०० पौण्ड के बजाय ६७५ पौण्ड या। यह किस प्रकार के फेक्टरों से चेन्ज हो सकता है। वाई (Y) रकबा एक्स (X) से बडा हो और उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है, उस अमुक साल में ज्यादा वर्षा हुई हो। इसलिये कितनी वर्षा, कितना फर्टिलाइजर किसान ने अपने खेत में इसके लिये काम में लिया है, इस पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा वीट में कई बीमारियें भी हो जाती हैं, वे भी हुई या नहीं। टिड्डी भी आ जावे या और कोई वजह हो।

एक माननीय सदस्य : टिड्डी क्या हमेशा नुक्सान पहुंचाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय टिड्डी आती है तो नुक्सान पहुंचाती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के सिलसिले में रेस्पोन्सिबल हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बात का हामी हूं कि एग्रीकल्चर प्रक्टिसेज को जो यूज करते हैं और उसके बाद दूसरे किसान जो उसको फोलो करते हैं उसके उत्पादन में और जो लोग उसको फोलो नहीं करते हैं उनके उत्पादन में अन्तर है। मैं यह कहूंगा कि जो लोग साइन्टिफिक तरीकों से और एग्रीकल्चर एडवाइज करने वाले लोगों का उपयोग करते हैं उनके लिये उनका उपयोग होता है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हूं कि टेक्निकल एडवाइज करने वालों का उपयोग होता है। . .

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वे ठीक कह रहे हैं। अगर मैं यह कहूंगा कि वे झूठ बोलते हैं तो आप कहेंगे कि यह अन-पार्लियामेन्टरी है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि उनका काम करते करते हाथों में फफोले पड रहे हैं, खेती कर सकते हैं · · ·

श्री **नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जब माननीय मन्त्री जवाब दे रहे हैं तब आपको शान्ति से सुनना चाहिये।

श्री **मुरलीधर व्यास** : एडवाइजर के लिये स्पेशियली आपने कहा था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि वह केवल विभिन्न प्रकार की 'ए' ग्रेड में कितना प्रोडक्शन होता है, जनरल बात कहते हैं। जिस समय पर्टिकुलर बात उठावें तब आप उठा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तभी तो मैं ने कहा।

श्री **उपाध्यक्ष** : पर्टिकुलर बात उन्होंने नहीं कही है। आप पहले उनकी बात सुनलें उसके बाद में कुछ कहें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Point of Order, Sir.

उन्होंने कहा, कि यदि वे झूठ बोल रहे हैं कहता हूं तो यह अनपार्लियामेन्टरी होगा सफेद झूठ कहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : There should be no controversy about this

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार जो वे कह रहे हैं, उसी की पुष्टि कर रहा हूं, एक साल में ज्यादा तो एक में कम हो गया, यह सही है; पर कई फैक्टर्स ऐसे हैं कि अमुक साल में अमुक क्रोप के लिये कितना एरिया अन्डर कल्टिवेशन रहा था · · ·

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ६१ से ६२ तक बिना बोई गई जमीन का विवरण इस प्रकार है और बोई हुई से कितना प्रोडक्शन हुआ · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जरा सुन तो लीजिये, आप शान्ति से बैठिये। पुरानी भूमिका भूल जाइये, ठंडाई से सुनिये, आप गर्मी को भूल कर ठंडाई से सुनिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप इसको देख लीजिये, इसके आधार पर बोलिये · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी आधार पर बोल रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : माननीय उपाध्यक्ष · ·

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order please! आप प्रारम्भ रखें।

Page No 125

श्री नाथूराम मिर्धा : वे प्रारम्भ रखने दें तब प्रारम्भ रखूं। मैं तो प्रारम्भ रखने की कोशिश करता हूं, जोर जोर से भी बोलता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो कहा गया कि पर एकड प्रोडक्शन कम हो गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह फूड प्रोडक्शन के टोटल का इन्डेक्स नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Just on a point of clarification.

थोडा सा कन्फ्यूजन है। प्रोडक्शन घटा है, इसको तो स्वीकार किया है पर इस चीज को रखने का तरीका है कि इस मुताबिक गिरा है, इसका कारण है, जो कि वेरियस कारण हैं पर जब होल एवरेज निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं कि कितनी क्रोप का कितना एरिया अन्डर कल्टिवेशन था, कितना प्रोडक्शन हुआ और उसको डिवाइड करके होल एवरेज निकालते हैं। इस बेसिस पर भी यदि प्रोडक्शन गिरा है, चाहे उस गिरने के कुछ भी कारण क्यों नहीं हों, हम यह जानना चाहते हैं कि जब एग्रीकल्चर का डवलपमेन्ट करना चाहते हैं तो ईल्ड पर एकड बढना भी चाहिये। घट क्यों रहा है? यह एक सीरियस मैटर है कि घटा है, इसके कारणों को दूर करना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यही मैं समझा रहा हूं। जैसे वीट की एग्जाम्पल दी; ८५० पाउन्ड पर एकड हुआ दूसरे साल ८२५ पाउन्ड पर एकड हुआ, २५ पाउन्ड का अन्तर पड गया इससे चिन्ता करने की जरूरत नहीं, इसलिये कि प्रोडक्शन फाल हो गया, एरिया ज्यादा होते हुए भी सेकिन्ड इयर कम हो गया तो सारे सेकिन्ड प्लान का कम हो गया यह बात नहीं है। यह मैं आपसे कह रहा हूं कि हर साल हर क्राप में फाल होता है तो इसको एनेलाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हुआ। आम तौर पर जो फैक्टर्स इन्सान के काबू के बाहर हैं उन्हीं से फाल होता है . . . .

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हर क्रोप को प्रकृति बढाती है या आपका पैसा बढाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठिये, नाराज मत हइइये; मैं अभी सब बताता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आप स्पष्ट तरीके से कहिये कि प्राकृतिक तरीकों से प्रोडक्शन बढता है, आपके प्रयास से नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पाली जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वहां हमारा पैकेज प्रोग्राम है, उसमें दो तरह के किसान कृषि उत्पादन का काम कर रहे हैं, एक तो वे जो प्लान के अनुसार हमारी योजना के नीचे काम कर रहे हैं और दूसरे वे जो बिना प्लान पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं। जब से पैकेज प्रोग्राम चल रहा है हमने इन दोनों की प्रोडक्शन को कम्पेअर किया और मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि इस पैकेज प्रोग्राम को हाथ में लेने के बाद जितनी क्रोप का प्रोग्राम हाथ में लिया है जिन फार्मस् को प्लान्ड वे में, फर्टीलाइजर, बेस्ट सीड प्लान्स के नीचे किया, उनको उपयोगिता बताई, उनका प्रोडक्शन जब से हमने यह किया है, एक एकड प्रोडक्शन ऊंचा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह किस आधार से दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैकेज प्रोग्राम के आधार पर।

इस पैकेज प्लान में जवार ४११ पाउन्ड पर एकड पैदा हुई है, नान-प्लान्ड फार्म्स हैं उनमें इतनी नहीं हुई है। यह बातें इस लिये कह रहा हूं कि जिन्होंने इन विधियों को काम में लिया है उनका प्रोडक्शन पर एकड बढा है और जिन्होंने काम में नहीं लिया है उनका नहीं ब ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्यादा परसेन्टेज करने में ऐसा है कि यह इससे कवर नहीं होती, वेगरीज ऑफ नेचर पर आपका कन्ट्रोल नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसको स्वीकार करता हूं। वेगेरीज ऑफ नेचर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने या एग्रीकल्चर मिनिस्टरी ने कन्ट्रोल कर लिया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं जानना चाहता हूं कि पैकेज प्रोग्राम के आंकडे आपने दिये हैं दुरुस्त हैं, फिर एग्रीकल्चर ईल्ड के गिरने का कारण बताया है, सही है पर इसका क्या कारण है कि एक कमेटी मुकर्रर की इसकी जांच करने के लिये, उसकी मीटिंग आज तक नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें भी मुझे बहस नहीं करनी है, इसकी छानबीन होनी चाहिये और सदन के ५ सदस्य और एसोसियेटस होने चाहिये, I will be glad to accept that.

यदि जानकारी हो, कोई गडबडी हो तो उसको, ठीक किया जाय. इसमें मुझे कोई एतराज नहीं।

मैं ज्वार के प्रोडक्शन के बारे में कह रहा था यहां, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का परफार्मेंस देख सकते हैं कि कोटा की तरफ ३७ परसेन्ट एन्क्रीज पर एकड यील्ड में फरक मालूम पड़ेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : एक्सपेन्डीचर का भी फरमा दीजिये कि पैकेज में पर एकड कितना एक्सपेन्डीचर आता है और नान पैकेज में कितना आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैकेजज में ज्यादा है। अच्छा बीज है, खाद आदि में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पडती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितना परसेन्ट ज्यादा है यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!! आप बाद में पूछ लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आखिर आप चाहते क्या हैं ? एक चीज पर तो रहिये, अपनी ग्राउन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं, कभी उधर; ६ बज गये हैं, सदन का समय और ज्यादा हो जायगा, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो बोलता जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां वे अपनी बात कहने का हक रखते हैं तो उसका जवाब आवे, उसको शान्तिपूर्वक सुनने की भी आवश्यकता है, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन्स हों वे मांग सकते हैं। तब भी किसी बात की शंका रह जाती है तो सदन का समय खराब न करके रूल्स मे आसान व्यवस्था है, हाफ एन आवर डिस्कशन या दूसरी विधि को अख्तयार कर

(श्री उपाध्यक्ष)
सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से सदन की सारी परम्पराओं को अलग रख कर समय बर्बाद करें, वह तो ठीक नहीं है यह जनतन्त्रीय व्यवस्था के भी प्रतिकूल है कि हम सुनना ही न चाहें वे जो एक्सप्लेनेशन दें।

(६ म. प.)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन में १०-११ साल से कुछ परम्परायें स्थापित हुई हैं डिमान्डस के और बहस के बारे में। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हम उन परम्पराओं को न तोडें और उनके अनुसार कार्यवाही होतीं रहे तो अच्छा है। इस वर्ष खास तौर से नयी परम्परा शुरू हो रही है बीच में इन्टरप्शन्स की और बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत समय की, यह सब पिछली परम्पराओं को ध्यान में रखते किये जांय, अन्यथा इधर से कोई जवाब देने के लिये खडा हुआ तो जवाब देना मुश्किल हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे। अन्य कोई भी इस सदन को देखते हैं, तो इस ओर भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि वे क्यों खराब इम्प्रेशन लेकर जायं। हम कुछ सुनावें, कुछ सुनें लेकिन एक सीमा के पश्चात भी, शंका के कई कारण रह सकते हैं उनका निराकरण होना संभव नहीं। पोइन्ट आफ आर्डर, और पोइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन आदि के लिये भी सुनने-सुनाने के लिये एक सीमा रहती है। सब ही माननीय सदस्य विचारशील हैं। गंभीरतापूर्वक बात करते हैं। इसमें शंका भी नहीं है कि उनके पास तथ्यातथ्य रहते हैं, वे विरोध कर सकते हैं लेकिन विरोध की भी सीमा रहनी चाहिये। इस प्रकार से उसके अनुसार कई वहां की परम्परायें कायम रहेंगी चालू रहेगी और समय भी बेकार खत्म नहीं होगा।

माननीय मंत्री।

श्री नाथूराम मिर्धा: आंकडे प्रोडक्शन के के बारे में, मैं काफी कह चुका हूं।

अनेक माननीय सदस्य: संतोष नहीं हुआ है। हम बाद में मिल लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा: तीसरी बात, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पशुपालन के विषय को लेकर कि राजस्थान के अन्दर जानवरों की जनसंख्या है वह घट रही है।

श्री रामकिशन (वैर): जानवरों की 'जनसंख्या'?

श्री नाथूराम मिर्धा: जानवरों की आबादी पोपुलेशन घट रही है।

श्री रामकिशन: आप जन संख्या जानवरों की कह रहे हैं यहां।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): वह उसमें से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: वह इतने महत्व का विषय नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे पता नहीं है कि वे इतने पर्टीकुलर हैं। मैं कह गया जन संख्या, मेरा मतलब था, जानवरों की संख्या।

श्री मुरलीधर व्यास: इस शब्द को एक्सपंज कर दीजिये। जन संख्या में हम आप सब आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: It is not the procedure of the House that every word should be expunged.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्षजी, जानवरों की जन संख्या कहां है। यह शब्द हटाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की परम्परा है। जो रिकार्ड हुआ है वह एक्सपंज नहीं हो सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि उनकी दलील यह थी कि जानवरों के लिये चराई की जमीन कम होने से, जानवरों की प्रजनन शक्ति कम होने से उनकी संख्या घट रही है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर राजस्थान में सैन्सज होती है, आंकडे आते हैं, राजस्थान के अन्दर सब जानवरों की "जनसंख्या' बढी है और · · ·

एक माननीय सदस्य : फिर 'जन-संख्या' जानवरों के साथ यह शब्द प्रयोग किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर बढती जा रही है और किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री नाथूराम मिर्धा : ५१ की जो सैन्सस है उसमें जानवरों की जो संख्या थी वह यह थी: १,०५,१६,३०३ और ५६ के अन्दर वही संख्या १,२०,७३,००० और ६१ के अन्दर १,३१,४०,००० है। तो यह संख्या सबकी लगातार बढ रही है इसके अन्दर।

एक माननीय सदस्य : १७६ हो गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मवेशियों की सैन्सस होती है उसके आधार पर आंकडे दिये हैं। अलग अलग जानवरों के आंकडे भी मेरे पास हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of information, Sri. १९५१ में अजमेर थोडे ही शामिल था, सिरोही भी नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सब जोडने के बाद ही कह रहा हूं। उसके बाद बफैलो, शीप, गोट्स, उनकी जो संख्या है उसको देखें तो बकरी की संख्या में कमी हुई है बाकी की सब की संख्या बढी है।

श्री मानसिंह महार : On a point of information, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : और खुशी होगी वह जानकार · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंख्या के अनुपात में पशुसंख्या कितनी बढी है, इसके भी कुछ आंकडे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप निकाल लीजिये। सैन्सस के फिगर्स दोनों मौजूद हैं। ५१ में इंसानों की संख्या थी वह १,६० लाख और अब २,०४ लाख। और जानवरों की 'जन-संख्या' हुई वह मैंने साल वार बतादी। तो आपसे निवेदन कर रहा था · · · ·

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : On a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मानसिंह महार : On a point of informat,on Sir, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि गधों की संख्या बढी है या घटी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने 'सिवाय बकरी के' कहा। बकरी की संख्या कम हुई है—बाकी सबकी बढी हैं। मेरे ख्याल से आपको इससे काफी संतोष हो गया होगा। तो बकरी की संख्या घटी और वह घटे तो मुझे अफसोस नहीं है और सदन के माननीय सदस्यों को भी नहीं होगा। बकरी कोई यूजफुल जानवर नहीं है। यह बनों का ह्रास करती है, बाड को भी नष्ट करती है। चराई के साथ जो आर्गुमैन्ट जोडने की बात कही वह वाजिब नहीं मालूम होती है।

एक आध माननीय सदस्य ने पशुपालन विभाग के बारे में कहा मतभेद भी है, यह विभाग बहुत बडा है, खर्चा बहुत अधिक हो रहा है, योजनायें ठीक नहीं हैं, आपकी मार्फत उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि एनीमल हस्बेण्डरी राजस्थान के लिये एक निहायत और जरूरी विषय है। उसके विकास और डवलपमैन्ट के लिये हमने सोचा। तीसरी योजना में ४।।। करोड की धनराशि खर्च करेंगे, वह धन-राशि २,०८ लाख पर आ गई। वह कमी मुझे अखरती है इस वजह से राजस्थान के अन्दर पशुधन की जितनी पोटेंशियेलिटी है हिन्दुस्तान में और जगह इतनी नहीं ह। सबसे बडी बढिया नस्ल यहां है। यहां की गायें, भैंसे, घोडे, बैल आदि सब जानवर हैं, ये सब अच्छे जानवर हैं और इनका विकास और इनका पोटेंशियल अच्छी तरह से उपलब्ध किया जा सकता है। दूध ज्यादा बढाये जाने की आवश्यकता है। ऊन ज्यादा बढायें जाने की आवश्यकता है। बैलों की बडी आवश्यकता है। गायों के अच्छे बैल पैदा हो। हमारे प्रांत में इसकी सख्त आवश्यकता है। इन सब कामों को करने के लिये एनिमल हस्बेन्डरी में चार वैज्ञानिक आधार हैं:

१. सबसे पहले ब्रीडिंग हो, नस्ल सुधार हो।

२. इन जानवरों के अलग अलग नर हों, उन्नत किस्म के नर; सब जगह इन जानवरों फैलें।

३. सब जानवरों को अच्छी खुराक खिलाई जाय। एक बात जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का आम प्रचार करना चाहिये कि अब सरकारी चरागाहों पर आपको आश्रित नहीं रहना होगा आप अगर जानवरों की रक्षा और अच्छे तन्दुरुस्त जानवरों की आशा करते हैं तो आपको स्टाल फीडिंग करना होगा। बांटा खिलाना पडेगा। दूध आप बढाना चाहते हैं, उन्नत प्रकार के बैल पैदा करना चाहते हैं, अच्छी नस्ल के जानवर पैदा करना चाहते हैं तो खुराक हमें वैज्ञानिक तौर से जैसे मनुष्य के लिये जिस प्रकार की खुराक की आवश्यकता रहती है उसी प्रकार की खुराक जानवरों की सेहत के लिये भी आवश्यक है।

४. घटिया किस्म के जानवरों को बधिया कराया जाय, उनको बीमारी से बचाया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा इलाके में चल पशु-चिकित्सालय होने चाहियें। राजस्थान में १५ जिलों के अन्दर पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था है और जिलों के अन्दर नहीं हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

धन की कमी की वजह से नहीं कर पाये हैं। चल पशु चिकित्सालय का उपयोग ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग उठावें, इसका हमने ध्यान रखा है। पशुओं के अन्दर कई प्रकार की बीमारियां चली आती हैं लेकिन आजकल उन बीमारियों में कमी आयी है। रेन्डर-पेस्ट स्कीम के तहत, इस बीमारी की बहुत कमी हुई है। सब जानवरों को इस स्कीम के तहत लाया गया है। इसका टीका लगने का सभी काश्तकारों ने स्वागत किया है। इसी प्रकार अस्पतालों में डाक्टरों की भी काफी बढोतरी की गई है। १५० डिस्पेंन्सरीज, १५ चल चिकित्सालय हैं इससे भी ज्यादा करने की जरूरत है लेकिन साधनों की मजबूरियों की वजह से हम वांछित प्रगति नहीं कर पाये हैं।

इसके अन्दर पशु पालन एक खास आइटम है। इसमें घटिया जानवरों का क्या उपयोग कर सकते हैं? अभी तक उन पशुओं के लिये गौसदन का प्रोवीजन है। इन जानवरों के लिये गायों के लिये हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर दिया करते हैं कि ये जानवर बाहर जाते हैं माननीय उपाध्यक्षजी, जो जानवर पालने वाले लोग हैं वे जानते हैं कि घटिया किस्म के जानवरों को अपने घर में रखना एक प्रकार का बोझ होता है। इसलिये वे अपने घर पर न रख कर जितना भी पैसा मिल जाय उसको लेकर अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को केवल गौसदन खोलकर हल नहीं कर सकते। किस प्रकार इन जानवरों का ग्रेडेशन करके, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी नस्ल को उन्नत कर सकते हैं, इस ओर हमें ध्यान देना होगा। इस तरह से पशु पालन के बारे में जो खास खास मुद्दे उठाये उसके बारे में मैंने निवेदन किया।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अच्छे नस्ल के बैलों के लिये तो बुल आप सप्लाई कर रहे हैं लेकिन झोटों के लिये क्या कुछ कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : झोटों के लिये हमने मोर नसल को मान्य किया है, आपके किसी गांव में झोटे की जरूरत हो तो हम दे देंगे।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मेरे प्रश्नों का कोई जबाब नहीं दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति के एरिया के अन्दर पशु पालन भी पैकेज प्रोग्राम के साथ में हो। सिद्धान्त रूप से हमने भारत सरकार से बात कर ली है पाली जिले के उन एरियाज के अन्दर एनीमल हस्बेन्डरी के बारे में खेती से और ज्यादा पोटेन्शियल है उनके साथ जोडने की व्यवस्था स्वीकार कर ली है।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नोमेडिक ब्रीड्स की स्कीम के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम के तहत तीन-चार ब्रीड की गायें हमारे बोर्डर के इलाके में मिलती हैं, थार पारकर, राठी, कामटेग आदि घुमक्कड़ लोगों के पास में अच्छी तादाद में ये गायें हैं। उनके लिये भारत सरकार से आउट-साइड दी प्लान जो कि १५ लाख के लगभग खर्च कर सकते थे उसके लिये ४८ लाख की योजना स्वीकार कर ली है और हम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस साल यह राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं ।

शीप एण्ड वूल के बारे में भी इस साल विशेष योजना रखी है । शीप की दृष्टि से हमारी बहुत पोटेन्शियल स्टेट है । आज केवल राजस्थान में हिन्दुस्तान की टोटल वूल का ४५ प्रतिशत प्रोडक्शन होता है । इसको बढा-कर हमारी इस योजना के अन्त तक ५० प्रतिशत करने का टार्गेट है । इसको बढाने के दृष्टिकोण से भेडों की ऊन को मार्केटिंग के लिये उसका साइन्टिफिक ग्रेडिंग करवाया जाय, यह राजस्थान में चालू किया जाय इसलिये एक योजना इस साल से चालू करने जा रहे हैं ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): आपने २० प्रतिशत टैक्स ऊन पर बढाया है ? यह ठीक नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्वामीजी महाराज, जहां ठीक नहीं हुआ उसको ठीक कर लेंगे यह तो आपके और हमारे हाथ की बात है ।

हम उपाध्यक्ष महोदय, वूल मार्केटिंग को ठीक करने के दृष्टिकोण से, ग्रेडिंग करने के दृष्टि-कोंण से राजस्थान को १२ हिस्सों के अन्दर बांटा है । कई जगह दो जिलों को शामिल भी कर दिया है । हमारे यहां आठ किस्म की भेडें हैं । उनकी ऊन को कतरवा कर इन स्थानों पर पहुंचाया जाय । हम इस बात को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि प्रिलिमिनरी ग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही कर लिया जाय । इसके लिये २५ ट्रेन्ड इन्स्पेक्टर्स रखे जा रहे हैं इसके लिये आस्ट्रेलिया के लोग भी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं । सीकर और झुंझुनू शीप के दृष्टिकोण से एक जिला होगा . . .

श्री रामकिशन : क्या भारत सरकार ने ३ करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को इस काम के लिये देने के लिये रखा था, किन्तु हम उपयोग नहीं कर पाये इसलिये वापिस ले लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): मालपुरा क्षेत्र के लिये भेड और ऊन के संबंध में एक योजना बनी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: That will be the biggest nstituite of India or I can say that would be the biggest of the world.

वहां तो एक बहुत बडा इन्स्टीट्यशन बनने जा रहा है । मैं निवेदन कर रहा था भेड की वूल मार्केटिंग के संबंध में । इस साल से हम कदम उठाना चाहते हैं । इस योजना के अन्त तक राजस्थान का आधा हिस्सा जहां प्रोपरली वूल ग्रेडिंग हो, साइन्टिफिक वे से एक मार्का हो जिससे ज्यादा से ज्यादा नफा ब्रीडर्स को मिले और जहां सुरक्षा के लिये यार्न की जरूरत है फोरिन एक्सचेन्ज को बचाने के लिये भी हमें ऐसी रिक्वायरमेन्टस् को पूरी करनी है । इस तरह से हम इस एमर्जेन्सी में जो वूलन यार्न की रिक्वायरमेन्ट है उसको भी पूरी कर सकेंगे ।

खास तौर से बिजली के बारे में भी कट मोशन आये हैं । मैं मानता हूं किसानों के उत्पादन को बढाने के लिये जहां जहां पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है वहां पर किसानों को बिजली दें और सस्ती दें । ज्यादा से ज्यादा मोटर्स लगा कर पानी दे सकें जिससे

(श्री नाथूराम मिर्धा)
उत्पादन पर असर तुरन्त आता है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया बिजली की रेट चाहे वह थरमल डीजल हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो–इन सब की रेट दो आना रखी जाय। यह राज्य सरकार ने बहुत ही श्रेयकर डिसीजन लिया है जो किसानों के हक में है।

कुछ पर्सेंटेज भी हमने मुकर्रर किया है इनके लिये। १५ पर्सेन्ट मुकर्रर किया है। यह ठीक बात है। अब यह हम लोगों का काम है कि जो हम किसानों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वे सजग रहें और बिजली प्राप्त कराने में हम उनकी मदद करें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि अगर जिस इलाके से होकर उनकी हाईडल पावर गई है, वहां पांच कुओं का लोड मिल जाता है तो एक मील बिजली खींच लेने का खर्चा बोर्ड स्वयं उठा कर कनेक्शन दे देगा। जहां हाईडल नहीं है वहां १० कुओं का लोड मिल जावेगा तो एक मील तक बिजली वे स्वयं खींच कर उनको कनेक्शन दे देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप कहते हैं, पर जिस गांव में होकर लाइन निकली है वहां के लोगों ने ७० एप्लीकेशन्स् दी हैं पर उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में, यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में जो बातें कहते हैं हम, उनका कुछ अर्थ होता है, वह नीति हो जाती है। अब वे प्रैक्टिकली इम्पलीमेंट होती हैं या नहीं, इसके लिये थोड़ी दिलचस्पी हम लोगों को भी लेनी चाहिये। अलग अलग लवल पर कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं किसानों से हमदर्दी रखने वालों से इसके लिये प्रार्थना करूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : कोठारिया गांव में मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में से होकर बिजली गई है, वहां २० लोड ले सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो आपकी नीति की बात कही है। अब अगर उसमें प्रेक्टीकली इम्पलीमेंन्ट करने में कोई अड़चन आती है तो वे कौनसी हैं इसकी जानकारी आप करें और जिस लेवल पर वे हल की जा सकती हैं, उस लेवल तक आप पहुंचने का प्रयत्न करें, जो उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। तो प्रेक्टीकली कदम कैसे हम उठा सकते हैं इसकी ओर ध्यान मैंने आपका आकर्षित किया है।

श्री इयोपतसिंह (हनुमानगढ) : फसल में नमक देने से कितना फायदा हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने इस बारे में एक कटौती प्रस्ताव रखा था। मैं निवेदन कर दूं। गंगानगर जिले में फर्टीलाइजर में ऑफिसर ने नमक मिला दिया, यह शिकायत आई। हमने उसकी जांच करवाई। प्रीलिमिनरी तरीके पर सही पाई गई है हमने जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पैन्ड किया है। इन्क्वायरी आगे और की जा रही है, अब इसमें जो कार्यवाही की जानी चाहिये वह अवश्य की जायेगी।

श्री इयोपतसिंह : शिकायत की दरख्वास्त कलैक्टर को देने के कितने दिन बाद आपने यह जांच करवाई ?

Page No 133

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने एक्वुअली ह्वेज तो गिने नहीं। ज्यों ही नोटिस में आया जांच करवाई और जांच से सन्तोष होते ही उनको सस्पेंण्ड कर दिया।

श्री विजयसिंह झाला: एप्लीकेशन बिजली के लिये दी जाएं किसानों द्वारा वे आपके विभाग से रिकमण्ड करके भेजी जायं तो जल्दी उन पर कार्यवाही हो सकती है, नहीं तो डाइरेक्ट की जाती हैं तो उनका सहयोग नहीं मिलता। आपके मार्फत जाने से अगर उनको कुछ एतराज हो तो आपको पूछ सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिजली विभाग वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम।

श्री विजयसिंह झाला : सात गांव वालों की एप्लीकेशन्स् दी हुई हैं। अगर वे जिम्मेदार होते तो उनका कुछ होता।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती के प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखते हुए मुद्दे उठाए थे, उनका जहां तक मेरे से बन पडा मैंने पूरा उत्तर देने की कोशिश की है।

श्री अब्दुल जब्बार : इस बस्सी कैटल फार्म में कितने मवेशी हैं, उनमें पर-कैपिटा का क्या एक्सपेन्डीचर आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास ऑफ हैण्ड तो जवाब देने के लिये कोई इस तरह के आंकडे नहीं हैं। आप प्रश्न पूछ लीजियेगा, हम जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आपका कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री अब्दुल जब्बार : है न साहब।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सवाल पूछ लीजिये। मैंने निवेदन किया न। फिर अभी तो बस्सी का सवाल ही नहीं है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने पूरे तौर से सब बातों का जवाब दिया है और मेरे उस जवाब को काफी अर्से तक बैठ कर गौर से माननीय सदस्यों ने सुनने की कोशिश की है, उसके लिये मैं अपना आभार जाहिर करता हूं और आपकी मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब वे अपने कटौती प्रस्तावों का समाधान हो गया मानकर उनको विथड्रा कर लेंगे और जो मांग मैंने सदन के सामने रखी हैं उनको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इतने दिलचस्प वाद-विवाद के बाद मैं समझता हूं कि सभी अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

(कटौती के प्रस्ताव सभी वापिस लिये गये)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २० स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, ४१ एवं १९ स्वीकार की जावें।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८, ४१ एवं १९ स्वीकार की गई।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बज कर २७ मिनट पर दिनांक २६ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३)

२. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सदन द्वारा स्वीकार किये गये ।

(१) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, १९६३-६४ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।"

(२) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।"

३. आय-व्ययक, १९६३-६४

द्वितीय अवस्था--अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता

(२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि

(३) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६५--कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

(४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन

उपरोक्त मांगों में प्रथम मांग श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री द्वारा एवं शेष मांगें श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई ।

इन मांगों पर कुल ६२ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

सरकार की ओर से श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री व श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने बहस का उत्तर दिया ।

तत्पश्चात् समस्त कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाकर मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं ।

सदन की बैठक ६ बज कर २५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३ की कार्य सूची

(१) प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

(२) मांग संख्या २७--सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि ।

(३) मांग संख्या ४४--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ।

(४) मांग संख्या ३--गाडियों पर कर ।

(५) मांग संख्या २८--सडक तथा जल परिवहन योजनाएं ।

(६) मांग संख्या ४६--सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत ।

Page No 135

स्तम्भ

संक्षिप्त विवरण

सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४२४५

मछली पालन—जिला भरतपुर

भूमि अलाटमेंन्ट—ग्राम जट नगला, तहसील हिंडौन

पंजाब के जवानों को भूमि अलाटमेंन्ट

तालाब और एनीकट के लिये ऋण

राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की कक्षाएं जयपुर।

श्रमिकों के लिये स्नानागार—पलाना कोलेरी।

मंत्री मंडल के सदस्यों द्वारा यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता।

राज्य में प्रति एकड उत्पादन

फरटीलाइजर फैक्टरी का निर्माण—हनुमानगढ।

स्तम्भ

भूमि बेचान की रजिस्ट्रियां—गंग कैनाल, कालोनी।

गिरदावरी रजिस्टर।

खेमली ग्राम में स्कूल भवन—तहसील मावली।

भूमिहीन किसानों को भूमि अलाटमेन्ट—भाखरा तथा गंगनहर क्षेत्र।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बकाया धनराशि की वसूली।

ग्राम स्वयं सेवक दल।

सीमेन्ट एवं लोहे की चद्दरों का वितरण।

पंचों, उप सरपंचों एवं सरपंचों का हटाया जाना।

भूतपूर्व जागीरदारों को जमीनें—भाखरा प्रोजैक्ट।

टीप बदलने के अधिकार।

गंग कैनाल कालोनी, जिला गंगानगर में भूमिहीन किसानों को भूमि अलाटमेन्ट

Page No 136

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५९० का उत्तर देखिये)

Statement showing T.A. and D.A. drawn by the Ministers and Deputy Ministers during the period from 12-3-62 to 20-2-63 (New Ministry).

S.No.	Name	T.A.	D.A.	Total.
	Ministers.			
1.	Shri Mohan Lal Shukhadia, Chief Minister	3,103.40	1,516.50	4,619.90
2.	Shri H. B. Upadhyaya, Education Minister	176.94	1,226.00	1,402.94
3.	Shri Mathura Das Mathur, Home Minister	1,504.13	1,874.04	3,378.17
4.	Shri Nathu Ram Mirdha, Argicul-ture Minister	1,106.65	1,402.50	2,509.15
5.	Shri Harish Chandra, P.W.D.Minister	4,237.29	1,349.00	5,586.29
6.	Shri Bal Krishna Kaul, Finance Minister	1,059.00	1,772.62	2,828.62
7.	Shri Bheeka Bhai, Irrigation Minister	1,411.57	1,504.45	2,916.02
8.	Shri Barktullah Khan, Health Minister	9,251.38	1,108.50	10,359.88
	Deputy Ministers.			
1.	Shri Daulat Ram Saran	352.00	965.00	1,317.00
2.	Shrimati Kamla Beniwal.. ..	107.00	984.00	1,091.00
3.	Shrimati Prabha Mishra	..	2,464.25	2,464.25
4.	Shri Parash Ram Maderna ..	625.25	1,247.50	1,872.75
5.	Shri Bhawani Shanker Nandwana..	..	2,024.00	2,024.00
6.	Shri Ram Prasad Ladha	276.38	1,299.00	1,575.38
7.	Shri Chandan Mal Baid	3,074.45	1,916.75	4.991.20
8.	Shri Dinesh Rai Dangi	186.62	1,870.00	2,056.62
9.	Shri Bhim Singh	576.39	811.00	1,387.39
10.	Shri Niranjan Nath Acharya ..	250.48	1,302.50	1,552.98

Sd/-

Accounts Officer,
Government Secretariat,
Rajasthan Jaipur.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ का उत्तर देखिये)

(१) राज्य में सन् ५६–६० से ६१–६२ तक जोती गई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:—

किस्म जोत	जोत का क्षेत्रफल (लाख एकड़ों में)		
	१६५६–६०	१६६०–६१	१६६१–६२
(अ) सिंचित—			
१. नहर से	१०.४२	१३.२२	१४.५७
२. कुओं से	२४.३५	२५.०७	२४.१५
३. अन्य साधनों से	६.६३	५.००	६.३३
योग ..	४१.४०	४३.२६	४५.०५
(ब) असिंचित (बारानी)	३१६.०६	३४६.२७	३७१.७७
कुल कृषि मय क्षेत्रफल ..	३५७.४६	३८६.५६	४१६.८२

ये आंकडे अभी प्रोवीजनल हैं।

पैदावार के आंकडे निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	पैदावार (लाख टनों में)			
	खाद्यान्न	तिलहन	कपास (लाख गांठों में)	गन्ना
१६५६–६०	४७.११	१.६२	१.४८	५.६६
१६६०–६१	४४.६१	१.७१	१.४७	६.७१
१६६१–६२	५३.८३	२.५३	१.६८	७.१८

(२) प्रति एकड पैदावार निम्न प्रकार है:—

वर्ष	पैदावार प्रति एकड (पौंड में)			
	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	गन्ना
१९५९–६०.. ..	३८८	१८०	३२७	१९३४८
१९६०–६१.. ..	३६७	१८६	३८३	२१५३५
१९६१–६२.. ..	४२५	२३४	३७३	१९८८३

सन् १९६२–६३ के आंकडे अभी उपलब्ध नहीं है ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७१ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD, JAIPUR

Funds Disbursed under Khadi & Village Industries Scheme & to Institutions

Statement showing amounts paid due and outstanding as on 1-1-63

S. No.	Name of the Institution	Amount paid upto 31-12-62	Amount due upto 31-12-62	Amount Re-covered upto 31-12-62	Balance due as on 1-1-63	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
	Ajmer Division					
1.	Rajasthan Khadi Vikas Mandal Govindgarh ..	29,750	29,750	29,750	..	
2.	Rajasthan Khadi Sangh Chomu	54,270	31,545	31,545	..	
3.	Kendariya Sarvodaya Sangh Sahakari Jaipur ..	28,375	28,375	4,000	24,375	
4.	Gramuthan Sangh Jaipur	13,320	13,320	..	13,320	
5.	Rajasthan Geo Sewak Sangh Jaipur	9,320	7,773	6,406	1,367	
6.	Gram-Nirman Sangh Hasteda	..	..	..	..	
7.	Khadi Karya Karta Samiti Dausa	15,250	9,250.02	1,000	8,250.02	
8.	Mahadev Desai KhadiMandir Vansthali.. ..	16,000	5,602.00	4,300	1,300	
9.	Khadi Ashram Amarsar	..	..	..	..	
10.	Rajasthan Samagra Sewa Sangh	..	..	..	..	
11.	Udayog Mandir Jaipur	13,050	7,250	6,291	959	
12.	Rajasthan Khadi Gramodyog Sewa Sadan Jaipur	28,750	..	..	..	
13.	Gram Sewa Mandal Asidan Ka Bas	28,00	..	..	..	
14.	Gramodyog Vikas Samiti Bassi	15,375	1,375	1,375	..	
15.	Chomu Gram Vikas Samiti Chomu	2,250	..	..	..	
16.	Gram Sabha Gram Dni Gaon Asidan Ka Bas ..	1,300	..	..	..	

1	2	3	4	5	6
17.	Gramodyog Samiti Gowpuri (Khadi Bagh) ..	2,800			
18.	Gramodyog Rajasthan Khadi Sewa Sangh Lal Kothi	2,300	..	..	..
19.	Gram Sabha Gram Dni Gaon Gokulpura	2,300	..	..	..
20.	Gram Sabha Gram Dni Gaon Khejdhabas ..	2,800	2,800	2,800	..
21.	Khairad Gramodyog Sangh Sawar ..	1,300	..	..	..
22.	Gram Sabha Gram Dni Gaon Khati Ki Dhani ..	1,68,300	39,634	32,436.60	7,197.40
23.	Khadi Gramodyog Sangh Imperial Road ..	1,300	..	..	..
24.	Agragrami Khadi Sangh Sanpala ..	1,51,800	10000+1,302.60	11,302.60	..
25.	Ajmer Merwara Gram Sewa Mandal Ajmer ..	80,500	9,200	5,500	3,700
26.	Tonk Zila Khadi Gramodyog Sangh ..	4,20,450	45,752.24	34,070	11,682.24
27.	Sikar Zila Khadi Gramodyog Samiti Reengus ..	5,61,000	64,200	25,000	39,200
28.	Gramodyog Sangh Ajitgarh	3,61,980	39,520	4,000	35,520
29.	Khadi Gramodyog Samiti Mukandgarh ..	800	600	..	600
30.	Gram Sewa Mandal Kishorapura	1,24,170	35,322	25,400	9,922
31.	Gram Sewa Mandal Karauli	27,520	17,542	57,000.50	11,841.50
32.	Gramodyog Samiti Khandar	96,250	71,467.50	66,308	5,159.50
33.	Ghani Sewa Sadan Bayana	51,000	8,000	3,550	4,450
34.	Servodaya Ashram Vallabhgram	22,250	18,411.25	..	18,411.25
35.	Lok Sewa Sangh Jaipur	..	..	..	..
36.	T.C.P. Centre Sanganer	25,000	..	..	..
37.	Sanjam Karalaya Jaipur	1,37,050	81,269	5,241	76,028
38.	Khadi Gramodyog Bhavan Jaipur	1,20,800	40,400	35,000	5,400
39.	Charm Vastu Bhandar	3,41,000	1,68,000	1,68,000	..
40.	Arogya Kendara Sikar	45,000	25,000	24,297.88	702.12
41.	Gramodyog Vikas Samiti Jaipur	2,400	..	..	..
42.	Gramothan Sangh Gulabpura	—1,800	..	..	..
43.	Hadoti Khadi Gramodyog Sangh Baran ..	1,000	..	..	..
		14,52,83.43	6,000	6,000	..
		31,33,762.43	8,18,658.61	5,39,273.58	2,79,385.03

1	2	3	4	5	6	7
	Udaipur.					
			31,33,762-43	8,18,658-61	5,39,273-58	2,79,385-03
44.	Nav Nirman Sangh	..	36,000	36,000	22,658.96	17,441.046
45.	Samagra Gram Sewa Samiti Sanwar	..	6,321	3,615.25	3615.25	..
46.	Vidya Bhavan Society Udaipur	..	11,700 —	9,042.67	..	9,042.67
47.	Gandhi Sewa Sadan Raj Samand	..	10,250	5,292	..	5,292
48.	Adim Jati Gramodyog Sangh Udaipur	..	73,300	25,406.06	7,916.86	17,489.90
49.	Gramodyog Vikas Mandal Deogarh	..	4,15,975	40,660	25,660	15,000
50.	Gramodyog Vikas Samiti Chittorgarh	..	9,250	9,250	..	9,250
51.	Gramodyog Khadi Vikas Mandal Pahuna	..	69,600	10,610	9,400	1,210
52.	Khadi Gramodyog Kendra Bhankerkheri	..	25,500	5,100	2,250	2,850
53.	Sarvodaya Sadhana Sangh Chanderia	..	1,300	..	..	..
54.	Sewa Sadan Bhilwara ..	..	1,78,650	61,574	61,018	556
55.	Gram Vikas Sewa Mandal Brahmano Ki Sarai	..	38,600	20,200	249.24	19,950.76
56.	Antri Uparmal Vidhya Peeth Bijolia	..	21,875	2,445	1,680	765
57.	Kharitat Sarvodaya Sangh Shahpura	..	1,62,650	62,934	27,044	35,890
58.	Rajasthan Sewa Sangh Dungarpur	..	1,09,550	61,564	8,934.38	53,629.62
59.	Gramodyog Samiti Banswara	..	89,300	28,434	12,847.37	15,586.65
60.	Gandhi Ashram Kushalgarh	..	3,000	3,000	..	3,000
61.	Saghan Khetra Samiti Bagidora	..	12,100	7,000	7,000	..
62.	Banswara Zila Sewa Sangh Partapur	..	29,000	25,300	10,864.66	14,435.34
63.	Gram Vikas Sangh Mandal ..	..	10,000	..	..	..

	Jodhpur				
64.	Marudhar Vikas Mandal Khichab	5,43,640	77,534	41,534	36,000
65.	Marwar Khadi Sangh Jodhpur	4,01,930	84,170	48,590.30	35,599.70
66.	Sarvodaya Kendra Khimal	43,437.50	22,337.50	19,290.63	3,046.87
67.	Gramodyog Sangh Saderi	7,800	1,900	1,400	500
68.	Rajasthan Khadi Gramodyog Sangh Pali	1,28,187.50	6,427.50	2,227.50	4,200
69.	Nagour Zila Khadi Cramodycg Sangh Nagour	46,820	36,737.50	27,037.50	9,700
70.	Naya Samaj Mandal Serohi	41,000	1,700	..	1,700
71.	Gram Sabha Hathal Gaon Serohi	7,750	..	..	..
72.	Viram Khadi Gramodyog Sangh Jalore	45,500	5,100	..	5,100
73.	Jaisalmer Khadi Gramodyog Parishad	2,93,800	10,000	..	10,000
74.	Khadi Gramodyog Sangh Sojat	..	..	..	..
75.	Chittor Zila Khadi Gramodyog Sangh Chittorgarh	1,00 000	..	..	..
	Bikaner				
76.	Khadi Mandir Bikaner	3,07,510	72,865	61,633	11,232
77.	Khadi Gramodyog Pratisthan Bikaner	7,55,300	86,450	70,800	15,950
78.	Uni Khadi Gramodyog Sansthan Bikaner	6,37,300	32,500	27,500	5,000
79.	Gandhi Ashram Sujangarh	3,10,805	14,400	14,400	..
80.	Woollen Production Centre, Bikaner	11,41,230	1,42,500	55,068.04	87,431.96
81.	Uni Anubhag Bikaner	15,00,000	..	..	..
	TOTAL	1,11,75,713.43	18,13,707.09	11, 08,893.25	7,22,813-84

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७३ उत्तर देखिये)

Statement showing the Districtwise allotment of Cement during the Year 1960-1961 and 1961-62 in Rajasthan,

S.No.	Name of the District.	1960-61	1961-62
		M.TM	M.TM.
1.	Jaipur	15220	10760
2.	Jodhpur	7750	4600
3.	Sikar	5750	2710
4.	Ajmer	6200	4040
5.	Tonk	3100	1450
6.	Nagour	6100	3030
7.	Sawai Madhopur	6100	3080
8.	Udaipur	7130	5900
9.	Barmer	5660	2120
10.	Jhalawar	3100	1750
11.	Jalore	3100	1800
12.	Kotah	5180	3850
13.	Bhilwara	5180	3080
14.	Sri Ganganagar	4650	3350
15.	Jhunjhunu	4650	3390
16.	Dungarpur	2460	1480
17.	Pali	5180	2860
18.	Chittorgarh	650	2440
19.	Bharatpur	6400	4090
20.	Bikaner	2500	2020
21.	Alwar	6400	3090
22.	Churu	3700	2340
23.	Jaisalmer	1030	620
24.	Sirohi	1050	1430
25.	Bundi	2280	1060
26.	Banswara	2600	1800
	TOTAL	1,25,220	74 280

Allotment of Iron and Steel during the year 1960-61 and 1961-62 in M/Tons.

S.No.	Name of the District.		Non-Agricultural quota 1960-61 G. C.	1961-62 G.C.	Sheet	S.S.I. Quota 1960-61 G.P.	B.P.	G.C.	1961-62 G.P. B.P.	G.O.
1.	Jaipur	..	814	559	451	1431	90	1747	1351	17-1
2.	Tonk	..	223	130	..	..	..	40	40	..
3.	Alwar	..	428	334	..	..	..	84	126	..
4.	Sikar	..	333	213	..	..	..	40	40	..
5.	Sawai Madhopur		400	250	..	..	..	20	20	..
6.	Jhunjhunu	..	271	200	..	..	..	20	20	..
7.	Bharatpur	..	523	334	73	19	20	66	110	..
8.	Ajmer	..	508	400	..	..	..	120	200	..
9.	Kotah	..	401	222	146	36	33	283	111	..
10.	Bundi	..	211	96	..	..	..	22	22	..
11.	Jhalawar	..	270	190	..	..	..	44	44	..
12.	Bikaner	..	342	138	109	19	38	251	209	..
13.	Churu	..	225	200	..	..	..	..	..	..
14.	Ganganagar	..	399	278	..	..	..	54	104	..
15.	Jodhpur	..	494	279	433	90	74	771	305	..
16.	Barmer	..	265	166	..	..	..	20	94	..
17.	Sirohi	..	213	124	..	..	..	20	34	..
18.	Pali ..	..	405	213	..	..	..	40	96	..
19.	Nagaur	..	406	256	..	..	..	..	..	..
20.	Jaisalmer	..	161	40	..	..	..	..	..	..
21.	Jalore	..	217	130	..	..	..	20	20	..
22.	Udaipur	..	655	412	217	54	56	322	200	..
23.	Dungarpur	..	231	134	..	..	..	20	94	..
24.	Banswara	..	120	..	..	..	..	..	24	..
25.	Chittorgarh	..	377	200	..	..	..	..	..	..
26.	Bhilwara	..	434	230	..	..	..	40	40	..

Director of Industries & Supplies,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ५७४ का उत्तर देखिये)

२ अक्टूबर सन् १९५९ से अब तक हटाये गये पंचों, उपसरपंचों एवं सरपंचों की सूची

नम्बर	जिला	नाम	पद	हटाये जाने के कारण
१	२	३	४	५
१	जोधपुर	श्री आईदान	सरपंच, शेखाला, पं. स. शेरगढ	आंखों से अंधे होने के कारण ।
२	"	श्री राम रत्न	सरपंच, मांदलिया, पं. स. बिलाडा	हिन्दी लिखने पढने के अयोग्य होने के कारण ।
३	"	श्री मीठूलाल	सरपंच, भटेण्डा, पं. स. जोधपुर	आबादी भूमि विक्रय नियमों के विरुद्ध जमीन लोगों को देना तथा फौजदारी मुकदमे में मुलजिम का बयान लिये बिना उस पर जुर्माना करना आदि ।
४	"	श्री लाल सिंह प. स. जोधपुर	सरपंच पूंबला	पंचायत के सदस्यों को शपथग्रहण नहीं कराना, व उसका ८ माह तक कार्य नहीं करना, श्री किशनपुरी फाटक मोहर्रिर द्वारा गबन करने पर स्पेशल आडिट पार्टी के आने पर अडिट न करवाना, व पंचायत का बजट ४ वर्षों से पास नहीं करवाना आदि ।
५	"	श्री गुमानसिंह	सरपंच, निम्बा, पं. स. शेरगढ	कर्तव्य पालन में अनियमितता करना व पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग करना ।

१	२	३	४	५
६	सिरोही	श्री चिमनलाल	सरपंच आंवल, पं. स. आबूरोड (सिरोही)	हिन्दी पढने लिखने के योग्य न होना ।
७	,,	श्री मीठालाल	सरपंच, गोल, पं. स. सिरोही	राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५६ के नियमों के विरुद्ध ग्राम गोल में बबूल के पेड कटवाना ।
८	जयपुर	श्री बीरबल	उप सरपंच, टोरडा, पं. स. बैराठ	हिन्दी पढने लिखने के अयोग्य होने के कारण ।
९	,,	श्री रामलाल	सरपंच, मोहनपुरा, पं. स. बस्सी	फर्जी कार्यवाही कर पंचायत कोष का दुरुपयोग करना ।
१०	,,	श्री लक्ष्मीनारायण	सरपंच, सावता, पं. स. बांदीकुई	कर्तव्य पालन में विफल रहने के कारण व कार्य संचालन में अनियमिता करना एवं पद का दुरुपयोग करना ।
११	,,	श्री प्रभुनारायण	सरपंच, सिरसी, पं. स. जयपुर	पंचायत कोष के दुरुपयोग करना एवं निर्माण कार्यो के लिये दी गई धनराशि का दुरुपयोग करना एवं कार्य संचालन में अनियमितता बरतना ।
१२	,,	श्री मोती लाल	पंच, बौराज	अदालत एस. डी. एम. सांभर द्वारा फूड प्रिवेन्शन एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जुर्माना व सजा किये जाने से पंच पद के लिये अयोग्य होना ।
१३	अजमेर	श्री नूराजी	सरपंच, रूपनगर पं. स. जवाजा	नौ सेना में सर्विस कर लेने के कारण ।
१४	,,	श्री समरा	सरपंच, सामलपुरा पं. स. जवाजा	पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग एवं अनियमितताएं करने के कारण
१५	,,	श्री वृद्धिचन्द	पंच, शिखराना	पंच के पद के लिए अयोग्य होना ।
१६	अलवर	श्री मांगूराम	उप सरपंच, लाडपुरा	उप सरपंच पद के लिये अयोग्य होना

१७	अलवर	श्री लादूराम	पंच, नीमवाना	अवैधानिक रूप से भूमि की विक्रय की कार्यवाही करना।
१८	,,	श्री घीसाराम	,, ,,	,, ,, ,,
१९	,,	श्री नन्दलाल	पंच, हाजीपुर	पंचायत के सदस्य के साथ साथ भारत सरकार के डाक व तार विभाग में नौकरी करना।
२०	बाडमेर	श्री सुजानसिंह	सरपंच, सबी, पं. स. बाडमेर	पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग करना व कार्य संचालन में अनियमितता करना।
२१	सीकर	श्री चोखाराम	सरपंच, भैरापुरा, पं. स. पिपराली	पंच के पद के लिये अयोग्य होना।
२२	,,	श्री गोविन्दसिंह	सरपंच, दादिया, पं. स. पिपराली	निर्वाचन तिथि के दिन २५ वर्ष की आयु न होने के कारण।
२३	पाली	श्री समुद्रसिंह	पंच, खारिया नीच, पं. स. सोजत	पंचायत की फाटक की आय का दुरुपयोग करना पाया जाना।
२४	,,	श्री करनसिंह	,, ,,	,, ,, ,, ,,
२५	,,	श्री मालाराम	,, ,,	,, ,, ,, ,,
२६	,,	श्री भोपालसिंह	सरपंच, मांडा, पं. स. खारची	सरपंच पद पर चुने जाने के अयोग्य होने के कारण।

१	२	३	४	५
२७	भरतपुर	श्री घमंडीसिंह	पंच, सरसेना पं. स. बैर	स्कूल भवन के निर्माण के सम्बन्ध में होने वाली पंचायत की मीटिंग में सरपंच व चपडासी सरसेना से अशिष्टता एवं असभ्यता से पेश आकर मारपीट करने को तत्पर होना ।
२८	नागौर	श्री चतरसिंह	सरपंच, निम्मी जोधान पं. स. लाडनूं	विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए पंचायत कोष का द्रव्य अपने पास रखना व रोकड पोते बाकी की रकम जिला पंचायत अधिकारी द्वारा आदेश देने पर भी डाकखाने में जमा न करना ।
२९	,,	श्री दयालसिंह	सरपंच, लूणसरा	राज्य सेवा में बर्खास्त हो जाने के कारण सरपंच के पद के लिए अयोग्य होना ।
३०	नागौर	श्री रामकरण	सरपंच, गोगोलाव, पं. स. नागौर	पंचायत कोष की रकम का दुरुपयोग करना ।
३१	बांसवाडा	श्री अली मोहम्मद	पंच, परतापुरा, पं. स. गढी	अनियमित रूप से माध्यमिकशाला के कमरे बनाने हेतु पंचायत से पंच की हैसियत पर ठेका लेना ।
३२	,,	श्री गोतमराम	पंच, बोडी, तेजपुर	रकम का दुरुपयोग करना ।
३३	कोटा	श्री प्रेमसिंह	सरपंच, छीपाबडौद	आयु २५ वर्ष से कम होने के कारण सरपंच के पद के लिये अयोग्य होना ।
३४	,,	श्री पन्नालाल	सरपंच, जुल्मी	वन विभाग द्वारा बोडों के दिये गये ठेके में सरपंच द्वारा स्वयं के लाभार्थ अधिकारों का अनुचित दुरुपयोग करना ।
३५	,,	श्री रणधीरसिंह	सरपंच, परर्रा, पं. स. शाहाबाद	विकास अधिकारी के साथ अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार करना एवं कर्तव्य पालन में उपेक्षा करना ।

३६	कोटा	श्री लक्ष्मणसिंह	सरपंच राई, पं. स. छीपाबडोद	विभागीय आदेशों का उल्लंघन करना व अधिकारों का दुरुपयोग करना ।
३७	डूंगरपुर	श्री मंगला भाई	सरपंच माधूगांमडा	पंचायत कोष की रकम का दुरुपयोग करना तथा कार्य संपादन में अनियमितताएं करना ।
३८	”	श्री नगजी	पंच ठाकरडा	पंचायत से ठेका लेकर स्वयं लाभ उठाना ।
३९	”	श्री रूपसी	पंच चार्डोली	” ” ”
४०	भीलवाडा	श्री कन्हैयालाल	सरपंच, पुर	पंचायत के द्रव्य का दुरुपयोग करना ।
४१	टोंक	श्री रतनलाल	सरपंच, पचेवर	विकास कार्य के लिये दी गई रकम का हिसाब न देना व कई अनियमितता करना व पंचायत द्रव्य का दुरुपयोग करना आदि ।
४२	”	श्री हरनाथ	सरपंच बोसरिया	राज्य सरकार द्वारा ३ वर्ग के लिए पूर्व में अयोग्य घोषित किये जाने पर दुबारा चुनाव में आ जाने के कारण ।
४३	झालावाड	श्री ओंकारलाल	सरपंच, सूलिया	विकास कार्य हेतु मिली रकम का दुरुपयोग करना
४४	चूरू	श्री मंगाराम	उप सरपंच, रोडी	हिन्दी पढने लिखने योग्य न होना
४५	बूंदी	श्री कृपालसिंह	सरपंच नमाना	पंचायत की रकम का गबन करने एवं विकास कार्य हेतु मिली रकम का दुरुपयोग करना ।

१	२	३	४	५
४६	बून्दी	श्री मोतीलाल	उप सरपंच, छत्रपुरा	हिन्दी लिखने पढने के योग्य न होना ।
४७	उदयपुर	श्री बख्तावरलाल	पंच, वास	अन्धा होना ।
४८	"	श्री हीरालाल	सरपंच, कल्याणपुर	पंचायत रकम एवं विकास कार्य के लिये दी गई रकम का दुरुपयोग करना एवं अवैधानिक कार्यवाही करना ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३)

स्तम्भ सं० १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
४२४७	शीर्षक	माच	मार्च
४२५०	अन्तिम से ३	लड्-ा	लड्ढा
४२५१	१३	लडढा	लड्ढा
,,	१८	(श्री मोहनलाल सूखा- डिया)	(श्री मोहनलाल सुखा- ड़िया)
४२५३	अन्तिम	पय	रुपये
४२५४	१४	चण्डावत	चूंडावत
४२५५	५	,,	,,
४२५९	अन्तिम से ६	मुख्य मंत्री	
४२६०	१,७	ी विजयसिह झाला	श्री विजयसिह झाला
४२६१	११	श्री मोहनलाल सुखा- डिया	श्री मोहनलाल सुखा- डिया
४२६६	१३	please !	please !
४२९५	अन्तिम से ३	बदखल	बेदखल
४२९७	१३	मख्य मंत्री	मुख्य मंत्री
४२९६	शीर्षक	समितियों के सदस्योंके	प्रश्न समय में न पूछे जा
४३११	१	श्री मथुरेशबिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
४३२५ से ४३४० तक	शीर्षक	४२-२५ मार्च, १९६३	-२५ मार्च, १९६३-१९
४३२९	६	आयगे	आपने
४३३४	१९	ममि	भूमि
४३४०	३	इम्पन्डिग	इम्पेंडिग
,,	१९	श्री गरूबचनसिह	श्री गुरूबचनसिह
४३४१	शीर्षक	मार्ट १९६३१९	मार्च, १९६३-१९
४३४३ से ४३५० तक	,,	मर्च, १९६३१९	मार्च, १९६३-१९
४३४७	१०	मुकरर	मुकर्रर
४३४८	अन्तिम से ३		
४३५०	७	गई । तो '	गई । तो ,
४३५५	शीर्षक	मार्च,१९६३१९	मार्च, १९६३-१९
,,	१९	फयदा	फायदा
४३५७ से ४३७२ तक	शीर्षक	४२-२५ मार्च १९६३ इत्यादि	-२५मार्च, १९६३-१९ इत्यादि
४३६३ से ४३७३	स्तम्भ	—	

१	२	३	४
४३६४	१	डायरेक्टर	डाइरेक्टर
४३६८	६	(२ य. प)	(२.०० म. प.)
४३८०	१२	फमिंग	फार्मिंग
४३८१	अन्तिम से ४	heep	help
४३८३	१७	से 1	से
४३८६	४	कैंपिटेलिस्ट्स	कैपिटेलिस्ट्स
४४०२	अन्तिम से २	ब्राहमण	ब्राह्मण
४४१५	१८	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	२४	डिस्टन्बेंस	डिस्टर्बेंस
४४१७	१९	डायरेक्टर	डाइरेक्टर
४४२७	अन्तिम से ८	(हिण्डोन)	(हिण्डौन)
४४२८	१	शी गोकलप्रसद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	३	जब्वार	जब्बार
,,	६	श्री गोकुल साद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	१८	बृह्म	ब्राह्म
,,	२१	ब्रह् अहं	.
,,	२२	ब्रह् म	अहं ब्रह्म
	,,	ब्र	ब्रह्म
४४५३	१७	(वॅर)	(वैर)
४४६५	१६	इंडिन्स्ट्रीय लाइजेशन	इन्डस्ट्रियलाइज शन
४४७२	२२	लक्ष्मर्णसिह	लक्ष्मणसिंह
४४९९	९	श्री नाथूराम मिध,	श्री नाथूराम मिर्धा
४५०१	३	informatton	information,
,,	६	श्री नाथूराम मिर्मा	श्री नाथूराम मिर्धा
४५११-४५१२	२	२. बित्तीय समितियोंके निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव	(कॉलम संख्या ४५११ में पढा जाये)
४५१३	१,२	संक्षिप्त विवरण सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३	—
४५१९	शीर्षक	परिशिष्ट	परिशिष्ट
४५२१	६९	४६,८२०	४६२८२०